खण्ड-328, अंक-1
बुधवार, 13 आश्विन, शक संवत् 1899
(5 अक्टूबर, 1977 ई0)

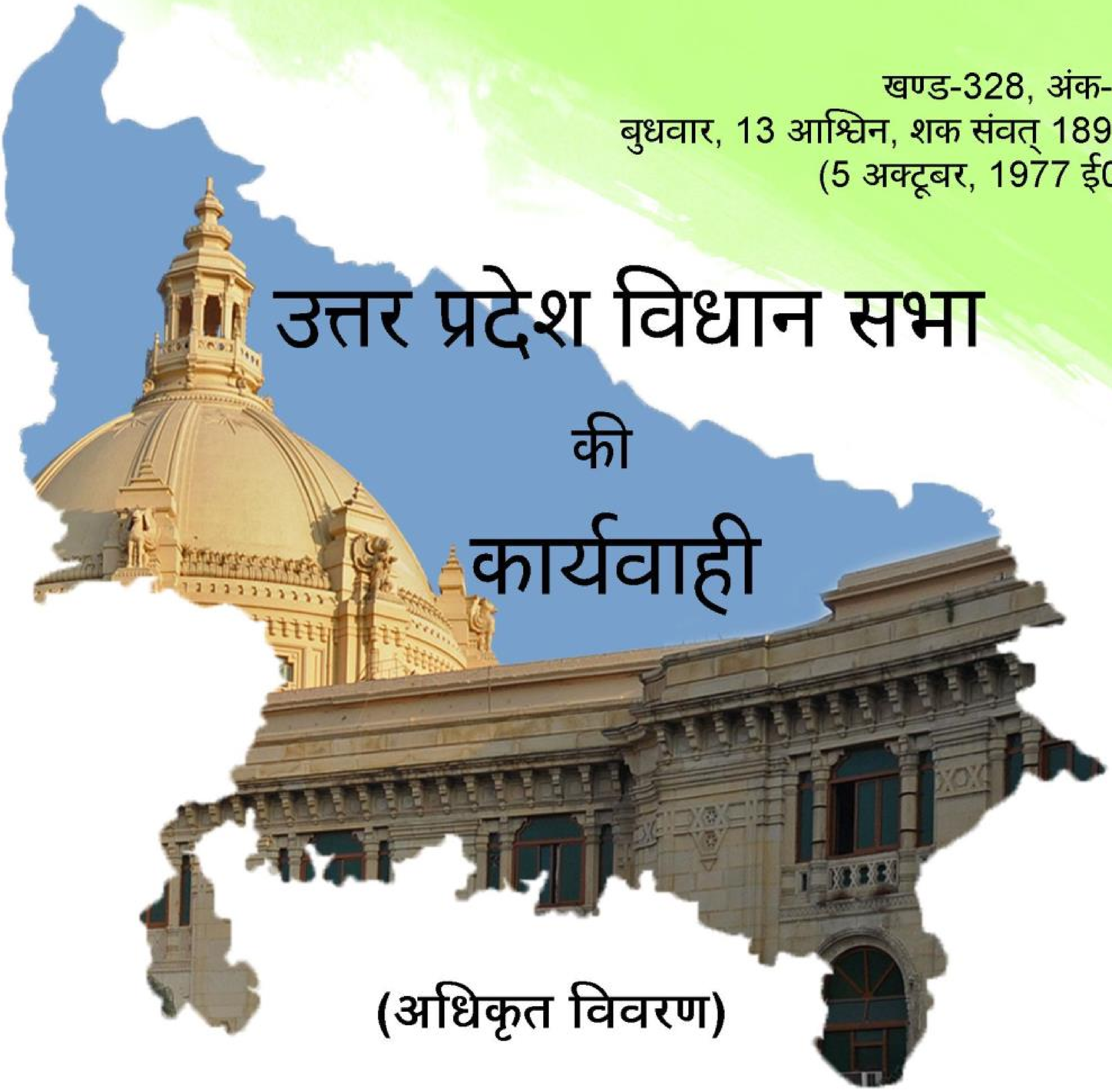

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 328 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१-४
प्रश्नोत्तर	५-४५
श्री सुखपाल पाण्डेय द्वारा उनको प्राप्त एक धमकी भरे पत्र के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	४५-४६
दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना (जारी) ..	४६
आमरण अनशन पर बैठे कतिपय ग्राम सेवकों की हालत गम्भीर होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	४६
टनकपुर, जिला नैनीताल के थारूओं पर पुलिस द्वारा अत्याचार के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	४६-४७
दैनिक जागरण, कानपुर, समाचार-पत्र के कर्मचारियों को संशोधित वेतन तथा अन्य सुविधाएं न मिलने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	४७-४८
गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा हड़ताल तथा उन पर हुए कथित लाठी चार्ज के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	४८
पी० ए० सी० के दंगे में हटाए हुए कर्मचारियों को वापस लेने तथा मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने से सम्बन्धित पी० ए० सी० के जवानों द्वारा हड़ताल के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	४८
सैन्ट एण्ड्रूज कालेज, गोरखपुर के एम० ए० प्रथम वर्ष के छात्र श्री अशोक कुमार पाण्डेय तथा उनके समर्थकों द्वारा प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों का घेराव तथा मारपीट के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	४९
प्रदेश भर में दफा १४४ लगाये जाने तथा सदस्यों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित वक्तव्य की मांग	५०
शिक्षा मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	५०-५१
बाढ़, कटाव एवं सूखे पर चर्चा के लिए शीघ्र समय देने की मांग...	५१-५२
डाक्टर एस० पी० गुप्ता, जिला संयुक्त चिकित्सालय, देवरिया के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	५२-५४
श्री आरिफ मोहम्मद खां, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	५४-६३
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनायें ..	६३-६४
दिनांक २७ सितम्बर, १९७७ को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य	६४-६३

विषय	पृष्ठ-संख्या
दिनांक ७ सितम्बर, १९७७ को श्रीमती रामरति देवी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ..	६५
राय बरेली में श्रीमती इंदिरा गांधी की जन सभा में हुई कांग्रेस तथा जनता पार्टी में मारपीट के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	६५-६९
राज्य निराश्रित सहायता समिति पर कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव तथा कार्य-क्रम (स्वीकृत)	६९
१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४२--सहकारिता, अनुदान संख्या ५२-पशुपालन, अनुदान संख्या ५३--दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या ५४--मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ७५--सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ८२--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९४--ऋण और अग्रिम-सहकरिता (स्वीकृत)	७०-११३
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	११३
जनपद मुरादाबाद में अराजकता और अशांति, लूट मार की घटनाओं, पुलिस द्वारा अनुसूचित जन जाति कालोनी में एक नवजवान को गोली मारने आदि के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	११३-१२४
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७७ (पारित किया गया)	१२४-१४७
दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना ..	१४७
नत्थियां	१४९-१६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बिहार पंचायत सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ५ अक्तूबर, १९७७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३२४

अकबर हुसेन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आरिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गजेन्द्र, सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री

गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह, परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नारायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नथूराम शिक्षक, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवाढ़ा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री

बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज वल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम सिंह, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी श्री
मौजीलाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेन्द्र कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम नरायन बर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
रामफेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम सखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सिंह श्री (जिला सहारनपुर)
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, 'निर्भय' श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्यामनारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण श्री (उर्फ भुलाई भाई)
श्री राम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिश्चन्द्र श्री (उर्फ हरीश जी)
हरीकृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरीराम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य श्री
हरी सिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—मुख्य मंत्री, श्री राम नरेश यादव भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ५ अक्तूबर, १९७७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सचिवालय में अनुसचिवों का चयन

**१—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर), श्री मन्नूराम (जिला बलिया), श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया), श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजबाद), श्री भाभी (जिल आजमगढ़)

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुसचिव के पद के लिए १९७७ में हुए चुनाव में लगभग ७५ प्रतिशत अभ्यर्थियों का अतिक्रमण हुआ है जिसके कारण उन लोगों में काफी असन्तोष है ? क्या यह सत्य है कि इनमें से अधिकांश व्यक्ति १९७६ में हुए चुनाव में अनुसचिव के पद के लिए चुन लिए गए थे ? यदि हां, तो ऐसे अभ्यर्थियों के अवक्रमित किए जाने का क्या कारण है ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

नियमानुसार चयन 'श्रेष्ठता' के माप दंड से ७९ अभ्यर्थियों में से किया गया जिनमें से ४० श्रेष्ठतम अभ्यर्थी चुने गये । शेष अभ्यर्थियों का छूट जाना स्वाभाविक था । चूंकि वर्ष १९७६ में आयोजित चयन सम्बन्धी कार्यवाही निष्क्रिय कर दी गयी थी अतः उक्त चयन के आधार पर अनुसचिव के पद पर किसी को चुने जाने तथा वर्तमान चयन में उन अभ्यर्थियों के अवक्रमित किये जाने के प्रश्न नहीं उठते ।

श्री हिम्मत सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो यह लिस्ट निष्क्रिय की गई उसके क्या कारण थे और निष्क्रिय करने के पश्चात कैबिनेट तथा न्याय विभाग से क्या पूछताछ की गई ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, वह पब्लिक सर्विस कमीशन को १९७४–७५ वर्ष के लिए 'ए' और 'बी' लिस्ट बनाने के लिए शासन ने अनुरोध किया था और वर्ष १९७५–७६ के लिए केवल 'बी' लिस्ट बनाने के लिए अनुरोध किया गया था । मगर कमीशन से जो लिस्ट आयी १९७४–७५ और १९७५–७६ की वह 'ए' और 'बी' दोनों लिस्टें बना दी गयीं । नियमानुसार यह नहीं था । इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन से फिर अनुरोध किया गया कि ऐसी लिस्ट बनायी जाय जो नियम के अन्तर्गत हो । फिर निर्णय हुआ यह सेलेक्शन रद्द कर दिया जाय और नये सिरे से सेलेक्शन कराया जाय । इसमें विधि विभाग से राय लेने का प्रश्न नहीं उठता था । चूंकि नियमावली में स्पष्ट नियम थे, तो उनके अन्तर्गत कार्यवाही की गई है ।

श्री हिम्मत सिंह—

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब चयन करने का नियम है तो ३ साल का आपने किस आधार पर चयन कराया, क्या इसको मंत्री जी स्पष्ट करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, ३ साल का नहीं बल्कि २ साल की लिस्ट बनायी गयी और नियम यह है कि एक साथ २ साल की लिस्ट बनायी जाती है। दो लिस्टें होती है 'ए' और 'बी'। तो ए लिस्ट पहले साल के लिए रहती है और बी लिस्ट आगले साल के लिए टेम्पोरेरी रखी जाती है।

श्री मन्नू राम--

मान्यवर, क्या यह सही है कि वर्ष १९७७ में चयन के कार्यान्वयन हेतु १७ तारीख को, मध्य रात्रि के बाद अवक्रमित किये गये अधिकारियों के घरों में आदेश तामील किये गये? यदि हां, तो उनका क्या महत्व था जो रात्रि में उनको जगा-जगा कर आदेश दिये गये? क्या कृपया मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यह जो चुनाव हुआ, उसमें क्या अनुसूचित जाति का कोटा पूरा रहा?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, यदि शीघ्र कार्यवाही कर दी जाय तो यह बात आती है कि इतनी शीघ्रता क्यों की गयी, यदि देर हो गयी तो उसका जवाब दिया जाय। इसलिए इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि घर में दिए गए या कहीं और। लिस्ट में ७-८ बज गये थे इसलिए उसके बाद ही वह तामील किए गए। जहां तक अनुसूचित जाति का जो प्रश्न है, तो उसमें एक अभ्यर्थी लिस्ट में था पहले भी और इसमें भी, जिसको चुन लिया गया है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मूल प्रश्न यह था कि १९७५-७६ के अभ्यर्थी १९७७ के चयन से प्रभावित हुए। इसमें स्पष्ट किया गया कि कितने लोग प्रभावित हुए। क्या यह सही है कि सदन में मुख्य मंत्री जी ने १३-९-७७ को आश्वासन दिया था कि जो निरस्तीकरण हुआ है, उसकी जांच करायेंगे तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लक्ष्मण सिंह---

मान्यवर, जितने आदमी उससे प्रभावित हुए उनकी तादात शायद २२ है। जहां तक जांच का आश्वासन था, जांच करायी जा रही है और शीघ्र समाप्त हो जायगी।

श्री श्रीराम द्विवेदी--

क्या माननीय मंत्री जी ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामले में जो वर्ष १९७६ के चयन में अनुमोदित है, परन्तु १९७७ के चयन में अवक्रमित किए गए हैं, कानूनी पहलू से विचार करके पुनः न्याय दिलायेंगे?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपके एक मत का प्रश्न है।

श्री भाभी--

क्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि सन् ७६ में जो चयन समिति बनी थी, उसमें कौन-कौन लोग थे?

श्री लक्ष्मण सिंह--

चेयरमैन, पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ सेक्रेटरी और नियुक्ति सचिव । तीन आदमी थे ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन ४० आदमियों का चयन हुआ है, उनमें अनुसूचित जाति के पूरे आदमी हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर वह दे चुके हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में इस तरह के उत्तर कई बार आ चुके हैं । चेयरमैन, पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ सेक्रेटरी, राज्य सरकार के और वरिष्ठतम अधिकारी चयन समिति में रहते हैं और उनके निर्देशानुसार बनी सूची, फिर निष्प्रभावी कर दी जाती है । क्या मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि पहले सूची बनाने के लिए प्रस्ताव हुआ और फिर वही सूची निष्प्रभावी कर दी गयी और उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे, जो इस प्रकार से अनावश्यक रूप से समय की बर्बादी और अनावश्यक व्यय करते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपका सुझाव है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं इसको दूसरे रूप में पूछ रहा हूं । इस तरह की कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

जिस नियम के अनुसार सूची बननी चाहिए थी, वह नहीं बनी । इसमें क्या गलती थी, यह कहना कठिन है । शासन की गलती थी । पब्लिक सर्विस कमीशन की गलती नहीं निकाल सकते । किसी कारण से निगाह स्लिप कर गयी ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, पब्लिक सर्विस कमीशन केवल एक परामर्श देने वाली संस्था है । अन्तिम निर्णय गवर्नमेंट का है । ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोच सकते ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

उन्होंने 'ए' और 'बी' दोनों लिस्ट बना दी । उनसे यह अनुरोध किया गया कि केवल 'ए' ही लिस्ट बननी थी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त कुमार--

मेरी सूचना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो आया उसको राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया और फिर उसको निष्प्रभावी कर दिया ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह सूचना सही नहीं है । इसको स्वीकार नहीं किया गया । दुबारा जब आयी, तब स्वीकार किया गया ।

श्री हिम्मत सिंह--

सन् ७६ वाले को इस आधार पर निष्प्रभावी कर दिया कि एक लिस्ट बना दें । क्या यह सही है कि १० परमानेन्ट और ३० टेम्पोरेरी लिए और यही ए, बी लिस्ट हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

सन् १९७४-७५ की लिस्ट में १० परमानेन्ट और १९ टेम्पोरेरी थे । सन् ७६ में ९ परमानेन्ट और १० टेम्पोरेरी की लिस्ट बना दी । उन १९ में से ही अभ्यर्थी लेने थे इसलिए वापस कर दिया ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनुसचिव के पद पर जो प्रोन्नत किये गये हैं, उनके लिए कौन से नियम या मापदंड निर्धारित किए गए हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं उठता । मंत्री जी ने जवाब दिया है कि नियमानुसार किया गया है ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

नियम क्या हैं, किस आधार पर किया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह मूल प्रश्न के उत्तर में है कि यह नियम ज्येष्ठता नहीं, मेरिट है ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लोग १९७६ में चुन गये थे और सन् १९७७ के चयन से प्रमाणित हुए हैं । तो क्या उनको पुनः सेवा में लिए जाने पर विचार करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, १९७७-७८ में नया चुनाव हो रहा है । उसमें उनको मौका दिया जायेगा कि वे साक्षात्कार के लिए जायं ।

गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर को बन्द किये जाने का आदेश

**२--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या यह सही है कि १ अक्तूबर, १९७७ से एक माह के लिए मुख्य गंडक नहर को बन्द करने की अधिकृत सूचना गंडक प्रोजेक्ट कमीशन कमिश्नर ने किसानों को दे दी है ? क्या यह भी सही है कि गोरखपुर तथा देवरिया जनपद के अकाल-

ग्रस्त किसानों के रबी फसल का भी भविष्य अंधकारमय हो जायेगा ? यदि हां, तो संकट के निवारणार्थ शासन ने क्या उपाय किए हैं ?

सिंचाई मंत्री श्री बलबीर सिंह--

जी नहीं । गंडक प्रोजेक्ट कमिश्नर ने यद्यपि मुख्य पश्चिमी गंडक नहर को बन्द करने की कोई सूचना किसानों को नहीं दी है तथापि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सिंचाई विभाग द्वारा की जा रही है।

गोरखपुर तथा देवरिया जनपदों में मुख्य गंडक नहर को पूरी क्षमता से चलाया जा रहा है । अतः नहर के कमाण्ड में इस समय कोई अकाल की स्थिति नहीं है । अब मुख्य अभियन्ता गंडक प्रोजेक्ट, बिहार ने तार द्वारा सूचित किया है कि मुख्य पश्चिमी गंडक नहर १० अक्तूबर से ७ नवम्बर, १९७७ तक बन्द की जायेगी इस प्रकार नहर रबी की सिंचाई के लिए ८-११-७७ से खुल सकेगी । अतः रबी की सिंचाई में कोई व्यवधान होने की आशंका नहीं है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)---

मान्यवर, इसके प्रश्नकर्ता श्री पुरुषोत्तम कौशिक जी यद्यपि यहां मौजूद नहीं हैं । फिर भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब आना चाहिए सदन में ।

श्री अध्यक्ष--

अगर सदन को इसमें दिलचस्पी है, तो बाद में यदि समय रहा तो इसको देख लेंगे ।†

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

श्री काशीराज महाविद्यालय इन्टर कालेज, वाराणसी का बन्द किया जाना

*१--श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--तथा श्री श्रीराम द्विवेदी

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री काशीराज महाविद्यालय इन्टर कालेज, औराई, जनपद वाराणसी, दिनांक २७ अगस्त, १९७७ से बन्द कर दिया गया है, जिससे १२० छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो किसके आदेश से कालेज बन्द किया गया और क्यों ?

श्री काली चरण (शिक्षा मंत्री)--

जी हां । प्रबन्धक ने विभाग को बिना कोई सूचना दिए हुए २६ अगस्त, १९७७ से अनधिकृत रूप से बन्द कर दिया, जिसके सम्बन्ध में विभाग ने कारण सहित स्पष्टीकरण प्रबन्धक से मांगा है । संस्था दिनांक ७ सितम्बर, १९७७ से खुल गई है और शिक्षण कार्य ठीक से चल रहा है ।

श्री रमा शंकर कौशिक---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि विभागीय आदेशों का पालन न करने, विभागीय नियमों की अवहेलना करने और विद्यालय में व्याप्त अव्यवस्था के कारण विभाग ने अधिनियमों के अन्तर्गत १९७५ में कार्यवाही प्रारम्भ की थी ? यदि हां, तो उस कार्यवाही का क्या हुआ ?

†प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने के कारण बाद में नहीं लिया गया ।

श्री काली चरण--

मान्यवर, १९७५ को ऐसी कोई कार्यवाही की सूचना नहीं है ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, मेरी यह निश्चित सूचना है कि सन् १९७५ में विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी थी । यह सही है कि यह मामला एक बार स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि उस समय पूरी सूचना नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य चाहते हों तो माननीय मंत्री जी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं । आप तो स्वयं सूचना दे रहे हैं । अब मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है, उसकी अवश्य पुष्टि करेंगे ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उक्त प्रधानाचार्य के अवकाश ग्रहण की तिथि ३० जून, १९७७ थी ? क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग ने २२ जून, १९७७, १५ अगस्त, १९७७ तथा ३ सितम्बर, १९७७ को ये आदेश दिये थे कि प्रधानाचार्य को पदमुक्त कर दिया जाय ? यदि यह सही है, तो क्या प्रधानाचार्य को पदमुक्त कर दिया गया ?

श्री काली चरण--

जी हां, यह सही है । यह प्रधानाचार्य के पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग ने इस मैनेजिंग कमेटी को, जो कि ६ वर्ष पूर्व चुनी हुई थी, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसको हटाकर साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति के सम्बन्ध में अनुरोध किया था, [× × ×] तो क्या यह बात सही है, यह कागज देखकर बतायें ?

श्री अध्यक्ष--

यह जो आक्षेप है यह प्रोसीडिंग में नहीं लिखा जायेगा और न ही उस व्यक्ति का नाम ही लिखा जायेगा । मैं इस प्रकार के प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा । केवल आप यह पूछ सकते हैं कि क्या इसमें कोई परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री काली चरण--

मान्यवर, कोई परिवर्तन नहीं किया । साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या डाइरेक्टर ने रिपोर्ट किया कि नहीं कि नियंत्रक की नियुक्ति की जाय ?

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री काली चरण--

मान्यवर, विभागीय रिपोर्ट के आधार पर ही नियंत्रक की नियुक्ति की जाती है ।

श्री अध्यक्ष--

क्या नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई ?

श्री काली चरण--

जी हां, आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री श्रीराम द्विवेदी--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि प्रबन्ध समिति का चुनाव सन् १९७० में उप-शिक्षा निदेशक की देख-रेख में हुआ ? सन् १९७३ में प्रशासन योजना के अनुसार कार्यकाल समाप्त हो गया । सन् १९७४ के सितम्बर में प्रबन्ध समिति को किस आधार पर चार्ज दिया गया...

श्री अध्यक्ष--

इतने लम्बे अनुपूरक प्रश्न की मैं अनुमति नहीं दूंगा और न आपको प्रश्न पढ़ने की जरूरत है । आपको क्या सूचना चाहिये वह बतायें ?

श्री श्रीराम द्विवेदी--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सन् १९७४ के सितम्बर में प्रबन्ध समिति को किस आधार पर पुनः चार्ज दिया गया, जबकि उनका समय खतम हो गया था ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, समय समाप्त होने के बाद प्रबन्ध समिति कार्य नहीं कर रही है । विद्यालय की जो प्रशासन योजना विभाग द्वारा स्वीकृत है उसके अनुसार कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब तक नई प्रबन्ध समिति का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक जो पदाधिकारी हैं, वह कार्य करते रहेंगे । यह नियम है और इसको विभाग ने स्वीकृत भी किया है जिसके आधार पर अध्यक्ष और प्रबन्धक कार्य कर रहे हैं ।

*२--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[४थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

माध्यमिक शिक्षक संघ बस्ती की मांगें तथा उनका अनशन

*३--श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि बस्ती जनपद के अध्यापकों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में शासन तथा सम्बन्धित अधिकारियों को गत चार महीनों के अन्तर्गत अनेक ज्ञापन दिए हैं और जिस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण उक्त जनपद के विद्यालयों के अध्यापक जिला विद्यालय

निरीक्षक के कार्यालय के सामने ५ सितम्बर, १९७७ से क्रमिक अनशन प्रारम्भ किया था और अब वही १० सितम्बर, १९७७ से आमरण अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या शासन बतायेगी कि उनकी मांगें क्या हैं तथा उन्हें पूरा करने में शासन को क्या वैधानिक कठिनाइयां हैं ?

श्री काली चरण--

जी, हां । माध्यमिक शिक्षक संघ बस्ती ने १२ अगस्त, १९७७ को जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती को एक मांगपत्र दिया, जिसमें ३१ प्रकरणों की सूची संलग्न की गई थी, बाद में एक मामला और जोड़ा गया । ५ सितम्बर, १९७७ तक ९ मामलों में निर्णय ले लिए गए फिर भी अध्यापक ५ सितम्बर, १९७७ से १० सितम्बर, १९७७ तक क्रमिक अनशन पर एवं ११ सितम्बर, १९७७ से आमरण अनशन पर बैठे । अत्यधिक प्रयासों के बाद १७ सितम्बर, १९७७ की अर्धरात्रि में १२ बजे अनशन समाप्त कराया गया इस अवधि में २२ मामलों में निर्णय हो चुका है, शेष १० में कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर काशी तथा टिहरी के जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक स्कूलों के अध्यापकों की गिरफ्तारी एवं उनकी मांगें

*४--श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टेहरी गढ़वाल) श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल) तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री को मालूम है कि सीमान्त जिला उत्तर काशी तथा टिहरी के जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक स्कूलों के अध्यापकों ने ५-९-७७ से हड़ताल कर रखी है तथा ४०० अध्यापक पुलिस ने पकड़ कर जेल भेज दिए हैं इससे जनता में आक्रोष बढ़ रहा है ? क्या सरकार इन अध्यापकों की मांग स्वीकृत करके हड़ताल को समाप्त कराने का प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी हां, इन अध्यापकों की कुछ मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है और शासन का निर्णय शीघ्रातिशीघ्र लिए जाने का प्रयास जारी है ।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी--

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन अध्यापकों की मांगे क्या-क्या थीं ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, इनकी मांगें थीं, स्थायीकरण, प्राइमरी पाठशालाओं में प्रधानाचार्यों के पदों का सृजन, संस्कृति विभाग के अध्यापकों को सी० टी० वेतनक्रम में पदोन्नति सी० टी० ग्रेड में पदोन्नति शत-प्रतिशत कायम की जाय जब तक पदोन्नति की नीति नहीं बदलती परिषदीय अध्यापकों को भी राजकीय अध्यापकों की भांति सी० टी० के पदों पर पदोन्नति दी जाय । माडल स्कूल वेतनमानों में निर्धारण कर अवशेष वेतन का भुगतान १ अगस्त, १९७७ का वेतन बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर काशी के कार्यालय में पूरे जनपद के अध्यापक २-९-७७ को प्राप्त करगे ।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी--

माननीय मंत्री जी ने मांगें पढ़ीं कि मांगे ये थीं । आपने उत्तर में लिखा है कि कुछ मांगें स्वीकृत कर रहे हैं तो कौन-कौन सी मांगें ऐसी हैं जिन्हें आप स्वीकृत कर रहे हैं ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, प्रथम दो मांगे हैं जिन पर शासन का निर्णय सन् १९७६ में ही हो चुका है । संस्कृत भाषा अध्यापकों के सम्बन्ध मे यह कहना है कि इन पर कुल १५ अध्यापक थे जिनके आदेश निर्गत कर दिए गए हैं । चौथी मांग यह थी कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सी० टी० पदों पर शत प्रतिशत पदोन्नति का जो निर्णय गत वर्ष लिया गया था वह स्थिर रखा जाय । श्रीमन्, इस पर यह आदेश दिए गए कि ५० प्रतिशत सीधी भर्ती से और ५० प्रतिशत पदोन्नति से ये स्थान भरे जायेंगे । वह इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो तदर्थ नियुक्त अध्यापक थे, उनमें से ९३ अध्यापकों की छटनी हो गयी थी । इन अध्यापकों की बेकारी की समस्या को देखकर शासन ने यह निर्णय लिया कि इनके स्थान की पूर्ति के लिए ५० प्रतिशत सीधी भर्ती से और ५० प्रतिशत पदोन्नति से ये स्थान भरे जायं ।

इनकी पांचवीं मांग है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को भी विशेष राजकीय अध्यापकों की तरह सी० टी० वेतनक्रम के राजकीय विद्यालयों के पदों पर पदोन्नति दी जाय । यह इनकी बिलकुल नई मांग है जो पहले कभी नहीं रही और चूंकि यह मांग सारी बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित है इसलिए इस मांग को लागू करना या स्वीकार करना किसी ढंग से व्यावहारिक नहीं है ।

इनकी छठी मांग माडल स्कूल वेतनमानों में निर्धारण कर अवशेष वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में है । इस पर पूरा निर्णय हो चुका है । माडल स्कूल के सन्दर्भ में इनको नहीं रखा जा सकता ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

माननीय अध्यक्ष जी, पर्वतीय अंचल में इस समय तमाम राजकीय अध्यापक हड़ताल में हैं और जैसा इस प्रश्न में कहा गया है, अब तक १५०० अध्यापक गिरफ्तार कर लिए गए हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस पर, अब से किस समय तक निर्णय कर दिया जायगा ताकि स्कूलों का कार्य शुरू हो सके ? मान्यवर, मैं इसलिए यह कह रहा हूं क्योंकि हाई स्कूल विद्यालय बन्द हैं, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई होती थी वे भी बन्द हैं, अध्यापक जेल में हैं तो मंत्री महोदय क्या निर्णय शीघ्रातिशीघ्र लेने जा रहे हैं, ताकि अध्यापन कार्य हो सके ? यदि हां, तो कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री काली चरण--

निश्चित तिथि तो नहीं बता सकता, लेकिन यह है कि जितनी जल्दी हो सकेगा इस पर निर्णय ले लिया जायगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि इस समस्या का समाधान हो जाय । माननीय मंत्री जी से यह

जानना चाहूगा कि समस्या के समाधान के लिए वह क्या- क्या करना चाहते हैं ?

श्री काली चरण--

मैंने तो यह पढ़कर सुना दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

कठिनाई क्या है ? यह आपका प्रश्न है ।

श्री काली चरण--

श्रीमन्, उन मांगों के सम्बन्ध में क्या-क्या हो रहा है यह भी हमने बता दिया ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने पहाड़ के अधिकारी, डिप्टी इंसपेक्टर आफ स्कूल को इस तरह का आदेश देंगे कि इन अध्यापकों के प्रतिनिधियों को बुला कर उनसे वार्तालाप कर ताकि समस्या का जल्दी समाधान हो जाय ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में कुछ, जो पहाड़ से सम्बन्धित या अध्यापकों की समस्याओं के जानकार, हमारे सम्मानित विधायकगण हैं उन्होंने शिक्षा सचिव से बिलकुल स्पष्ट रूप से वार्ता की है और इनके साथ ही साथ कल, ६ तारीख को उनके प्रतिनिधियों को बुलाने का समय दिया गया है ताकि जो कुछ वार्तालाप उनको करना है उसे उनसे कर लिया जाय ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

इस समय पर्वतीय अंचलों में पढ़ाई का काम ठप्प है क्योंकि १५०० अध्यापक जेलों में बन्द हैं तो क्या सरकार उनको पैरोल पर छुड़ाने की व्यवस्था करेगी ताकि वहां की पढ़ाई चल सके ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

इन प्राइमरी अध्यापकों के साथ-साथ जो राजकीय विद्यालयों में भी हड़ताल हो चुकी है, उनके सम्बन्ध में भी क्या सरकार निर्णय लेगी ?

श्री काली चरण--

शासन के सामने प्राइमरी, राजकीय ही नहीं जितने भी अध्यापकों की समस्यायें हैं उन पर तत्काल कार्यवाही और निर्णय लेने का प्रयास चल रहा है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार इस बात का भी आश्वासन देगी कि जो गिरफ्तार शुदा अध्यापक हैं, उनको तुरन्त बिना शर्त रिहा कर दिया जायगा और इसके लिए वह आदेश जारी कर देगी ?

श्री काली चरण--

यह सामान्य व्यवस्था का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में जो उचित होगा, वह निर्णय लिया जायगा।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)--

टीचरों की जो हड़ताल चल रही है उनकी मांगों को मानना तो दूर रहा, सरकार उनसे बात करने से भी क्यों कतरा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे पैदा नहीं होता।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

जब यह समस्या अध्यापकों की हल हो जायगी तो जो अध्यापक बन्दी हैं उनकी अनुपस्थित के समय का वेतन भी उन्हें देने पर क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे पैदा नहीं होता।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी--

सन् १९७६ में जो निर्णय अध्यापकों के खिलाफ हुआ है क्या मंत्री महोदय उस निर्णय को बदलने की सोच रहे हैं ?

श्री काली चरण--

अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ जिसको उनके खिलाफ कहा जाय। फिर भी हमने जब उनको बुलाया है तो उन सारी बातों पर भी विचार कर लेंगे।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों से जो समझौते की बातचीत हुई, तो कौन-सी बाधा पड़ गयी जिससे वह समझौता नहीं हो सका ?

श्री काली चरण--

शासन इन अध्यापकों की समस्याओं पर भी ध्यानपूर्वक विचार कर रही है। हमारे सदन के जो माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में सक्रिय थे इन समस्याओं के समाधान हेतु उन्होंने शिक्षा सचिव तथा विभागीय अधिकारियों से सारी बातों की जानकारी की और उन्होंने भी इस बात का प्रयास किया कि अध्यापक अपना आन्दोलन समाप्त कर दें और वापस चले जायं। लेकिन समझ में नहीं आता कि वे क्यों जिद पर अड़े हुए हैं। हम फिर देखेंगे कि कौन-सा कारण है हमारी बात को न मानने का।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

कानपुर जिले के महात्मा गांधी पूर्व माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

*१--श्री गोविन्द सिंह नेगी (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री को विदित है कि महात्मा गांधी पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कैलाशपुरी, कानपुर जो सन् १९५२ से मान्यता प्राप्त है, की प्रबन्ध समिति

ने बन्द कर दिया है और १-७-७७ से वहां के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी हैं ? क्या यह भी सही है कि इन कर्मचारियों को पिछले ६ महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री काली चरण--

दैनिक जागरण, कानपुर दिनांक २९-६-७७ में प्रबन्धक ने यह सूचना प्रकाशित कराई थी कि आर्थिक कठिनाई के कारण विद्यालय, १-७-७७ से बन्द करना पड़ रहा है, लेकिन अध्यापक वर्ग विद्यालय को पूर्ववत चला रहे हैं। मुंसिफ सिटी कानपुर ने दिनांक १३-८-७७ को अध्यापकों की सेवाओं को समाप्त करने के विषय में स्थगन आदेश निर्गत किए हैं। अध्यापकों एवं कर्मचारियों को पिछले ६ माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया है। विद्यालय का अनुदान निलम्बित कर दिया गया है। अध्यापकों के वेतन की व्यवस्था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर द्वारा की जा रही है।

नार्मल (राजकीय) स्कूल, खीरी के सहायक अध्यापक के प्राविडेन्ट फन्ड का भुगतान

*२--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नार्मल (राजकीय) स्कूल, खीरी से वर्ष १९७२ में अवकाश ग्रहण (रिटायर) करने वाले ऐसे कौन-कौन सहायक अध्यापक हैं जिनको अभी तक प्राविडेन्ट फंड का धन नहीं प्राप्त हुआ और वह धन उन्हें कब तक मिल जाने की सम्भावना है ?

श्री काली चरण--

केवल एक सहायक अध्यापक श्री कृष्णेश्वर प्रसाद रायजादा। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राविकार पत्र निर्गत किए जाने पर ही भुगतान संभव हो सकेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रश्नगत अध्यापक को अवकाश ग्रहण किए हुए ५ वर्ष से ज्यादा हो गए उन्होंने १९७२ में अवकाश ग्रहण किया था और आज १९७७ है तो इसमें अभी और कितना समय लगेगा जिससे उनको भविष्य निधि मिल जाय ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, इसमें शासन का कोई दोष नहीं है। यह मैनुअल आफ स्टेट प्राविडेन्ट फंड के जो रूल हैं उनके नियम ३२-३ (२) के अनुसार निर्धारित फार्म भर कर सेवानिवृत होने वाले अध्यापक को भेजना पड़ता है। चूंकि इस अध्यापक ने वह फार्म भेजा नहीं और सीधे महालेखाकार को भेज दिया। महालेखाकार ने फार्म भर कर भेजने के लिए लिखा और पुनः स्मरण पत्र भी दिया लेकिन इन्होंने नहीं भेजा। विलम्ब का यही कारण है, शासन की ओर से कोई विलम्ब नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सेवा-निवृत होने वाले कर्मचारी को तुरन्त सहायता की आवश्यकता होती है

तो क्या वह कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि शिक्षा विभाग 6 महीने के भीतर प्रपत्र भेज दे....

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र कुमार जी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उत्तर दिया कि इन्होंने निर्धारित फार्म भर कर नहीं भेजा ।

श्री राम प्रताप शास्त्री (जिला एटा)--

मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां कासगंज में कन्या इन्टर कालेज की प्रिंसिपल श्रीमती कमला मिश्रा जी हैं, उनके विरुद्ध शिकायतें जिलाधीश को दी गई है और उन पर आरोप लगाया गया है--

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप भाषण दे रहे हैं, प्रश्न पूछें ।

श्री राम प्रताप शास्त्री--

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष--

नहीं यह प्रोसीडिंग में नहीं लिखा जायेगा । इस तरह की भाषा प्रश्न की नहीं होती है ।

श्री उदित नारायन (जिला हमीरपुर)--

नार्मल स्कूलों के अलावा अन्य स्कूलों में भी ऐसे अध्यापक मौजूद हैं । जिनको रिटायर हुए ५ साल हो गये उनको प्रावीडेन्ट फंड अभी तक नहीं मिला है ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं, यह आप जनरल सवाल पूछ रहे हैं ।

*३--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[६ठें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फतेहपुर जिले की तहसील बिन्दकी की अर्द्धनिर्मित सड़कें

*४- श्री जगन्नाथ सिंह--(जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि फतेहपुर जनपद की बिन्दकी तहसील में आज की तिथि (२०-८-७७) पर कौन-कौन सी सड़कें व लिंक रोड अधूरी बनी पड़ी हैं और उसके क्या कारण हैं ? क्या शासन इन अधूरी

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

निर्मित सड़कों व लिंक रोड्स को इस वर्ष १९७७-७८ के बजट प्लान में रख कर उन्हें अविलम्ब पूर्ण निर्माण कराने की कृपा करेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री --(श्री मोहम्मद मसूद खां)

दिनांक २०-८-७७ को नीचे लिखी सड़कें अधूरी हैं :--

(१) बिन्दकी-फतेहपुर मुगल सड़क ।

(२) बिन्दकी-गुनौर सड़क ।

(३) बुढ़नी-मुसाफा सड़क ।

(४) मुसाफा-बोयगवां सड़क ।

(५) नथेरी-कमरन्दपुर सड़क ।

अधूरे पाड़े रहने का कारण धनाभाव है ।

धनाभाव के कारण वर्ष १९७७-७८ में इन मार्गों को पूरा कराया जाना मुश्किल है ।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)---

प्रश्न संख्या ४ में मान्यवर, मेरी दिलचस्पी है प्रश्न कर्ता बीमार हैं ।

श्री अध्यक्ष---

बाद में लिया जायेगा अगर समय बचा ।

झांसी जिले के ग्राम सिमरधा में राजकीय हाई स्कूल खोले जाने की मांग

*५---डाक्टर भगवत दयाल (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १२ जुलाई, १९७७ को झांसी जनपद की तहसील गरौठा के दोआब क्षेत्र सिमरधा के एक प्रतिनिधि मण्डल ने ग्राम सिमरधा में एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय खुलवाने के बारे में मुख्य मंत्री को एक ज्ञापन दिया था, जिस पर झांसी, जालौन तथा बांदा के विधान सभा एवं लोक सभा के सदस्यों ने भी इस पिछड़े क्षेत्र की उन्नति के लिए इसकी महती आवश्यकता पर बल देते हुए प्रबल संस्तुति की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरण---

जी हां । सिमरधा में एक राजकीय हाई स्कूल खोलने का प्रकरण विचाराधीन है ।

[बुधवार, दिनांक ५ अक्तूबर, १९७७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

वाराणसी जिले में मुसहर जाति के बच्चों के लिये आश्रम टाइप स्कूल की स्थापना की मांग

*१--- श्री जयराम (जिला गाजीपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी तहसील, जिला वाराणसी के मुसहर जाति के लड़कों में शिक्षा एक फीसदी भी नहीं है और

लड़कियों में शून्य है ? यदि हां, तो इसे दूर करने हेतु मुसहर जाति के बच्चे एवं बच्चियों की शिक्षा हेतु आश्रम टाइप स्कूल खोलने की योजना बनाने का सरकार का विचार है ?

श्री काली चरण--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जयराम--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बनारस तहसील में आश्रम टाइप स्कूल खोलने में क्या कठिनाई है ?

श्री काली चरण--

मान्यवर, बनारस जिले में सारनाथ में इस तरह का आश्रम टाइप स्कूल चल रहा है ।

श्री जयराम--

क्या यह सही है कि मुसहर जाति के लोग आर्थिक दृष्टि से सबसे गरीब हैं और समाज में गिरे हुए हैं, इसलिए आश्रम टाइप स्कूल उनके खोले बिना उनकी शिक्षा नहीं हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर तो वह पहले ही दे चुके हैं ।

श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सारनाथ में जो आश्रम-टाइप स्कूल खुला है, उसमें और भी जाति के बच्चे पढ़ते हैं और वह स्थान काफी एक तरफा है पूरी तहसील अलग है, तो इसे देखते हुए कि मुसहर जाति के बच्चे और बच्चियां बिना वहां आश्रम-टाइप स्कूल के नहीं पढ़ सकते हैं, इसकी जांच करवा कर वह स्कूल खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, इन बातों को ध्यान में रखकर कानपुर शहर में बाल्मीकि बच्चों के लिए एक ऐसा विद्यालय खोलने की व्यवस्था की गई थी, उनके लिए सारा प्रयास भी किया जा रहा है, खाने-पीने की व्यवस्था की जा रही है, फिर भी उसका परिणाम पूरा सन्तोषजनक नहीं है । जहां वाराणसी जिले में ये बच्चे रहते हैं, वहां के सामान्य विद्यालयों में उनके बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं । इसलिए ऐसे किसी आश्रम-टाइप स्कूल का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मूल प्रश्न में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी तहसील, जिला वाराणसी के मुसहर जाति के लड़कों में शिक्षा एक फीसदी भी नहीं है और लड़कियों में शून्य है, के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है 'जी नहीं', तो मैं

उनसे जानना चाहता हूं कि फिर कितने प्रतिशत मुसहर जाति के लड़के और लड़कियां वाराणसी तहसील में पढ़े-लिखे हैं ?

श्री काली चरण--

इस वाराणसी तहसील में कुल लगभग ३ हजार इस जाति के लड़के और लगभग ढ़ाई हजार लड़कियां हैं, जिसमें से १९८ लड़के और ८४ लड़कियां विभिन्न विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इस तरह से ६.५ प्रतिशत और ३ प्रतिशत क्रमशः लड़कों और लड़कियों में शिक्षा का प्रसार है, शिक्षा में लगे हुए हैं।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, उन्होंने बताया कि बाल्मीकियों के लिए कानपुर में जो आश्रम टाइप स्कूल खोला गया है, वह असफल हो गया है, इसलिए मुसहर लोगों के लिए वाराणसी तहसील में स्कूल खोलना उचित नहीं होगा, तो क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है और क्या यह सही है उक्त स्कूल कुप्रबन्ध के कारण फेल हुआ है और इसलिए फेल हुआ कि वह ऐसे स्थान पर खोला गया है, जिससे लड़के रात में चले जाते हैं ? यदि हां, तो इसको देखते हुए क्या वह इसका भी कुप्रबन्ध ठीक करायेंगे और वाराणसी में दूसरा उनके लिए आश्रम-पद्धति का स्कूल खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर तो वह दे चुके हैं कि विचार करेंगे।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

इसे देखते हुये कि विगत ३० वर्षों के कुनियोजन के कारण उनमें कोई भी शैक्षणिक व्यवस्था नहीं की जा सकी है, तो क्या समग्र स्थिति का पुनर्निरीक्षण करने के लिए मंत्री जी कोई व्यापक शैक्षणिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं न आश्रम टाइप स्कूल सही ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, शासन की ओर से ऐसे वर्गों के लड़कों के पढ़ने के लिए हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, उनसे फीस नहीं ली जाती है, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, उन्हें पाठ्य पुस्तकों की सहायता दी जाती है, तो इस तरह से शासन का पूरा प्रबन्ध है कि वे अधिक से अधिक पढ़ सकें।

श्री ऊदल--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री इस बात की जांच कराएंगे, उन्होंने जो जवाब दिया वह ठीक नहीं है कि इतने फीसदी लड़के पढ़ रहे हैं, मेरे आंकड़े को सही मानकर इस बात की जांच कराएंगे, पिछले दिनों में सर्वे हुआ है, लड़कों में तीन फीसदी और लड़कियों में शून्य और क्या उनकी आर्थिक हालत की भी जांच कराएंगे कि उनके पास आर्थिक दृष्टि से एक डिसमल तक भी जमीन नहीं है, दोनों प्रकार की जांच कराएंगे तब खोलने पर विचार करेंगे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि वाराणसी तहसील में ६.५ प्रतिशत लड़के, कुल १९८ लड़के और ८४ लड़कियां ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अगर माननीय सदस्य का यह कहना है कि यह आंकड़े गलत हैं, साधिकार इस पर कहना चाहते हैं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आंकड़े गलत हैं, तो जिस किसी ने वह आंकड़े गलत दिये हैं, उनके विरुद्ध जांच करके कार्यवाही की जायगी ।

वाराणसी जिले में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित बाबतपुर रजबहा तथा नाद नदी के उत्तरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति

*२--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक नहर की एक शाखा मड़ियाहूं तहसील से होते हुए वाराणसी तहसील, जिला वाराणसी के गांव बरही नेवादा, बड़ागांव होते हुए चिरई गांव तक जा रही है और इसकी चौड़ाई ८० फिट है ? क्या यह सत्य है कि मड़ियाहूं तहसील जौनपुर तथा वाराणसी तहसील, जिला वाराणसी में चकबन्दी हो चुकी है ? यदि हां, तो नहर हेतु जमीन कहां से ली जायेगी ?

सिंचाई उप मंत्री--(श्री शारदा प्रसाद रावत)

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत केराकत राजबहा के ३.७ कि० मी० से बाबतपुर राजबहा प्रस्तावित है । यह शाखा मड़ियाहूं तहसील जिला जौनपुर से होते हुए, वाराणसी तहसील, जिला वाराणसी के गांव बरही, नेवादा, बड़गांव होते हुए चिरई गांव तक ले जाना प्रस्तावित है । उक्त नहर का लम्ब छिन्नक अभी अनुमोदित नहीं हुआ है । इसके लिये हेड पर अनुमानित भूमि की चौड़ाई १०० फिट एवं टेल पर ५० फिट होगी । अधिकांश ग्रामों में जहां चकबन्दी पूर्ण नहीं हुई है वहां चकबन्दी से भूमि छोड़ाने की व्यवस्था की जायेगी तथा अन्य गांवों में भूमि कृषकों से ली जायेगी ।

*३--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना कोलअसला तहसील व जिला वाराणसी में नाद नदी के उत्तरी क्षेत्र में शारदा सहायक कब तक पानी देने लगेगी ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

नाद-नदी के उत्तरी क्षेत्र में शारदा सहायक से पानी वर्ष १९७९-८० तक उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर वाराणसी तहसील में सिर्फ एक बड़ागांव है, जहां चक कट गये हैं धारा ५२ लागू नहीं हुई है, चकबन्दी तीन साल हुए पूरी हो गयी, एक वो गांव बचा है जहां धारा ५२ लागू नहीं हुई है और नहर बनायी जा रही है, क्या रेवेन्यू विभाग से विचार विमर्श करके पुनः चकबन्दी कराने पर विचार करेंगे ताकि किसानों की जमीन न जाय ?

श्री बलवीर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कि यह समस्या सारे प्रदेश में है और जहां कहीं सिंचाई विभाग की योजनाएं चलाने की बात है या चल भी रही हैं, वहां लोगों को तकलीफ पहुंचती है और रेजिस्टेंस होता है, इसलिए मैं सूचना देना चाहता हूं कि यह शासन के विचाराधीन है, बहुत गम्भीरता से इस पर विचार कर रहा है, सिर्फ आपके इलाके के लिए नहीं, बल्कि सारे प्रदेश के लिए कि चकबन्दी ऐक्ट में कानूनी सलाह लेकर जो भी संशोधन हो सकता है, उसको कराने के बाद ऐसी कार्यवाही करें जिससे इन लोगों की तकलीफ बच सके ।

श्री ऊदल--

मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया, दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि नाद नदी के उत्तरी हिस्से में उप मंत्री जी ने कहा सम्भवतः ७९ या ८० तक पानी दिया जायगा, सन् १९५२ से ले कर आज तक मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं, शारदा सागर नहर खोदी गयी, पानी आज तक नहीं मिला, तो क्या इस पर विचार करेंगे कि थोड़ा-थोड़ा करके इस क्षेत्र में दो चार ट्यूबवेल प्रतिवर्ष लगाने की योजना बनायेंगे और उसके लिए स्वीकृति देंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

जहां तक माननीय सदस्य के नाद नदी के उत्तरी क्षेत्र में पानी देने का सवाल है, हमारे गोमती और कई एक्वेडक बन रहे हैं इनके तैयार होने के बाद पानी वहां पर पहुंचेगा । जहां पर नहर का पानी पहुंचता है, वहां पर नलकूप को नहीं बनाते हैं और वहां पर शारदा कैनाल की नहरें बनाने का निश्चय किया गया है ।

श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिन गावों से होकर शारदा सहायक पास हो रही है, वहां पर चकबन्दी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री विष्णु प्रताप सिंह--

गोण्डा जिले से सम्बन्धित है ।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी विचार करेंगे कि जहां पर दफा ५२ का प्रकाशन हो गया है उसमें से कुछ कटौती करके नहर निकालने पर विचार करेंगे ?

श्री बलबीर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंचाई विभाग का प्रश्न है सिंचाई विभाग ने कह दिया है और मैं बताना चाहता हूं कि चकबन्दी के ऊपर जो कुछ खर्च होगा वह सिंचाई विभाग खर्च करने के लिए और देने के लिए तैयार है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी माननीय राजस्व मंत्री जी ने राजस्व विभाग के अनुदान पर उत्तर देते हुए कहा था कि जहां पर नहरें बन जायेंगी वहां पर हमने फिर से चकबन्दी कराने का निर्णय ले लिया है । वहां पर फिर से चकबन्दी होगी और आज माननीय सिंचाई मंत्री जी कह रहे हैं कि निर्णय लेना बाकी है । उन्होंने घोषणा कर दी है, जो प्रोसीडिंग का हिस्सा है ।

श्री बलबीर सिंह--

मेरी जानकारी तो नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा है । अगर कहा है तो ठीक ही कहा है । मैं स्वयं कह चुका हूं कि उस पर कानूनी परामर्श होने के बाद निर्णय हो सकेगा । कानून में किस तरह परिवर्तन किया जाये इस पर तो निर्णय लेना ही होगा ।

श्री श्यामधर मिश्र--

संयुक्त जिम्मेदारी है ।

श्री अध्यक्ष--

आपने तो उत्तर दे दिया है ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

जब तक चकबन्दी गावों में न हो जाये क्या तब तक नहरों का खुदना बन्द रहेगा ?

श्री बलबीर सिंह--

इसके निर्णय में ज्यादा देर लगने वाली नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न तो यह है कि जब तक चकबन्दी कानून में संशोधन नहीं होगा तो नहरें खोदने का कार्य स्थगित रहेगा ।

श्री बलबीर सिंह--

नहीं मान्यवर, काम चल रहा है और जो इस तरह के सवाल सामने आते हैं, उनको देखते हुए हम निर्णय लेते रहते हैं । काम बन्द नहीं रहेगा ।

शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद के संयुक्त निदेशकों की ज्येष्ठता सूची

*४--श्री सुखपाल पाण्डेय (डुमरी बस्ती)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद में कितने संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं और उनकी ज्येष्ठता सूची क्या है ? क्या यह सही है कि किसी उप शिक्षा निदेशक को तैयार सूची में शामिल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

पांच--चार पुरुष और एक महिला । इनकी ज्येष्ठता निम्नवत् है ।

पुरुष शाखा--

(१) श्री सुधाकर शर्मा, संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ।

(२) डा० शम्भू नाथ उपाध्याय, संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) ।

(३) डा० वीरेन्द्र प्रकाश शर्मा, संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशिक्षण) ।

(४) श्री बनारसी लाल टण्डन, संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ) ।

महिला शाखा--

(१) कु० सुषमा मांगलिक, संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) ।

उल्लेखनीय है कि पुरुष तथा महिला शाखा के अधिकारियों की ज्येष्ठता अलग-अलग रखी जाती है क्योंकि इनके संवर्ग पृथक्-पृथक् हैं ।

जी हां ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद के लिये उपयुक्त न होने के कारण ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ ऐसे संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं, जो बाहर डेपुटेशन पर कार्यरत हैं, तो क्या उनका नाम इस सूची से अलग है या उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया गया ? उनके क्या-क्या नाम हैं और उनमें से कौन-कौन बाहर गया है ?

श्री काली चरण--

मान्यवर, जो इस समय कार्यरत हैं, उनके सम्बन्ध में ये दर्ज हैं । जो बाहर चले गये हैं, उनके नाम यहां रखने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो लोग विभाग में कार्यरत हैं तथा जो लोग बाहर डेपुटेशन पर गये हैं, उनकी विभाग के पास तो कोई सूची होगी ही ? वे कौन-कौन लोग हैं जो बाहर गये हैं और उनका नाम बताने में आपको क्या कष्ट है ?

श्री काली चरण--

श्री पी० आर० चौहान तथा श्री पंत । इनका नाम पूरा-पूरा नहीं मालूम है, मैं बाद में बता दूंगा । ये दो आदमी बाहर गये हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जब विभाग की वरीयता की सूची बनती है तो जो कार्यरत कर्मचारी हैं, चाहे डेपुटेशन पर बाहर गये हों, लियेन पर गये हों, तो भी वे विभाग की वरीयता सूची में रहते हैं । लेकिन जो वर्तमान सूची है, उसमें ऐसे अधिकारियों को छोड़ दिया गया है । तो क्या शासन पुनः वरीयता सूची बनवायेगा, जिससे छूटे हुए आदमियों, जो डेपुटेशन पर गये हैं, उनका भी नाम सूची में आ सके ?

श्री काली चरण--

इससे किसी की वरीयता पर कोई असर नहीं पड़ता है ।

सूची पुनः बना दी जायगी ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

जो उप शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक के लिए उपयुक्त नहीं पाये गये हैं, उनका नाम क्या है और उनके स्थान पर किसको उप शिक्षा निदेशकों की सूची में शामिल किया गया ?

श्री काली चरण--

श्री डी० डी० तिवारी, उप शिक्षा निदेशक को इस प्रोन्नति के उपयुक्त नहीं पाया गया, इसलिए उनका चयन नहीं किया गया ।

*५--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[प्रदेशीय सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।]

*६--श्री रवीन्द्र सिंह--

[२१-१-७७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११ द्वारा उत्तरित ।]

गोरखपुर जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों के हरिजन छात्रों की छात्र-वृत्ति

*७--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला गोरखपुर के बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के हरिजन छात्रों को कब से छात्र-वृत्ति नहीं दी गई है और क्यों ?

श्री काली चरण--

ग्रामीण क्षेत्रीय विद्यालयों में १९७४-७५ से तथा नगर क्षेत्रीय विद्यालयों में १९७५-७६ से हरिजन छात्रों को छात्र-वृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है ।

उक्त वर्षों में छात्र-वृत्ति सूची समय से तैयार न होने के कारण छात्र-वृत्ति का भुगतान समय से नहीं किया जा सका ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन से अधिकारी हैं जिनकी अकर्मण्यता के कारण यह जो पैसा हरिजन छात्रों को मिलना चाहिये था, वह नहीं मिल पाया ?

श्री काली चरण--

यह बेसिक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि सम्बन्धित अधिकारी का तुरन्त निलंबन किया जायेगा ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि वह रुपया गबन कर लिया गया है ?

श्री काली चरण--

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, तो इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि सम्बन्धित अधिकारी से इसके लिए स्पष्टीकरण के आदेश दे दिये गये हैं

और स्पष्टीकरण मिलने के बाद जो न्याय की दृष्टि से उचित होगा, वह कार्यवाही की जायेगी ।

दूसरे प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में मैं निवेदन कर दूं कि उस पैसे का गबन नहीं किया गया है । बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस को अपने मद में जमा कर रखा है और उसको तुरन्त वितरित करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पैसा कब निकाला और कब उसने जमा किया था ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपने सूचना दी है कि पैसा उनके मद में जमा कर दिया गया है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि कब वह पैसा जमा किया गया था और कब निकाला गया ?

श्री काली चरण--

निश्चित तिथियों के बारे में सूचना मंगानी पड़ेगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार की जानकारी में है कि कुल कितने रुपये का भुगतान बेसिक शिक्षा अधिकारी की वजह से नहीं हो पाया और किन-किन विद्यालयों में नहीं हो पाया ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, सन् १९७४-७५ में २०,२७६ रु०, वर्ष १९७५-७६ में २०,२७६ रु० और वर्ष १९७६-७७ में २०,२७६ रु० । यह कुल धनराशि है, जिसका भुगतान नहीं हो सका है ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

यह मामला वर्ष १९७४-७५ का है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी से कब स्पष्टीकरण मांगा गया ? यदि अभी मांगा गया तो पहले क्यों नहीं मांगा गया ?

श्री काली चरण--

जब यह प्रश्न मेरी जानकारी में आया तो उनसे तुरन्त स्पष्टीकरण मांगा गया ।

(श्री सुखपाल पांडेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह गोरखपुर का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी आप यह बता दें कि जब यह मामला आपकी जानकारी में आया तो निदेशालय से आपने कोई जानकारी प्राप्त की या नहीं, कोई जवाब तलब किया गया है या नहीं ?

श्री काली चरण--

इसके पहले कोई जवाब नहीं तलब किया गया है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

बेसिक शिक्षा अधिकारी से किस तारीख को स्पष्टीकरण मांगा गया और वह क्या है ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, अभी उनका जवाब नहीं आया है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

आपने किस तारीख को नोटिस भेजा, अर्थात् आपने स्पष्टीकरण मांगा ।

श्री काली चरण--

४ अक्तूबर को यह प्रश्न मेरे सामने आया । मैंने तुरन्त ही उस पर आदेश दे दिए कि उक्त अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनकी जानकारी में यह मामला कल आया लेकिन यह मामला इतना पुराना और गम्भीर है और विभाग की जानकारी में पहले ही आया होगा । तो विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं क्या मंत्री जी इस मामले में जांच करायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, जो उत्तर जब आये और दोषी पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो ४ तारीख को आदेश हुआ है वह अभी आपके यहां से डिस्पैच होकर गया नहीं है और पहले भी इस मामले पर आदेश ऐसा हुआ था कि कार्यवाही करने के पूर्व शिक्षा मंत्री उसके ऊपर आदेश दे चुके थे कि इस पर कार्यवाही न की जाय ।

श्री काली चरण--

इसकी सूचना की आवश्यकता है ।

देवरिया जिले के व्यापारियों द्वारा सेल्हा चावल की काले बाजार में बिक्री

*८--श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया) तथा श्री प्रदीप कुमार बजाज (जिला देवरिया)--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद को गत जुलाई, १९७७ माह में लगभग १० हजार टन सेल्हा चावल आवंटित किया गया था, जिसे व्यापारियों ने ले जाकर काले बाजार में बेच दिया ? क्या इस आशय का पत्र किसी जन प्रतिनिधि द्वारा अगस्त, १९७७ के प्रथम पखवारे में जिलाधिकारी, देवरिया को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री हरिशचन्द्र)—

खाद्यान्न व्यापारियों को देने के लिये शासन द्वारा चावल का आबंटन नहीं किया जाता है। माह जुलाई, १९७७ में देवरिया जिले में क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, कानपुर द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा-पत्रों पर इलाहाबाद मण्डल से व्यापारियों द्वारा ५१३.८६ टन सेला चावल व्यापारी लेवे पर भेजा गया था।

श्री राज मंगल तिवारी, विधायक से इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ था कि देवरिया जिले से खाद्यान्न, सीमेन्ट व खाद की तस्करी हो रही है। इस पर क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर द्वारा देवरिया जिले के व्यापारियों की जांच कराई गई। जांच के फलस्वरूप ११ खाद्यान्न व्यापारियों के लाइसेन्स निलम्बित किये गये, ११ अन्य खाद्यान्न व्यापारियों को 'कारण बताओ' नोटिस दिये गये, ९ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, ११ चालान किये गये, १,१७,००० ह० का गेहूं व चावल पकड़ा गया तथा तीन हाट निरीक्षक निलंबित किये गये। इसके अतिरिक्त एक सीमेन्ट दुकानदार द्वारा की गई अनियमितता के लिये भी उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

*९—श्री शिवानन्द नौटियाल, श्री डी० पी० बोरा तथा श्री प्रेम नारायण अहेरवार—

[७वें बुधवार के लिए स्थगित]

शारदा सहायक परियोजना के लागत का अनुमान तथा उस पर व्यय की गयी धनराशि

*१०—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना कब तक पूर्ण होनी थी तथा मूल योजना में कुल कितनी लागत का अनुमान था ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां। वर्ष १९७८-७९ में पूर्ण होनी थी। मूल परियोजना की कुल लागत का अनुमान ९९.६१ करोड़ रुपये था।

*११—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक शारदा सहायक योजना में कितना धन व्यय हो चुका है तथा अभी कितना और धन व्यय होना शेष है। योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां। इस परियोजना पर अगस्त, १९७७ तक लगभग २३० करोड़ रुपये व्यय हो चुका है और लगभग ८५ करोड़ रुपये व्यय होना शेष है। परियोजना के अन्तर्गत सभी कार्यों को जून, १९८१ तक पूर्ण होने का कार्यक्रम है।

*१२—श्री मित्र सेन—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

*१३—श्री रामदत्त जोशी—

[८वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*१४--श्री सोहनवीर सिंह तोमर तथा श्री भवधेश नरायन--

[८वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

शिक्षा निदेशक, श्री श्याम नारायन मेहरोत्रा के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी ज्ञापन

*१५--श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश (श्री श्याम नारायण मेहरोत्रा) के विरुद्ध १३-७-७७ को दिए गए भ्रष्टाचार संबंधी ज्ञापन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

बाराबंकी, गोंडा तथा बहराइच को जोड़ने हेतु घाघरा नदी पर पुल निर्माण की मांग

*१६--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यातायात को सुलभ बनाए जाने की दृष्टि से बाराबंकी, गोंडा और बहराइच को जोड़ने वाला घाघरा नदी पर पक्का पुल बनाए जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

इस पुल के बनाने के प्रस्ताव पर सरकार काफी दिनों से विचार कर रही है मगर धन की कमी की वजह से इसके बनाने की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है । इस हालत में अभी कार्य शुरू करने का सवाल नहीं उठता ।

*१७--श्री देव कुमार--

[८वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*१८--श्री सत्यपाल सिंह यादव--

[७वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

* १९-२०--श्री रियासत हुसेन--

[८वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*२१--श्री रवीन्द्र सिंह--

[८वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

बेसिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ के जू० बे० वि०, छावनी मड़ियांव के प्रधानाध्यापक श्री बृजेश कुमार तिवारी की पदोन्नति सम्बन्धी मुकदमा

*२२--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ द्वारा संचालित जू० बे० वि०, छावनी मड़ियांव के प्रधानाध्यापक (श्री बृजेश कुमार तिवारी) को उप विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा पद अवनति करके सहायक अध्यापक के पद पर दिनांक १७ जुलाई, १९७३ को जू० बे० विद्यालय, बांदन स्थानान्तरित किया गया था, जिसके विरुद्ध उक्त प्रधानाध्यापक ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था ? और क्या सरकार को यह भी जानकारी

[श्री सुखपाल पाण्डेय—]

है कि उक्त आदेश को लोक सेवा अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अवैध पाया और श्री तिवारी के पक्ष में दिनांक ३१ मार्च, १९७७ को हर्जा-खर्चा सहित निर्णय दिया है ? यदि हां, तो अभी तक अधिकारियों ने न्यायालय के निर्णय का पालन क्यों नहीं किया और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरण—

जी हां । श्री बृजेश कुमार तिवारी को त्रुटिपूर्ण पदोन्नति दिए जाने के फलस्वरूप दिनांक १७-७-७३ को सहायक अध्यापक के पद पर स्थानान्तरित किया गया था जिसके विरुद्ध उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ के समक्ष निर्देश याचिका दायर की थी और अधिकरण ने श्री तिवारी के पक्ष में निर्णय दिया। उस निर्णय के विरुद्ध दिनांक ४-७-७७ को उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में अपील दायर कर दी गई है । अतः उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के अनुसार कार्यवाही सम्भव हो सकेगी और ऐसी दशा में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय निर्माण निगम में प्रोजेक्ट मैनेजर के रिक्त पद

*२३—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम में प्रोजेक्ट मैनेजर के समस्त पद अभी तक रिक्त पड़े हैं जिससे निगम को भारी हानि उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो इनको भरने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि इन पदों पर कार्य करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से १६ अधिशासी अभियन्ताओं की मांग की गई थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी नहीं । राजकीय निर्माण विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजर के कुल ३३ पद स्वीकृत हैं, जिसमें २६ पद भरे हुए हैं तथा एक पद को भरने के लिए एक अधिशासी अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए जा चुके हैं । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भेजे गये नामों में से ४ और अधिशासी अभियन्ताओं का चयन निर्माण निगम द्वारा कर लिया गया है, जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजने की कार्यवाही की जा रही है । इस प्रकार केवल २ रिक्तियां शेष हैं जिनके लिए अन्य अधिशासी अभियन्ताओं की सूची निर्माण निगम को भेजी जा रही है ।

निर्माण निगम द्वारा १६ अधिशासी अभियन्ताओं की मांग भविष्य में होने वाली संभावित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए की गई थी क्योंकि प्रतिनियुक्ति के लिए चयन आदि में काफी समय लग जाता है ।

*२४-२५—श्री ओम प्रकाश—

[८वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*२६—श्री नरेश चन्द्र—

[८वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

श्री गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय, जौनपुर के प्रबन्धक के पुत्र की अध्यापक के पद पर नियुक्ति

*२७—श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह पता है कि श्री गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय मुजानगंज, जिला जौनपुर के प्रबन्धक ने अपने पुत्र की नियुक्ति २९ मार्च, १९७७

से अध्यापक के रूप में कर रखी है, जबकि वह प्रश्नगत तारीख से अगस्त, १९७७ तक प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में एम० ए० का पंजीकृत छात्र है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री काली चरण—

जी हां। किन्तु प्रबन्धक के पुत्र ने अध्यापक के रूप में विद्यालय में एक दिन भी कार्य नहीं किया और न उन्हें कोई वेतन दिया गया। अतः इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

कालविन इन्टर कालेज, महमूदाबाद के छात्रों पर प्रतिमाह व्यय की धनराशि

*२८—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कालविन इन्टर कालेज, महमूदाबाद में आवासीय शिक्षा पद्धति से चलाए जा रहे विद्यालय पर प्रति छात्र कितना व्यय होता है ? क्या यह सही है कि उनका जीवन स्तर तथा भोजन संतोषप्रद नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराएगी ?

श्री काली चरण—

कालविन इण्टर कालेज, महमूदाबाद में आवासीय शिक्षा की व्यवस्था के अन्तर्गत पढ़ने वाले छात्रों पर ४१ रु० प्रतिमाह प्रति छात्र व्यय होता है तथा भोजन व्यवस्था छात्रों की रुचि के अनुसार की जाती है। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की क्वालीफाइंग परीक्षा

*२९—श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष १९६५ व वर्ष १९७० के क्वालीफाइंग परीक्षा के ऐसे परीक्षार्थियों को जिन्होंने मात्र ४० प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं को भी उन वर्षों की सूची में उन अभ्यर्थियों के साथ सम्मिलित किया जा रहा है जिन्होंने तत्कालीन नियमों के अन्तर्गत सम्पूर्ण परीक्षा ५० प्रतिशत पूर्णांक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण की थी ? यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही नियमों व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध कैसे की गई है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

यह मामला अभी शासन के विचाराधीन है।

सीतापुर जिले के ब्लाक मछरेहटा के अन्तर्गत आंवटित शकर

*३०—श्री लाल दास (जिला सीतापुर) तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या खाद्य मन्त्री को जानकारी है कि २५ जून, १९७५ से २२ फरवरी, १९७७ ई० तक ब्लाक मछरेहटा, जिला सीतापुर के सारे कोटों की शकर एक ही व्यक्ति ने उठायी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरिश चन्द्र—

जी नहीं। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

*३१—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री शिव प्रसाद तथा श्री बलवीर सिंह—

[८वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*३२--श्री नारायण सिंह भैसोरा--

[६ठें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

काशी विद्यापीठ, वाराणसी के प्रेस विभाग के कर्मचारियों का वेतनमान

*३३--श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी विद्यापीठ, वाराणसी में चार पदों (प्रेस विभाग) मैनेजर, कम्पोजीटर, मशीन मैन और सम्पत्ति अधिकारी का वेतन पुनरीक्षण अब तक रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

आदर्श राष्ट्रीय इन्टर कालेज, चोलापुर, वाराणसी में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की समाप्ति

*३४--श्री उदय नरायण सिंह (जिला वाराणसी)--

क्या शिक्षा मन्त्री को पता है कि आदर्श राष्ट्रीय इन्टर कालेज, चोलापुर, वाराणसी पर प्रबन्धकीय अनियमितताओं के कारण ३१ मार्च, १९७७ के शासनादेश से प्राधिकार नियन्त्रक नियुक्त किया गया था, जिसे वर्तमान सरकार ने अगस्त, १९७७ के प्रथम सप्ताह में अपने दूसरे आदेश से निरस्त करके विद्यालय की व्यवस्था प्रबन्धक के हाथों में सौंप दी है? यदि हां, तो क्या प्रबन्धकीय अनियमितताएं दूर हो गई हैं ? यदि नहीं, तो किन कारणों से सरकार ने ३१ मार्च, १९७७ के शासनादेश को निरस्त किया है ?

श्री काली चरण--

जी हां । इस विद्यालय में आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण शासनादेश दिनांक ३१ मार्च, १९७७ द्वारा इंटरमीडिएट एजूकेशन एक्ट की धारा १६ डी (५-क) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गई थी ।

इसके पश्चात् प्रबन्धक ने शिक्षा मंत्री को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया कि जिन आरोपों के आधार पर उक्त नियुक्ति की गई है वह निराधार है और मात्र राज-नीति के कारण की गई । विचारोपरान्त उक्त प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को समाप्त किये जाने के आदेश राजाज्ञा दिनांक २८-७-७७ द्वारा निर्गत कर दिये गये ।

कनाली-छीना राजकीय इण्टर कालेज के भवन का निर्माण

*३५--श्री नारायण सिंह भैसोड़ा (जिला पिथौरागढ़)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कनालीछीना राज-कीय इण्टरमीडिएट कालेज भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ? यदि हां, तो शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित होने में किन कारणों से विलम्ब हो रहा है ? क्या इस भवन निर्माण में अधिकारियों की लापरवाही से टपकना प्रारम्भ हो गया है जिससे कि निर्माण से पूर्व भवन को क्षति हो रही है ? यदि हां, तो इसे दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

कनालीछीना राजकीय इन्टर कालेज के दो भवनों (कला कक्ष, विज्ञान कक्ष) का निर्माण होना है । इनमें से कला कक्ष निर्मित कर शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किया जा चुका है । विज्ञान कक्ष का कार्य पूरा नहीं हुआ है । अतः इसके हस्तान्तरण का प्रश्न नहीं उठता है ।

यह दोनों भवन कहीं से भी नहीं टपक रहे हैं। वर्षा के बौछार के कारण कला कक्षा के खिड़कियों के चौखटे गल गये हैं जिन्हें बदला जा रहा है। इसमें किसी अधिकारी की लापरवाही की शिकायत नहीं है।

*३६—श्री मुनीन्द्र पाल सिंह—

[८ व बुधवार के लिए स्थगित।]

डिग्री कालेजों के प्रवक्ताओं के स्थायीकरण की मांग

*३७—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिग्री कालेजों में कार्यरत तदर्थ प्रवक्ताओं के स्थायीकरण हेतु (जिनको ५ वर्ष हो चुके हैं) एम० ए० में ५० प्रतिशत की अनिवार्यता के स्थान पर ४८ प्रतिशत कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या डिग्री कालेजों में जो प्रवक्ता हैं तदर्थ नियुक्तियों के आधार पर नई योग्यताएं जिसके अन्तर्गत, एम० ए० में ५४ प्रतिशत की अनिवार्यता है और जो पहले से नियुक्त थे और १-२ वर्ष पूरा किए हुए हैं उनको स्थायी करने की कृपा करेगी?

श्री काली चरण—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*३८—श्री इन्द्रमणी बड़ोनी—

[७ वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

देवरिया जिले के ग्राम बैकुंठपुर के मेसर्स भैरव प्रसाद का पकड़ा गया चावल

*३९—श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १० अगस्त, १९७७ को ग्राम बैकुंठपुर, जिला देवरिया में करीब ६०० क्विंटल चावल, जो तस्करी हेतु जमा किया गया था, खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री हरिश चन्द्र—

जी हां। ६१५ बोरा चावल, वजन ६१४ कुन्टल २८ किलोग्राम ८०० ग्राम बैकुंठपुर, जिला देवरिया में श्री रमेश शाही के मकान पर खाद्य विभाग के सचल दस्ते द्वारा पकड़ा गया था। उक्त चावल मेसर्स भैरव प्रसाद, खाद्यान्न लाइसेन्सी संख्या २१८ बी बैकुंठपुर द्वारा अवैध रूप से संगृहीत किया गया था।

सम्बन्धित खाद्यान्न लाइसेन्सी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ की धारा ३/७ तथा भारत सुरक्षा नियम की धारा ११४ के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करा कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया तथा पकड़ा गया चावल जब्त करके एक अन्य थोक खाद्यान्न लाइसेन्सी मेसर्स कुमार ब्रदर्स की सुपुर्दगी में दे दिया गया। सम्बन्धित खाद्यान्न लाइसेन्सी का लाइसेन्स निलम्बित करके उन्हें ७ सितम्बर १९७७ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

*४०-४१—श्री छेतराम गंगवार—

[८ वें बुधवार के लिए स्थगित।]

राजकीय जुबली इन्टर कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा उनका स्थानान्तरण

*४२--श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १७ अगस्त, १९७७ को राजकीय जुबली इन्टर कालेज, लखनऊ के शिक्षकों एवं अविभावकों का एक प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिला और उसने कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा बरती जाने वाली अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित स्मृति-पत्र दिया जिस पर प्रधानाचार्य के स्थानान्तरण एवं उनके विरुद्ध अनियमितताओं की जांच के आदेश मन्त्री जी ने दिए ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री काली चरण--

जी नहीं, केवल एक सज्जन मिले थे जिन्होंने श्री डी० पी० बोरा, सदस्य विधान सभा, का पत्र, जो मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित था, प्रस्तुत किया जिस पर प्रधानाचार्य के स्थानान्तरण एवं उनके विरुद्ध अनियमितताओं की जांच के आदेश दिये गये । प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण किया जा चुका है तथा अनियमितताओं की शिकायतों पर जांच करायी जा रही है ।

*४३--श्री ईशदत्त यादव--

[८ वें बुधवार के लिए स्थगित]

बहराइच जिले में प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का स्थानान्तरण

*४४--श्री गजाधर प्रसाद (जिला बहराइच)--

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि समायोजन के नाम पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच द्वारा इस वर्ष अन्धाधुन्ध स्थानान्तरण करने के फलस्वरूप जनपद बहराइच के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल की समस्त शिक्षक वर्ग में हाहाकार सा मच गया है और जनपद के ऐसे सभी विद्यालयों के छात्रों की पढ़ाई गम्भीर रूप से कुप्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री काली चरण--

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच द्वारा समायोजन के फलस्वरूप जिला बेसिक शिक्षा समिति की संस्तुति के पश्चात् तथा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गए थे । इन स्थानान्तरणों के फलस्वरूप हाहाकार मचने की कोई सूचना जिला स्तर पर प्राप्त नहीं हुई है और न ही छात्रों की पढ़ाई पर कुप्रभाव पड़ा है ।

जिला देवरिया के ग्राम मोती ललहा में राजकीय कन्या प्राइमरी पाठशाला के भवन की मरम्मत तथा राजकीय जूनियर हाई स्कूल के ध्वस्त भवन का निर्माण ।

*४५--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में पडरौना विकास खण्ड में ग्राम मोतीललहा में राजकीय कन्या प्राइमरी पाठशाला का भवन जीर्ण-शीर्ण होकर ध्वस्त हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त प्राइमरी पाठशाला के भवन का जीर्णोद्धार करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री काली चरण--

जी हां। जिला परिषद् देवरिया के पास धनाभाव के कारण प्रश्नगत प्राइमरी पाठशाला के भवन का जीर्णोद्धार कराया जाना अभी संभव नहीं हो पा रहा है।

*४६--पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्राम में राजकीय जूनियर हाई स्कूल का भवन भी ध्वस्त हो गया है? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री काली चरण--

जी हां। नया भवन निर्माण कराने की कार्यवाही की जा रही है।

सैनिक स्कूल, लखनऊ के अध्यापकों की सेवा समाप्ति

*४७--श्री मंगलदेव (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १० साल की लम्बी सेवा के पश्चात् उ० प्र० सैनिक स्कूल, लखनऊ के ५ अध्यापक बिना किसी कारण बताओ नोटिस के दिनांक १६ जुलाई, १९७६ को सेवा मुक्त कर दिए गए और आज के आर्थिक अभाव में अत्यन्त दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही चल रही है?

श्री काली चरण--

जी नहीं, उ० प्र० सैनिक स्कूल, लखनऊ के केवल चार ऐसे अस्थायी अध्यापक हैं जिन्हें १४-७-१९७६ को नियमान्तर्गत एक माह के नोटिस के बदले एक माह का वेतन देकर सेवा-मुक्त कर दिया गया। इस सम्बन्ध में शासन के स्तर पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

*४८--श्री मैनेजर सिंह तथा श्री ख्यालीराम शास्त्री--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

बहराइच जिले की न्याय पंचायत लक्ष्मनपुर कोंडारी के चीनी कोटेदार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४९--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि न्याय पंचायत लक्ष्मनपुर कोंडारी, जनपद बहराइच के फुटकर शक्कर कोटेदार के विरुद्ध अनियमित कार्य करने व शक्कर वितरण फर्जी दिखाने के सम्बन्ध में तैयब अली, पतीराम आदि कई आदमियों, निवासी परसा डेहरिया ने अगस्त, १९७७ में शिकायती प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, बहराइच व शासन को रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा है? यदि हां, तो उक्त शिकायत की जांच अब तक न करने का क्या कारण है?

श्री हरिशचन्द्र--

न्याय पंचायत, लक्ष्मनपुर कोंडरी, जनपद बहराइच के फुटकर चीनी कोटेदार, श्री जिलेदार खां, के विरुद्ध वितरण में अनियमितता बर्ते जाने के सम्बन्ध में सर्वश्री तैयब अली, पतीराम आदि, निवासी परसा डेहरिया और श्री शारदा बख्श सिंह, सरपंच, न्याय पंचायत, लक्ष्मनपुर कोंडारी की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच के उपरान्त चीनी कोटेदार का अनुबन्ध-पत्र निलम्बित कर दिया गया है।

*५०—श्री जयराम—

[८वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग, अकबरपुर, फैजाबाद के सहायक अभियन्ता द्वारा फर्जी मजदूरों को वितरित की गयी धनराशि

*५१—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३० मार्च, ७७ को एस० डी० ओ०, अकबरपुर द्वारा २ लाख ११ हजार रुपए स्टेट बैंक, फैजाबाद से निकालकर उसी दिन २३९५ मजदूरों में वितरित किया दिखाया गया ? क्या यह सही है कि उक्त रुपया फर्जी मजदूरों के दस्तखत बनाकर वितरित किया गया ? यदि हां, तो उक्त रुपया किस मद में खर्च किया ? क्या मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

दिनांक ३० मार्च, १९७७ को सहायक अभियन्ता, अकबरपुर द्वारा स्टेट बैंक फैजाबाद से २,१३,२६६·३३ रु० की धनराशि कैश कराई गई तथा यह धनराशि ३० मार्च, तथा ३१ मार्च, १९७७ को २,०७४ मजदूरों को वितरित की गई । उक्त रुपया फर्जी मजदूरों के दस्तखत बनाकर वितरित किया गया अथवा नहीं इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है । उक्त रुपया अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किया गया है :—

(१) बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़, न्यूरो, जलालपुर, अकबरपुर-सिकन्दरपुर-जलालपुर, अकबरपुर-दोस्तपुर, अकबरपुर-इल्तिफातगंज, बसखारी-जहांगीर गंज, टांन्डो-बसखोरी एवं जहांगीरगंज-राजे-सुल्तानपुर मार्ग के अनुरक्षण ।

(२) बसखारा-हंसवर, नसखारी-टान्डा, हंसवा-टांन्डा, मालपुर-धमरवा, अकबरपुर-जहरत्ता, महरुवा-मधानी, अकबरपुर-इल्तिफातगंज, इल्तिफातगंज-महबूब गंज, जहांगीरगंज-राजे, सुल्तानपुर दुल्हपुर-न्यूरो-जलालपुर मार्गों का निर्माण ।

(३) पुलिस स्टेशन भवन बोबाना तथा परिवार नियोजन केन्द्र मियांव का निर्माण ।

(४) विभागीय ट्रक, जीप, निरीक्षण भवन व स्टोर के रख-रखाव का कार्य ।

इस सम्बन्ध में भी जांच की जा रही है ।

सिंचाई विभाग द्वारा क्रय की गयी जीपें

*५२—श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून) तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९७७ में लोक सभा चुनाव से पूर्व अथवा पश्चात् सिंचाई विभाग द्वारा लगभग ३५० डीजल जीपें क्रय की गयीं ? यदि हां, तो उक्त जीपें किस कम्पनी से क्रय की गयीं तथा एक जीप की क्या कीमत भुगतान की गई ?

श्री बलबीर सिंह—

१०० डीजल जीपों का क्रय सम्बन्धी शासनादेश दिनांक २६-२-७७ को निर्गत किया गया और उसी तिथि को परिवहन आयुक्त द्वारा इनके क्रय के आदेश मेसर्स महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लिमिटेड, बंबई को दिये गये । प्रति जीप की कीमत निम्न प्रकार थी :

(अ) ४ व्हील ड्राइव ४७,००६·१८ रु० ।

(ब) २ व्हील ड्राइव ४३,०११·४६ रु० ।

लखनऊ जिले के ग्राम दहिरा मऊ की प्राइमरी पाठशाला की बन्दी तथा उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा पाठशाला का निरीक्षण

*५३—श्री सन्त बक्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ, विकास खंड, गोसाईगंज के ग्राम दहिरामऊ में स्थित प्राइमरी पाठशाला लगातार गत ३ वर्षों से अध्यापकों की अनुपस्थिति के कारण बन्द रही है और ग्रामीण जनता तथा प्रधान के प्रार्थना-पत्रों के अनेक बार भेजने के बावजूद शासन तथा अधिकारियों के द्वारा स्कूल खोले जाने एवं अध्यापकों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री काली चरण—

जी नहीं ।

प्रश्नगत स्कूल लम्बे समय तक बन्द नहीं रहा ।

अल्पकालीन बन्दी के सम्बन्ध में प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*५४—श्री सन्त बक्श रावत—

क्या मन्त्री को ज्ञात है कि दिनांक ११ अगस्त, १९७७ को उप विद्यालय निरीक्षक ने उक्त स्कूल का मुआयना किया और स्कूल बन्द पाया परिणामस्वरूप केवल वहां के अध्यापकों का स्थानान्तरण कर दिया गया ? यदि हां, तो इतने समय तक विद्यालय बन्द रहने के लिए उक्त अध्यापकों एवं सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री काली चरण—

जी हां, विद्यालय लम्बे समय से बन्द नहीं रहा । सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण परिवार नियोजन की नीति के अन्तर्गत किया गया था । अतः केवल प्रधानाध्यापक ही विद्यालय में रह गये थे । उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है । अन्य किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आचार्य नरेन्द्र देव महिला महाविद्यालय, कानपुर की प्राचार्या का राजनैतिक पार्टी से कथित सम्बन्ध

*५५—श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि नगर महापालिका, कानपुर द्वारा संचालित आचार्य नरेन्द्र देव महापालिका महिला महाविद्यालय, कानपुर की प्राचार्या एक राजनैतिक पार्टी विशेष के कार्यों में भाग लेती हैं तथा कालेज का सामान उनकी मीटिंग के प्रयोग में लाती हैं ? यदि हां, तो क्या जांच करा कर उनके विरुद्ध कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री काली चरण—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर नगर का गंगा नदी से कटाव

*५६—श्री राज नाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर नगर का गंगा नदी की बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष भारी कटाव हो रहा है ? यदि हां, तो उसे रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी नहीं ।

मिर्जापुर नगर में गंगा नदी द्वारा प्रतिवर्ष भारी कटाव नहीं हो रहा है । पिछले कई वर्षों में कुछ बिन्दुओं पर सामान्य कटाव अवश्य हुआ है । इसी मामले से सम्बद्ध नगर के घाटों की सुरक्षा की समस्या है । अतः मिर्जापुर नगर में पूरे गंगा तट की सुरक्षा की योजना बनाई गई है, जो विचाराधीन है ।

सचिवालय के सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रवर वर्ग सहायकों द्वारा लिया गया भवन निर्माण अग्रिम

*५७—श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण सचिव शाखा, उत्तर प्रदेश सचिवालय के जिन प्रवर वर्ग सहायकों ने मार्च, १९७० में भवन निर्माण अग्रिम लिया था, उनमें से कितनों ने मकान बनवा लिया है ? यदि नहीं, तो उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मार्च, १९७० में सार्वजनिक निर्माण सचिव शाखा उत्तर प्रदेश सचिवालय के दो प्रवर सहायकों को भवन निर्माण अग्रिम दिया गया । एक को कानपुर में अपने पुस्तैनी मकान के पुनर्निर्माण के लिए तथा दूसरे को जिला सुल्तानपुर के ग्राम सराय-गोकुल में भवन निर्माण के लिए दिया गया । पहले ने मकान का पुनर्निर्माण करा लिया है तथा दूसरे ने मकान बनाने में उसका उपयोग कर लिया है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद के डरवारी क्षेत्र में राजकीय नलकूप की मांग

१—श्री झामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद, तहसील कन्नौज के अन्तर्गत डरवारी क्षेत्र में राजकीय नलकूपों के निर्माण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इनका निर्माण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी नहीं ? क्योंकि इस क्षेत्र में काली नदी पर कोई पुल न होने के कारण उस क्षेत्र में आवागमन का कोई साधन नहीं है ।

२—श्री झामलाल अहेरवार—

[८वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

नहर विभाग, आगरा द्वारा सीमेन्ट पर रेलवे को दिया गया डैमरेज

३—श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नहर विभाग द्वारा मंगाया गया हजारों टन सीमेन्ट जिला आगरा के फतेहपुर सीकरी रेलवे स्टेशन पर आया था, लेकिन उसकी R R विभाग ने समय पर नहीं छुड़ाई, जिससे विभाग को लगभग ७,००० (सात हजार) रुपया रसीद संख्या ७३५१४, दिनांक १६ अगस्त, १९७७ के द्वारा डैमरेज का देना पड़ा है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है और उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां ।

प्रश्न का दूसरा भाग—

३५४.३५ मैट्रिक टन सीमेंट छुड़ाने के लिए विभाग को ६,३६७.६० रु० डैमरेज व वारफेज के रूप में रेलवे को देना पड़ा ।

प्रश्न का तीसरा भाग—

प्रचलित एवं मान्य व्यवस्था के अनुसार माल ढुलाई भाड़ा क्रेडिट नोट द्वारा स्टेशन मास्टर ने लेने से इंकार कर दिया था। स्टेशन मास्टर ने केवल नकद भुगतान की मांग की । अतः रेलवे को नकद भुगतान करने की व्यवस्था करने में विभाग को समय लगा । अभी इस मामले में किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि मामले पर रेलवे विभाग से पत्र-व्यवहार हो रहा है । इस सम्बन्ध में छानबीन के पश्चात् दोषी कर्मचारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

लखनऊ जिले के जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का वेतन निर्धारण एवं एरियर का भुगतान

४—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों को वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वर्ष १९७४ से अब तक का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है । यदि हां, तो क्यों और कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री काली चरण—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

५—श्री मन्नू लाल द्विवेदी—

[७वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

देहरादून जिले में नलकूपों का छिद्रण (बोरिंग)

६—श्री रणजीत सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देहरादून जनपद में वर्ष १९७६-७७ में कितने नलकूप बोर किए जाने का लक्ष्य था तथा उनमें से अब तक कितने नलकूप बोर किए जा चुके हैं ?

श्री बलवीर सिंह—

जनपद देहरादून के लिए वर्ष १९७६-७७ में ३ नलकूप निर्माण हेतु स्वीकृत थे, जिनमें से अभी तक केवल दो नलकूपों का छिद्रण किया जा चुका है ।

आयातित "रेप सीड आयल" का निर्धारित मूल्य

७—श्री रणजीत सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि आयातित "रेपसीड आयल" का सरकार द्वारा क्या बिक्री भाव निर्धारित किया गया है ? उक्त किस्म का तेल किस भाव पर बाजार में उपलब्ध है ?

श्री हरिशचन्द्र—

इस प्रदेश द्वारा आयातित "रेप सीड आयल" का कोई भाव निर्धारित नहीं किया गया है। भारत सरकार ने कुछ रिफाइन्ड रेप सीड आयल प्रदेश सरकार को दिया है, जिसका फुटकर भाव निर्धारित किया गया है। यह लखनऊ, कानपुर, वाराणसी व इलाहाबाद में राशन कार्डधारकों को सस्ते गल्ले की दूकानों से ७·५० रु० प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राइवेट लोगों द्वारा आयातित तेल खुले बाजार में ८·२५ रु० से लेकर १० रु० प्रति किलो के बीच में प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिक रहा है।

८—श्री रणजीत सिंह—

[८वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री कुलदीप नारायण सक्सेना की अपील

९—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या शासन को, विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के प्रतिवेदन तथा अपीलें जो कुलदीप नारायण सक्सेना ने, दिनांक २ सितम्बर, १९७२, २२ जुलाई, १९७४ तथा ९ सितम्बर, ? १९७४ को भेजी है, मिली हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी कोई जांच करवाई गई यदि हां, तो किसके द्वारा करवाई गई और उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्राप्त सूचनानुसार श्री कुलदीप नारायण सक्सेना द्वारा प्रस्तुत अपीलें दिनांक २-९-१९७२, २२-७-१९७४ व ९-९-१९७४ मुख्य अभियन्ता को प्राप्त हुई हैं। श्री सक्सेना को दन्डित किए जाने व उनके बकाया भुगतान सम्बन्धी प्रथम दो अपीलों की जांच मुख्य अभियन्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद से कराई गई है और अभी जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है। तीसरी अपील जो स्थायीकरण से सम्बन्धित थी, पर विचारोपरान्त श्री सक्सेना के स्थायीकरण के आदेश कर दिए गए हैं।

मथुरा में हुई मंत्रिमन्डल की बैठक में स्वीकृत फिरोजाबाद-फतेहाबाद मार्ग एवं यमुना नदी पर शंकरपुर घाट का पुल

१०—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत मन्त्रि-मन्डल की मन्डलीय बैठक २२ दिसम्बर, १९७६ को मथुरा जनपद में हुई, में स्वीकृत सड़कें फिरोजाबाद से फतेहाबाद, फिरोजाबाद से दातावली और शंकरपुर घाट पर जमुना नदी का पुल के निर्माण को आरम्भ करने की है ? यदि हां, तो उनका निर्माण क्यों रुका है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

दिनांक २२ दिसम्बर, १९७६ को मथुरा में हुई मन्त्रिमन्डल की मन्डलीय बैठक में केवल फिरोजाबाद-फतेहाबाद मार्ग का निर्माण एवं इसी मार्ग पर शंकरपुर घाट पर जमुना नदी पर पोपों के पुल का निर्माण स्वीकृत किया गया था। यह अभी तय नहीं है कि काम कब शुरू किया जा सकेगा।

शासन ने निर्णय लिया है कि १० प्रतिशत या इससे कम प्रगति के कार्यों का विकास रोक दिया जाय। ये कार्य इसी दर्जे में आते हैं।

श्री गुरु नरहरि स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पूरे तिवारी, गोण्डा के अनुदान का निलम्बन

११--श्री त्रिवेणी सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री विष्णु प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो गुरु नरहरि माध्यमिक स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पूरे तिवारी, गोंडा का अनुदान किन कारणों से और किस वर्ष निलम्बित किया गया ?

श्री काली चरण--

श्री गुरु नरहरि स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पूरे तिवारी, गोन्डा का अनुदान संलग्न तालिका में उल्लिखित कारणों के आधार पर जुलाई, १९७४ से निलम्बित किया गया।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४९ पर।)

१२--श्री मुनीन्द्र पाल सिंह--

[८वें बुधवार के लिए स्थगित।]

पीलीभीत जिले में सड़क बीसलपुर-बिलसंडा पर कटना नदी के पुल की मरम्मत

१३--श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जिला पीलीभीत में सड़क बीसलपुर-बिलसंडा कटना नदी के पुल के अगल-बगल रोक न होने का क्या कारण है तथा साथ ही साथ पुल की चौड़ाई बतलाने का कष्ट करेंगे? क्या सरकार शीघ्र इसका निर्माण कराएगी ?।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

इस पुल के अगल-बगल रोक है। एक ओर का कुछ हिस्सा टूट गया है।

इस पुल की चौड़ाई ३·३५ मीटर है :

इसकी मरम्मत अक्तूबर, ७७ तक पूरी हो जायेगी :

१४--श्री बसन्त--

[८वें सोमवार में अतरांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

हमीरपुर जिले के लिए स्वीकृत नलकूपों की संख्या

१५--श्री मोहनलाल (जिला हमीरपुर) तथा श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले में पिछले वर्ष १९७६-७७ में शासन की ओर से कितने नलकूप बनने की मंजूरी हुई थी और उन नलकूपों कहां-कहां बनाए जाने का प्रस्ताव है ?

श्री बलवीर सिंह—

वर्ष १९७६–७७ में नार्मल प्रोग्राम के अन्तर्गत हमीरपुर जनपद में १५ नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। इनमें से चार नलकूपों का छिद्रण हो चुका है। सूची संलग्न है।

डी० पी० ए० पी० योजना के अन्तर्गत २१ नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। सभी नलकूपों का निर्माण कर दिया गया है। सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५० पर।)

हरदोई जिले की अर्द्धनिर्मित सड़कें

१६—श्री धर्मगज सिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जाने वाली कौन-कौन सी सड़कें अधूरी बनी पड़ी हैं? क्या उनको इस वित्तीय वर्ष में सरकार पूरा करा देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

सूची संलग्न है।

सभी सड़कों को पूरा नहीं किया जा सकेगा।

गालिबन नीचे लिखी ४ सड़कें इस वित्तीय वर्ष में पूरी हो सकेंगी :—

(१) शाहाबाद–पाली मार्ग।

(२) सन्डीला–अतरौली मार्ग।

(३) सन्डीला–गौसगंज मार्ग।

(४) गौसगंज–मल्लावां–मेंहदीघाट मार्ग।

बाकी ३९ मार्गों में से कुछ धनाभाव के कारण व कुछ भूमि अध्याप्ति न हो सकने के कारण अभी पूरे नहीं किये जा सकेंगे।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५२ पर।

बहराइच जिले की पाण्डे पुरवा–इकौना मार्ग तथा इकौना–सिरसिया मार्ग के निर्माण की मांग

१७—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को यह जानकारी है कि पाण्डे पुरवा से सेमरी चक, पिहानी होते हुए इकौना एवं इकौना से लक्ष्मनपुर बाजार होते हुए सिरसिया की सड़क जिला परिषद् बहराइच की है? यदि हां, तो क्या सरकार सामान्य जनता के हित में जिला परिषद् से सार्वजनिक निर्माण विभाग में स्थानान्तरित कराकर उक्त सड़कों को निर्मित कराने में प्राथमिकता देगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

उपलब्ध सूचना के अनुसार पांडे पुरवा–इकौना मार्ग (२३·०० कि० मी०) का लगभग १८·०० कि० मी० तथा इकौना–सिरसिया मार्ग (३३·०० कि० मी०) का लगभग ३०·२० किमी० भाग जिला परिषद्, बहराइच के अधीन है। इस समय धनाभाव के कारण इन भागों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लेना मुमकिन नहीं है।

18—श्री तेज भान सिंह—

[दवें बुधवार के लिए स्थगित ।]

१९—श्री श्रीनारायण—

[दवें बुधवार के लिए स्थगित ।]

के० बी० बांध तथा खड्डा-छितौनी एप्रोच रोड के निर्माण की मांग

२०—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि छितौनी बान्ध के० बी० बन्ध तथा खड्डा छितौनी एप्रोच रोडों पर चल रहे निर्माण कार्यों को इस समय किन कारणों से बन्द किया गया है ? उक्त सभी प्रस्तावित एप्रोच रोडों का अनुमानित व्यय क्या था और उन पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

श्री बलवीर सिंह—

के० बी० बांध तथा खड्डा छितौनी एप्रोच रोड पर सड़क बनाने का कार्य अभी वर्षा ऋतु के कारण रोक दिया गया है । छितौनी बांध पर सड़क बनाने का कार्य अभी विचाराधीन है ।

उपरोक्त बांधों पर सड़क बनाने की अनुमानित लागत तथा अब तक किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

बांध का नाम	अनुमानित लागत	व्यय
	(लाख रुपयों में)	
१—छितौनी बांध	१०·६०	..
२—के० बी० बांध	१६·८६	९·५६
३—रेलवे इम्बकमेंट (खड्डा छितौनी लिंक रोड)	१०·८०	८·२०

फैजाबाद जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण हेतु ली गयी सड़कें

२१—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे पिछले तीन वर्षों में फैजाबाद जिले में कौन-कौन सी नई सड़कें निर्माण और पुनरुद्धार हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ली गई हैं ? और उन पर अब तक क्या-क्या कार्य हो चुका है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रश्नगत सड़कों के नाम व उन पर किये गये कार्य का विवरण नत्थी 'क' पर है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५४ पर)

फैजाबाद जिले में बाम्बे प्लान के अनुसार ब्लाक स्तर पर ली गयी कथित सड़कें

२२—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के भीटी, कटेहरी तथा मया ब्लाकों में बाम्बे योजना के अनुसार अलग-अलग सन

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

१९८१ तक कितनी-कितनी किलोमीटर पक्की सड़क बननी है और अभी तक कितनी किलोमीटर सड़क बनी है तथा शेष काम कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

बाम्बे प्लान के अनुसार १९८१ तक जितनी पक्की सड़कों की जरूरत है, वह जिला वार निकाली गयी है । ब्लाक वार सूचना उपलब्ध नहीं है ।

आपात्काल में जेल भेजे गये छात्रों को पुनः प्रवेश दिये जाने का आदेश

२३—श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपात काल में शिक्षण संस्थाओं से जिन छात्रों का निष्कासन हुआ था उनका निष्कासन सरकार ने रद्द कर दिया है ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री काली चरण—

आपातकाल में शिक्षण संस्थाओं से जिन छात्रों का निष्कासन हुआ था उनका निष्कासन रद्द करने हेतु कोई सामान्य आदेश सरकार द्वारा निर्गत नहीं किये गये हैं । हां, आपातकाल में जो छात्र जेल गये थे या भूमिगत हो गये और फलस्वरूप जिनके अध्ययन में बाधायें आयीं थीं, वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाये और यदि सम्मिलित भी हुये तो उनके प्राप्तांक और श्रेणियां कुप्रभावित हुईं, उन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा यह आदेश निर्गत किये गये हैं कि उन्हें प्रवेश की कोई कठिनाई न हो तथा उन्हें प्रवेश में पूर्ण सुविधा प्रदान की जाय ।

सार्वजनिक निर्माण खण्ड, देवरिया द्वारा खरीदा गया टी० एण्ड पी० का विवरण तथा टार ब्वायलर की खरीद

२४—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के देवरिया खण्ड में अगस्त, 73 से जुलाई, 77 तक टी० एण्ड पी० की आपूर्ति कब-कब और किससे करायी गयी ? क्या स्थानीय ठेकेदारों से भी रेट मांगे गए थे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

अगस्त, १९७३ से जुलाई, १९७७ तक खरीदे गये टी० एण्ड पी० का विवरण संलग्न है । विभागीय प्रणाली के अनुसार कोटेशन नोटिस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दिये गये थे । स्थानीय ठेकेदारों को भी अपने कोटेशन देने की स्वतंत्रता थी । जिस सामान की आपूर्ति वे करना चाहते थे, उन्होंने की भी है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १५६ पर ।)

२५—श्री श्रीनारायण—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के प्रांतीय खण्ड के अधिशासी अभियन्ता ने मार्च, ७७ में कितने टार ब्वायलर खरीदे थे और उनके लिए कितने रुपये लगे थे और वे किस काम आए ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

कुल २४ टार ब्वायलर खरीदे थे जिनकी लागत ४७,४४२ रु० है ।

ये टार ब्वायलर सड़कों की पेन्टिंग, प्रिन्ट के प्री-कोटिंग तथा दाग मरम्मत के लिये बिटुमिन को गरम करने के लिये प्रयोग में लाये जा रहे हैं ।

इलाहाबाद जिले में ससुर खदेरी नदी पर कतिपय सड़कों का पुल

२६—श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के भरवारी-करारी-शाहपुर सड़क पर ससुर खदेरी नदी पर पुल अधूरा बना है, जिसके कारण बरसात में यातायात तथा बसों, ट्रकों का चलना बन्द रहता है ? यदि हां तो उसकी नीव कब डाली गई है और अब तक न पूर्ण होने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी नहीं । यहां पुराना जिला परिषद् का पुल है । इसका वाटर-वे कम होने के कारण वर्षा ऋतु में कभी-कभी नदी का पानी सड़क के ऊपर बहता है जिससे बसों तथा ट्रकों का आवागमन बन्द हो जाता है ।

पुराना पुल होने के कारण इसकी नींव डाले जाने की तारीख की जानकारी प्राप्त नहीं है ।

इलाहाबाद जिले में किलन्ही नदी पर जाठी ग्राम का निर्माणाधीन पुल

२७—श्री नाथू राम शिक्षक—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले की कौशम्बी रोड के ग्राम जाटी के पास भी ससुर खदेरी नदी पर पुल अधूरा बना है जिसके कारण बरसात में यातायात ठप हो जाता है ? यदि हां, तो उक्त पुल कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इस जगह पर ससुर खदेरी नदी नहीं बल्कि किलन्हीं नदी पर पुल निर्माणाधीन है ।

इस पुल के दिसम्बर, १९७६ तक पूरा होने की आशा है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय द्वारा उनको प्राप्त एक धमकी भरे पत्र के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं चाहता था कि (एक पत्र दिखाते हुए) इस पत्र को आपके दे दूं, लेकिन उस समय मुझे मिला नहीं । एक पत्र मुझे मिला है और वह उसी राइटिंग में है जैसा कि बाबा राम अधार यादव को मिला था जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि चीफ सेक्रेटरी ने धमकी दिलवायी । यह पत्र मेरे घर के पते पर उसी राइटिंग में गया था, इसमें उसी तरह के शब्द हैं । मैंने उनको दिखाया था तो उन्होंने कहा कि यही शब्द, यही राइटिंग है । इस पत्र में मुझको धमकी दी गयी है कि आप गलत बयानी किये हैं विधान सभा में, इसलिए आपकी हत्या कर दी जायगी ।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं मैं आपको पत्र दे रहा हूं । उसी आदमी का लिखा है जो बाबा राम अधार यादव से सम्बन्धित है । तो मैंने सोचा कि आपके माध्यम से सदन को सूचना दे दूं ।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिये । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस तरह के प्रश्न जैसा माननीय सुखपाल पण्डेय जी ने उठाया, उनको चाहिए था कि इस पत्र को मुझे देते और इसको उठाने से पहले वह मेरी जानकारी में लाते तो मैं माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करूंगा कि कोई प्रश्न उपस्थित करने से पहले वह मेरी जानकारी में लायें और उनको अनुमति दे दी जायगी सदन में अपनी बात कहने के लिए । लेकिन इस प्रकार पीठ की जानकारी में लाये बिना किसी प्रश्न को उठाना उचित नहीं है ।

दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना

(इस अवसर पर दर्शक दीर्घा में एक व्यक्ति द्वारा सदन में पर्चे गिराये गये और नारे लगाये गये, छात्र एकता जिन्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन. . . । उस व्यक्ति को विधान सभा गार्डों द्वारा दीर्घा से बाहर ले जाया गया ।)

आमरण अनशन पर बैठे कतिपय ग्राम सेवकों की हालत गम्भीर होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मन्नू राम द्विवेदी (जिला बलिया)—

आमरण अनशन पर बैठे हुए तीन ग्राम सेवकों की हालत मरणासन्न हो चुकी है । ग्राम सेवक अपनी मांगों को लेकर सरकार से बार-बार निवेदन करते रहे हैं कि महंगाई को देखते हुए हम लोगों का वेतन बढ़ा कर तहसील में काम करने वाले सुपरवाइजर कानूनगो के बराबर कर दिया जाय और हम लोगों के कार्यों का सही ढंग से मूल्यांकन करने के लिए एक अलग से सचिवालय की व्यवस्था की जाय हम लोग मर मर कर गांवों, देहातों एवं खेतों में काम करते हैं और इनका कीमत उच्चाधिकारीगण तथा अलग विभाग वाले अपने कोटा में जोड़ लेते हैं और हम लोगों का कार्य नगण्य दिखाया जाता है । इन्हीं सब बातों के कारण पर उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से आये हुए उन ग्राम सेवकों ने विधान सभा के सामने आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया है जिसका आज चौथा रोज है । तीन की हालत अत्यन्त गम्भीर हो गई है । उनका पानी पीना व बोलना बन्द हो गया है । उनकी मृत्यु की सम्भावना परिलक्षित होने लगी है, अस्तु मैं सरकार का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु उसकी ओर आकर्षित करता हूं ।

टनकपुर, जिला नैनीताल के थारुओं पर पुलिस द्वारा अत्याचार के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, नैनीताल जनपद में टनकपुर के निकट जंगल में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शूटिंग गार्ड के दो व्यक्तियों की हत्या कर दी गई जिनकी लाशें १८ सितम्बर, १९७७ को बरामद हुईं । पुलिस जब कातिलों को नहीं पकड़ पायी तो थाना टनकपुर की पुलिस ने खटीमा थाना के अन्तर्गत ग्राम कुटरी पहुंच कर २२-२३ सितम्बर की रात में थारू एवं हरिजन पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार करना शुरू कर दिया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सर्वश्री परशुराम थारू, तारा हरिजन, बाघू थारु, गेंदा सिंह और १२ वर्षीय राम प्रवेश पुत्र ज्ञान सिंह को पुलिस द्वारा टनकपुर थाने ले जाया गया और लाठी-डंडे तथा बन्दूक के कुन्दों से पीटा गया ।

श्री राम समेही थारू की पत्नी तारा, हरिजन की गर्भवती पत्नी कसमा देवी, अधान थारू की पत्नी और गेंदा थारू की पत्नी को नंगा करके पीटा गया । इतना ही नहीं, उन्हें नंगा ही उल्टा टांग दिया गया । इतने से भी सब्र नहीं हुआ तो एक थारू स्त्री के ६ माह के बच्चे को उठा कर जमीन पर पटक दिया गया । थारू लड़कियों का एक पैर पांव से दबा कर तथा दूसरा हाथ से पकड़ कर विपरीत दिशा में खींचा गया । पुलिस मारने-पीटने एवं बन्द करने की धमकी दे कर हजारों रुपये निरीह हरिजनों एवं थारुओं से वसूल कर चुकी है और वसूली करने की दिशा में अग्रसर है । उपरोक्त सारा कुकर्म चकरपुर के एक अवकाश प्राप्त पी० ए० सी० अधिकारी जो कांग्रेस परस्त हैं, के इशारे पर पुलिस द्वारा किया जा रहा है ।

समस्त हरिजनों एवं थारुओं में भय एवं आतंक व्याप्त है तथा वे अपने घरों को छोड़ कर अन्यत्र भाग रहे हैं ।

अतः आज मैं माननीय सदन में आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान पुलिस के इस अमानवीय एवं बर्बरतापूर्ण अत्याचार की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं तथा यह मांग करता हूं कि तथ्यों की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा करायी जाय ।

दैनिक जागरण, कानपुर, समाचार-पत्र के कर्मचारियों को संशोधित वेतन तथा अन्य सुविधाएं न मिलने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार की घोषणा के अनुसार समाचार-पत्रों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित कर दिये गये हैं तथा अन्तरिम सहायता का १ अप्रैल, १९७७ से भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है । इसके अनुसार प्रदेश के समस्त समाचार-पत्रों ने इसका भुगतान कर दिया है । परन्तु खेद है कि कानपुर से प्रकाशित दैनिक जागरण के प्रबन्धाधिकरण ने उक्त भुगतान अभी तक नहीं किया ।

आदरणीय सदन को यह जान कर आश्चर्य होगा कि जागरण के ३०० कर्मचारियों में लगभग १५० ट्रेनीज हैं । यहां चौकीदार, जमादार तथा चपरासी भी प्रशिक्षण पर रखे गये हैं जिससे कि समुचित वेतन न देना पड़े । इनको भविष्य निधि, ई० एस० आई० तथा बोनस आदि की सुविधायें नहीं हैं । जहां तक त्योहारों की छुट्टियों का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन् सम्पूर्ण देश में यह अनोखा उदाहरण होगा कि वर्ष भर के त्योहारों में मात्र २ छुट्टियां दी जाती हैं जबकि सभी समाचार-पत्रों में १० त्योहारों की और ४ राष्ट्रीय पर्वों के अवकाश दिये जाते हैं । नियमों के विरुद्ध आज भी गैर-पत्रकार कर्मचारियों को पांचवीं श्रेणी का वेतन मिलता है ।

कर्मचारियों ने मांगों को पूरा कराने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिये आन्दोलन का रास्ता स्वीकार कर लिया है । अतएव समस्या अविलम्बनीय विचार की है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान इस मांग की ओर आकृष्ट करूंगा कि समस्त कर्मचारियों को पिछले बकाये सहित अन्तरिम राहत का भुगतान अविलम्ब कराया जाय तथा अन्य न्यायोचित मांगों को नियमानुसार तत्काल पूरी कराने के लिये उक्त समाचार-पत्र को निर्देश दिये जायं ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा हड़ताल तथा उन पर हुए कथित लाठी चार्ज के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सर्वत्र छात्र अशान्ति है । कल गोरखपुर नगर में विद्यार्थियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल की । हड़ताली विद्यार्थी एक जगह एकत्र होकर सभा कर रहे थे । अचानक भारी संख्या में पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उन पर लाठी चार्ज किया । लगभग २ दर्जन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया तथा पचासों छात्र घायल हो गये । पुलिस बर्बरतापूर्वक छात्रों का दमन करने पर उतारू है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रवीन्द्र जी, जो आपने मुझको लिखकर दिया है, उसी को पढ़िये, उससे बाहर नहीं ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

गोरखपुर विश्वविद्यालय जहां कल पूर्ण शान्ति थी, को भी प्रशासन ने अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया । शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य छात्रों की न्याय संगत मांगों को सुनने के बजाय विद्यालयों, विश्वविद्यालयों की बन्दी एवं पुलिस के दमन के सहारे शान्ति स्थापित करना चाहते हैं । गोरखपुर से सम्बद्ध मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज भाटपार रानी के छात्र संघ की स्थापना को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं और वहां के प्रधानाचार्य भी अपनी हठवादिता से विद्यालय में अशांति बनाये हुये हैं । छात्र समस्याओं के प्रति प्रशासन का यह रुख सर्वथा निन्दनीय है । आग्रह है कि सरकार प्रभावी कदम उठावे जिससे शिक्षण संस्थाओं में पठन-पाठन का कार्य सुचारु रूप से चल सके ।

पी० ए० सी० के दंगे में हटाए हुए कर्मचारियों को वापस लेने तथा मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने से सम्बन्धित पी० ए० सी० के जवानों द्वारा हड़ताल के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, प्रदेश की पी० ए० सी० में भारी असन्तोष व्याप्त है । पता चला है कि लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर तथा अन्य कुछ जिलों में हजारों पी० ए० सी० के जवानों ने तारीख २ अक्तूबर को हड़ताल की और खाना नहीं खाया । यह भी पता चल रहा है कि ये लोग अपने पुलिस कर्मचारी परिषद् द्वारा आदेश पर यह मांग कर रहे हैं कि हटाये हुए सभी पी० ए० सी० के जवान बहाल किये जायें तथा मरे हुये जवानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाय । सरकार ने केवल इन लोगों को स्थानान्तरण करने का सोच रखा है । क्या इनकी और मांगें हैं । क्या सरकार द्वारा हो रहा है, यह पता ठीक से नहीं चल पा रहा है । अतएव अध्यक्ष जी से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से सूचना दिलायें ।

सेन्ट ऐन्ड्रूज कालेज, गोरखपुर के एम० ए० प्रथम वर्ष के छात्र, म० श्री अशोक कुमार पान्डेय तथा उनके समर्थकों द्वारा प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों का घेराव तथा मारपीट के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

(श्री ए० सी ग्राइस का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शून्य प्रहर में...

श्री अध्यक्ष--

आप पहले रुकिये । श्री ए० सी० ग्राइस, आप पढ़िये ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

मान्यवर, हिन्दी के कारण मैं पढ़ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

तो अनुमति तो आप मांगिये ?

श्री ए० सी० ग्राइस--

मान्यवर, मेरी तरफ से बाबू राम शुक्ल को पढ़ने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, अब श्री बाबू राम शुक्ल पढ़ें ।

श्री ए० सी० ग्राइस--

(श्री बाबू राम शुक्ल ने उनकी सूचना पढ़ी) ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शून्य प्रहर में निम्नलिखित सूचना आपकी आज्ञा से दे रहा हूं :--

श्री अशोक कुमार पान्डेय, सेन्ट ऐन्ड्रूज कालेज, गोरखपुर के एम० ए० प्रीवियस, पोलिटिकल साइंस में सितम्बर, १९७६ में भरती किये गये थे । श्री पान्डेय अपने उक्त दाखिले से पहले दो बार डी० आई० आर० में सितम्बर, १९७७ में गिरफ्तार किये गये थे ।

२० नवम्बर, १९७७ को उक्त श्री पाण्डेय ने आर्ट फैकल्टी के हेड तथा पं० प्रोफेसर ए० के० बनर्जी को थप्पड़ मारा था । इसकी जांच की गयी थी और श्री पान्डेय को कालेज से निकाल दिया गया था । पाण्डेय ने अदालत में मुकदमा दायर किया था किन्तु जनवरी, १९७७ में मुकदमा कास्ट सहित खारिज कर दिया गया था । अप्रैल १९७७ से श्री पान्डेय कालेज में पुनः दाखिले की कोशिश कर रहे हैं और उनकी दलील यह है कि चूंकि श्री जार्ज फरनांडिज इसी आधार पर छोड़े गये हैं, अतः उन्हें भी बहाल किया जाय । दिनांक ४-१०-७७ को कुछ व्यक्तियों ने जिन्हें श्री पान्डेय लीड कर रहे थे, प्रिंसिपल डा० वाई० बी० सिंह का घिराव किया और दो सीनियर मास्टरों को मारा । इस घटना के बाद पुलिस बुलाई गयी और कालेज अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया है । निवेदन है कि इस सम्बन्ध में शासन शीघ्र उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करे ।

प्रदेश भर में दफा १४४ लगाये जाने तथा सदस्यों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित वक्तव्य की मांग

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी आपकी आज्ञा चाहता हूं। वह यह है कि प्रान्त भर में सभी जिले में दफा १४४ लगा दी गयी है। आधे जिलों से लोग जेलों में चले गये हैं। मैं समझता था कि सरकार की ओर से वक्तव्य इस सम्बन्ध में आयेगा। यहां तक कि हमारे पक्ष के ५-६ सदस्य भी जेलों में हैं। तो इस सम्बन्ध में क्या सरकार कर रही है? क्यों इसको बढ़ाये चले जा रहे हैं? एक दिन जरूरी था, दो दिन जरूरी था। बार-बार हफ्तों चलाये जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिलाया जाय, श्रीमन्।

(कुछ सदस्यों के आपस में बातचीत करने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें। कल और परसों, २ दिन सामान्य प्रशासन और पुलिस पर विवाद होगा। कल माननीय श्यामधर जी और अन्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर मिलेगा, सूबे की शान्ति-व्यवस्था और दफा १४४, इन सबके बारे में कल आप चर्चा कर सकते हैं।

(शोर)

आप लोग शांत रहें, आपस में बातचीत न करें। कार्यवाही चलने दीजिये।

शिक्षा मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज दो विशेषाधिकार की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री सोहनवीर सिंह तोमर ने माननीय शिक्षा मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। उनकी शिकायत है कि २६-९-७७को यू० पी० शिक्षा बोर्ड द्वारा हाई स्कूल परीक्षाओं के परीक्षाफल कम्प्यूटर कम्पनी आई० बी० एम० को भारत सरकार द्वारा बंद किये जाने की सम्भावना से उत्पन्न स्थिति को शून्य प्रहर में उनके द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया था किन्तु दो सप्ताह बीत जाने पर भी उन्हें इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मन्त्री का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय श्री सोहनवीर सिंह तोमर ने यह भी आरोप लगाया है कि माननीय शिक्षा मन्त्री ने जानबूझ कर इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना की है।

श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा ने भी ऐसा ही एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ३० अगस्त, १९७७ को उठाया था, जिसे मैंने स्वीकार नहीं किया था किन्तु उस प्रसंग में मैंने माननीय मुख्य मन्त्री से यह अपेक्षा की थी कि वे सभी मन्त्रियों को इस बात का आदेश दे दें कि माननीय सदस्य जो विषय मेरी आज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हैं, उनका उत्तर सात दिन में अवश्य दे दिया जाना चाहिये और यदि सात दिन में उत्तर दिया जाना संभव न हो तो अन्तरिम उत्तर अवश्य दे दिया जाए। मैं पुनः उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सभी मन्त्रियों को इस सम्बन्ध में आदेश जारी करने का कष्ट करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतों का अवसर उत्पन्न न हो।

जहां तक श्री सोहनवीर सिंह तोमर द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न का सम्बन्ध है, इसको मैं अग्राह्य करता हूं ।

माननीय शिक्षा मन्त्री जी से मैं यह अपेक्षा करता हूं कि जो इनकी शिकायत है, इसका अवसर फिर नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर उनको अब तक भेज देना चाहिए था । मैं संसदीय कार्य मन्त्री जी से कहूंगा कि जो यहां पर इस तरह के निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए।

(श्री कालीचरण) शिक्षा मन्त्री--

श्रीमन्..... ।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)--

मान्यवर, मैंने सूचना दी थी । २९ तारीख को बहस रखी थी, वह भी टाल दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

आप लोग बैठ जाइये ।

श्री दशरथ सिंह--

मान्यवर, सूखा पड़ा है । जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग घेर लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना स्थान ग्रहण करें । आप इस तरह की अव्यवस्था न करें । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री कालीचरण --

श्रीमन्, मेरे अस्वस्थ हो जाने के कारण उत्तर देने में, माननीय सदस्य को, कुछ विलम्ब हो गया है । इसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूं । कल इनको उत्तर हम दे देंगे ।

बाढ़, कटाव एवं सूखे पर चर्चा के लिए शीघ्र समय देने की मांग

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)--

२९ तारीख को सूखा पर बहस रखी गई थी । लेकिन शिया-सुन्नी मामला उठ गया और वह नहीं हो पाया । उसके लिये व्यवस्था क्या हुई है, वह बता दें ? त्राहि-त्राहि मची है । रबी की बोआई नहीं हो पाई है ।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । कल मैंने सदन में घोषणा की थी कि १८ तारीख को सूखा पर बहस की जायेगी और जो नियम ५२ में प्रश्न स्वीकार किए हैं, उनको भी १८ तारीख को लिया जायेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

आप ऐसे महत्व के प्रश्न को १८ तारीख के लिए टाल रहे हैं । राजस्व मन्त्री बस्ती जिले में ७,६३८ गांवों के लिये २० हजार रुपय का नमक बांटने के

[श्री सुखपाल पाण्डेय--]

लिए दे दिया है। आपने ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर बहस टाल दी है। वहां हाहाकार मची है। वसूली जारी है। इसलिये मैं आपसे चाहता हूं कि सदन को स्थगित कर दें वरना इस पर विचार करना चाहिए।

श्री दशरथ सिंह--

पूर्वी उत्तर प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। आप बैठ जायं। (श्री दशरथ सिंह के खड़े होने तथा कुछ कहने पर) आप बैठें। प्रोसीडिंग में नहीं लिखा जायेगा। (श्री दशरथ सिंह के बैठ जाने पर)।

यदि जल्दी सम्भव हुआ, चूंकि इस समय बजट पर विवाद चल रहा है और इसमें ५ बजे के बाद में बैठना पड़ेगा, इसके महत्व को इंकार नहीं किया जा सकता, तो मैं संसदीय कार्य मन्त्री और नेता विरोधी दल से परामर्श करके यदि इसके लिए समय निकाल सका तो १८ अक्तूबर के पहले ही प्रयास करूंगा।

डाक्टर एस० पी० गुप्ता, जिला संयुक्त चिकित्सालय, देवरिया के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक श्री कृष्णा राय, सदस्य विधान सभा ने शिकायत की है कि जनपद देवरिया के डा० एस० पी० गुप्ता, जिला संयुक्त चिकित्सालय, देवरिया ने उनकी मान मर्यादा पर ठेस पहुंचाई है और उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है। माननीय कृष्णा राय ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करने का अनुरोध किया है। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी संलग्न की है। यह रिपोर्ट माननीय कृष्णा राय जी ने वहां के पुलिस स्टेशन के अन्दर की है। इस प्रश्न पर व्यवस्था देने से पहले मैं श्री कृष्णा राय जी से जानना चाहता हूं कि वह किस प्रकार इसको विशेषाधिकार का प्रश्न समझते हैं ?

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार का सवाल इसलिए पैदा होता है कि देवरिया का अस्पताल हमारे क्षेत्र के अन्दर है। क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही यह सूचना मिली और अखबारों में मिली कि देवरिया के अस्पताल में बहुत भ्रष्टाचार है। एक महीने से देवरिया अस्पताल के बारे में स्वास्थ्य मन्त्री जी को और भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्री को भी सूचना दी है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही न होने के कारण वहां के सी० एम० ओ० ने अपने कर्मचारियों को बरगला कर कहा कि जब मैं कहीं आ जाऊं तो उनका अपमान जरूर करें। जब मैं अस्पताल में प्रवेश कर रहा था तो सी० एम० ओ० हमको देखकर अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिया और अपने अधिकारियों को उकसा दिया। डा० गुप्ता वह हैं जो कि भूतपूर्व मन्त्री, श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता के भाई के लड़के हैं। करीब वह १२ वर्ष से अस्पताल में हैं। गुप्ता के खिलाफ हमने सवाल किया था। मन्त्री होने के पहले, एम० एल० ए० होने के पहले इनके पास इतनी जमीन नहीं थी। लेकिन १८ एकड़ जमीन और दो एकड़ का बाग खरीदा। नाजायज तरीके से पैसा पैदा किया।

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी शिकायत तक ही सीमित रहें। किसी पर अभियोग न लगायें।

श्री कृष्णा राय--

यही बतला रहा हूं । संत विनोबा डिग्री कालेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य के पिता सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपने बेटे को जो अयोग्य है, प्रिन्सिपल बना दिया और सेक्रेटरी के दामाद को जो कि योग्य है, उसको प्रिन्सिपल नहीं बनाया । इसका भी मैंने सवाल उठाया है । सही बात कहने से नाराजगी है । जो पर्चे फेंके गये, उनमें और जो अस्पताल में अपमान किया गया, उसमें भी इन्हीं लोगों की साजिश है । हमने पुलिस को रिपोर्ट दे दी तो मुकदमा नहीं बनता क्योंकि वह अदालत में नहीं गया है । आप कहते हैं कि विशेषाधिकार नहीं बनता है । आप इसको फिर से देखने का कष्ट करें । भूतपूर्व राज्य परिवहन मन्त्री के भतीजे व पतोह सबने मिलकर हमारे खिलाफ जानबूझकर ज्यादती की है । मैं यहां तीसरी बार चुन कर आया हूं । देवरिया के अधिकारियों से मुझे कभी शिकायत नहीं रही । किसी ने दुर्व्यवहार नहीं किया ।

एक सदस्य--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं । उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय कृष्णा राय ने जो प्रश्न उठाया है, वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, परन्तु उसका सदन की कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नहीं है । लोक सभा····

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर····

श्री अध्यक्ष--

आप स्थान ग्रहण करें । मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आपका जो निर्णय होगा वह तो शिरोधार्य है, लेकिन फैसला देने से पहले आप सुन तो लीजिये । माननीय कृष्णा राय जी ने जिन भावनाओं का और शब्दों का प्रयोग किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय सदस्य की मर्यादा को अवश्य ठेस पहुंची है । अगर माननीय सदस्य की मर्यादा को ठेस पहुंची है, चाहे वह सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित करने की बात न हो, सदन का अपमान न भी हो तो भी विशेषाधिकार की परिधि में माननीय सदस्य की शिकायत आती है या नहीं, इसको देखने के लिए विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दें, वह डाक्टर आज वहां कई वर्षों से है और आज तक उनका स्थानान्तरण नहीं हो सका । किन परिस्थितियों में नहीं हुआ, यह मुझे मालूम नहीं । श्रीमन्, मैं निवेदन करूं, न केवल अकेले वह डाक्टर ही है, बल्कि उनके परिवार की एक महिला डाक्टर भी उसी अस्पताल में है । तो वहां इस प्रकार की बात होना और माननीय सदस्यों के साथ इस तरह का व्यवहार होना कुछ ठीक नहीं प्रतीत होता । तो मान्यवर, मेहरबानी करके आप स्वयं अपनी सम्मति देने के पूर्व फिर से इस बात पर विचार कर लें और इसको विशेषाधिकार समिति को जानकारी और छानबीन के लिए भेज दें । अगर वह दोषी नहीं होंगे तो विशेषाधिकार समिति स्वयं उनको मुक्त कर देगी और कोई कार्यवाही नहीं होगी । लेकिन इन परिस्थितियों के मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें, यह मेरा, मान्यवर, आपसे विनम्र निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर विवाद नहीं । इस प्रश्न को, जैसाकि मैंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है । इस तरह की सूचनायें सदन में प्रायः आती हैं । सन् ७४ में इस प्रकार का प्रश्न प्रस्तुत किया गया था । उस वक्त अध्यक्ष ने कहा था कि इसमें सदन के अपमान और विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि वह सदन की कार्यवाही से सीधा सम्बन्ध नहीं था । इसी प्रकार सन् १९७१ में पार्लियामेन्ट के अन्दर इसी तरह का सवाल श्री भान सिंह भौरा ने उठाया था । वह प्रश्न उन्होंने डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट और इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, मुक्तसर, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर (पंजाब) के विरुद्ध उठाया था । इसी प्रकार एक प्रश्न सर्दीश राय ने पार्लियामेन्ट में उठाया था । श्री सर्दीश राय पश्चिमी बंगाल में किसी कार्य से गये थे । वहां पर पुलिस ने उनको प्रवेश नहीं करने दिया और वहां से उनको हटा दिया । तो यह स्वीकार नहीं हुये । इस प्रकार के प्रश्न विशेषाधिकार के प्रश्न तभी होते हैं जबकि वे सदन के कार्य सम्पादन से सम्बन्धित हों । जिस कार्य का सम्बन्ध न्याय पालिका और कार्य पालिका से हो, वे विशेषाधिकार का प्रश्न यहां नहीं बनते. क्योंकि उनका सम्बन्ध यहां सदन के कर्तव्य-पालन से नहीं होता । जिस घटना का जिक्र किया गया, उसमें पहले भी मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं । यह माननीय सदस्य की गरिमा और मान का प्रश्न अवश्य है । अधिकारियों को चाहिए कि वे न केवल यह ध्यान रखें कि माननीय सदस्यों की बेइज्जती न होने पाय बल्कि उनको जो आदर दिया जाना चाहिये, वह अन्दर भी उनको दिया जाना चाहिये । उनकी बातों को सुनें और अपने विवेक के अनुसार कार्य करें । अगर उससे संतोष न हो तो माननीय सदस्य मन्त्रियों की दृष्टि में उसको लायें । लेकिन इस ओर मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस घटना का श्री कृष्णा राय जी ने जिक्र किया है, उसकी वह जांच करायें । जिस डाक्टर गुप्ता का विशेषरूप से उल्लेख किया गया है, वह वहीं के रहने वाले हैं और भूतपूर्व मन्त्री के पुत्र हैं । उनका स्वयं भी सम्बन्ध श्री कृष्णा राय जी द्वारा किसी प्रश्न के उठने पर उनके साथ अच्छा नहीं रहा है । तो इसके लिए वह (मुख्य मन्त्री जी) माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को निर्देश दें कि वह इसकी जांच करायें और यदि डा० गुप्ता का व्यवहार ठीक नहीं है, तो उनके खिलाफ समुचित कार्यवाही की जाय । इस निर्देश के साथ मैं इसको भेज रहा हूं । लेकिन यह सूचना ग्राह्य नहीं है ।

एक सदस्य--

जो कार्यवाही की जाय, उसको सदन के पटल पर भी रखा जाय ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री मोहन सिंह (देवरिया) ने एक सूचना मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना की दी है । कल वे नहीं थे, इसलिए स्थगित कर दिया था । उन्होंने इस सूचना में कहा है कि माननीय सदस्य श्री आरिफ मोहम्मद खां ने बिना नियम २७६ का अनुपालन किए हुए मन्त्रि-परिषद् से त्याग के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दिया था और श्री आरिफ मोहम्मद खां, माननीय सदस्य श्री राधे श्याम शर्मा के भाषण के मध्य न केवल शोर करते रहे, अपितु उन्होंने अव्यवस्थित रूप से सदन की कार्यवाही में बाधा डाली । श्री मोहन सिंह का कहना है कि उनके इस कृत्य से सामान्यजन में सदन की प्रतिष्ठा गिरी है और विधान सभा का मान घटा है ।

मैं मोहन सिंह से कहूंगा कि दो मिनट में कृपया वह अपनी बात को स्पष्ट कर दें कि क्यों वह यह प्रस्ताव करना चाहते हैं।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय लोकतन्त्र की जितनी भी संस्थायें हैं, उन पर इस समय गम्भीर संकट है। हम लोगों पर विधान सभाओं और लोक सभा की परम्पराओं की रक्षा का आज बहुत बड़ा दायित्व है। माननीय सदनों में जिस तरह के आचरण माननीय सदस्यों द्वारा होते हैं, उनसे बहुत उल्टा असर पड़ता है। हमारे माननीय सदस्य, श्री आरिफ मोहम्मद खां इस सदन के अन्दर दो हैसियत से बैठे हुए थे, उनकी एक हैसियत मन्त्रिमन्डल के सदस्य की थी और दूसरी हैसियत माननीय सदन के माननीय सदस्य की थी। मन्त्रि परिषद् की सदस्य की हैसियत से कोई भी मन्त्री परिषद् का सदस्य यदि सदन को गुमराह करता है और गलत तथ्य पेश करता है तो निश्चित रूप से विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस दिन के भाषण को अगर आप उठाकर पढ़ें तो माननीय उप-मन्त्री जी ने सदन में यह कहा कि अस्पताल के अन्दर ५० से भी अधिक लोग घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, जब कि उसी दिन माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि घायलों की संख्या अस्पताल में केवल ११ है। इस तरह से एक मन्त्रि परिषद् के सदस्य ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य की हैसियत से उनका यह दायित्व है कि सदन में व्यवस्था बनाए रखें। मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि कोई परम्परा नहीं है, कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन यदि सदन चाहे तो बहुत सारी चीजों को भी कन्टेम्ट की परिधि में लाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस जो मेज साहब ने लिखी है, की पुस्तक से कुछ उद्धरण पढ़ देना चाहता हूं....

It would be vain to attempt an enumeration of every act which might be construed into a contempt the power to punish for contempt being in its nature discretionary.....

श्री अध्यक्ष--

कौन सा पृष्ठ है और कौन सा एडीशन है?

श्री मोहन सिंह (देवरिया)--

मान्यवर पृष्ठ १३२ और १८वां एडीशन है। उसमें आगे लिखा हुआ है..

Certain principles may, however, be collected from the Journals which will serve as general declarations of law of Parliament. It may be stated generally that any act or omission which obstructs or impeds either House of Parliament in the performence of its functions, or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendency directly or indirectly, to produce such results may be treated as a contempt even though there is no precedent of the offence.

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री मोहन सिंह—]

मान्यवर, इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि यद्यपि इस तरह के आफ की कोई पुरानी परम्परा नहीं रही तो भी हाउस उसको कन्टेम्ट मान सकता है। इसी सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् १९६४ में महाराष्ट्र की विधान सभा के अन्दर विधान सभा के सदस्य, श्री जामवन्त धोते गुल गपाड़ा करते रहे, पर्चा फेंकते रहे, धरना दिया और महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्यों की उस सम्बन्ध में जांच कमेटी बैठाई गई और उनको सदन की सदस्यता से निलम्बित कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी आपातकालीन स्थिति के दौरान राज्य सभा के सदस्य श्री सुब्रह्मणियम स्वामी ने जो प्रस्ताव सामने रखा था, एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज किया। इस पर माननीय सदस्यों की एक समिति का गठन हुआ और उनके आचरण की समीक्षा की और उसके बाद माननीय सदस्य को सदन की सदस्यता से बरखास्त कर दिया गया था। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि सदन का यह कर्तव्य है कि इस तरह के आचरण को गम्भीर दृष्टि से देखें और इस तरह की घटनाओं पर अगर यह सदन गम्भीर रवैया नहीं अपनाता है तो सदन के अन्दर इस तरह की घटनायें आये दिन होती रहेंगी और माननीय सदस्यों का आचरण इस तरह का होता जायेगा। इस तरह माननीय सदन के सामान्य कार्य संचालन में भी अवरोध होता है। इस तरह का नोटिस आप को मिल चुका है। एक माननीय सदस्य ने सदन के ही अन्दर भूख हड़ताल की सूचना दी है। इस तरह की प्रवृति निरन्तर बढ़ रही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य, आरिफ साहब का उस दिन का जो आचरण था, वह माननीय सदन की परम्परा, मर्यादा और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। उनकी आचरण की छान-बीन के लिए माननीय सदन एक जांच समिति नियुक्त करे जो अपनी जांच रिपोर्ट सदन के समक्ष पेश करे, जिससे इस सदन की मर्यादा और परम्परा की सुरक्षा की जा सके।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, एक गम्भीर प्रश्न माननीय मोहन सिंह जी ने उपस्थित किया है। मुझे अपने प्रिय साथी सदस्य से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन वास्तव में यह प्रश्न हम सब लोगों से सम्बन्धित है। मान्यवर आरिफ साहब मन्त्रिमन्डल के सदस्य थे। उनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं, लेकिन उनका कुछ उत्तरदायित्व जरूर था। इसलिए इस सम्बन्ध में मोहन सिंह जी ने जो मर्यादा का प्रश्न उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, मैं ज्यादा समय न लेते हुए इसी सदन में जो व्यवस्था की गई हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। १७ मार्च, १९६९ से ११ मई, १९७३ (पुस्तक २) का संहत संकलन, पृष्ठ ३३ क्रम संख्या २८ पर मान्यवर, यह व्यवस्था दी गई थी, जिसे मैं लम्बा न पढ़कर इतना ही पढ़ना चाहता हूं, "लेकिन यह अनुचित है कि इस्तीफा देने वाला, जब तक उसका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, अपने को यह समझे कि वह मन्त्री नहीं है।" मान्यवर, आरिफ साहब ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हो जाता तब तक मन्त्रि मन्डल के सदस्य थे और उनका व्यवहार उसी हिसाब से होना चाहिये था। उन्हें मन्त्री के रूप में व्यवहार करना चाहिए था। उस दिन बहुत गम्भीर स्थिति प्रदेश में थी। उनका जो भाषण था, वह भाषण वास्तव में ऐसा था जो काफी सदस्यों के लिए दुखपूर्ण था ही लेकिन वह मन्त्रिमंडल के किसी सदस्य की मर्यादा के विरुद्ध था। दूसरी ऐसी घटना पहले भी हुई उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रथम पुस्तक अप्रैल, १९५२ से १९६७ तक संकलन, पृष्ठ २८५, क्रम संख्या १५५ के पैराग्राफ

का आखिरी वाक्य "सरकार के अन्दर जो पद धारण किये हुए हैं उन्हें मर्यादाओं का संरक्षण करना चाहिये जिससे प्रजातंत्र की पद्धतियां फलती और फूलती रहें।"

इसी पुस्तक के पृष्ठ २७१ पर क्रम-संख्या ११६ में लिखा है "सरकार के किसी मंत्री का सदन त्याग करना अशोभनीय है।"

ये व्यवस्थायें इसी सदन में अलग-अलग समय पर दी गयी हैं। इतना ही निवेदन मैं करना चाहता हूं कि हमारी राय में कुछ हो सकता है लेकिन मंत्रिमंडल का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है और माननीय आरिफ साहब का जो उस दिन का व्यवहार था, वह निश्चित रूप से जो प्रश्न मोहन सिंह जी ने उठाया है, उसके अनुरूप था।

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मुझे खुशी है कि इस सदन के माननीय सदस्य सदन की मर्यादा और सदन के माननीय सदस्यों का व्यवहार कैसा होना चाहिये इसके बारे में सजग हैं। उन्होंने इस प्रश्न को उठा कर ठीक ही किया है। इस बात पर रोशनी डाली है कि भले ही माननीय सदस्य अपने कर्त्तव्य के बारे में सजग न हों लेकिन आचरण कैसा हो इसके बारे में जरूर सजग हैं। (तालियां) मान्यवर, मैंने आपकी इजाजत मांगी और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि मैंने आज इस्तीफा दे दिया है। आपकी कुर्सी के करीब जा कर मैंने आपसे इजाजत मांगी और आपने बोलने की इजाजत दी। यदि वह नोटिस किसी के खिलाफ है तो मेरे खिलाफ नहीं बल्कि यह माननीय अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस है क्योंकि उन्होंने इजाजत दी कि मैं सदन में वक्तव्य दूं।

दूसरी बात यह कि माननीय मुख्य मंत्री के बयान का जिक्र किया गया। माननीय मुख्य मंत्री ने इस माननीय सदन में यह कहा था कि ११ व्यक्ति अस्पताल में हैं। अच्छा होता कि माननीय सदस्य, मोहन सिंह और तोमर साहब उन इलाकों में जाते जहां कि 11 साल के बच्चों की गर्दन को मरोड़ दिया गया उनके सरों को कुचला गया और उनकी टांगों को तोड़ा गया, उनकी हमदर्दी में वे दो शब्द कहते, लेकिन ऐसा नहीं किया। वाकया यह है कि उन मरीजों को अस्पताल से मामूली पट्टी बांध कर जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया ताकि सरकारी रिपोर्ट में ज्यादा जख्मी न दिखाये जा सकें लेकिन माननीय सदस्यों को इसकी चिन्ता नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था सदन में जब लखनऊ में ५ मौतें हो चुकी थीं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने अपने कक्ष में मुझसे कहा कि तुम्हें गलत खबर मिली है, कोई नहीं मरा है, सब हालात ठीक हैं। (शेम, शेम की आवाजें) माननीय मुख्य मंत्री के गलत वक्तव्य के खिलाफ माननीय मोहन सिंह ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, न माननीय तोमर जी ने ही कोई आपत्ति की, लेकिन मेरे यह कहने पर कि ज्यादतियां हो रही हैं, ५० आदमी अस्पताल में हैं उन्होंने मेरे खिलाफ आपत्ति उठा दी। ५० नहीं, ५० से ज्यादा लोग अस्पताल में थे। मैंने अपने पर नियंत्रण रख कर कम तादाद बतलाई थी। माननीय मोहन सिंह मेरे सच बोलने पर सजा जरूर दिलवायें, मैं तैयार हूं। यह नोटिस पक्षपातपूर्ण है। इसके अलावा हिन्दुस्तान में अब यह परिपाटी चल गई है कि अपने भाइयों, दोस्तों तथा गरीब लोगों की जान का सौदा कर लो तो उतना ही बड़ा पद मिल जायगा। कई मंत्री पद आज रिक्त भी हैं, इसीलिए मेरे खिलाफ यह नोटिस दिया गया ताकि शासन को हमदर्दी हासिल की जा सके और इस प्रकार कुछ सेवा करने का मौका भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री आरिफ मोहम्मद खां---]

ज्यादा मिल जायगा । यह नोटिस पक्षपातपूर्ण क्यों है, इसका जिक्र करते हुए मैं यह अर्ज करूंगा कि मैं अकेला सदस्य नहीं था जिसने धरना दिया था, मैं अकेला सदस्य नहीं था जिसने जोर से बोला था और जिसका रवैया ऐसा था । अगर माननीय मोहन सिंह का रवैया पक्षपातपूर्ण न होता अगर किसी और जगह पर उनकी नजर न होती, जहां उनकी नजर है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर तथा शोरगुल होने पर) ।

श्री अध्यक्ष---

आप लोग शान्त रहिये । आप बैठ जायं । माननीय आरिफ, मैंने आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया है । आप अपनी सफाई में किसी पर आक्षेप न करें । (शोरगुल होने पर) आप लोग खामोश क्यों नहीं रहते ? मैं आरिफ साहब से कह रहा था कि वह किसी पर आक्षेप न करें । उनका रवैया पक्षपातपूर्ण था तो आप दलील दे सकते हैं कि और लोगों ने भी व्यवधान डाला और मैंने भी डाला तो आपने औरों के खिलाफ नोटिस क्यों नहीं दिया ? इस प्रकार से मैं चाहूंगा कि आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां---

ठीक है मान्यवर मैं अर्ज कर रहा था कि यह नोटिस अकेले मेरे खिलाफ दिया गया है । यह नोटिस उन माननीय सदस्य ने दिया है जिनको पचासियों दफा मैंने यह कहते सुना है अपने कानों से २० महीने पहले कि भारत की पार्लियामेंट और उत्तर प्रदेश की विधान सभा बांझ हो चुकी है । इस तरह बांझ शब्द का इस्तेमाल पार्लियामेंट तथा विधान सभा के लिए उन्होंने किया । मैं तो यहां तक कहता हूं कि उनका राजनैतिक आचरण यह रहा है जब कोई भी आदमी बोलने खड़ा हो जाता है तो वह अपनी जगह शोर मचाते हैं और इसी तरह उनका स्वयं का आचरण उस परिधि में आ जाता है जहां उनको यह ख्याल करना पड़ेगा कि वह स्वयं भी सदन की मर्यादा बरकरार रखते हैं या नहीं रखते हैं ।

एक बात और अर्ज करूंगा मान्यवर, श्री सुब्रह्मणियम स्वामी के इस्तीफे का जिक्र किया गया । यही बदकिस्मती है हमारी कि शासन में आने से पहले जिन बातों को हम बुरा कहते थे आज उन्हीं की मिसाल देते हैं । माननीय सुब्रमणियम स्वामी जब निकाले गए तो उस समय मोहन सिंह जी तथा सभी सदस्य जो इस पक्ष में है इस बात की कड़ी निंदा किया करते थे और कहते थे कि यह तानाशाही का दूसरा रूप है । लेकिन आज माननीय मोहन सिंह जी उसे तीसरे रूप में लदवाने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि वह सजा जो भी दिलवायेंगे, सजा कबूल करने के लिए तैयार हूं लेकिन जैसे पहले हमने तानाशाही का मुकाबला किया, उसी तरह इस तानाशाही का भी मुकाबला किया जायेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सुब्रह्मणियम स्वामी जी के मामले में पिछली सरकार ने जो अपने बहुमत का नंगा नाच दिखाया और उनको सदन से निष्कासित किया उस सरकार के रवैये को मैं सच अर्ज करता हूं कि आज अपनाने के लिए मोहन सिंह जी कह रहे हैं कि यह सरकार भी अपने नागरिकों के लिए अपनाये । मान्यवर, मैं मिसाल देता हूं परसों की, माननीय मुख्य मंत्री जी और सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी कानपुर में ६ बजे तक घूमे और उसी दिन रात में १० बजे पी० ए० सी० के लोग एक घर में घुस जाते हैं और उस घर में एक लड़की की शादी होने वाली थी उसके दहेज को लूट कर ले जाते हैं । उस घर की औरतों के साथ जो व्यवहार करते हैं वह शर्मनाक है । कल मौलाना बुखारी साहब और मैं वहां जाते हैं तो औरतें शर्म से मुंह नहीं दिखाती हैं । मान्यवर, मैं यह नहीं

कह रहा हू बल्कि कानपुर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे मालूम कीजिए। इन दो तीन सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जा चुका है। तो यह सब किस तरह से हुआ है जहां माननीय मुख्य मंत्री जी और सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ६ बजे तक मौजूद थे, वहां यह घटना घटे इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है ? (व्यवधान)।

मान्यवर, मैंने अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया। हो सकता है कि मैंने मर्यादा तोड़ी हो, हो सकता है कि मैंने डिसिप्लिन तोड़ा हो लेकिन जब जान पर आ जाती है, जब लाल खून देखा जाता है, जब भाई के गले को कटा हुआ देखा जाता है तो मान्यवर, मर्यादा की सीमा में नहीं रहा जाता है और जज्बात उभर आते हैं। मैंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है, हो सकता है मैंने मर्यादा जरूर तोड़ी हो, मैं नहीं कहता कि मैंने नहीं तोड़ी लेकिन मैंने वसूल का पालन किया। उसूल मैंने नहीं तोड़ा। यह लोग वहीं हैं जिन्होंने उन वसूलों को तोड़ा जिन वसूलों के आधार पर चुनाव जीत कर आये थे।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न है यह नियम ६३ में आता है और औचित्य का प्रश्न आप देखें तो वह ३०१ में आता है। दोनों अलग-अलग प्रश्न हैं। दो प्रश्न हैं एक तो विशेषाधिकार का है और एक औचित्य का है। अगर औचित्य के प्रश्न को और विशेषाधिकार के प्रश्न को एक करके मिलाया जाय तब तो उसमें मान्यता दी जा सकती है। यदि देखा जाय तो उस दिन जो हुआ और प्रतिदिन जो हो रहा है, जिस तरह से औचित्य की बात है, मर्यादा की बात है, उसमें कोई व्यवधान अनुचित है और वह सदन का अपमान है। लेकिन अगर केवल उस बात को लेकर मर्यादा रहित बात को लेकर अपमान के प्रश्न आते रहे तो साल भर यह सदन विशेषाधिकार समिति में बैठा रहेगा। क्योंकि उधर से और इधर से ऐसे लोग हैं जो व्यवधान करते हैं और चीख कर करते हैं, बोलने नहीं देते हैं। उस दिन माननीय आरिफ साहब बोलने खड़े हुए उस पर व्यवधान हुआ और आपने सदन को स्थगित कर दिया। उसके बाद भी व्यवधान हुआ। यहां पर मेरे कहने का मतलब दफा ३०० (५) में आप देखें उसमें कहा गया है---'औचित्य का प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है, औचित्य का प्रश्न यह हो सकता है लेकिन औचित्य का प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न कदापि नहीं होता।

आप बार-बार कहते हैं, जब हम यहां प्रश्न उठाते हैं, आप आदेश देते हैं कि मंत्रीगण ७ दिन के अन्दर शून्य प्रहार के समय उठाई गई सूचनाओं के उत्तर हम लोगों को दें, वह औचित्य की बात है, लेकिन २०-२० दिन हो जाते हैं, मंत्री जी उन पर जानकारी या सूचना नहीं देते हैं। आपके बार-बार कहने पर भी नहीं देते हैं। आप बार-बार निर्देश देते हैं, वह उचित है, लेकिन उसको आप विशेषाधिकार में परिवर्तित नहीं करते। तो एक विशेषाधिकार के प्रश्न की बात है और एक औचित्य की बात है दोनों चीजें अलग-अलग हैं। जो मोहन सिंह जी लाए हैं, वह औचित्य की बात होते हुए भी, जो आज नित्य आ रहे हैं, औचित्य और अवमान की बात होते हुए भी विशेषाधिकार की बात कदापि नहीं है। इस धारा ३०० की पांचवीं उपधारा में लिखा हुआ है कि औचित्य का प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। इसलिए यह प्रश्न कदापि विशेषाधिकार समिति को नहीं जाना चाहिए। यह यदि जायेगा तो यह एक बहुत गलत परिपाटी होगी।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मोहन सिंह जी ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, उसका कोई औचित्य नहीं है। श्रीमन्, यह सदन समाज का एक प्रतिबिम्ब है। हमारे समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं, प्रदेश में जो कुछ होता है, उनका यहां पर प्रतिबिम्बित होना स्वाभाविक है। आरिफ मोहम्मद साहब ने जो भी आचरण किया, उसे यहां कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी किया और वे उनके द्वारा यहां समाज की घटनाओं के प्रतिबिम्ब स्वरूप ही घटित हुईं। जिन उदाहरणों को तोमर जी और मोहन सिंह जी ने दिया है, उनका कोई सम्बन्ध इस प्रश्न के सन्दर्भ में उठाने का औचित्य नहीं है। यह कोई औचित्य नहीं रखता है। श्री सुब्रहमणियम स्वामी और घोसे साहब का सवाल दूसरा था। वह जान-बूझकर हिंसक घटना थी। उसका कोई सम्बन्ध इससे नहीं है। जहां तक मंत्रि परिषद् के सदस्य होने का सवाल है आरिफ साहब ने दृढ़ निश्चय किया इस्तीफे का और जिस वक्त दृढ़ निश्चय के साथ इस्तीफा दे दिया और वह यह मानते हैं कि वह मंत्री नहीं हैं, तो मुख्य मंत्री उसे मानें या साल भर बाद मानें, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब उन्होंने मान लिया कि वह मंत्री नहीं हैं, तो वह केवल मात्र सदस्य के रूप में रहे हैं।

जहां तक गलत सूचना देने की बात है, तो उनकी बात गलत कैसे है? मैंने खुद अनुभव किया है और देखा है इस चीज को अपनी आंखों से। पचासों घायलों की मरहम पट्टी करके उन्हें वापस घर भेज दिया गया था। मैं सिटी स्टेशन गया था और मैंने वहां स्वयं अपनी आंखों से देखा है पट्टी बांध-बांध कर अस्पतालों से लोगों को वापस किया जा रहा है। इसके अलावा जहां तक सूचना की बात है आज भी मान्यवर, आपने दो तीन शोधन-वक्तव्य स्वीकार किए हैं। संजय गांधी पर फर्जी गोली चलाने के मामले को लेकर जो जांच चल रही थी, उसके बारे में कई बार कई माननीय सदस्यों ने पूछा कि उस बारे में अन्तरिम रिपोर्ट आई है या नहीं और बार-बार मुख्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि कोई अन्तरिम रिपोर्ट नहीं आई है। किन्तु आज शोधन वक्तव्य में कहा गया है कि दो अन्तरिम रिपोर्ट आयी हैं। तो इन चीजों को देखते हुए क्या कभी तोमर जी व मोहन सिंह जी ने यह गवारा किया है कि वे मुख्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठावें कि मुख्य मंत्री ने जानबूझकर गलत बयानी किया है। अपने एक नौजवान साथी के खिलाफ यह प्रश्न उठाया है, जिसने अपने जजबात को यहां प्रकट किया, जबकि अनेक सदस्यों ने उस मौके पर यही कुछ कहा और किया है। तो फिर एक सदस्य के खिलाफ इस तरह से यह प्रश्न उठाना उचित नहीं है। यह गलत कार्य कुछ सदस्यों ने किया है। अतः इसे आप अस्वीकार करें और जनभावनाओं का आदर करें।

श्री अध्यक्ष—

(कई सदस्यों के खड़े पर) मैं अब किसी को नहीं सुनूंगा, अब इस पर विवाद नहीं होगा। मैं इसमें अपनी व्यवस्था दूंगा। नियम में अध्यक्ष का कर्त्तव्य है, या तो स्वयं निर्णय करें या सम्बन्धित पक्षों को अवसर दें। मैंने श्री मोहन सिंह, श्री सोहन वीर सिंह तोमर और श्री आरिफ को सुना। उसके बाद अन्य माननीय सदस्यों को भी इस सम्बन्ध में सुना। इसमें अधिक वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है। मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) मैं कोई अवसर नहीं दूंगा, बैठ जाइये। आप बैठिये। मैं आपसे कहना चाहता हूं मैं अवसर नहीं दूंगा। बैठ जाइये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष—

अगर आपका परामर्श चाहूं तभी तो देंगे। इस पर आपके परामर्श की आवश्यकता नहीं है। आप बैठिये। इस पर कोई बात नहीं होगी। इस प्रकार से सदन में आप व्यवधान डाल रहे हैं। आप मर्यादा का प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं और मैं खड़ा हूं, आप अवज्ञा कर रहे हैं। मेरे खड़े होने के बाद आप स्वयं अवज्ञा कर रहे हैं। आप बैठ जाइये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं विनम्र .....

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा। आप बैठ जाइये। जनार्दन प्रसाद जी से मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ माननीय तोमर और माननीय मोहन सिंह जी ने सदन के अवमान का प्रश्न उपस्थित किया, लेकिन जनार्दन जी प्रत्यक्ष सदन का अवमान कर रहे हैं, जब मेरी व्यवस्था की अवज्ञा कर रहे हैं। आप बिना अध्यक्ष की अनुमति के नहीं बोल सकते हैं, आप बैठिये। मैं आपसे कहूंगा, आप बैठ जाइये। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप लोग शान्त रहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मोहन सिंह जी से, मैं निवेदन करूंगा .....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये इस पर कोई बहस की इजाजत नहीं है। मुझे और इस पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आप शान्त रहिये।

श्री मोहन सिंह जी का श्री आरिफ मोहम्मद के खिलाफ एक तो अभियोग यह है कि उपमंत्री के नाते उन्होंने नियम २७६ की अवहेलना की और स्वयं अपना वक्तव्य दिया। दूसरे जब माननीय राधेश्याम जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने उनके भाषण के बीच व्यवधान डाला। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उनका वक्तव्य उनसे भिन्न था और उससे सदन को गुमराह किया, यद्यपि यह विशेषाधिकार की सूचना में उन्होंने इसको शामिल नहीं किया था। चौथा आरोप माननीय मोहन सिंह जी का यह है कि वह सामने आ कर बैठ गये। इस सम्बन्ध में नियम २७६ के अनुसार यह किसी भी मंत्री का अधिकार है कि उन्होंने त्यागपत्र दिया है तो वह वक्तव्य दें। लेकिन

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री अध्यक्ष]

उनके लिए यह शर्त है कि एक दिन पहले वह अपने वक्तव्य की सूचना अध्यक्ष, विधान सभा और माननीय मुख्य मंत्री को दें। तो जहां तक श्री आरिफ साहब का प्रश्न है, मैंने इस सम्बन्ध में कार्यवाही देखी। वह मेरे कक्ष में गये थे। वह अनुमति चाहते थे। मैंने वक्तव्य देने की अनुमति उस दिन उनको नहीं दी थी। मैंने उनसे कहा था कि उनको वक्तव्य देने का अधिकार है लेकिन कल इजाजत दी जा सकती है, मैंने नियम का हवाला दिया। लेकिन जब श्री आरिफ साहब खड़े हुए, मेरी अनुमति से वह अपने त्यागपत्र पर कोई वक्तव्य नहीं दे रहे थे। शिया-सुन्नी के वाद-विवाद पर कई सदस्यों ने भाग लिया था और मैंने श्री आरिफ को भाषण देने के लिए अनुमति दी थी। उन्होंने अपना वक्तव्य देते हुए यह कहा कि मैंने त्यागपत्र दिया है। इसलिए जहां तक नियम २७६ का प्रश्न है उसका उल्लंघन नहीं किया था।

माननीय राधेश्याम शर्मा जिस समय भाषण दे रहे थे, उस समय श्री आरिफ और बहुत से सदस्यों ने व्यवधान डाला। इस समय नियम २९९ के अन्तर्गत हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहिये था। जो व्यक्ति उस समय व्यवधान डाल रहे थे उनको सदन से निष्कासित कर सकता था। उनको सदन से बाहर निकालने का अधिकार अध्यक्ष को है और इस अधिकार का प्रयोग भी इस पीठ से किया गया है, लेकिन उस रोज की स्थिति इस तरह की थी कि माननीय आरिफ अकेले नहीं थे। माननीय आरिफ के अतिरिक्त यहां पर बहुत से सदस्य मेरे सामने आकर सदन के खाली स्थान पर बैठे, श्री आरिफ बहुत देर में आये थे, इसलिए मैंने सदन को स्थगित कर दिया। नियम २९९ के अनुसार मैंने सदन को स्थगित कर दिया, शान्ति स्थापित करने के लिए। इस प्रकार की दुखद घटनाएं सदन में होती हैं और सदन में समय-समय पर व्यवधान होता है और माननीय सदस्यों के लिए जो आचार संहिता है उसका पालन नहीं किया जाता है। अभी सुब्रामणियम स्वामी का जिक्र किया गया। मैं वहां पर उपस्थित था, दूसरे सदन के बारे में यहां पर कहना उचित न होगा। जिस तरह से उनको निष्कासित किया गया उसके विरोध स्वरूप हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया था और मैंने स्वयं अपने भाषण में कहा था कि श्री सुब्रामणियम स्वामी के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उनको अवसर न देकर उनका गला घोंटा जा रहा है और श्री सुब्रामणियम स्वामी को सदन से निष्कासित करने पर तानाशाही की गयी है यह मैंने स्वयं कहा था और हमने सदन का त्याग किया था और जो विशेषाधिकार समिति थी उसमें भी यह पक्ष रखा गया था। श्री सुब्रामणियम स्वामी पर आरोप दूसरी प्रकार के थे, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, वह बिना इजाजत चले गये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी तरह का १९६७ में एक प्रश्न उपस्थित किया गया था, २४ जुलाई को जब एक डिप्टी मिनिस्टर सरकार के विरुद्ध इस सदन को त्याग कर चले गये, उस समय श्री कृष्णा नन्द राय ने यह प्रश्न उपस्थित किया था तो उस पर अध्यक्ष पीठ से यह निर्णय किया गया था कि उप मंत्री द्वारा सदन का त्याग करना अशोभनीय है। इसलिए सदन का त्याग करना जब तक त्याग पत्र स्वीकार न हो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं है, लेकिन यह अशोभनीय अवश्य है, जहां तक सदन की कार्यवाही में रूकावट डालने का प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के अन्दर मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस में इसके सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। जिसमें यह कहा गया है कि कार्य के संबंध में अपमान का प्रश्न है या नहीं, उसमें क्या सजा मिलनी चाहिये यह तो विवेक जैसा प्रश्न होता है। लेकिन साथ ही साथ बड़ी पत्रिकाओं और लेखों के अनुसार इस बात का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पार्लियामेन्ट का नियम क्या है? यह आम तौर से कहा जा सकता है

कि कोई भी कार्य या किसी भी कार्य की अवहेलना करना जिससे कि सदन के कार्य में रुकावट आती हो, इसके कार्य संचालन के अंदर या उसके किसी अधिकारी को, किसी सदन के सदस्य को अपना कार्य सम्पादन में बाधा पड़ती हो, तो जैसा उपबंध है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिससे ऐसा नतीजा निकल सकता हो जो कि सदन के अपमान की परिधि में आता हो तो यह सदन में व्यवधान पड़ना है। उसके लिए बड़ी कठोर सजायें भी हैं ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में पूर्णतया सदस्य को पूरे अपने कार्य काल के लिये निकाला जा सकता है। लेकिन जहां तक इस प्रश्न का सवाल है जिसको माननीय मोहन सिंह ने उठाया है, जैसा मैंने अभी आपके सामने कहा कि नियम २७६ का उल्लंघन नहीं हुआ था क्योंकि एक दिन पूर्व सूचना दे करके वक्तव्य दे सकते थे। लेकिन वह शिया-सुन्नी विवाद के ऊपर बोलते रहे जिसके बाद राधेश्याम जी के भाषण पर उन्होंने व्यवधान डाला। तो यह ऐसा प्रश्न है और उसको भी माननीय सदस्यों के कार्य, अपमान या विशेषाधिकार की अवहेलना प्रत्यक्षतया सदन के सामने हुई हो तो उसी वक्त सदन उसको संज्ञान ले सकता था। उस समय सदन के किसी सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया। लेकिन यह विचारणीय प्रश्न है। न केवल किसी नियम का पालन करना आवश्यक होता है, बल्कि नियमों के पालन में संयम और विवेक की आवश्यकता होती है। यदि आप मेरे सामने यह बात लाते तो क्या जितने माननीय सदस्य विक्षुब्ध थे, दुखी थे, जिनके मन के अंदर क्लेश था, जिनके हृदय व्यथित थे तो क्या यह विवेकपूर्ण कार्य होता कि जो माननीय सदस्य मेरे सामने बैठे थे, उन्हें सदन से निष्कषित किया जाता या उनके खिलाफ विशेषाधिकार का कोई प्रश्न लाया जाता। इसलिए यह जो नियम २९९ (६) के अंदर लिखा हुआ है कि सदन में घोर अव्यवस्था होने की दशा में अध्यक्ष किसी उपवेशन को ऐसे समय के लिए जिसे वह निर्धारित करें, निलंबित कर सकेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि यह सजा उन सब लोगों के लिए काफी थी कि नियम २९९ (६) का प्रयोग करके सदन को मैंने निलंबित कर दिया। इसलिये इससे विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है। मैं इसको अग्राह्य करार देता हूं।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई है :

१—श्री अजीत सिंह सेठी, सदस्य विधान सभा (मेरठ) की गिरफ्तारी की सूचना दिनांक ४ अक्तूबर, १९७७ को सदन में दी गई थी। जिसमें यह सूचित किया गया था कि माननीय सदस्य दिनांक ४ अक्तूबर, १९७७ को पूर्वान्ह १० बजे इंडियन क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट तथा आई० पी० सी० की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के पत्र दिनांक ४ अक्तूबर, १९७७ जो इस सचिवालय में दिनांक ५ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री अजीत सिंह सेठी को ३/४ अक्तूबर, १९७७ की रात्रि के एक बजे बंदी कर लिया गया है और उन्हें १-१० बजे अपरान्ह में मेरठ जेल में रखा गया है।

२—जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के पत्र दिनांक ४ अक्तूबर, १९७७ जो इस सचिवालय में दिनांक ५ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री मंजूर अहमद, सदस्य, विधान सभा (मेरठ) को भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ एवं क्रिमिनल अमेंडमेंट ऐक्ट की धारा ७ के

[श्री अध्यक्ष]

अन्तर्गत दिनांक ४ अक्तूबर, १९७७ को प्रातः १०-३० बजे बंदी कर लिया गया है और उन्हें इस समय १-१० बजे अपरान्ह में मेरठ जेल में रखा गया है।

३--सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, हमीरपुर के वायरलेस मैसेज दिनांक ४ अक्तूबर, १९७७ जो इस सचिवालय में दिनांक ५ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री मोहन लाल, सदस्य विधान सभा (हमीरपुर) को दिनांक ४ अक्तूबर, १९७७ को १-३० बजे अपरान्ह सी-आर० पी० सी० की धारा १५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और जिला जेल, हमीरपुर भेजा गया।

४--जिला अधिकारी, रायबरेली, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, रायबरेली तथा अधीक्षक, जिला जेल, रायबरेली के वायरलेस मैसेज दिनांक ४ अक्तूबर, १९७७ जो इस सचिवालय में दिनांक ५ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हुए हैं, के अनुसार श्री राम देव यादव, श्री मन्नू लाल द्विवेदी तथा श्री मोहन लाल त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा (रायबरेली) को दिनांक ४ अक्तूबर, १९७७ को आई० पी० सी० की धारा १८८ के अन्तर्गत सी-आर० पी०सी० की धारा १४४ के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों माननीय सदस्य रायबरेली जेल में रखे गये हैं।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

विरोध पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को गिरफ्तार करवा लें ?

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)--

बड़े शर्म की बात है कि माननीय नेता विरोधी दल गिरफ्तार हैं और उप नेता सदन में बैठे हैं।

श्री सत्य देव त्रिपाठी (जिला इटावा)--

अगर ये कोई काम पकड़े जाने का करेंगे, तो अवश्य पकड़े जायेंगे।

दिनांक २७ सितम्बर, १९७७ को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३ के अनुपूरक प्रश्न के संबंध में शोधन वक्तव्य

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

मान्यवर, दिनांक २७ सितम्बर, १९७७ को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३ के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो अनुपूरक प्रश्न पूछे थे और उस समय सदन में जो उत्तर दिये गये थे, वह ठीक नहीं थे जिसका पता बाद में चला। पूछे गये अनुपूरक प्रश्न और उस समय सदन में दिए गये उत्तर और सही उत्तर निम्न प्रकार हैं :

किया गया प्रश्न--

मान्यवर, जब लोक सभा चुनाव के दौरान सुल्तानपुर जिले में श्री संजय गांधी पर कथित गोली कांड, जो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था, उसकी जांच हो रही है और क्या कोई जांच रिपोर्ट अब तक शासन को प्राप्त हुई है, यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

दिया गया उत्तर--

श्रीमन्, कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई।

सही उत्तर--

दो अंतरिम रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

दिनांक २७ सितम्बर, १९७७ को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

किया गया प्रश्न--

मान्यवर, मैंने कहा था कि समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है, क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है ?

दिया गया उत्तर--

श्रीमन्, अखबारों में क्या प्रकाशित हुआ, इसकी जानकारी नहीं है और कोई अन्तरिम रिपोर्ट भी नहीं आई । १० अगस्त, २६ अगस्त और अन्त में १७ सितम्बर को पत्र भेज दिया गया है कि इसकी रिपोर्ट तुरन्त भेज दी जाय ।

सही उत्तर--

अखबारों में क्या प्रकाशित हुआ, इसकी जानकारी नहीं है । दो अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं । १० अगस्त, २६ अगस्त और अंत में १७ सितम्बर को पत्र भेज दिया गया है कि इसकी अंतरिम रिपोर्ट भेज दी जाय ।

मूल्य प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न हैं ।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १५९ पर)।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है यदि आप आज्ञा दें तो मैं २ प्रश्न पूछ लूं ?

श्री अध्यक्ष--

आप तो नियमों के ज्ञाता हैं । इसमें कोई प्रश्न नहीं हो सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप से प्रार्थना कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, इसमें प्रश्न नहीं हो सकते हैं । यह तो शोधन वक्तव्य है ।

दिनांक ७ सितम्बर, १९७७ को श्रीमती रामरति देवी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

अध्यक्ष महोदय, दिनांक ७ सितम्बर, १९७७ को श्रीमती रामरति देवी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २७ के सम्बन्ध में श्री सुखपाल पान्डेय ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने का कब तक लक्ष्य है ? उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि जल्दी ही शुरू किया जायगा और ख्याल है कि इसी वर्ष जुलाई तक पूरा हो जायगा ।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है कि जल्दी ही शुरू किया जायगा और ख्याल है कि दो वर्ष में पूरा हो जायगा ।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न हैं ।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १६० पर) ।

रायबरेली में श्रीमती इंदिरा गांधी की जन सभा में हुई कांग्रेस तथा जनता पार्टी में मारपीट के संबंध में वक्तव्य

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

दिनांक १८ सितम्बर, १९७७को

[श्री लक्ष्मण सिंह---]

राजकीय इन्टर कालेज, रायबरेली के मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी की जन सभा का आयोजन किया गया था। जन सभा की कार्यवाही चार बजे अपरान्ह से आरम्भ हो गयी थी और इसमें लगभग ५०,००० व्यक्तियों का समूह था। श्रीमती गांधी सभा स्थल पर ४-३० बजे पहुंची। बताया जाता है कि जैसे ही उन्होंने अपना भाषण आरम्भ किया जनता पार्टी के कार्यकर्ता, श्री बच्चू लाल शुक्ला ने श्रीमती गांधी से प्रश्न किया कि वह विदेशों में जमा अपने ३५० करोड़ रुपये के बारे में स्पष्टीकरण दें। लगभग उसी समय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संख्या में ५० के लगभग थे "इन्दिरा गांधी वापस जाओ" और "इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद" के नारे लगाए। कुछ ने काले झंडे भी दिखाए। उसी समय झगड़ा प्रारम्भ हो गया और अनुमानतः ५-६ मिनट रहा।

२---घटना की सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंच गए तथा स्थिति पर नियन्त्रण किया। स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस व्यवस्था में भी ऐसा संशोधन किया गया कि दोनों दल के लोग आमने सामने न होने पायें। दोनों दलों के बीच की दूरी बढ़ा दी गई और उनके बीच पुलिस कर्मचारियों की एक दीवार बना दी गई। यह व्यवस्था तीन चार विभिन्न स्थानों पर करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि जनता एवं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर मौजूद थे। यथावत् व्यवस्था लगातार कर दी गई थी तथा उसके बाद कोई घटना घटित नहीं हुई।

३---इस घटना में जनता पार्टी के ९ व्यक्तियों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में डाक्टरों के दल ने घायलों की जांच की। उनकी रिपोर्ट के अनुसार सभी को साधारण चोटें आई थीं। ३ व्यक्ति १८ सितम्बर, १९७७ को भर्ती किए गए और २ व्यक्ति १९ सितम्बर, १९७७ को स्वतः भर्ती हुए। शेष का प्राथमिक उपचार कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ और लोगों को चोट लगने की मौखिक जानकारी प्राप्त हुई परन्तु सम्भवतः उनकी चोटें इतनी मामूली थीं या खरोंच थीं कि उन्होंने डाक्टरी उपचार कराने की आवश्यकता नहीं समझा।

४---इस संबंध में १८ सितम्बर, १९७७ को सायंकाल ७-३० बजे जनता पार्टी के सदस्य श्री बच्चू लाल शुक्ल ने थाना कोतवाली रायबरेली में रिपोर्ट लिखाई जिसमें २४ व्यक्तियों को नामांकित किया गया और मुकदमा अपराध संख्या ६९७ धारा १४७/३०७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। नामांकित व्यक्तियों में से अब तक १७ व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं। इन में से १६ को चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ जमानत पर छोड़ दिया गया है कि अभियुक्तगण पार्टी की ओर से निकाले गये जुलूस व आयोजित जन सभाओं में न तो भाग लेंगे और न ही आयोजन करेंगे। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध भा० दं० प्र० सं० की धारा ८२/८३ के अन्तर्गत चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है परन्तु अभी आदेश नहीं हुए हैं।

५---दूसरी ओर श्री मन्नू लाल द्विवेदी, विधायक (कांग्रेस) ने १८ सितम्बर, १९७७ को सायंकाल ८ बजे थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई जिसमें एक व्यक्ति को नामांकित किया गया और ८-९ व्यक्ति अज्ञात बताये गये। इस रिपोर्ट के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या ६९९ धारा १४७/३२३/५०४/५०६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम किया गया। डाक्टरी मुआयने की कोई रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हुई है। वादी के कोई जाहिरा चोट नहीं थी और उनकी

इच्छानुसार उन्हें डाक्टरी मुआयने के लिए नहीं भेजा गया। श्री द्विवेदी ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि जनता पार्टी के लोगों ने उनका गला पकड़ा था और बैग छीन लिया था। बैग को कुछ व्यक्तियों के हस्तक्षेप पर वापस कर दिया गया।

६—२२ सितम्बर, १९७७ को जनता पार्टी के एक अन्य सदस्य, श्री अवधेश सिंह ने सायंकाल ८-३० बजे थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई जिसमें श्री सुरेश चन्द्र गौड़ को नामांकित किया गया। श्री गौड़ मुकदमा अपराध संख्या ६९७ धारा १४७/३०७ भा० दं० वि० में नामांकित अभियुक्तों में से एक है। उनको २३ सितम्बर, १९७७ को गिरफ्तार किया जा चुका है।

७—इस घटना के पश्चात् रायबरेली में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। परन्तु दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में पारस्परिक मन-मुटाव सक्रिय है। प्रशासनिक प्रबन्ध के बारे में मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दे दिये गये हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली ने २७ सितम्बर, १९७७ को अपनी जांच प्रारम्भ कर दी है। उनको निर्देश दिये गये हैं कि १० दिन में अपनी आख्या दें। इस बात के भी निर्देश दिये गये हैं कि दो पुलिस सब-इन्सपेक्टरों द्वारा जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटने के कथित आरोपों के संबंध में भी वह जांच आख्या प्रस्तुत करेंगे। जांच के उपरान्त आख्या के अनुरूप तत्काल कार्यवाही की जायगी।

८—जनपद की स्थिति नियन्त्रण में है। गश्त जारी है और स्थिति पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री !

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, इस पर एक दो प्रश्न....।

श्री अध्यक्ष—

यह आप जानते हैं कि केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था और आपके पास यह वक्तव्य है। कल आप इसको विवाद के लिये उठाइयेगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

एक दो, बस....।

श्री अध्यक्ष—

यह परम्परा डालूंगा तो फिर मेरे लिये रोकना मुश्किल हो जायगा क्योंकि मैंने ५१ में तो स्वीकार नहीं किया था, केवल वक्तव्य के लिये मैंने निर्देश किया था।

श्री श्याम धर मिश्र—

यह तो बड़ा भ्रामक हो जाता है, श्रीमन्।

श्री देव बहादुर सिंह—

एक बात जानना चाहूंगा। आपने सरकार को आदेश दिया कि वक्तव्य दें। वक्तव्य वह कभी भी दे दे। वह तो जब तक स्पष्टीकरण न हो तब तक सफाई नहीं हो पाती।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५६ के अनुसार काम रोको प्रस्ताव माननीय तिवारी जी ने पेश किया था और नियम ५१ के अनुसार श्री शत्रुद्ध प्रकाश जी ने दिया था। इसलिये दोनों पर वक्तव्य के लिये मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को कहा था। अब कल इसको रखिये।

श्री श्याम धर मिश्र—

निवेदन यह है कि वक्तव्य आपकी कृपा से आया। लेकिन जो हम लोगों की शंकायें हैं उनके बारे में १-२ प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिये वरना किस अवसर पर हम पूछ सकेंगे। कुछ बातें भ्रामक लगती हैं। इसके बाद कभी अवसर नहीं मिलेगा, सफाई करने का।

श्री अध्यक्ष—

इसमें जो मुद्दा काम रोको प्रस्ताव में और साथ ही ५१ में उठाया था उसका उत्तर दिया है। आप स्वयं जानते हैं कि कोई विवाद तो होता नहीं है। अगर ५१ में स्वीकार किया होता तो मौका दिया जा सकता था। ज्यादा देर नहीं, कल ही आपको अवसर मिलेगा विस्तार से इस पर विचार करने का।

श्री श्याम धर मिश्र—

यह ५६ में है नहीं क्योंकि आपने आज्ञा नहीं दी। ५१ में है नहीं क्योंकि उसमें हम सवाल करते। शून्य प्रहर में है नहीं क्योंकि उसमें दिया नहीं। आपने अब मिश्रित करके दिया, यह आपकी कृपा है। तो अगर ५१ और ५६ को मिश्रित कर के आपने वक्तव्य की आज्ञा दी तो हमें अवसर मिलना चाहिये कि हम थोड़े से प्रश्न आपकी आज्ञा से इनसे कर सकें।

श्री अध्यक्ष—

यह जो मैंने दिया है, माननीय मंत्री जी विविध वक्तव्य देते हैं या तो स्वयं या अध्यक्ष के निर्देश पर। उस नियम के अनुसार मैंने अनुमति दी है। आपकी कठिनाई वास्तविक है लेकिन नियमों के विरुद्ध मेरे लिये जाना कठिन है। फिर और प्रश्नों को मैं कैसे रोक पाऊंगा? कल आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा।

श्री देव बहादुर सिंह—

एकपक्षीय है ....।

श्री अध्यक्ष—

जब सरकार से आपने जवाब मांगा है तो आप तो अपना पक्ष रखेंगे क्योंकि विवाद तो होगा नहीं। ठीक है, आपको शक है तो कल आप इस पर कहियेगा।

श्री मोहन सिंह (जिला रायबरेली)—

एक निवेदन है। यह वक्तव्य अपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप चाहेंगे इस पर बहस के लिये तो और भी नियम हैं, मैं अवसर दे सकता हूं।

श्री मोहन सिंह (रायबरेली)—

इसमें लिखा है कि १० दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—

वह ठीक है । अभी समय नहीं है ।

श्री श्याम धर मिश्र—

नियम ५१ में दे दूंगा इस पर चर्चा करने के लिये ?

श्री अध्यक्ष—

हां, नियम ५१ में दीजिये तब मैं विचार करूंगा ।

राज्य निराश्रित सहायता समिति पर कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव तथा कार्यक्रम

श्री राम सिंह (समाज कल्याण मंत्री)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य निराश्रित सहायता समिति पर कार्य करने हेतु, उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, १९७५ की धारा ३ (२) के साथ पठित समाज कल्याण अनुभाग की अधिसूचना संख्या ५७२४/XXXVI-स क-४५८-६७, दिनांक ७ नवम्बर, १९७५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भिक्षा वृत्ति प्रतिषेध नियमावली, १९७५ के नियम ४(५) के अनुसार, उत्तर प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्य, जिनमें कम से कम एक महिला होगी, का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष आदेश दें, राज्य निराश्रित सहायता समिति पर कार्य करने हेतु, उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, १९७५ की धारा ३(२) के साथ पठित समाज कल्याण अनुभाग की अधिसूचना संख्या ५७२४/XXXVI-स-क ४५८-६७, दिनांक ७ नवम्बर, १९७५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध नियमावली, १९७५ के नियम ४ (५) के अनुसार, उत्तर प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्य जिनमें कम से कम एक महिला होगी, का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए मैं नीचे लिखे कार्यक्रम घोषित करता हूं :—

राज्य निराश्रित सहायता समिति पर कार्य करने के लिए तीन सदस्य जिनमें कम से कम एक महिला होगी, के निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने, उनकी संवीक्षा तथा नामों की वापसी के लिए वही कार्यक्रम होगा जो अन्य समितियों एवं निकायों के लिए निर्धारित किया गया है किन्तु मतदान यदि आवश्यक हुआ, तो दिनांक १७-१०-७७ को होगा ।

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४२-सहकारिता, अनुदान संख्या ५२-पशुपालन, अनुदान संख्या ५३-दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या ५४-मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ७५-सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ८२-पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९४-ऋण और अग्रिम-सहकारिता ।

श्री अध्यक्ष--

अब वित्तीय वर्ष १९७७-७८ के आय-व्ययक के मतदान पर चर्चा शुरू होगी ।

*सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४२-सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,९५,९९,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५२-पशुपालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,८३,२४,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५३-दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३२,५४,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५४-मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३७,०५,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७५-सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,७१,५१,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८२-पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,४०,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९४-ऋण और अग्रिम-सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,६१,०५,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश के विकास के लिये सहकारिता के अतिरिक्त दूसरा और कोई भी तन्त्र इतना उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता है। लेकिन जैसी हमारी मंशा थी, कि हमारे देश में सहकारिता आन्दोलन जिस तरह से चलाया गया था, दुर्भाग्य से वह मंशा पूरी जिस तरह से होनी चाहिये थी, वह नहीं हो पाई। अभी तक, इतने वर्षों तक सहकारी आन्दोलन चलाया गया लेकिन ऐसा महसूस होता था कि जनता की आस्था इससे पूरी तरह से उठती जा रही थी और यह सहकारी आन्दोलन जन आन्दोलन के बजाय सहकारी तंत्र बनकर रह गया था। इसके अतिरिक्त जो भी सरकार आई उसने अपने निजी स्वार्थों के लिये, राजनीतिक स्वार्थों के लिये, भाई भतीजावाद में फंसकर, कुछ सीमा के अन्दर ही यह जन आन्दोलन जकड़ कर रह गया था।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जबसे नई सरकार आई तो सबसे पहले उसने कल्पना की कि इस आन्दोलन को जन आन्दोलन के रूप में चलाया जायगा। अभी तक तो निजी स्वार्थ के लिये जिस तरह से यह आन्दोलन चलाया जा रहा था उससे जनता की आस्था उठती जा रही थी। तो इसमें जनता की आस्था को लाने के लिये सबसे पहले इसको जनतंत्रीय स्वरूप दिया जायगा। इसके लिये मान्यवर, आज ही सदन में विधेयक पेश होने जा रहा है। जिसमें जनतंत्रीय स्वरूप दिया जायगा। श्रीमन्, इस आन्दोलन को गांवों तक मजबूती के साथ और गांवों को स्वावलम्बी बनाने के लिये पंचायत स्तर पर प्रारम्भिक कृषि समितियां स्थापित की जा रही हैं। इस सरकार ने, नयी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के विशेष तौर से उत्थान के लिये इस वर्ष के अन्त तक १५ सौ गोदामों के निर्माण करने का संकल्प किया है। इस वर्ष के अन्दर १५ सौ ग्रामीण गोदामों का निर्माण हो जायगा और इन ग्रामीण गोदामों में उर्वरक के अतिरिक्त जो भी आवश्यक वस्तुयें हैं किसानों को और गांव के लोगों को उपलब्ध रहेंगी। इसके अतिरिक्त २ वर्षों में यह निश्चय किया गया है कि ४ हजार ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया जायगा। इसमें २० करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

श्रीमन्, इस आन्दोलन को निष्पक्षता के साथ चलाने के लिये केडर अथारिटी का गठन किया गया है। इससे पहले जो भी प्राथमिक सोसाइटियों में और जिला सहकारी बैंक में सचिव हुआ करते थे वह केवल अपने पद पर रहें इसके लिये उनके मन में घुटन रहती थी। क्योंकि वह संचालक मंडल के हाथ में था और निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर सकते थे। संचालक मंडल की पूरी मेहरबानी पर वह रहते थे। अब इस तरह से कोई भी संचालक मंडल उनको अपने कब्जे में नहीं रख सकेगा। निष्पक्ष तरीके से यह लोग काम करें इसलिये केडर अथारिटी का गठन किया गया है।

(इस समय १ बजकर ४० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्र पति यादव पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, जनता की शिकायतों की जांच के लिये एक सेल का गठन किया गया है। जनता को विशेष रूप से दो शिकायतें रही हैं सहकारी आन्दोलन में। सबसे पहला इसमें भ्रष्टाचार पनपा है। पहले दिन जब यह संकल्प आया था तो मैंने इसको स्वीकार किया था कि सहकारी आन्दोलन में भ्रष्टाचार का बोलबाला

[श्री मुलायम सिंह यादव—]

है। उसको दूर करने के लिये कड़ाई के साथ नई सरकार ने कदम उठाये हैं। इसके लिये एक सेल बनाया गया है। जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये एक विशेष सेल (कोष्ठक) में ३ व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी है जिसमें एडीशनल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार तीन होंगे जो जनता की तत्काल शिकायतों को सुनकर मौके पर जाकर दूर करेंगे। दूसरी सबसे ज्यादा शिकायत रही है कि जो भी कर्जा मिला है उसमें गड़बड़ी की गयी है। उसका सत्यापन नहीं हुआ है। हम उसका सत्यापन, शतप्रतिशत पिछले तीन सालों की जो बकायेदारी है, करायेंगे और यह सत्यापन आरम्भ हो गया है। इससे सारी गड़बड़ियां उभर कर सामने आयेंगी, जिनको देखने में सुविधा होगी। इस तरह से जनता में पुनः आस्था जमेगी कि कोआपरेटिव विभाग में अब भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन इनके लिये हमें सारे सदस्यों का सहयोग चाहिये। सारे माननीय सदस्यों को पत्र हम लिख चुके हैं कि वह इस सत्यापन में पूरा-पूरा अपना सहयोग दें। फिर भी यदि सत्यापन ठीक से नहीं हो रहा है तो जनता के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है कि यदि कहीं भी सत्यापन में गड़बड़ी है या कहीं कोई अधिकारी सत्यापन ठीक तरह से नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत हमारे पास आनी चाहिये जिसमें हम उसको तुरन्त वहीं पर दुरुस्त कर सकें।

मान्यवर, इस आन्दोलन को किसानों को ज्यादा सुविधा के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया बांटने की व्यवस्था की जा रही है। २०० करोड़ रुपया अल्प-कालीन, २५ करोड़ मध्य कालीन और ५० करोड़ रुपया दीर्घ कालीन कर्जे के रूप में बांटने का सरकार का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त जो कहा जाता रहा है और सच भी है कि जो निर्बल लोग, भूमिहीन और बेरोजगार लोग हैं उनके लिये सहकारी आन्दोलन में विशेष रूप से कोई प्रयास किया गया है, तो उसके लिये हमारी सरकार ने पूरी तरह से कोशिश किया है कि जो भूमिहीन और जो बेरोजगार हैं उनको दुधारू जानवर के लिये अधिक से अधिक रुपया देने का प्रस्ताव रखा है। यह सरकार का इरादा है।

मान्यवर, भूमि विकास बैंक के सम्बन्ध में हम जानते हैं और उसके सम्बन्ध में बहुत सी आलोचनायें होंगी और हैं भी, लेकिन उसके लिये हमारी सरकार ही पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है। चूंकि किसानों के डीजल इंजनों के सम्बन्ध में जो भ्रष्टाचार पनपा है उसके लिये हमने रिजर्व बैंक को लिखा पढ़ी किया है और जो पुनर्वित आयोग है उसको लिखा है क्योंकि इससे हम रिजर्व बैंक से बंधे हैं। उनकी स्वीकृत के बिना किसानों को सीधे कर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसके लिये सरकार सचेत है और पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि यदि स्वीकृति मिले तो हम किसानों को सीधे इंजन खरीदने के लिये रुपया दें जिससे वह अपने मनपसन्द इंजन क्रय कर सकें। इससे हजारों रुपया जो भ्रष्टाचार में चला जाता है, वह बचेगा। दूसरी तरफ हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि जो किसानों के इंजन हैं उनके मूल्यों को बांध दिया जाय जिससे जो डीलर बीच में रुपया ज्यादा ले लेते हैं उससे हम किसानों को बचा सकें। हम यह सुविधा किसानों को विशेष रूप से देने जा रहे हैं।

इसके अलावा आपको यह जानकर हर्ष होगा कि दूर के ढोल भले ही सुहावने होते हों और गुजरात और महाराष्ट्र की बात करते हों, लेकिन दिल्ली में जो कोआपरेटिव सम्मेलन हुआ था जिसका प्रधान मंत्री जी ने उद्घाटन किया था उसमें उत्तर प्रदेश के भूमि विकास बैंक का कार्य सबसे अच्छा माना गया। कुशलता और अच्छी व्यवस्था के लिए इनाम भी दिया गया और शील्ड भी

प्राप्त हुई । माननीय सदस्यों की जो भावना है कि किसानों को सीधे रुपया मिले और सस्ते दाम पर इंजिन मिलें तो इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है ।

प्रदेश की भंडारण क्षमता के सम्बन्ध में भी मैं खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि अभी तक जो क्षमता है वह १,३२० लाख मैट्रिक टन की क्षमता है। तीन लाख टन की हमारी निजी इमारतें हैं । उसमें एक करोड़ का लाभ हुआ है और भविष्य में इससे भी ज्यादा लाभ होने की आशा है । इस क्षमता को बढ़ा कर ५ लाख टन किया जायगा । जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि भ्रष्टाचार है तो मैं भी स्वीकार करता हूं कि भ्रष्टाचार है । इसको मिटाने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाये हैं । मैंने पहले दिन सदन में कहा था कि ७१ ऐसे केसेज हैं जिनमें ५४ एक लाख से ऊपर के हैं और १७ ऐसे हैं जो ५० हजार से ९९ हजार तक के हैं । इनके नीचे २० हजार, २५ हजार के तमाम केसेज हैं । लेकिन हमने ऊपर से प्राथमिकता दी है । अब तक यह रहा है कि १०० रु० या २०० रु० का भ्रष्टाचार करने वाले को पकड़ कर बन्द कर दिया जाता था लेकिन किसी बड़े को बन्द नहीं किया गया । हमने ऊपर वाले के खिलाफ कार्यवाही करना तय किया है । २२ के खिलाफ कार्यवाही हो भी चुकी है । मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितनी भी सिफारिश क्यों न आये, कितना भी दबाव क्यों न पड़े, उनके खिलाफ कार्यवाही शीघ्र की जायगी । अब तक गबन इत्यादि के ३९३२ मामले शाखा को जांच के लिये गये जिनमें २२६२ मामले अब तक निस्तारित हुए हैं और इनमें से २००९ मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये जा चुके हैं । अब तक २,२८२ व्यक्ति इस शाखा द्वारा गिरफ्तार किये गये और न्यायालय से १३९ व्यक्ति दंडित हुए । एक लाख रुपये से अधिक के ५२ गबन के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर जांच कराई जा रही है । जून, १९७७ से ३० सितम्बर तक की अवधि में हुई प्रगति की स्थिति इस प्रकार है कि इस अवधि में १४१ मुकदमे निस्तारित हुए, १२२ मामलों में आरोप पत्र प्रेषित किये गये, ७७ अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा २१ अभियुक्तों को सजा हुई । इस प्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजी से कदम उठाये जा रहे हैं । मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि इस कदम में अपना सहयोग दें और इस समय पर अपने बहुमूल्य सुझाव दें । अगर उनके सुझावों से सहकारी आन्दोलन आगे बढ़ता है तो उन सुझावों को मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

यह सहकारी आन्दोलन एकदलीय तौर पर नहीं चलाया जा सकता है । विपक्ष में बैठे हुये साथियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सहकारी आन्दोलन एकदलीय होकर नहीं रह सकता है । इसमें सारे दलों के सहयोग की आवश्यकता है और सभी लोग इसमें यह समझकर कि यह कृषि प्रधान देश के लिये जरूरी है और इसके अतिरिक्त विकास का दूसरा रास्ता नहीं है, अपना सहयोग देंगे । इसलिये सभी साथी अपनी दलगत राजनीति के बिना अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे और उनके पूर्ण सहयोग की मैं कामना करता हूं ।

दूसरा जो हमारा पशुपालन विभाग है, उसके लिये भी यही कहना चाहता हूं कि ये दोनों विभाग ऐसे हैं जो सीधे खेती से सम्बन्धित है । जहां सहकारी आन्दोलन किसानों के कल्याण की बात करता है, वहीं पशुपालन विभाग भी उनके

[श्री मुलायम सिंह यादव--]

कल्याण के लिये ही है । पशुपालन विभाग का भी सम्बन्ध उन्हीं लोगों से प्रायः है, जो खेती करते हैं। जब तक गांव के रहने वालों का विकास नहीं होता, तब तक देश का विकास सम्भव नहीं है । इसके लिये इस नई सरकार ने पशुओं के नस्ल सुधार और जानवरों का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिये सुचारु रूप से व्यवस्था करने का निर्णय लिया है ।

इस कृषि प्रधान देश में स्वस्थ पशुओं के बिना विकास सम्भव नहीं है । हमारे यहां लोग अभी इतने सम्पन्न नहीं हैं, जो बिना पशुओं के खेती कर सकें । खेतों को जोतने के लिये, खेती में अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने के लिये और मजबूती के साथ काम करने के लिये और मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिये, इन तीन चीजों के लिये पशुओं की आवश्यकता है । हजारों वर्षों से, बल्कि युगों से हमारे देश में पशुपालन का काम चला आ रहा है । उसी हिसाब से खेती भी की जा रही है । इसीलिये सरकार ने उन पशुओं की हालत ठीक रखने के लिए कठोरता से विचार कर रही है और जब तक यह काम एक आन्दोलन के रूप में नहीं लिया जायेगा, तब तक इसमें उत्थान नहीं होगा । इसके लिये हमारी नयी सरकार ने निश्चय किया है कि हमारे देश में जो दुधारू जानवर हैं, लेकिन जिनसे अधिक दूध नहीं मिल पाता है, उनका नस्ल सुधार किया जाय । उसके लिये नस्ल सुधार का प्रोग्राम है । दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा संख्या दुधारू जानवर गायों की है, लेकिन इनकी संख्या सबसे ज्यादा होते हुये भी इनसे ज्यादा दूध नहीं मिल पाता ।

एक सदस्य--

दुर्भाग्य ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

इसके लिए जो माननीय सदस्य दुर्भाग्य कह रहे हैं, वह सही है क्योंकि उसकी ओर बहुत दिनों से ध्यान नहीं दिया गया है। मान्यवर, जनता सरकार ने इस सम्बन्ध में यह भी संकल्प किया है कि पशुपालन के द्वारा बेरोजगारी की समस्या का भी हल किया जायेगा । हमारे यहां जब पशुओं की नस्ल में सुधार किया जायेगा, तो दूध बढ़ जायेगा और जब उसके लिए कोआपरेटिव डेरी को चलायेंगे, तो हमारे देश में जो तमाम बेकार लोग हैं, वे उसमें काम करेंगे । इसलिये बेरोजगारी को दूर करने के लिए तेजी के साथ डेरी का प्रबन्ध किया जा रहा है । इसके लिए दूध की सहकारी डेरी को लेने जा रहे हैं । उसमें पहले यह था कि जहां डेरियां हुआ करती थीं, वहां उनमें ऐसे लोग हुआ करते थे जिनके पास एक भी जानवर नहीं है । लेकिन फिर भी ये लोग मिल्क यूनियन्स में छाये रहते हैं । उनके यहां एक किलो भी दूध नहीं होता, लेकिन उसमें छाये रहते हैं । लेकिन उसके सम्बन्ध में सरकार ने कड़ाई के साथ विचार किया है और निश्चय किया है कि अब उन्हीं लोगों में से उसका गठन किया जायेगा जिनके पास दुधारू जानवर होंगे और एक निश्चित सीमा में डेरी को दूध देंगे । ऐसे ही लोग यूनियन में चुनाव लड़ सकेंगे या किसी पद पर रह सकेंगे । यह एक बहुत बड़ा कदम है । इससे दूध के उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकेगी ।

मान्यवर, मत्स्य पालन का भी बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसकी दशा हमारे देश में ठीक नहीं है ।

मान्यवर, सामान्य तौर से स्वास्थ्य रक्षा के लिए औसतन 2500 कैलोरीज की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे यहां के लोगों को स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए पूरी कैलोरीज नहीं मिल पा रही है । हमारे प्रदेश में लगभग औसतन 210

कैलोरीज प्राप्त होती हैं लोगों को जिसमें से किन्हीं-किन्हीं को तो 1500 कैलोरीज तथा किन्हीं-किन्हीं को एक हजार कैलोरीज से भी नीचे प्राप्त होती है। इस तरह से हमारे प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य नीचे गिरता जा रहा है। हमारे मत्स्य पालन विभाग का इन कैलोरीज को लोगों को ठीक से प्राप्त कराने का बड़ा महत्व है और इस ओर सरकार बड़ी तेजी से उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

मान्यवर, जानवरों को ठीक से चारा मिले, इलाज ठीक से हो, इसका भी समुचित रूप से प्रबन्ध किया है ताकि जो हमारे जानवर हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वह अधिक दूध दें। मान्यवर, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश की गायें केवल 175 किलो एक साल में औसतन दूध देती हैं, जबकि विदेशों में 5000 से 3000 लीटर प्रति गाय वर्ष भर में दूध देती हैं। हमारे यहां सबसे अधिक जानवर होते हुए भी दूध का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिये। इसके नस्ल सुधार के लिये हमने कई कार्यक्रम बनाये हैं और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को भी पत्र लिखा जा चुका है और उनसे कहा गया है कि वह इस मामले में हमारी सहायता करें। अभी हाल में केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्री भी लखनऊ आये थे। उन्होंने यह महसूस किया कि यहां दूध का उत्पादन बढ़ सकता है और उन्होंने यह अश्वासन भी दिया है कि उत्तर प्रदेश की वह अधिक से अधिक सहायता करेंगे जिससे दूध का उत्पादन बढ़ सके। अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वह हमें अपने बहुमूल्य सुझाव देकर सहयोग प्रदान करें जिससे हमारी सरकार का उत्साह बढ़े और हम आगे चल कर जो कमियां हैं, उनको दूर कर सकें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42 में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

[श्री देव बहादुर सिंह--]

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94--संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अभी हमारे सहकारिता मंत्री जी ने अपने विभाग का अनुदान हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है और मान्यवर, यह संयोग की बात है कि सन् 1974 में माननीय मुलायम सिंह जी ने यहीं से कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और जब उन्होंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस समय केवल, एक मांग थी और यह मांग थी कि सहकारिता विभाग एक ऐसा विभाग है जिसने कृषकों की आर्थिक दशा को खराब कर दिया है।

इसके अनुसार इसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इनकी मांग थी कि सहकारिता विभाग को समाप्त कर दिया जाय। यह मांग मान्यवर, इनकी सन् 1974 में थी। जब यह मन्त्री बने तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।

श्री अधिष्ठाता--

विचारों में परिवर्तन हो सकता है।

श्री देवबहादुर सिंह--

मान्यवर, आप हमारी सहायता करेंगे यह मैं जानता हूं। तो मान्यवर, मुलायम सिंह जी को सहकारिता मन्त्री बना दिया गया तो हमने सोचा कि किसी दिन अध्यादेश निकालेंगे कि सहकारिता विभाग समाप्त। वह नहीं निकला। जब नहीं निकला तो हमने सोचा कि इनके मन में सहकारिता विभाग के विरुद्ध कुछ भावनायें हैं, उसकी त्रुटियों के बारे में कुछ अपनी एक भावना बना चुके हैं और शायद उन्हें दूर करें, यह भी हो सकता है। मान्यवर, मैं इनको स्मरण दिला रहा हूं सन् 1974 की। यही स्थान था जहां से आप ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उस समय आपने यह कहा था कि यह सहकारी आन्दोलन पूर्णतया फेल हो गया है। अब मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि आपने क्या कार्यवाही की। सब से आश्चर्य तो मुझे होता है कि आपने कहा था कि सहकारी आन्दोलन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के हाथों में न होकर सरकारी कर्मचारियों के चंगुल में फंस गया है। आज भी उसी प्रकार फंसा हुआ है चाहे बैंक हो, समितियां हों। जो सुपरसीडेड हैं वे ज्यों की त्यों सुपरसीडेड हैं। बैंक थे, समितियां थीं, दुग्ध समितियां थी, जब आपने विभाग संभाला, उन्हें भंग करके अपनी इच्छा के अनुसार उनमें कुछ लोगों को नामजद किया। यह कौन सी बुराई दूर की आप ने।

और क्या बतऊं, मान्यवर। रोशन लाल कमेटी की बड़ी दुहाई देते थे कि रोशन लाल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 14 करोड़ रुपये का घपला है। उसमें मान्यवर, सुपर मारकेट, लखनऊ का जिक्र था। उसमें एक व्यक्ति थे। नाम तो उनका लिया जा चुका है इसलिए मैं भी ले लेता हूं। छोटे लाल नाम है उनका और उन्होंने दस लाख रुपये की गड़बड़ की थी। यह चाहते थे कि अविलम्ब कुछ न कुछ करें। आज आपने उनको देखा कहां है? नेफको में फील्ड आफिसर हैं। क्या बात है? उस दिन का आपका वक्तव्य अनर्गल प्रलाप था या आज का वक्तव्य अनर्गल प्रलाप है या दोनों ही अनर्गल प्रलाप हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं तो सिर्फ याद दिला रहा था कि आप हैं कहां। उस दिन ठीक थे या

आज ठीक है। आप क्या करना चाहते थे ? एक सचिव या उप–सचिव थे बिहारी लाल जी इस विभाग में। इनका कहना था कि वह जीप कानपुर में जाकर बनाया करते हैं। सहकारी विभाग में बड़ा पैसा उन्होंने खराब किया है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होनी चाहिए। क्या हुआ ? कहीं कमिश्नर हो गए होंगे शायद।

एक सदस्य—

बरेली में हैं..(हंसी)।

श्री देव बहादुर सिंह—

सवाल ही नहीं उठता। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आपने नहीं की। मैं तो स्मरण दिला रहा हूं। सुपरवाइजरों के बारे में बड़ी ही क्रान्तिकारी भावनायें इनकी थीं। मैं कोट कर रहा हूं। जो सुपरवाइजर के पद हैं उनका सरकारीकरण कर दिया जाय। जितने भ्रष्ट सुपरवाइजर हैं उनको सेवामुक्त कर दिया जाय। अविलम्ब उनको हटा दिया जाय। लेकिन वे सब अपनी जगह पर हैं। कितने सुपरवाइजर निलम्बित किये गये ? इनकी सेवाओं का सरकारीकरण क्यों नहीं किया गया ? एक और बात का स्मरण दिलाऊं। इटावा का एक केस बताया था। राम जीत यादव धौलपुर में सुपरवाइजर थे। यह कहते थे कि सुपरवाइजर के पास दस–बारह बीघा जमीन थी और पांच–सात साल में उन्होंने बड़ी प्रोपर्टी जोड़ ली 70–80 बीघा जमीन, एक ट्रक, एक ट्रैक्टर और पता नहीं क्या–क्या है। लेकिन राम जीत यादव के खिलाफ कोई कार्यवाही आपने की हो तो आपको बतलाना चाहिये ?

एक सुझाव उस समय आपने और दिया था कि अल्पकालीन ऋण दिये जाते हैं जिन्हें फसली ऋण कहा जाता है। फसल चौपट हो गयी, कोई दैवी प्रकोप हो गया और ऋण वसूल किया जाता है तो आपका सुझाव यह था कि दुबारा ऋण दिया जाय। पहली बार देकर उसे वसूल न किया जाय। दुबारा देकर वसूल न हो तब जबरदस्ती की जाय। लेकिन अब आप उस सुझाव को भूल गये। आपने किसान के लिए क्या किया ? मंत्री हो गये तो कसे आपको याद रहता यह सब ? इसलिये मैंने सोचा कि आपको स्मरण दिला दूं कि किसान के लिये आपने क्या किया ? आपका यह भी सुझाव था कि भूमि विकास बैंक के लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि किसान रुपया लेकर खुले बाजार में जहां उचित समझे सस्ता सामान खरीद ले। लेकिन मन्त्री होने पर आपने उसे कार्यान्वित नहीं किया। रिजर्व बैंक से आपने भी उसी तरह निवेदन किया जिस तरह से हम भी रिजर्व बैंक से निवेदन करते थे। आपने बड़ी आलोचना की थी। आप क्या चाहते थे और आप क्या कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया। फिर विभाग आपने क्यों संभाला ? सिद्धान्ततः सहकारिता विभाग में आप विश्वास नहीं करते थे लेकिन मंत्री बनने पर आपने कोई कमी उसकी दूर नहीं की, फिर क्या कारण था कि आपने सहकारिता विभाग संभाला ? कुल धनराशि उस विभाग के लिये 10,98,56,600 रुपये स्वीकृत की जायगी। उस समय आपने इस सम्बन्ध में यह कहा था कि सत्तारूढ़ दल के बड़े–बड़े लोग इस धनराशि से अय्याशी, फिजूलखर्ची

[श्री देव बहादुर सिंह---]

में खर्च करेंगे । क्या आपने इसी से आकर्षित होकर इस विभाग को संभाला है ? अपव्ययी करने का इरादा है, फिजूलखर्ची करने का इरादा है ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य चेयर को सम्बोधित करें ।

श्री देव बहादुर सिंह---

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । जो भावना आपकी उस समय थी आज आप उससे सहमत नहीं हैं । खामियां दूर नहीं कर रहे हैं तो किस बात से आकर्षित होकर आप यहां आये हैं । उस समय जो आलोचना माननीय मंत्री ने की थी तो पीठासीन अधिष्ठाता महोदय ने उसमें से कुछ नाम निकाल दिये थे और माननीय मंत्री को उस समय बुरा लगा था । आपने सुझाव दिया था कि सर्वोच्च स्थान पर भ्रष्टाचार आ जाने से नीचे के स्तर तक भ्रष्टाचार चला जाता है । जरूरी यह है कि सर्वोच्च स्थान से भ्रष्टाचार दूर हो । इटावा से इतनी कापियां (सदस्यों को दिखाकर) मेरे पास आई हैं जो इनके बारे में हैं । इतनी निन्दनीय हैं जिनको मैं पढ़ नहीं सकता । चरित्र के बारे में, प्रापर्टी के बारे में हैं लेकिन पढ़ूंगा नहीं ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य समाचार पत्रों, पेम्पलेट्स का जिक्र यहां न करें ।

श्री देव बहादुर सिंह---

मैं पढ़ नहीं रहा, न पढ़ने की इच्छा है ।

(व्यवधान)

श्री राम नरेश पाण्डेय (देवरिया)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य कृपा करके बैठें । मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा जरा शान्ति रखें ।

श्री राम नरेश पाण्डेय---

एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो पुस्तिका बांटी गयी है उसमें किसी प्रकाशक का नाम नहीं है । इसके जरिये मंत्री महोदय की चरित्र हत्या का प्रयास किया जा रहा है । क्या इस पुस्तिका को सदन में पेश करने की इजाजत दी जायगी ? इस प्रकार चरित्र हनन किया जा रहा है । पुस्तक के प्रकाशक पर कार्यवाही की जाय जिसने जानबूझ कर माननीय मंत्री के चरित्र हत्या एवं हनन का प्रयास किया है ।

श्री देव बहादुर सिंह---

चरित्र हनन का मेरा कोई प्रयास नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठिये, मैं आपसे (श्री रणवीर सिंह से) कह रहा हूं ।

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

जो यह पुस्तक बंटी है उसमें किसी प्रकाशक का नाम नहीं है। इसमें चरित्र हत्या का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या इस पुस्तक को पढ़ने की इजाजत देंगे? इसमें चरित्र हनन का गंभीर आरोप है, पुस्तक के प्रकाशक के प्रति कार्यवाही की जाय। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है मैं माननीय सदस्य जो भाषण दे रहे हैं उनसे कहूंगा वह किसी का रेफरेन्स कर रहे हैं मैं नहीं जानता कि वह क्या चीज है। लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि बाहर के कागज या समाचार पत्र को ध्यान में न रखा जाय उसके आधार पर वह अपने विचार प्रकट न करें बल्कि अपनी सूचना के आधार पर विचार प्रकट करें।

(व्यवधान)

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मेरा दीगर प्रश्न है। मेरा अलग दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें मैं आपसे (श्री श्याम सुन्दर से) कह रहा हूं।

श्री श्याम सुन्दरगुप्त—

मैं केवल इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि अवैधानिक प्रकाशन जो है वह दंडनीय है। उसमें कानून के अन्तर्गत दंड दिया जा सकता है। माननीय सदस्य बिना प्रकाशक के नाम की पुस्तक का उद्धरण दे रहे हैं। यहां पर माननीय सदस्य ने उस पुस्तक का उल्लेख किया है और उसमें लिखी चीजों को यहां कह रहे हैं। मैं मान्यवर, व्यवस्था चाहता हूं कि क्या आप इस बात का नोटिस लेंगे कि इस अवैधानिक प्रकाशन को सदन में प्रस्तुत करना और उसकी चर्चा यहां करना उचित है? क्या माननीय सदस्य, चर्चा करने वाले माननीय सदस्य उसके लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रकार चरित्र-हनन करने वाले प्रकाशन के लिए वह जिम्मेदार हैं?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है मैं उनकी भावना से सहमत हूं। मैंने पहले ही सुझाव दिया है कि वह बाहरी डाकूमेन्ट को ध्यान में रख कर चर्चा न करें। आप अब अपना भाषण जारी रखें।

श्री रणवीर सिंह—

मेरा निवेदन है कि उसे प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय।

श्री देव बहादुर सिंह—

जो जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्यवाही हो।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें, (श्री रणवीर सिंह से) आप सुनें, आप शान्त रहें। आप जो कह रहे हैं कुछ हद तक मैं उससे सहमत हूं। मैं पहले ही माननीय सदस्य से कह चुका हूं यह कोई मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस की किताब नहीं है, यह माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय नहीं हैं जिसको सामने रख कर आप मत प्रकट करें। आप शांत रहें।

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राम नरेश पान्डेय--

यहां पर एक मन्त्री के चरित्र को लांछित करने का प्रयास होगा और आप देखते रहेंगे, उनको रोकेंगे नहीं। इसको आप प्रोसीडिंग से निकलवा दीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपकी बात समझ रहा हूं और आपसे अनुरोध कर रहा हूं, बिना आपकी सहायता के कोई कार्यवाही यहां चल नहीं सकती है। आपको सदन की मर्यादा बनाए रखनी है। जब आप बोलना चाहें, जब आप कहें, मैं आपको समय देने के लिए तैयार हूं, तब आप अपनी पूरी बात कह सकते हैं। लेकिन इस तरह से बीच-बीच में नहीं।

श्री देव बहादुर सिंह--

प्राथमिक सहकारी समितियां हमारे प्रदेश में बहुत थीं, यह करीब १२,६६४ थीं और जो पिछली सरकार थी, उसकी नीति थी कि इसे कम किया जाए, हर न्याय पंचायत पर कम से कम एक हो, जिसके माध्यम से सहकारी समिति का काम हो सके और जिनके माध्यम के उपभोक्ता भंडार का भी काम किया जा सके। उनके माध्यम से बीज, खाद, पैसा, कपड़ा, तेल, नमक आदि चीजें मिल सकें। उसकी पुनर्गठन करने के बाद उनकी संख्या ७२७४ हो गयी है, क्योंकि वे पुनर्गठन के प्रोसेस में है। इसके पीछे भावना बहुत अच्छी थी कि इस महंगाई के समय में जो भी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुयें हैं--कपड़ा, चीनी, डालडा, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल आदि, यह सारी सामग्री इनके माध्यम से गांवों में ग्रामीणों को वितरित की जाए, जिससे कि वे लोग बीच के दलालों या दुकानदारों से मुक्ति पा सकें।

मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसमें अवश्य विश्वास करते होंगे कि पिछली सरकार की जो योजना थी, उसको निश्चित रूप से कार्य रूप दिया जाए। हर न्याय पंचायत में अब जो एक खुल रहे हैं, उसी हिसाब से पहाड़ में भी हर न्याय पंचायत में एक खुला, तो उससे वहां का काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहां अगर आदमी जाने लगे तो दो दिन में वह जायेगा और दो दिन में वापस आएगा। अतः इसे आप पहाड़ के लिए शिथिल कर दीजिए और वहां जितनी भी आवश्यकता हो, उतनी खोली जाए। तब वहां के लोगों का काम चल सकता है। प्राथमिक सहकारी समितियां बन रही हैं, उनका व्यापार ३ से ४ लाख रुपया सालाना का होगा और जो सुपरवाइजर होते हैं वे २ से ३ तक सहकारी समितियों की देखभाल करेंगे। लेकिन जो एक एक सुपरवाइजर है, पहले इसकी नौकरी पी० यू० सी० की थी, फिर कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की हो गयी और फिर लौटकर पी० यू० सी० की हो गयी। इसके लिए इसे साढ़े ८ हजार रुपया नियमतः जमा करना पड़ता है, जबकि उसकी तनख्वाह कहीं कम होती है। कहा यह जाता है कि यह इसके डी० ए०'

टी० ए० में जाता है। मैं यह चाहता हूं कि सुपरवाइजर की जो तनख्वाह है, उतना ही उनसे लिया जाए और ज्यादा पैसा उनसे न लिया जाए, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है, और इससे और भी खराब हो जाती है। इसलिए इस व्यवस्था को आप हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर दें, तो अच्छा होगा।

मैंने इसे पहले भी कहा है और आज फिर आपसे कहता हूं कि आप इसे अवश्य कर दें—सुपरवाइजरों की सेवा का सरकारीकरण कर दें, यदि आप चाहते हैं कि सहकारी समितियां अच्छी तरह चलें और वास्तव में वे जन-कल्याण का कार्य कर सकें। आज वह किसी के नहीं रह गए हैं, कोई उत्तरदायित्व उनके कंधे पर नहीं रह गया है। सरकारी हो जाने पर एक सरकार का उत्तरदायित्व उनके कंधे पर रहेगा और वह कहीं जा नहीं पावेंगे। जिससे यह काम अच्छी तरह से चल सके। इसमें एक सुझाव और दूंगा। जितनी सहकारी समितियां हैं या बैंक हैं, चाहे प्राविन्शियल कोआपरेटिव बैंक हों या जिला सहकारी बैंक या उसकी ब्रान्चेज हों, उनके लिए कैडर बनाने की बात है। मैं चाहूंगा कि कैडर बन जाय।

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्ति की तरफ जा रहा है।

श्री देव बहादुर सिंह—

बड़ा लम्बा-चौड़ा विभाग है। अभी कुछ भी नहीं हुआ। हर क्षण का उपयोग करूंगा इसका विश्वास दिलाता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

पांच मिनट और हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

कैडर निश्चित कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। बैंक खोले जाते हैं, उसका सर्वेक्षण होना चाहिए कि कहां-कहां बैंक खोले जायेंगे और ऐसा हो कि दूर से आभास हो कि यह बैंक है, बोर्ड हो, स्थान हो, कुर्सी-मेज हो और जहां खोलें उसको वहां बैंक का रूप मिल सके।

एक बात और बताऊंगा, जब देखो तब संचालक मंडल बरखास्त और वहां काम करने कौन जाता है, कहीं जिला मैजिस्ट्रेट को कह दिया जाता है कहीं ए० आर० को कह दिया जाता है, जिसको आप प्रशासक नियुक्त करते हैं वह कोई काम नहीं करता है। आपके पास पैनेल होना चाहिए। यह पैनेल प्रशिक्षित हो, बैंक का काम जानता हो, जब सुपरसेशन हो तो उसमें से लोग जायें। सुपरसेशन हुआ किसी को प्रशासक नियुक्त किया, छः महीने में आठ बार ट्रांसफर भी कर दिया। यह अब नहीं होना चाहिए। उसको पूरा समय दें जिससे बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके और आगे वह चल सके। संचालक मंडल को बिना नोटिस बरखास्त कर दिया जाता है। यह नहीं होना चाहिए। यदि संचालक मंडल को बरखास्त करना है तो नोटिस दें, स्पष्टीकरण मांगें। चुनाव समय से नहीं कराया जाता। चुनाव से एक दो महीने पहले जो तिथि है चुनाव की, विभाग को चिट्ठी जानी चाहिए कि

[श्री देव बहादुर सिंह]

अब दो महीने हैं। चुनाव का वक्त आ गया है। चुनाव के लिए कुछ प्रक्रियाएं तैयार की जाती हैं, कांस्टीटुएंसी बनती है, लिस्ट बनती है, वह कुछ नहीं करते। चुनाव नहीं होता संचालक मंडल सुपरसीड हो जाता है। विभाग की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि दो महीने पहले सारी प्रक्रिया पूरी हो। इसके लिए चुनाव की व्यवस्था के लिए अलग कैडर बनाएं जो घूम-घूम कर चुनाव कराये। तब चुनाव हो पायेगा। एक बात और सरकार के हिस्से भी हैं बैंक में, कर्मचारियों में ५० फीसदी जिनका हिस्सा है वे अपना आदमी नामिनेट कर देंगे। मैं अपनी ही आलोचना कर रहा हूं। आपको सुझाव दूंगा, उसमें कुछ उपलब्धि नहीं होती है, सिर्फ अपने आदमियों को नामिनेट करते हैं। यह प्रथा बन्द होनी चाहिए।

भूमि विकास बैंक के बारे में आपने कहा। ३० से ४० प्रतिशत लोग जिनकी भूमि बंधक है, उनकी भूमि नीलाम कर देते हैं। यह पाउण्ड आफ फ्लेश वाले लोग हैं, अगर जमीन बंधक हैं, तो जमीन नीलाम होगी। हमारा सुझाव है कि पहले फसल नीलाम कीजिए, भूमि की नीलामी सबसे आखीर में होनी चाहिए। भूमि विकास बैंक ने कितने लोगों को भूमिहीन कर दिया है। अब मैं पशुपालन की बात कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका केवल २ मिनट बाकी है।

श्री देव बहादुर सिंह—

मुझे बहुत जरूरी-जरूरी बातें कहनी हैं, समय और दे दीजिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप किसानों की रक्षा कीजिए। यह हो रहा है कि गांवों में छोटे-छोटे उद्योग लगाये जायेंगे। यह बड़ी खुशी की बात है। इस कार्य में सहकारी विभाग की बड़ी आवश्यकता है। सहकारी विभाग द्वारा यह छोटे-छोटे उद्योग लगाये जा सकते हैं। इससे गांवों का उद्धार हो सकता है। आपने जो श्रम सहकारी समिति बनायी है वह बड़ी चीज है। अगर इनको काम हमेशा मिलता रहा तो यह बड़ी अच्छी प्रकार से चलती रहेगी। अब मैं पशु पालन के बारे में कहना चाहता हूं.....।

श्री अधिष्ठाता—

२८ मिनट हो चुके हैं। आपका समय समाप्त।

श्री देव बहादुर सिंह—

दो मिनट और दे दीजिए। मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव देने हैं। पन्त नगर यूनिवर्सिटी ने एक २० करोड़ की योजना बनायी है। मैं चाहूंगा कि आप पहले उसका ब्लू प्रिन्ट मंगा लें और उसको चालू करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं चाहता हूं कि फ्रोजेन सीमेन है उसको हर जगह पर भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री देव बहादुर सिंह—

२ मिनट और दे दीजिए। दो सुझाव देने हैं। वह बड़े महत्वपूर्ण हैं। खुरपका की बीमारी है तो जो वैक्सीन है यह बहुत महंगी है। पागल कुत्ता काट लेता है जानवरों को तो उसका इलाज नहीं हो पाता है और वह अन्त में मर जाता है। वैक्सीन की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है। लाखों जानवर पागल कुत्ते के काटने से मर जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

समाप्त कीजिए ।

श्री देव बहादुर सिंह--

कटौती प्रस्तुत करने वाले पर समय की इतनी पाबन्दी नहीं की जानी चाहिए । पूरी बात कहने दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त । माननीय शिव मंगल सिंह ।

श्री देव बहादुर सिंह--

इन शब्दों के साथ में आपसे अनुरोध करूंगा कि जो मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसको आप पास करेंगे ।

श्री शिव मंगल सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने सहकारिता अनुदान पर बोलने का अवसर दिया । इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि जिस देश ने समाजवाद की स्थापना का संकल्प लिया हो । वह सहकारिता के माध्यम को छोड़कर दूसरे माध्यम से नहीं हो सकता है । संसार के सभी देशों ने सहकारी आन्दोलन में काम किया है । लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य की बात है कि इसका संचालन अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

आज संसार के किसी भी देश में यदि आप देखें तो जहां भी सहकारी आन्दोलन चल रहे हैं । जहां भी यह संस्थायें काम कर रही हैं, वहां की जनता की उसमें एक साझेदारी हो । लेकिन जो हमारे देश में सहकारी आन्दोलन चलाया जा रहा है वह पूर्णरूपेण सरकारी अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है यह एक उपहास है सहकारी आन्दोलन का । इससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है । मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस प्रदेश में सन् १९६५ के सहकारी अधिनियम के अधीन सहकारी विभाग का संचालन करके यदि आप उस उद्देश्य को पाने की चेष्टा करें तो स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है कि यह अधिनियम सहकारिता का डीग्राफीशियलाइजेशन करने जा रहा है । उसकी मंशा थी कि इस विभाग को जो सरकारी अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया गया है, उसको जन प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाये । जब तक जन प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त नहीं होता है तब तक किसी भी प्रकार से यह जन आन्दोलन नहीं कहा जा सकता है और न कोई सफलता ही मिल सकती है ।

हमारे साथी देव बहादुर सिंह जी ने वर्तमान मंत्री जी की आलोचना तो की लेकिन अपनी सरकार की तरफ देखने की कोई कोशिश नहीं की । जिस सहकारी अधिनियम को आपने स्वयं प्रस्तुत किया था, जिसकी देश में घोषणा की गई थी कि हम इस नीति के अनुसार सहकारी आन्दोलन के चंगुल से मुक्त करायेंगे । जन प्रतिनिधियों का सम्मेलन करेंगे, उनको इस तरह से सम्मानित करेंगे कि देश के अन्दर इस आन्दोलन को खड़ा किया जा सके ताकि हमारा समाजवाद की रचना का जो स्वप्न है, वह पूरा हो सके । उसी के अनुसार मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि

[श्री शिव मंगल सिंह]

आप अपनी सरकार की ओर ध्यान देने की कोशिश करिये । क्योंकि वह वही अधिनियम है जो इस विधान सभा के द्वारा पारित हुआ । आप उनका पालन पूर्ण-रूप से इस प्रदेश के अंदर नहीं कर सके, उसको इस प्रदेश के अन्दर लागू नहीं करा सके । उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जन प्रतिनिधियों को जो अधिकार प्राप्त था उन सभी धाराओं के अन्दर संशोधन कर दिया गया और इस हद तक संशोधन कर दिया गया कि प्रत्येक समिति में जिसमें कम से कम ५ लाख रुपये की धनराशि सरकार की लगी हुई थी, उस समिति को सरकार जब भी चाहे उस पर अपना कंट्रोल कर सकती है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार का एक कानून इमर्जेन्सी के जमाने में मीसा के नाम से बनाया गया था । मीसा एक ऐसा कानून था जिसमें किसी को बिना कारण बताये जेल के अन्दर भेजा जा सकता था । मैं समझता हूं कि १९६५ का यह सहकारी अधिनियम जो बनाया गया है, किसी प्रकार से मीसा से कम नहीं है क्योंकि इसके अन्तर्गत किसी भी प्रबन्ध समिति को बगैर कोई कारण बताए हुए, बगैर उसमें कोई दोष निकाले हुए आप सीधे उसको भंग कर देते हैं और सरकार द्वारा लोग मनोनीत किये जाते हैं । मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी अपने भाषणों में कई बार कहा है कि सहकारी आन्दोलन किसी दल विशेष का आन्दोलन नहीं है । विविध रूप से इसका अर्थ यह होता है कि जब हम इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं कि यह किसी भी राजनीतिक दल का आन्दोलन नहीं है तो आवश्यकता इस बात की है कि आपको इसके लिए सभी लोगों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये । किस प्रकार से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, इसका मार्ग हमारे सहकारिता मंत्री एवं सरकार प्रशस्त करेगी । यदि आप इसके पुराने कार्यकलापों को देखने का प्रयास करें तो आपको पता चलेगा ।

सौभाग्य से मुझे भी इस सहकारिता विभाग में २५-३० वर्षों से काम करने का अवसर मिला है । आपकी कृपा से मैं ४ या ४ १/२ वर्षों से भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष रहा हूं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समय में प्रबन्ध समितियों में कोई दलगत नीति की बात नहीं आती थी लेकिन दुर्भाग्य से इस अधितियम को लाकर सरकार ने सर्वनाश कर दिया है । दलगत आधार पर समितियों में लोग रखे गये हैं नतीजा यह हुआ कि बजाय इसके कि यह आन्दोलन आगे बढ़ता, वह आगे नहीं बढ़ सका । वास्तव में इस आन्दोलन में जो कमजोरी आई है वह इसलिए आई है कि जो व्यक्ति इसके अन्दर मनोनीत किए जाते हैं, उनका सम्बन्ध सहकारिता के नहीं रहता है और नहीं तो इस दिशा में कुछ उनकी सेवायें हैं । इसमें दो राय नहीं हो सकती है । जो व्यक्ति किसी भी आन्दोलन में न रहा हो, उसकी भावनायें उस प्रकार से आदर नहीं प्राप्त कर सकती जैसी कि उस क्षेत्र में काम करने वाले कर सकते हैं । यदि आप सहकारिता को गतिशील बनाना चाहते हैं, उसमें जनता का सहयोग लेना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक था कि इसके गठन में, प्रबन्ध में और इसके संचालन में जन प्रतिनिधि हों । यदि उनकी साझेदारी नहीं होती है तो इस आन्दोलन को जन आन्दोलन का रूप नहीं दिया जा सकता है और जनता का सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो सकता है ।

हमारी जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है और आज आवश्यकता भी है कि देश के अन्दर समाजवाद की रचना हो, सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो । इसके लिए आपको सही कदम उठाना होगा । जन प्रतिनिधियों और आम जनता पर विश्वास पैदा कीजिए और जो लोग सहकारिता के क्षेत्र में काम किए हुये हैं, उनका सहयोग लेने की कोशिश कीजिए । जब तक ऐसा नहीं होगा सरकारी चंगुल से

छूटने का मौका नहीं मिलेगा । मैं सरकारी अधिकारियों की आलोचना नहीं करना चाहता हूं । बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि अधिकारियों की आड़ में शिकार खेल रहे हैं और जिनके कारण भी सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है । ऐसा भी नहीं है कि जन-प्रतिनिधि और सरकारी लोग इस देश या प्रदेश में युधिष्ठिर हों और दूसरे सारे बेइमान हों । लेकिन मैं आपसे बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस प्रदेश में सहकारिता प्रारम्भ हुई सुपरवाइजर इसके मंत्री होते थे, और रजिस्टार इसके प्रबन्ध को चलाते थे । मेरा निवेदन है कि जितने भी भ्रष्टाचार के मामले आपकी नजर में आते हैं उन सब को आप देखें तो पायेंगे कि उनमें सुपरवाइजर और अधिकारियों का हाथ अवश्य होगा । अधिकांश अगर आप जन प्रतिनिधियों को देखें, उनके तरीकों को देखें तो पायेंगे कि बहुत से लोग अपने दस्तखत भी नहीं कर सकते हैं । तो उनको कौन सिखाता है, उनका मार्ग कौन भ्रष्ट करता है, सरकारी कर्मचारी और उन्हीं को आप मान्यता प्रदान करते हैं कि वे इस विभाग से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करेंगे ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी आन्दोलन को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में बांट करके आप नहीं चला सकते हैं । इसमें अवश्य ही आप सरकारी लोगों को रखें लेकिन उनको एक मित्र, एक सहायक और एक सुपरवाइजर के नाते रखें । उनके हाथ में सारी सहकारिता की शक्ति देने की कोशिश न करें कि जिसको प्रबन्धक चाहे वह सहकारिता में भाग ले सकता है, प्रबन्ध समिति में सदस्य हो सकता है वर्ना नहीं । कृपा करके आप एक साहसी कदम उठावें, जनता में विश्वास पैदा करें । जनता के विश्वास से हम आप यहां आये हुए हैं । जनता में एक शक्ति होती है । यह किसी भी देश के इतिहास में नहीं पायेंगे कि जो समितियां और आन्दोलन जिसे जनता के प्रतिनिधि चला रहे हों उन्हीं के सदस्यों को उसके प्रबन्ध संचालन और कार्य प्रणाली में कोई हाथ न हो, इस प्रकार वह कैसे जनता का आन्दोलन बन सकता है ? इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जो १९६५ का सहकारी अधिनियम है, वर्तमान सरकार में जिसके आधार पर सहकारिता को संचालित कर रही है उसको अविलम्ब खत्म करें और उसको जनतांत्रिक स्वरूप दें और जिन-जिन धाराओं में जन-प्रतिनिधियों को खत्म करके सरकारीकरण हुआ है उनको समाप्त करके पुनः जनप्रतिनिधियों को प्रतिष्ठापित करने की कोशिश करें ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री शिव मंगल सिंह--

५ मिनट और दे दें, तो अनुगृहीत हूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट और बोलिये ।

श्री शिव मंगल सिंह--

एक निवेदन और करना चाहूंगा । हम रिजर्व बैंक से फाइनेंस पाते हैं । जो लोन कोआपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक से मिलता है वह ५ या ६ प्रतिशत पर

[श्री शिव मंगल सिंह]

प्राप्त होता है, लेकिन यही ऋण जब हम सहकारी समिति के सदस्यों तक पहुंचाते हैं तो वह साढ़े १० और ११ परसेंट के बीच में होता है। सहकारिता का यह भी एक आधार है और इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए कि आज सस्ते ब्याज के ऊपर हम अधिक से अधिक ऋण लोगों को प्रदान कर सकें। जब तक ऐसा नहीं कर सकेंगे तब तक सही माने में जो सेवा निर्बल और दलित वर्ग की करना चाहते हैं, वह नहीं कर पायेंगे। इस ओर विशेष तौर से ध्यान दें और सस्ते ब्याज पर अधिक से अधिक मात्रा में ऋण सुलभ करा सकें जिससे निर्बल और दलित वर्ग को जिनकी समाज में साख कमजोर है और जिनकी अर्थ-व्यवस्था हमें सुदृढ़ करनी है जिनके कन्धों को मजबूत करना है उसमें सहकारिता के माध्यम से हम सफल हो सकें, यही मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था करें।

*श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सहकारी आन्दोलन एक जन आन्दोलन है और इस जन आन्दोलन को जनता का आन्दोलन बनाने का प्रयास सहकारी आन्दोलन में काम करने वाले हर व्यक्ति ने किया है, हर व्यक्ति का कर्त्तव्य है। खेद है कि आज की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत यह जन आन्दोलन सरकारी आन्दोलन बनकर रह गया है। सहकारी तंत्र को सरकारी तन्त्र ने ग्रसित कर लिया। यह बड़े खेद की बात है कि आज लगभग ७५ प्रतिशत प्रशासनिक समितियों से लेकर प्रादेशिक समिति तक सरकारी नियंत्रण में है। सरकारी नियंत्रण में लेने के बाद यदि उनमें कुछ गड़बड़ियां थीं तो उनको ठीक किया जाना चाहिए था। यदि चुनाव समय पर नहीं हुए थे तो यह देखा जाता ऐडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कि समय पर चुनाव हो जायं। चुनाव में यदि कोई विशेष प्रणाली बनायी जानी थी, जैसा कि प्रस्ताव है तो शीघ्रातिशीघ्र उसको प्रस्तुत किया जाता और उसके आधार पर चुनाव कराए जाते। यह सब न करके सरकारी नियंत्रण में समस्त सहकारी आन्दोलन को ग्रसित कर लिया गया है जिसमें नियुक्तियां हो रही हैं, ट्रांसफर्स मनमाने ढंग से हो रहे हैं। बिना पूछे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और प्रशासकों के ऊपर जिन निबन्धक महोदय का नियंत्रण है वे बार-बार जन प्रतिनिधियों को आश्वासन देने के बाद भी कि प्रदेश में जहां-जहां चुनाव होने हैं, वह करायेंगे, आज तक चुनाव की व्यवस्था नहीं की गयी। आज सहकारिता आन्दोलन एक बदनामी का कारण बना है। उसका मुख्य कारण मुझे ऐसा लगता है कि यह है कि जिन सरकारी अधिकारियों के हाथ में सहकारिता विभाग है वे जनप्रतिनिधियों का विश्वास खो चुके हैं। यह सही है कि सहकारिता विभाग में गड़बड़ियां हुई हैं। यह भी सही है कि चुनी हुई समितियों ने धन का दुरुपयोग किया है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप हर समिति में प्रशासक बिठा दें। तो मैं चाहूंगा कि प्रदेश में जो ७५ प्रतिशत समितियों में प्रशासक बैठे हैं यथाशीघ्र वे जनप्रतिनिधियों के हाथ में सौंप दी जायं।

एक बात विशेष रूप से अपने जनपद के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि भ्रष्टाचार का केन्द्र बनी हुई समितियों में आज भी प्रशासक और कोआपरेटिव विभाग के अधिकारी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। एक ओर गड़बड़ियों के आधार पर ७५ फीसदी समितियों में प्रशासक बैठे हैं और दूसरी ओर दो साल पूर्व जिन समितियों के खिलाफ दफा ३५ की कार्यवाही करने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संस्तुति की गयी थी उनमें कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं एक विशेष उदाहरण आपके सामने रखता हूं। सहकारी दुग्ध संस्था जिसमें दस प्रतिनिधियों को मिलाकर एक विशेष समिति बनायी गयी थी जिससे जनसाधारण को यह आशा बंधी थी कि दूध का उपयोग करने की सुविधा लोगों को मिलेगी। लेकिन इस समिति ने दुग्ध उत्पादन की कौन कहे आज तक बिल्डिंग तक बनवा के नहीं दी, पूरी मशीनरी भी नहीं आयी, हजारों रुपए का गबन होने के बाद भी और मिल्क कमिश्नर और रजिस्ट्रार के सामने मामला लाने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

यह तो दिलचस्पी की हालत है, कोरम को जरा देख लीजिए।

(गणपूर्ति के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मान्यवर, मैं जालौन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का जिक्र कर रहा था। उस ओर बैठे हुए सदस्य जरा विचार करें, मुझे यह कहते हुए खेद है कि माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने उस समिति के पदाधिकारियों को संरक्षण दिया। यही नहीं भूतपूर्व पशुपालन मंत्री द्वारा भी उस समिति को संरक्षण दिया गया। जब दफा ३५ की कार्यवाही होनी थी और प्रबन्धक समिति को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने की बात था तो बड़े-बड़े मंत्रियों ने हस्तक्षेप करके उस भ्रष्ट सभापति को बनाए रखने के लिए कार्यवाही की। स्पेशल आडिट होने के बाद जीपों का खुला दुरुपयोग होने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वर्तमान शासन द्वारा भी जो कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव हुआ उस पर भी अमल किस के ढंग से होता है इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, सहकारिता मंत्री जी विचार करें। मैंने स्वयं और हमारे जिले तमाम जनप्रतिनिधियों ने लिखित रूप से शिकायत की....।

(व्यवधान)

(श्री हरी सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय हरी सिंह जी, बैठ जाइए।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

माननीय मंत्री जी से मैंने आदेश कराया कि ऐसा दुरुपयोग रोका जाय, जीपों को कब्जे में लिया जाय। माननीय मंत्री जी ने मिल्क कमिश्नर को आदेश दिया, कमिश्नर ने डिप्टी रजिस्ट्रार को आदेश दिया, डिप्टी रजिस्ट्रार ने असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को आदेश दिया, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने एस० एम० आई० को भेज दिया। बाद में वह हतोत्साहित होकर बैठ गया क्योंकि एस० एम० आई० के हाथ में कोई पावर नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि इसे सुधारने की आवश्यकता है।

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त]

इस प्रकार के भ्रष्टाचार को सुधारने की आवश्यकता है। एक हमारे निपनियां ग्राम, तहसील कालपी में सोसायटी है, वहां पर ९० हजार का गबन हुआ और उसको डकैती बताकर डकैती की रिपोर्ट लिखा दी गयी। काश्तकारों के नाम पर फर्जी डकैती बनाकर दिखा दिया गया। शासन से बार-बार आग्रह किया कि पुलिस से निष्पक्ष जांच कराई जाय और रुपया उन अधिकारियों से वसूल किया जाय। लेकिन आज तक वह रुपया उन अधिकारियों से नहीं वसूल हुआ। वहां पर और भी कुछ गम्भीर आरोप हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जहां दूसरी ओर सहकारी अधिनियम से इस प्रकार से जकड़ दिया गया है कि जन-प्रतिनिधियों को कोई अधिकार नहीं रह गया है। सारे अधिकार रजिस्ट्रार को हो गए हैं। आज उनमें सुधार की आवश्यकता है। अगर समितियों को कोई कठिनाई होती है, काम करने में, तो उसके निर्णय का अधिकार रजिस्ट्रार को है।

मैं गुजरात कोआपरेटिव सोसायटी के ऐक्ट की धारा १५६ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गुजरात की कोआपरेटिव सोसायटी में यह प्राविधान है कि समितियों के आपसी सम्बन्ध सुधारने की दृष्टि से कोआपरेटिव ऐक्ट में संशोधन करने की दृष्टि से, काम-काज में आने वाली कठिनाई की दृष्टि से वहां पर कोआपरेटिव कौंसिल का निर्माण हुआ। वहां पर उसका चेयरमैन सहकारिता मंत्री होता है, वाइस चेयरमैन उप मंत्री होता है। रजिस्ट्रार, कृषि निदेशक के साथ-साथ विधायक और जनप्रतिनिधियों में से ७ सदस्य उसमें मेम्बर होते हैं। मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह गुजरात की कोआपरेटिव सोसायटी के अन्तर्गत दफा १५६ को ध्यान में रखते हुए और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था करें, जिसके अन्तर्गत जन प्रतिनिधियों को यह अधिकार मिले कि वह सहकारिता आन्दोलन के सम्बन्ध में अपने निर्णायक सुझाव दे सकें।

वसूली के सम्बन्ध में मैं और कहना चाहता हूं कि जो नियम वसूली के सम्बन्ध में बने हैं, उनका खुले आम उल्लंघन किया जा रहा है। जो किसान बकायेदार होते हैं, उन बकायेदार किसानों की सूची तैयार होती है, उसको अखबारों में प्रकाशित कराया जाता है और किसानों पर ५ रुपया फी नाम से किसानों पर लगा दिया जाता है जिन लोगों का नाम प्रकाशित किया जाता है। जिनके नाम प्रकाशित किए जाते हैं, उनको ५ रुपये फी व्यक्ति भुगतान पड़ता है। मान्यवर, एक नाम के प्रकाशित करने में जहां पर ८ आने खर्च होते हैं, वहां पर ५ रुपए वसूल किए जा रहे हैं और सारे का सारा रुपया गोलमाल किया जा रहा है। उनके अधीनस्थ अधिकारी अपनी इस हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं और प्रकाशन के द्वारा हजारों रुपया किसानों से लेकर व्यर्थ में खर्च कराया जा रहा है। वसूली के लिए विज्ञापन जरूरी नहीं है। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। (लाल बत्ती जलने पर) आप मेरा समय समाप्त होने का संकेत दे रहे हैं।

मान्यवर, मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगा। सहकारिता ऐक्ट को उचित ढंग से बनाया जाना चाहिए। जो किसान कर्जदार हैं उनको पूरा अवसर मिलना चाहिए। जो प्रोनोट ब्यौरा है उसके खिलाफ वह आर्बिटेशन में उपस्थित हो सके, इसकी सुविधा उनको मिलनी चाहिए कि वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें। होता यह है कि गांव में डुग्गी पिटवा दी जाती है और डिग्री बना दी जाती है। किसान को पता नहीं चलता है, पता तब चलता है जब वसूली ब्याज सहित पहुंचती है। मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर भी ध्यान दें और यह देखें कि जो आर्बिटेशन डिग्री पारा होती है, जो बकायेदार किसान हैं, जिनके नाम पिछले

शासन में फर्जी लोनिंग दिखाकर उनको बर्बाद करने का प्रयास किया गया था, उनको पूरा अवसर मिले कि वह अपना पक्ष प्रस्तुत करें तभी वसूली की जाय। किसानों से जो यह हजारों लाखों रुपया वसूल किया जा रहा है, बकाया दिखाया जा रहा है तो कम से कम इसको स्थगित रखें जब तक कि इसकी व्यापक जांच न करवा लें। भविष्य में पास बुक में, जिस तरह से बैंक में पास बुक मिलती है और उसमें लिखा जाता है, उसी तरह से अनुपालन होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रियासत हुसेन––

श्रीमन्, सहकारिता आन्दोलन १९१२ से शुरू हुआ और अब १९७७ है। यह ६५ साल का हो गया है, मौजूदा सहकारी आन्दोलन बुड्ढा हो गया है। इसमें इस दौरान में इतने संशोधन हो गए हैं, अमेन्डमेन्ट हो गए हैं कि इसकी असलियत ही खत्म हो गयी है। मुझे कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। चाहे क्रेडिट सोसाइटियों का मसला हो, चाहे फेडरेशन का मसला हो, चाहे आपका लैंड डेवलपमेन्ट बैंक हो, चाहे ज्वाइंट कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटियों का मसला हो, जितनी भी शाखायें हैं एक भी शाखा ऐसी नहीं है जिससे आप स्वयं संतुष्ट होंगे, कि यह शाखा ठीक काम कर रही है। इस आन्दोलन का रूप ही बदल गया है। क्रेडिट सोसाइटियों में इतने खाते खुल गए हैं कि पता चला कि गांव की जनसंख्या भी उतनी नहीं है, जितने खाते हैं। जिसने ख्वाब में पैसा लेने की बात नहीं सोची है पता चला कि कई–कई हजार रुपए की डिग्री हो गयी है। हजारों घर बरबाद हो गए हैं। जमीनें नीलाम हो गयी हैं। कुर्कियां हो गयी हैं। आप सत्यापन की बात कह रहे हैं, पहली सितम्बर से सत्यापन चल रहा है। तो जितनी कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटियां खुली हैं, मेरे यहां तो सत्यापन चल नहीं रहा है। मुरादाबाद के अन्दर मेरे अपने क्षेत्र में चल नहीं रहा है।

मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि १९७३ में ६०–७० हजार रुपए के फर्जी रिकार्ड पुलिस में गए थे लेकिन आज तक पता नहीं कि वह कहां दफन हो गया और उन लोगों से रुपया फिर मांगा जाने लगा। तो सत्यापन कैसा हो रहा है। लक्ष्मीपुर कटई ज्वाइंट कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी मेरे सर्किल में है। लेकिन आज तक न यहां पर कोई झोपड़ी है, न कहीं बैल हैं, न कहीं एक बीघा जमीन है कि जिस पर हल चल रहा हो। लेकिन लगातार इसियों साल से रामपुर कटई ज्वाइंट कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के नाम से वह सोसाइटी काम कर रही है। तो फर्जी काम इतना हो गया। जो मौजूदा सहकारी आन्दोलन है यह बिल्कुल आउट डेटेड हो गया है। निश्चय ही समाजवाद के बगैर देश तरक्की नहीं कर सकता है और समाजवाद सहकारिता के बिना नहीं चल सकेगा। इसलिए आपका इसमें विश्वास है, ऐसा मैं समझता हूं। अगर आपका विश्वास है तो आपको एक काम्प्रहेन्सिव बिल बनाकर सदन के सामने रखकर मंजूर कराना चाहिये। ऐसा अभी एक हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि कल बनकर पहुंचते नहीं कि नया संशोधन हो गया। इन्हीं सारी चीजों का फायदा उन लोगों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियाज़त हुसैन]
मिलता है। आप जानते हैं कि सोसाइटियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और वह भ्रष्टाचार कैशियर और क्लर्क के बिना नहीं हो सकता है। तो आपको चाहिए कि इन्हीं चीजों को देखकर बिल बनाए जायं।

मान्यवर, अब मैं एनीमल हसबैन्डरी और दूध का जो मसला है, उस पर आता हूं। दूध का मसला ऐसा हो गया है कि अब दूध में पानी मिलाना बेइज्जती है। अब पानी में दूध मिलाया जाता है। इसका दौड़ है कि पानी में कितने कितना दूध मिलाकर बेच दिया। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में दलपतपुर इन्फैन्ट मिल्क पाउडर फूड फैक्टरी आपकी है जिसमें करोड़ों रुपए लगाकर दुग्धशाला को खड़ा किया गया है। उसमें ४५० आदमी लगभग काम करते हैं। परन्तु आज तक वह ७० लाख के घाटे में चल रही है। पता नहीं उसको खर्च करने के लिए रुपया कहां से आ जाता है। हर साल इसमें १० लाख का घाटा होता है। यदि आप इसको बन्द कर दें तो भी इतना घाटा नहीं होगा और मुश्किल से ढाई-तीन लाख का घाटा होगा जोकि वेतन आदि में देना पड़ेगा। इसलिए यदि आप नहीं चला सकते तो उसका नीलाम करा दें या प्राइवेट सेक्टर में दे दें, तो अच्छा होगा। इसमें डिप्टी सेक्रेटरी वहां डिपुटेशन पर जाते हैं जोकि ढाई हजार रुपया वेतन पाते हैं और ६ महीने रहकर पता नहीं कितना-कितना पैदा करके लेते हैं। वह जानते हैं कि यहां कुछ होने को नहीं और नौकरी तो बरकरार है ही। इसमें गड़बड़ी में पुलिस में केस हो गया। इन्क्वायरी डी० एम० की हुई। लेकिन पता नहीं इन्क्वारी वह कहां चली जाती है और उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है और उल्टे पता चलता है कि छोटे अधिकारी से वह बड़े अधिकारी बना दिए गए हैं। इसलिए मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस दुग्धशाला को या तो नीलाम करा दें या प्राइवेट सेक्टर में दे दें, तो अच्छा होगा।

मान्यवर, वहां दूध की हालत यह है कि जो देहातों से आते हैं वह फैक्टरी के आसपास के १० मील के रेडियस में कोई सोसाइटी नहीं बना सकते हैं क्योंकि यह कानूनन जुर्म है। सोसाइटी बनेगी मेरठ, बिजनौर और हसनपुर में। वहां से ४०-५० मील दूर पर सोसाइटी बनती हैं। सोसाइटी से ठेकेदार दूध लाता है। इतनी दूर से आने पर पता चलता है कि ७-८ हजार लीटर का टैंक फट गया या कभी कभी गाड़ी पंचर हो गयी और दूध सारा फट जाता है। दुग्धशाला की रोज की केपेसिटी ६० हजार लीटर है लेकिन १२०० लीटर का दूध वहां रह गया है। इस तरह वहां फायदा कैसे होगा? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अब मान्यवर, एनीमल हसबैन्डरी में जानवर किसानों के लिए खेती में जरूरी हैं। जानवरों की नस्लें अच्छी होंगी, तो अच्छा सीमन आयेगा। लेकिन कभी यह भी सोचा कि जानवर खायेगा क्या। चाहे गाय हो या भैंस हो उसको अच्छा चारा चाहिए, नहाने धोने के लिए पानी चाहिए। कोई मूसलसांडा तो है नहीं कि हवा खाकर जी सके। लेकिन इसमें कहीं नहीं लगता कि जो अच्छी नस्ल के जानवर होंगे, जो सीमेन आप देंगे, उनके लिए खाने का क्या प्रबन्ध होगा। ओबन, २५-३० रुपए किलो में बरसीम का बीज दस्तयाब नहीं हो सका। जो बोया था उसमें भी आधा बेकार निकला। इसलिए आप इंतजाम कीजिए कि आपका यह बीज स्टाकमैन द्वारा किसानों को मिल जाय जिससे उसे यही तसल्ली हो कि जानवर के लिए हरा चारा तो हो गया। अब आपकी डबल क्रापिंग चल पड़ी है। पहले तो होता था कि चार पांच फुट की बोली होती थी जिसमें भूसा हो जाता था लेकिन अब होने लगी एक फुट की जिसमें भूसा कहां से होगा।

इसी तरह से धान में है। जो पुआल जानवरों के खाने को हो जाती थी वह भी अब नई वैराइटीज में नहीं मिलती। इसलिए एक तो आप कम्प्रीहेन्सिव बिल अस्सरे नौ लायें और एनीमल हसबैन्डरी के यह ध्यान दें कि चारे का प्रबन्ध हो जाय। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। सहकारिता का उद्देश्य बड़ा पावन है किन्तु पिछला इतिहास साक्षी है कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है। इसलिए मंत्री जी इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए समुचित कदम उठावें। मेरे क्षेत्र में एक ग्राम पतौना है जहां पर कई किसानों के ऊपर सहकारिता की तरफ से माल विभाग को ऋण वसूली का कार्य सौंपा गया है। इनमें ऐसे किसान है जिन्होंने कर्जा लिया ही नहीं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कर्जा लिया या लेकिन उसकी अदायगी कर दी। उनसे फिर वसूली हो रही है। इस गांव की तरफ विशेष ध्यान देकर उन पीड़ित किसानों को राहत दिलाने की कृपा करें। इसी प्रकार भूमि विकास बैंक आपके अधीन कार्य कर रहा है। वहां पर बड़ी धांधली है। जो इंजन मार्केट में २२०० या २८०० में मिलता है उसकी कीमत ३२०० और ५५०० ली जाती है। इसका मुख्य कारण है किसानों को सीधा भुगतान न करके डीलर को करना इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था करें कि किसानों को सीधे पैसा मिले जिससे कि वह इस शोषण से बच सकें।

मेरे क्षेत्र में गंजरिया फार्म है। यहां चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती। मैं अनुरोध करूंगा मंत्री जी से कि उनके साथ इंसाफ कर उनको साप्ताहिक छुट्टी दिलाए।

इसी के साथ-साथ भूमि विकास बैंक की कुछ अनियमितताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक किसान सराय करीरा का निवासी है जिसका नाम सर्वजीत है। उसने बैंक से कर्जा लिया लेकिन उसको इंजन नहीं मिला। उसने कई प्रार्थना-पत्र दिये हैं, लेकिन बैंक की तरफ से सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा आज तक न्याय नहीं दिया गया। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देकर जो भ्रष्टाचार हुआ है, और हो रहा है, इस दिशा में उसको दूर करने के समुचित कदम उठायें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो पशुपालन और सहकारिता के सम्बन्ध में जो अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, सहकारिता का निश्चित रूप से बहुत बड़ा उद्देश्य है और इसको पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लागू करने का प्रयास किया। लेकिन इस सहकारिता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी]

आन्दोलन की जो दुर्दशा इस प्रदेश में हुयी है, सम्भवतः वह अन्य प्रदेशों में नहीं हुयी है। मेरा पहला सुझाव इस सम्बन्ध में है कि सहकारिता अन्दोलन इस प्रदेश में क्यों फेल हुआ, भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है, गबन की घटनायें हर जगह क्यों हो रही है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि एक समिति गठित की जाती, जो इन मामलों की जांच करती कि ऐसा क्यों है और यह अन्दोलन क्यों असफल रहा? हमारे प्रदेश के बगल के प्रदेशों में जैसे हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में सहकारिता अन्दोलन काफी हद तक सफल रहा है, लेकिन अपने प्रदेश में न जाने क्यों यह असफल रहा है। हो सकता है कि यहां के कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता थे जिनके कारण यह आन्दोलन सफल नहीं हो पाया। आखिर इसकी असफलता के क्या कारण हैं? तो इसके लिये जांच की एक कमेटी बनायी जाती जो जांच करती कि आखिर क्या कारण है कि सहकारिता आन्दोलन यहां असफल रहा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सहकारिता में जो भ्रष्टाचार है, उसकी जांच करावें। क्योंकि अगर जांच नहीं कराते, तो यह पता नहीं चलेगा कि कितने पैसे का अपव्यय हुआ है और कितना घोटाला हुआ है।

देवरिया जिले की सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में सहकारी संस्थाओं में इतना घोटाला है, लेकिन उस पर भी उस तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया और एक सहकारी संस्था ऐसी है जिस पर कोई सरकार का ऋण नहीं था, उससे काफी लाभ हुआ था, लेकिन वहां के सचिव को पद से हटा दिया गया। लेकिन अन्य संस्थाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो मेरा निवेदन है कि इस पक्षपातपूर्ण रवैये को खत्म करना चाहिये।

मान्यवर, दूसरा सुझाव है वह यह है कि जो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण दिया जाता है उसमें जो वर्तमान व्यवस्था है किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज सहकारी संस्थाओं के सचिवों के द्वारा फर्जी किसानों के नाम पर ऋण चढ़ा दिया जाता है या फर्जी अंगूठा लगा लिया जाता है और उसके बाद उसकी वसूली पहुंच जाती है। तो इन सारी चीजों पर गम्भीरता से विचार करना होगा। तभी इसमें सुधार आ सकता है।

अब पशुपालन की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। पशुपालन विभाग ऐसा विभाग है जिसके बारे में आम-जनता को जानकारी ही नहीं है कि ऐसा कोई विभाग है भी। आखिर इसका क्या कारण है। इसका कारण यही है कि यह जनता के बीच तक पहुंच नहीं पाया। उन्हें न तो इसके बारे में समझाया गया और न कोई प्रोत्साहन दिया गया। न उन्हें बताया गया कि पशुपालन से क्या फायदे हैं। तो पशुपालन की समस्या को ले लें तो देखेंगे कि आज पशुपालन का जो प्रारम्भिक कार्य करने वाले हैं। पशु चिकित्सक और इसके डाक्टर और छात्र महीनों से अनशन पर बैठे हुये हैं। उनके ऊपर लाठियां चलायी गयीं, उन्हें जेलों में बंद किया गया और उनकी न्यायोचित मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें मानवोचित वेतन-मान दिया जाय। उनकी डिमान्ड है कि उन्हें स्नाकोत्तर भत्ता दिया जाय। इन सारी चीजों को लेकर आज पशु चिकित्सक अनशन पर बैठे हैं। उनकी समस्यायों का निराकरण करना चाहिये क्योंकि सूचना मिली है कि सम्पूर्ण प्रदेश के पशु चिकित्सक इस चीज को लेकर आंशिक हड़ताल पर जाने वाले हैं, तालाबन्दी करने वाले हैं, तो इन समस्याओं पर मंत्री महोदय, को पहल करनी चाहिये और उसमें थोड़ा सा समझौता भी करना चाहिये ताकि उनकी जो न्यायोचित मांगें हैं, उनको माना जा सके।

मान्यवर, आज एक पशु चिकित्सालय को एक साल में १,४०० रुपया का बजट दिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन १,४०० रुपया में क्या किया जा सकता है और क्या इन रुपयों का समुचित उपयोग हो सकता है यह सोचने की बात है। जब एक मानव चिकित्सालय के लिये ५० हजार और ४५ हजार रुपये का बजट एक साल में दिया जाता है तो इन पशु चिकित्सालय को कम से कम ५,००० रु० तो पशुओं की दवाओं के लिये दिया जाना चाहिये। अतः इस मद में धनराशि को बढ़ाया जाना चाहिये।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि हर ब्लाक स्तर पर एक पशुपालन के लिये एक ऐसा केन्द्र स्थापित किया जाय पशु चिकित्सालय से अलग, जहां अच्छे किस्म के सांड़, गाय और भैंसों को रखा जाय और जिनके माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया जाय कि अगर इन गाय भैंसों को पालोगे तो इस तरह की सुविधायें दी जायेंगी। इससे पशुपालन की तरफ लोगों की रुचि बढ़ेगी और उन प्रयासों से किसानों का तथा इस प्रदेश का भी भला होगा।

मत्स्य पालन की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान और दिलाना चाहता हूं। मत्स्य पालन में अभी तक जितना रुपया दिया गया है वह सब बेकार गया है और उससे कोई भी ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं। अतः मेरा सुझाव यह है कि हर जिले में एक ऐसा केन्द्र स्थापित किया जाय जहां मछलियों का प्रजनन हो और काफी संख्या में हो और उनका वितरण अन्य जगहों पर किया जाय। अगर मत्स्य पालन की तरफ अधिक ध्यान दिया गया तो खाद्य समस्या भी इससे हल हो सकती है और लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। बेरोजगार युवकों को मत्स्य पालन के लिये पशुपालन तथा मत्स्य पालन विभाग से ऋण दिया जाना चाहिये और उसमें यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि वास्तविक रूप से और व्यावहारिक रूप से ही उन रुपयों का व्यय हो। हमारे यहां देवरिया जिले में, जैसा कि वहां एक स्थानीय विधायक श्री पांडेय जी कह रहे थे कि वहां पर एक बहुत बड़ा १६ एकड़ के क्षेत्र में एक पोखरा है। अगर उसे मत्स्य पालन का केन्द्र बना दिया जायेगा तो एक जिले में एक मत्स्य पालन का केन्द्र स्थापित किया जा सकेगा, जैसा मैंने पहले सुझाव दिया था और उससे लोगों को मत्स्य पालन में प्रोत्साहन मिलेगा और उसमें अच्छी किस्म की मछलियों को पालने के लिये रखा जाय।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुये निवेदन करूंगा कि वह मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दें। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारे सभी माननीय सदस्यों ने आज इस प्रदेश में जो सहकारिता का स्वरूप है उसके बारे में अच्छी तरह से बतलाया है।

[श्री जयराम]

सहकारिता इस देश के लिये जब कि हमारे देश में समाजवाद की तरफ चलने के लिये कहा गया है, सहकारिता एक वरदान स्वरूप है। लेकिन सहकारिता की स्थिति गांवों में उसी तरह से हो गई है जिस तरह से प्रभावशाली और शक्तिशाली लोग चाहें वह गांव-समाज की भूमि का मामला हो या अन्य जीवनयापन के साधन हों उनपर कब्जा जमा लेते हैं, उसी तरह इस पर कब्जा जमा लिया है।

जिस तरीके से उन के हाथों में अर्जित हो गया है उसी तरीके से सहकारिता का स्वरूप भी गांवों में बन गया है। इन कमेटियों में वही प्रभावशाली लोग जो गांवों में बराबर तीन तिकड़म करते हैं, लाभ उठा रहे हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा यह सुझाव है कि इन कमेटियों में चयन आप उसी तरीके से करें जिस तरीके से गांव पंचायत में किया गया है। उन गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए, खेतिहर मजदूरों के लिए भी रिजर्वेशन करें।

दूसरा सुझाव मैं इस के बारे में देना चाहता हूं। इन समितियों का संचालन एक सचिव के ऊपर निर्भर है। चाहे वसूली का काम हो, चाहे कर्जा बांटने का काम हो, कागजात में लिखने पढ़ने की, उस समिति को चलाने की पूरी जिम्मेदारी सचिव पर दिखलाई पड़ती है। सचिव की तनख्वाह पहले २५ रुपये माहवारी थी और अब शायद उससे कुछ बढ़ कर ८० रुपये कहीं ६० रुपये और कहीं-कहीं सौ रुपये तक की गयी है। हमारे माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि सहकारिता एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। लेकिन जरा सोचिये जो सचिव इतना बड़ा कार्यभार चलायेगा और उसकी तनख्वाह आप सौ रुपये, पचास रुपये रखेंगे तो वह चोरी नहीं करें तो क्या करें। आप जान बूझ कर के इस स्थिति को पैदा किये हुए हैं। यह बात सही है कि जितनी गड़बड़ियां होती हैं चाहे हमारे सुपरवाइजर साहब हों, चाहे कोआपरेटिव ए० डी० ओ० हों, चाहे ए० आर० हों, हमारे मैनेजिंग कमेटी के और हमारे जन प्रतिनिधि भाई हों, वे कोई भी हों सभी लोग सचिव के माध्यम से ही यह तमाम चोरी करते हैं। उसमें से थोड़ा बहुत टुकड़ा सचिव को दे कर के उस को चोरी करने के लिए छूट दी जाती है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि चाहे आप सचिव के कार्य को और बढ़ा दें, लेकिन उस सचिव को कम से कम इतनी तनख्वाह दें जिससे एक आदमी का पालन पोषण हो सके और वह चौबीस घन्टे का समय इस समिति को चलाने के लिए दे सके।

आपने पिछली जो हमारी खामियां रही हैं उन के बारे में इंगित किया है। यह बात सही है कि पिछली सरकार ने भी जितनी अच्छी तरीके से तमाम चीजों को बतलाना चाहिए था, बतलाया। आप ने भी जो यह पुस्तक छपवायी है और हम को दी है इस को पढ़ने से लगता है कि सरकारी समितियां हिन्दुस्तान के गरीब लोगों के जीवन में चार चांद लगाने वाली हैं। आप ने इस में लिखा है कि भूमि आवंटियों को हम ने बड़ी सुविधा दी है और भूमि आवंटियों को मास्टर प्लान के माध्यम से मेम्बर बना कर उन को कर्जा दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि जो भूमि आवंटी आप के कोआपरेटिव सोसाइटी से कर्जा लिये हुये हैं आज वह पश्चाताप कर रहे हैं। उन्हें जमीन जो आवंटित हुई थी वह मिली नहीं लेकिन उन के पास अगर एक आध मवेशी है तो उस मवेशी को मजबूर हो कर बेच कर कर्जे की अदायगी उनको करनी पड़ रही है।

मैं कुछ सोसाइटी के बारे में बतला दूं। ऐसी सोसाइटीज गाजीपुर जिले में हैं। मैं माननीय सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता। गांव के सदस्यों के नाम से एक हजार, १,५०० रुपये कर के एक लाख रुपये ले कर के एक अच्छी खासी बस उन को चल रही है। अब तीन बसेज हो गयी हैं। मैं आप को और

बताऊं । वहां पर एक मुकदमा अदालत में चल रहा है और यह साबित हो चुका है कि गरीब ने पैसा नहीं लिया है । लेकिन उन गरीबों की कुर्कियां हो रही हैं, नीलामी हो रही है और जबरिया उनसे पैसा वसूल किया जा रहा है । इसलिये मैं चाहूंगा कि गरीब आज जिस तरह से लूटा जा रहा है उसकी जांच करायें और सबसे अच्छा यह होगा कि जिनके नाम से फर्जी रुपये लिये गये हैं और अदालत में जिनके खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं उनके सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था करें कि उनको मुक्ति मिले ।

सामूहिक सरकारी समितियों के बारे में मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा । उन समितियों के पदाधिकारियों से जब बात की तो उनको मैंने उदासीन पाया और उनका कहना है कि इस पचड़े में किसी के पड़ने की आवश्यकता नहीं है । गाजीपुर जिले में गाजीपुर तहसील में बोगना गांव में हर जाति के लगभग १५२ खेतिहर मजदूर जिनमें हरिजन भी हैं ७५० बीघा जमीन पर कोआपरेटिव फार्मिंग बनाये हुए हैं । उनके अन्दर दो ताल हैं जो ४०० एकड़ के हैं । जब बरसात होती है तो ताल के जरिये ४ हजार रुपये का तिन्नी का चावल बिकता है और १६, १७ हजार रुपये की मछली बिकती है । लेकिन किस तरह से उस कोआपरेटिव सोसाइटी को ये अधिकारी परेशान करते हैं । जब ये गरीब बैंक से पैसा निकालने जाते हैं तो वे पैसा निकालने की अनुमति नहीं देते । मुझे ज्ञात हुआ है कि आप इन समितियों के ऊपर और अधिक अधिकारी तथा कर्मचारी लादने जा रहे हैं । देख-रेख के लिये आप अधिकारी तथा कर्मचारी रखें लेकिन हमारे कुछ प्रभावशाली नेता सहकारी समितियों को जो अपने उपभोग का साधन बना लेते हैं उसको रोकने का प्रयास करना चाहिये । आजादी के बाद जिस तरह से कुछ प्रभावशाली लोग उस आजादी को उपभोग का साधन बनाये हुए हैं उसी तरह से ऐसे लोग सहकारी समिति को भी अपने विकास तथा उपभोग का साधन बनाना चाहते हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, गांव के अगुवा हैं प्रान्त स्तर, जिला स्तर तथा ग्राम स्तर के जो नेता हैं अगर आप जांच करायेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस माननीय सदन में बैठ कर जो सदस्य भाषण कर रहे हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी निकलेगी जो ऐसी समितियों को स्वयं अच्छी तरह से चूर कर रहे हैं ।

*बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता मंत्री ने जो अनुदान पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । लेकिन यह समझ में नहीं आता कि यह सहकारिता का बजट है या सरकारी बजट है । सरकारी बजट है तो बोलते हुए भय मालूम होता है । मैं इसका पूरी तौर से भुक्तभोगी हूं । १९४७ में देश आजाद हुआ तो महंगाई बढ़ी और अन्न की चिल्लाहट हुई । उस समय गोविन्द बल्लभ पंत यहां पर मुख्य मंत्री थे । उन्होंने सहकारिता आन्दोलन के द्वारा उपभोक्ता भंडार खुलवाये जो जनता के लोगों के द्वारा खोले गये और जनता के पैसे के द्वारा खोले गये ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य जरा बैठें, कोरम नहीं है। (कोरम की घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

बाबा राम अधार यादव—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि १९४७ में जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद जब महंगाई का हल्ला गुल्ला रहा तो तत्कालीन मुख्य मंत्री पं० गोविंद बल्लभ पंत ने सहकारिता अन्दोलन को बढ़ाया और उपभोक्ता भंडार खोले और जगह-जगह सहकारी सोसाइटी बनाई और उनके द्वारा कपड़ा, तेल और अनाज का वितरण किया। जब यह उपभोक्ता भंडार चल पड़े और इनमें जब हर सामान आसानी से मिलने लगा तो सरकारी लोग घुसने लगे और साधारण जनता जो इन समितियों की सदस्य थी, वह अलग होने लगी। कार्यकारिणी में जो पहले जनता के लोग होते थे वह कम होने लगे और उनके स्थान पर सुपरवाइजर बैठाये गये। जिसका नतीजा आज यह है कि इसमें सभी सरकारी लोग घुस गये हैं और जनता के लोगों को अध्यक्ष पद से और मंत्रि पद से हटा दिया गया। कहीं-कहीं पर तो मुकदमें भी लोगों पर दायर कर दिये गये हैं। इसमें जो व्यवसाय के लोग थे, जो बाजारू लोग थे वह इसमें घुस गये। आज आपको इन सोसाइटियों में ऐसे ही लोग दिखाई देंगे। इस तरह से सहकारिता आंदोलन जनता के हाथों से हट कर इन लोगों के हाथों में आ गया। आज आप देखेंगे कि जिन लोगों के पास पहले टूटी दुकानें थी वह आज मोटर साइकिलों और कार में घूम रहे हैं। यह सहकारी आंदोलन न रह कर सरकारी आंदोलन हो गया इसलिए इसे सरकारी आंदोलन कहा जाय तो ज्यादा अच्छा है।

आज आप देखेंगे, हमारे यहां भी एक नया बाजार खुला है, वह सहकारिता विभाग द्वारा चलाया जाता है इसी तरह से सहकारी दुग्ध शालायें चलाई जा रही हैं तथा कोआपरेटिव बैंक, फेडरेशन आज चलाये जा रहे हैं मगर ये सब घाटे में जा रहे हैं। वहां पर बड़े-बड़े आफिसर आज बैठे हुए हैं। सुपर बाजार में सुपरवाइजर और मारकेटिंग इंसपेक्टर बैठाये गये हैं जिस कारण से इनमें ५ लाख रु० का आज घाटा है। जो रजिस्ट्रार और डिपटी रजिस्ट्रार रखे गये हैं उनको बड़ी-बड़ी तनखायें दी जाती हैं। सारा रुपया उसी में चला जाता है। मैं चाहूंगा कि अगर सचमुच में सरकार इसको सहकारी आंदोलन बनाना चाहती है तो इसके लिए माननीय सदस्यों की एक कमेटी बैठाये और आफिसरों के ऊपर इसका काम न छोड़ा जाय।

अब मैं डेरी और पशुपालन पर आता हूं। आज होता क्या है आप गावों में भैंस बांटते हैं उसमें हजारों रुपया भैंस खरीदने के लिए देते हैं वह उसको असली में मिल नहीं पाता है। आप जानते हैं कि यह रोजगार घाटे का है। आप उनसे दूध लेते हैं। मैं कहता हूं कि आप गांव से दूध लेकर वहां की नस्ल को कमजोर कर रहे हैं। देहात के अन्दर से बूंद-बूंद दूध चला आता है और उसका मक्खन, घी, क्रीम आदि बनाकर आप शहरी लोगों को खिलाते हैं और गांवों में बच्चों तक को बूंद भर दूध नहीं मिल पाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि डेरी की व्यवस्था गांवों में की जाए, गांव में तमाम बेकार लोग पड़े हुए हैं, तमाम डिप्लोमा धारी लोग बैठे हुए हैं, आप डेयरी के स्नातकों को यह काम दीजिए और उनमें ग्रामों में डेयरी चलवाइये। शहरों में स्थित डेयरी केन्द्र में आप जो ४०-५० किलोमीटर से दूध मंगवाते हैं, उसमें कितना खर्च होता है? इससे धन

का अपव्यय होता है और किसान से जो दूध लिया जाता है, उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। जहां तक गाय भैंसों की नस्ल सुधारने की बात है, आप उसकी तरफ पूरा ध्यान दें।

आपके पशु डाक्टर यहां आकर मूक प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, अपनी मांगें रखते हैं, किन्तु आप उन्हें नहीं मानते हैं। यह कैसी बात है कि जो मानव चिकित्सक हैं उनका वेतन अधिक, उनको सुविधाएं अधिक और जो पशु चिकित्सक हैं उनका स्तर और वेतन उनसे कहीं कम है। जबकि आदमी की चिकित्सा से पशु की चिकित्सा कहीं कठिन है, क्योंकि पशु अपनी तकलीफ को बयान नहीं कर पाता है। तो इस तरह से पशु चिकित्सकों को कम वेतन देने से, उन पर ध्यान न देने से पशु नस्ल कैसे सुधरेगी। मैं यह भी सलाह देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं अपने मंत्री जी से कि जो सहकारीकरण है, जो किताबों में छापा गया है, इसको खत्म करके फिर से आप इस विभाग का गठन कीजिए, जिससे सही माने में गांव के किसानों को लाभ मिले, जो उसका दूध लिया जाता है, उसको उसका उचित मूल्य मिले। इसमें एक गड़बड़ी और है, शहरों में ३–४ दिन का बासी दूध लोगों को मिलता है। लखनऊ में जो दूध दिया जाता है, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं वह दूध दूध नहीं होता है, उसे और चाहे जो कुछ कहा जाए, ईमानदारी से उसमें दो प्रतिशत भी चिकनाई नहीं रहती है। तो यह जो जाल-बट्टे की चीज है, इसे आप बन्द कीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

आपके दो मिनट और रह गये हैं।

बाबा राम अधार यादव—

मैं एक ही मिनट में खत्म किए देता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप तीन मिनट और लीजिए।

बाबा राम अधार यादव—

आप इसको देखिए और पशुधन और डेयरी उद्योग को ठीक कीजिए। उसमें जो आप मनोनयन करते हैं, उसको खत्म कीजिए और सहकारी समितियों को बिलकुल स्वतंत्र कीजिए। पहले जितने लोग इसके सदस्य होते थे उसमें से इसका चुनाव होता था, किन्तु अब अफसरों की भीड़ लगाने से इसमें फायदा क्या है। उनके द्वारा एकाउन्ट का आडिट होता है, वह हो, लेकिन यह नहीं कि वह हमें आदेश दें। इस तरह से हमारी स्वतंत्रता कैसे रही। मैं जोरदार तरीके से कहना चाहता हूं कि सहकारिता नहीं है तो समाजवाद नहीं है। सहकारिता देश में स्थापित नहीं होगी, तो देश में समाजवाद कदापि नहीं आएगा। सन् ४७ से सहकारिता की अब तक जो हालत हुई है, वह अब भी होती जा रही है। सहकारी आन्दोलन क्या उन लोगों के हाथ में रहेगा, जिनको मालूम नहीं कि गाय कौन होती है और भैंस कौन होती है और बकरी व भेड़ कौन होता है। उसमें आप आई० सी० एस० और आई० पी० एस० अफसरों को लगाते हैं उससे यह कैसे होगा। यह जनता की चीज है, इसमें जनता का धन है, किसानों का ही ऋण

[बाबा राम अधार यादव—]

आप उनको देते हैं, न कि सरकारी अफसरों का जो आपके होते हैं। इसको आप दुबारा फिर से विधान सभा सदस्यों की कमेटी बनाकर करगे तो सहकारी आन्दोलन सफल होगा, वर्ना नहीं। अगर एसे ही चलता रहा जसे ३० साल कांग्रेसी रेजीम में चला है, आप मोटी-मोटी किताबें छपवाते जाइयेगा, लोगों को भ्रम में डालते जायेंगे। जनता सरकार कांग्रेसी सरकार से अलग कार्य करे तभी सहकारिता की प्रगति होगी। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसमें परिवर्तन और बदलाव लाएं ताकि देश का कल्याण और भला हो सके।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय जो माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, यही कटौती का प्रस्ताव मैंने १९६४ में इस सदन में सहकारिता आन्दोलन पर रखा था। अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता समाजवाद की एक बड़ी सीढ़ी है। इस पिछड़े हुए मुल्क में समाजवाद नहीं आ सकता जब तक सहकारिता आन्दोलन बिलकुल स्वच्छ नहीं होता।

मान्यवर, मैंने आज से तीन-चार महीने पहले जो पुरानी सरकार थी उसमें सहकारिता को देखा, चुनाव जीतने का एक बहुत बड़ा अखाड़ा समझा गया। सब जगह सहकारिता आन्दोलन चुनाव की मशीनरी बन रहा था। उसी तरीके से जो मैनेजिंग डाइरेक्टर और उसके अधिकारी थे वे सारे लोगों का रुपया बांट कर सरकारी पार्टी को कुल बल देते रहते थे। आज उन लोगों के हाथ में यह सरकार है जो लोग सहकारी आन्दोलन को भ्रष्टाचार, बेईमानी, तिकड़म, भाई-भतीजावाद और चोर बाजारी का जबरदस्त अखाड़ा मानते थे, मैंने भी इस विभाग पर जबरदस्त प्रहार किया था और दो महीने के शासनकाल में जो माननीय मंत्री हैं इस विभाग के किसी माननीय सदस्य ने यहां पर एक अनधिकृत पुस्तक दिखायी थी, उस पर किसी का नाम नहीं, सब सदस्यों को बंटी है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। शायद विरोधी पक्ष के लोग मेरी बात मानेंगे। गम्भीरता से बात कहना चाहता हूं। अगर व्यक्तियों में विश्वास नहीं रहेगा तो फिर देश में कोई जर्मनी, इंग्लैंड के लोग राज्य करने आयेंगे नहीं। आप और हम ही बैठेंगे। जनता हमसे गुस्सा हो जायगी तो उधर के लोग इधर बैठेंगे और फिर उनसे भी रुष्ट हो जायगी तो फिर हम इधर बैठेंगे। जनतंत्र की यह प्रणाली है। जहां तक सहकारिता मंत्री का ताल्लुक है, मैं उनको बचपन से जानता हूं और विश्वास के साथ कहता हूं कि माननीय सदस्य सदन का समर्थन करेंगे कि जहां तक उनके आचरण का सम्बन्ध है, और रुपये पैसे की बात लिखी है, मैं जानता हूं अनर्गल, इतना बड़ा सफेद झूठ है, इससे बड़ा दुनिया में झूठ हो नहीं सकता। अगर साढ़े १२ करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग बेईमान हैं तो फिर मुलायम सिंह को भी कहता हूं। लेकिन अगर साढ़े १२ करोड़ लोगों में दो-चार हजार लोग भी ईमानदार हैं, तो उनमें नम्बर एक या दो पर उनसे ज्यादा ईमानदार और चरित्रवान आदमी बहुत कम होंगे। मैं यह इसलिए नहीं कहता हूं कि वह मेरी पार्टी के हैं। वे बचपन से वह समाजवादी आन्दोलन में रहे हैं। इसलिए चरित्र हत्या करने का प्रयास करना बिलकुल अनर्गल और गलत बात है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो सहकारिता विभाग है, इसमें भाई मुलायम सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार नहीं है। मेरी सुबह भी उनसे बात हुई उन्होंने कबूल किया कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है। वह भ्रष्टाचार बहुत समय से है। इतने तिकड़मबाज लोग उसमें बैठे हुए हैं जिनके कारण उत्तर प्रदेश का सारा सहकारिता आन्दोलन सड़ गया है। किस-किस की बात कहें। मथुरा जिले में

उत्तर प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन का सबसे फर्स्ट बैंक साबित किया था। हमने नहीं किया। आदरणीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जिस समय प्रधान मंत्री थे उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था कि मथुरा जिले का कोआपरेटिव बैंक भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ बैंक है। मैंने पन्द्रह दिन से सारे जिला का नक्शा निकलवाया है। क्या–क्या बताऊं, साढ़े तीन करोड़ का बकाया इस कोआपरेटिव बैंक पर है। डेढ़ करोड़ रुपया ऐसे गबन का है जिसमें बस्ता जला दिया गया। रुपया बैंक से लिया गया, किसने लिया कहां गया, कुछ पता नहीं, बस्ता जला दिया गया। यह भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ बैंक का हाल है। इसी बैंक में इतना बड़ा घपला किया है, जो लिक्विडेशन अमाउन्ट होता है, उसमें ३० लाख रुपया कम कर दिया है, जिनका रुपया रुपया है, उनमें हंगामा मचा हुआ है वे अपना रुपया निकाल रहे हैं। एक ही परिवार के कितने लोगों पर, मैं सारी लिस्ट सहकारिता मंत्री को दूंगा, बड़ी छानबीन करके, पन्द्रह दिन मेहनत करके एक–एक चीज निकाली है।

एक परिवार है एक गांव में, मैं नाम नहीं लेता हूं, इस सदन में किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, यह नियम है पालखेड़ा गांव, ब्लाक नौझील में एक भाई के नाम ३३ हजार ८२, दूसरे सगे भाई के नाम ३३ हजार ४४२, तीसरे भाई के नाम २९ हजार ४६०, चौथे भाई के नाम २६ हजार २७३, पांचवें भाई के नाम २८ हजार ४०१ और छठे भाई के नाम पचास हजार रुपया बकाया है। एक ही परिवार की बात कर रहा हूं। एक ही परिवार पर इतना बकाया है। इस तरह से साढ़े तीन करोड़ रुपया का गड़बड़घोटाला है। यह केवल मथुरा जिले का सवाल नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं होगा जिसमें कोआपरेटिव बैंक में भाई–भतीजावाद, भ्रष्टाचार, चोरबाजार, तिकड़मबाजी और चुनाव जीतने का एक गोल न बनाया गया हो। कोई मैनेजिंग डाइरेक्टर उत्तर प्रदेश में नहीं होगा जो सरकारी जीप को अपने निजी कामों में न इस्तेमाल करता हो। हमारे यहां के मैनेजिंग डाइरेक्टर उसी जीप से लखनऊ, दिल्ली सब जगह चक्कर काटा करते हैं। और जब चाहते हैं तो टैक्सी भी कोआपरेटिव बैंक के किराये से कर लेते हैं। पूरे प्रदेश में सहकारी आन्दोलन सड़ा हुआ है। माननीय मुलायम सिंह जी अगर सहकारिता के साथ मजबूती से काम करें तो साफ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग में एक क्रान्ति आ जायगी। अगर नहीं करेंगे तो हर सहकारिता मंत्री चाहे वह कितना ही भला क्यों न रहा हो, मेरे सामने जितने सहकारिता मंत्री आये, सबके खिलाफ बदनामी के चार्ज इस सदन में लगे हैं। अगर उन सबको तोड़ कर आपने अच्छी भूमिका निभाई, तो जैसे कि वह बचपन से समाजवादी रहे हैं, अगर आपने क्रांतिकारी कदम उठाया तो सहकारिता आन्दोलन जो कि समाजवाद की प्रथम सीढ़ी है, बहुत बड़े दरजे पर पहुंचेगा। मैं तो विधान सभा में पहले भी रहा और अब भी हूं, मैं कभी भी सहकारिता विभाग का सदस्य नहीं रहा। मुझे फुरसत नहीं, लेकिन सहकारिता समाजवाद की पहली सीढ़ी है, उसको साफ करने के लिए यह बात कहनी पड़ती है। आपका रजिस्ट्रार है।

एक दिन मान्यवर, अचानक चला गया, उनको जानता नहीं, बहादुरी के साथ वह आदमी डिक्टेट करा रहा था कोई भ्रष्टाचार का मामला था। जब सह–

श्री राधेश्याम शर्मा--

कारिता विभाग का रजिस्ट्रार और सहकारिता मंत्री दोनों बढ़िया हो, जब दो ऊपर के आदमी बढ़िया हों तो जो नीचे के लोगों का रोना रोया जा रहा है उनको दुरुस्त करने म कोई भी देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग को स्वच्छ करना है, तो कड़ाई के साथ नियम बनाने पड़ेंगे। यहां की चुनाव पद्धति बहुत खराब रही है। जो सदस्य बच जाता है वह छीनाझपटी करता है। कोई किसी को चार्ज नहीं देता है। एक के पास बस्ता रहता है और दूसरे के पास दूसरी चीजें रहती हैं। अगर सहकारिता विभाग को स्वच्छ नहीं किया गया तो जनता पार्टी का जो वादा है वह वादा धीरे-धीरे धीमा हो जायेगा। इसलिए समय है मंत्री जी आप इस विभाग को स्वच्छ करें और छोटी-मोटी बातों से आप न डरें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री राधे श्याम शर्मा--

आप अपने रास्ते पर बढ़े चलें और इस सहकारिता आन्दोलन को स्वच्छ और साफ करें। अगर आपने सहकारी आन्दोलन में व्यापक भ्रष्टाचार जो है, उसको समाप्त किया और उसको बढ़ावा दिया तो जो यह कटौती का प्रस्ताव इस साल आया है वह शायद अगले साल न आवे। इन शब्दों के साथ में माननीय मुलायम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत सहकारिता के बजट का समर्थन करता हूं और जो रुपया इन्होंने इस विभाग के लिए मांगा है, वह स्वीकार किया जाये।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ३० साल से इस मुल्क में ऐसी सरकार थी जिसने सहकारी आन्दोलन को ही नहीं, छात्र आन्दोलन को, मजदूर आन्दोलन को और सारे आन्दोलनों को आन्दोलन का रूप न देकर अपना राजनैतिक अड्डा बनाया है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने हिन्दुस्तान की गरीब जनता को गुमराह किया और उसके नाम पर करोड़ों रुपया सहकारी बैंक से सहकारी समितियों से और अन्य सहकारी जगहों से निकाल कर धन का दुरुपयोग किया है। (कुछ लोगों के हंसने पर) इसमें हंसने की बात नहीं है। जितना किया गया है वह सब मैं कहूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। माननीय मोहन सिंह जी, यह जनता का आन्दोलन नहीं रहा है, मजदूरों का आन्दोलन नहीं रहा है, फटी धोती पहनने वालों का नहीं रहा है बल्कि पूंजीपतियों का आन्दोलन रहा है। इसे आप जनता का आन्दोलन बनायें, हजरतगंज का नहीं।

आज परिस्थिति यह है कि अगर आप जन भावनाओं का आदर करना चाहते हैं, ग्रामीण जनता के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो ये जो सहकारी समितियां बड़े पक्षपातपूर्ण रूप से बनी हैं, जिन्होंने जन भावनाओं की पूर्णतया उपेक्षा की है, आज हालत यह है कि एक घर के लोगों ने जिला से लेकर क्षेत्रीय समितियों पर कब्जा कर रखा है। आज सहकारी संघों में, सहकारी समितियों में, सहकारी भूमि विकास बैंकों में इन्होंने अपने चमचों को नियुक्त कर रखा है। जो आज भी मौजूद हैं। फिर उसी व्यवस्था को आज कायम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भूमि विकास बैंक का चेयरमन माननीय मंत्री जी के इशारों पर काम कर रहा है। इसके लिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। क्या इससे इंकार किया जा सकता है।

आज करोड़ों रुपया किसानों पर बकाया है जिनको पता नहीं किस दिशा में...

श्री अधिष्ठाता—

सुन्दर लाल जी, आप सदस्यों को संबोधित मत करें, चेयर को संबोधित करें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

बड़े–बड़े ओहदों पर वही आफिसर्स बठ हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। लेकिन वे अपने पदों पर आज भी पदासीन हैं। क्या आप में उनको हटाने की क्षमता है? हमने आपकी क्षमता देख ली। जय प्रकाश जी के नेतृत्व में आप जिस जोश से यह लड़ाई लड़े थे, वह जोश अब आप में नहीं है। वह ठंडा हो चुका है। यह आज चर्चा का विषय बना हुआ है।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हमारे सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री जी का और हम सबका गांवों से एक रिश्ता रहा है। आज भी उत्तर प्रदेश में पशुओं की चिकित्सा के लिए कोई अस्पताल नहीं है और अगर हैं भी तो उनके पास दवाई नहीं है, बजट नहीं है जिससे गांवों के किसानों में घोर निराशा और असंतोष व्याप्त है।

हमारे पशु चिकित्सक अन्य होमियोपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सकों की भांति समान वेतन की मांग कर रहे हैं, उसके लिए आन्दोलन कर रहे हैं। उनको भी समान वेतन दिया जाए। सहकारिता मंत्री जी, मैं आप से कहना चाहता हूं कि मथुरा और पंत नगर विद्यालयों के छात्र अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन कर रहे हैं।

मान्यवर, मैंने पहले भी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। लेकिन उन मासूम छात्रों की मांगों को सुनने के बजाय एस० डी० एम०, एस० पी० ने उन्हें मारा–पीटा तथा जेल भेज दिया। हमारी परम्परा यह रही है और नियम भी है कि विधान सभा परिसर के अन्दर बगैर विधान सभा अध्यक्ष की परमीशन के पुलिस परिसर के अन्दर एण्टर नहीं कर सकती है। अगर छात्र मंत्री जी से मिलना चाहते हैं तो कह देते हैं कि बात नहीं करेंगे। आपका रवैया इन छात्रों की पुकार सुनने का नहीं, इन मजदूरों की पुकार सुनने का नहीं जिनकी समस्यायें हैं, उनको सुनने का नहीं है।

आज भी आपने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जिनके खिलाफ विजिलेंस, सी० आई० डी० की इन्क्वायरी हो रही है, जिन्होंने करोड़ों रुपये का गबन किया है, सी० आई० डी० और विजिलेंस की रिपोर्टों की आपने परवाह नहीं की और उन्हें फिर से बहाल कर दिया।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित—]

लखनऊ कोआपरेटिव यूनियन में करोड़ों रुपये का घपला है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के अभियोग थे, जिनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान की रिपोर्ट थी, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कराया जा रहा है। वे अधिकारी भ्रष्टाचार में अपराधी है, घूस देकर अपने अपने पदों पर आसीन हैं, बरकरार हैं। आज सचिव के पद पर वर्तमान मंत्रि मंडल के एक सदस्य के दामाद को नियुक्त किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीक्षित जी, आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मान्यवर, मैं बड़े दिनों में आज बोल रहा हूं मुझे कम से कम ५ मिनट का समय और दे दीजिए।

मान्यवर, मुझे आज बड़ी खुशी है कि प्रदेश की विधान सभा के जो अध्यक्ष हैं, वे सहकारिता आन्दोलन के हामी रहे हैं और आपने सहकारिता के अन्दोलन को जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। सहकारिता एक समाजवादी कदम है, कदम तो यही है। हमारे जो समाजवादी कहलाने वाले लोग हैं, उनके चेहरे फीके हो चुके हैं। हमारे स्वर्गीय डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि हमें सच्चे अर्थों में समाजवाद को लाना है। हमारे समाजवादियों ने कुर्सियों का समर्पण कर दिया है। हमारे जय प्रकाश जी सच्चे समाजवादी हैं। हमारे माननीय सदस्य आरिफ मोहम्मद खां ने अन्याय के विरुद्ध कुर्सी को छोड़ दिया है। मैं उनको बधाई देता हूं। आप समाजवाद होते हुए भी उनके आन्दोलन की पीठ में छुरा भोंके चले जा रहे हैं। आज हमारे समाजवादी भाई डाक्टर लोहिया और महात्मा गांधी के सिद्धातों के पद चिन्हों की दिशा से अलग हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब यह प्रोसिडिंग में नहीं लिखा जायगा।

*श्री छेदी सिंह चौहान (जिला लखनऊ)—

अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें बोलने का समय दिया। हम आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि देश में सबसे बड़ा भ्रष्ट विभाग सहकारिता है। हाला कि आपने कुछ कदम उठाये हैं, लेकिन जबतक ठोस कदम नहीं होंगे तब तक कुछ सुधार होने वाला नहीं है। हम अपने जिले की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। लखनऊ जिला है जिसका हैडक्वार्टर करीब-करीब २२ किलो मीटर मोहनलाल गंज में है। इसका नतीजा यह हुआ कि दो बार वहां चोरी हो चुकी है। लाखों रुपया तिजोरी से निकाल लिया गया। जो चौकीदार रहता है उसको सुला दिया जाता है, रस्सी आराम से बंधी रहती है और रुपया निकाल लिया जाता है। लेकिन तफतीश

नोट—[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये।

में, जांच में फाइनल रिपोर्ट हो जाती है। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि दोनों चोरियों की सी० आई० डी० के द्वारा जांच करायें ताकि तथ्य सामने आ जाय। साथ ही देखा यह गया है कि लखनऊ में इस विभाग में मंत्री रहे, भाई मैनेजिंग डायरेक्टर, लड़का डायरेक्टर रहा और परिवार के सब लोगों के हाथ में यह विभाग रहा। आपने जरूर आदेश कर दिये हैं लेकिन कर्मचारी वही हैं। यहां तक कि अभी हमारे मंत्री जी ने कमिश्नरी के विधायकों को बुलाया तो हमने जब कहा तो दो सुपरवाइजरों का ट्रांस्फर अबतक हुआ है जो केवल यही काम करते थे कि ट्रांस्फर एंट्री कांग्रेस के मेम्बर बनाना। उनके घर की हैसियत अगर जांच की जाय तो लाखों रुपये की बिल्डिंग हैं, लखनऊ में बरकरार हैं। कमिश्नर रजिस्ट्रार साहब ने ट्रांस्फर किया लेकिन दावे से कह सकता हूं कि अभी भी ७५ फीसदी सुपरवाइजर पुराने हैं जिन्होंने काम पर एंट्री ही की है।

हमको ब्लाक की सेवा करने का अनुभव है। १५ साल ब्लाक प्रमुख रहे। छोटे–छोटे किसान हमारे सामने पेश हुए तो आधे से ज्यादा सहकारिता की शिकायत की। उनकी हमने जांच कराई। जांच सही मिली। दस्तखत प्रोनोट पर नहीं हैं, लेकिन अबतक उन सुपरवाइजरों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ और गरीब किसान हरिजन मारे गये और उन से रुपया वसूल किया गया। यहां–तक है कि वह काश्तकार जो मौजूद भी नहीं हैं उनके बच्चों से रुपया लिया गया और उनका अंगूठा–दस्तखत कुछ भी नहीं है, एक बिसवा जमीन भी नहीं है, लेकिन कैसे रुपया दिया गया। ये जब पुराने सुपरवाइजर जिले से हटाये जायंगे तब ये तथ्य सामने आ सकते हैं वरना जांच करने वाले वही सुपरवाइजर सब की सांठ–गांठ है। सामने बेईमानी नहीं आ सकती है। कितने ही कानून से उपाय सोचें।

हम आपका ध्यान भूमि विकास की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। कोई भी इंजन खड़ा हुआ २२०० से ज्यादा से ज्यादा २५ सौ से ज्यादा का नहीं है, लेकिन भूमि विकास के माध्यम से ४–५ हजार की कीमत से कोई भी कम नहीं मिलता। तो हमारा सुझाव है कि आप नकद देने की व्यवस्था करें ताकि अपनी खुशी से किसान खरीद सके और बीज का रुपया जो दलाल खा जाते हैं वह न खायें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि मैनेजर जो यहां का है वह बहुत ही बड़ा बेईमान है। हमारा नाम चनाव लिस्ट से काट दिया। जब हम वोट डालने गये तो नाम ही नहीं था। जबकि हिस्से का रुपया जमा किया, कर्जा भी नहीं था। इसके पहले जब चुनाव हुआ तो हम ही समर्थक थे उम्मीदवार के। अब गये तो मैनेजर ने नाम काट दिया कि नाम ही नहीं है। जब हमने अधिकारियों से शिकायत की थी, जांच नहीं हुई। उनका ट्रांसफर हुआ दूसरे जिले को, लेकिन कोई शक्ति ऐसी है उनके पीछे कि वह ट्रांस्फर कैंसिल होकर फिर मैनेजर साहब वहां मौजूद हैं। मंत्री जी नये जरूर हैं लेकिन और सब अधिकारी यही हैं। जबतक आप उनको नहीं हटायेंगे तबतक कोई सुधार नहीं हो सकता है। इन शब्दों के साथ जो सहकारिता का बजट पेश हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सहकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह बात सही है कि ३० साल तक पिछले शासन में सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ था। यह मैं नहीं मानता कि सारे के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। मैं यह भी नहीं मानता कि सारे के सारे सुपरवाइजर जो इस विभाग में काम करते हैं, वे भ्रष्ट हैं। लेकिन यह मैं मानता हूं कि जिनके हाथ में सहकारिता विभाग का प्रशासन था, जो सफेद पोश लोग थे वे लाखों रुपये की चोरी और गबन करने के लिए उन अधिकारियों पर दबाव डाल कर सहकारिता विभाग को लूटते रहे हैं। मैं यह भी मानता हूं कि गांवों में सारी सहकारी सोसायटियां भंग हो गयीं और उन सोसायटियां के सरपंच वही लोग बनाये गये थे जो झंडा लेकर कांग्रेस पार्टी को जिताया करते थे। अधिक से अधिक सोसायटियों के अन्दर गबन किया गया था।

हमारे मंत्री जी के बारे में जो किताब दिखायी जा रही है मुझे वह दिन याद है जब इस सदन के अन्दर भूतपूर्व सहकारिता मंत्री श्री लक्ष्मी शंकर यादव ने आरोप लगाया था कि सहकारिता विभाग में फैले हुये भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये जब वैसे निर्णय लिया और एस० पी० का एक स्क्वाड बनाया तो उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनको सहकारिता मंत्री के पद से हटाने का निर्णय लिया और माननीय लक्ष्मी शंकर यादव ने उस समय कहा था कि इस काम के लिये ७ लाख रुपया खर्च किया गया। आज जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे माननीय मंत्री जी ने जो नया निर्णय लिया है तो वही भ्रष्ट लोग हमारे मंत्री जी को डिमारलाइज करना चाहते हैं। मंत्री जी से आपके द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि ३० साल के अन्दर जो कोढ़ सहकारिता विभाग के अन्दर जमा हुआ है वह साफ करें और मैं अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि बदली हुई परिस्थिति में नये शासन में एक नयी दिशा दिखायें ताकि सहकारिता गांव-गांव तक पहुंचे।

जहां तक पशुपालन विभाग का सवाल है डाक्टर लोगों की हड़ताल थी। यह सही है कि उनको मनुष्यों के डाक्टरों के मुकाबले में बहुत कम सुविधायें मिलती हैं। लेकिन गांवों में भी एक दिक्कत है। शहर के चिकित्सकों के पास गांव के आदमी अपने जानवरों को ले कर तब जाते हैं जब आस-पास के डाक्टर फेल हो जाते हैं। जनता पार्टी की हुकुमत जो आयी है उसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी अधिकारियों का सहयोग रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सब के मसले को गम्भीरता से देखा जाय। साथ ही यह भी चाहूंगा कि हम जब सदन में बोलते हैं तो हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिये कि अधिकारी एक पक्ष हैं और हम दूसरा पक्ष हैं। हम सब एक हैं। लेकिन इसके बावजूद जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप है, चाहे वह बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये।

जहां तक सहकारी दुग्ध संघ की बात है, आजमगढ़ में ४ हजार लीटर की योजना है। वहां पर डेरी खोलिये, लेकिन अफसोस है कि आज भी जो आपकी डेरी खुली हुई है कोआपरेटिव की वह अधिकतर घाटे पर चल रही है। वहां पर काम तेजी से नहीं हो रहा है, दूध नहीं जा रहा है। पानी मिला हुआ दूध गांव के आदमी ले जाकर शहर में ढ़ाई रुपया किलो, ३ रुपया किलो बेंचता है और आपकी डेरी में किसान बेंचता है १.६० पैसे किलो। आप उसको १

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किलो का दाम देंगे १.६० पैसे, तो कैसे अच्छा दूध मिल सकता है। आप यंत्र से नाप करके दूध लेंगे तो आपकी डेरी में दूध नहीं आयेगा। आप गांव–गांव में भैंस खरीदने के लिए रुपया दें, किसानों को प्रोत्साहित करें ताकि अधिक से अधिक गांवों से हमको दूध मिले। जब तक आप दूध का दाम नहीं बढ़ायेंगे तब तक आपकी योजना सफल नहीं हो सकती है। जो हम लोग लखनऊ में दूध ले रहे हैं इतना रद्दी होता है कि वह दो घंटे के बाद ही फट जाता है। जो हम लोग १९७४-७५ में दूध लेते थे, उससे अब दूध बहुत खराब मिलता है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि डेरी पर शुद्ध दूध रखा जाय।

शहर में मछली खाने वालों की संख्या कम नहीं है, बढ़ रही है और यह एक अच्छा भोजन है। इससे ताकत आती है। लेकिन दाल का सवाल है, दाल पानी है, पानी बरस गया तो दाल ५ रुपया किलो बिकेगी। अरहर की दाल हिन्दुस्तान के अलावा दुनियां में और कहीं भी खाने वाले नहीं हैं। इस देश के अन्दर दाल की पूर्ति या सब्जी जो पैदा होती है, उसकी जगह कोई ले सकती है, तो वह है मछली। उसके लिए मेरा सुझाव है कि जो गांव समाज के अन्दर पोखरे हैं, पोखरियां हैं, वे बेकार हैं, सहकारिता मंत्री जी और माल मंत्री जी सारे के सारे मिल कर उन पोखरों और पोखरियों के अन्दर गांव समाज की तरफ से मछली पालने का उद्योग लगवायें। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि सहकारिता आन्दोलन के अन्दर माननीय मंत्री जी आप हिम्मत के साथ काम करें और जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हो, वह चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसके खिलाफ जांच करायें और हिम्मत न हारें। बहुत से लोग आपकी हिम्मत गिराना चाहते हैं, लेकिन आप हिम्मत न हारें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह अपने विभाग में एक नई दिशा दें।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)––

मैं एक बात कहना चाहता हूं श्रीमन्, सुन लीजिए। श्रीमन्, एक निवेदन यह है कि इस दल से केवल एक व्यक्ति जिसने कटौती का प्रस्ताव पेश किये, केवल वही बोल सके हैं, कई लोग जिनके नाम दिये गये थे, वे नहीं बोल सके। आधे घंटे का समय या तो बढ़ा दिया जाय या कोई और व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष––

आज के कार्यक्रम में आपने देखा ५ बजे के बाद नियम ५१ की सूचना पर वक्तव्य होगा और फिर उसके बाद दो घंटे सहकारिता बिल के लिए होगा और यह आपने कहा कि एक ही आदमी पर्याप्त अवसर विरोधी दल को मिला है। दो आदमी इस पक्ष से, एक इधर से, इस प्रकार से बोले हैं और इसमें एक कम्युनिस्ट के बोले, दो निर्दलीय आपके बोले, तो इस हिसाब से ठीक है। अब मैं इस पर अवसर नहीं दूंगा। श्री देव बहादुर सिंह जी उत्तर देंगे। आप देखिये बजट को पास करना है। माननीय सदस्य अगर चाहते हैं कि ८ बजे तक बैठे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, एक सदस्य को बोल लेने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं, एक इधर से बुलाऊंगा तो २ उधर से । इसमें समय बहुत लगेगा । जो रह गये हैं वह कृपया सहकारिता बिल पर बोलें ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि कटौती का प्रस्ताव रखते समय जिन समस्याओं के बारे में मैंने जिक्र किया, पशु-पालन से सम्बन्धित हैं, या मत्स्य पालन से सम्बन्धित हैं, करीब-करीब सबकी भावनायें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं । मुख्य रूप से जो बातें सामने आईं, कानून की वजह से जो संचालक मंडल भंग कर दिया जाता है, जो सहकारी समितियां हैं या कोआपरेटिव बैंक हैं, या फेडरेशन हो वह नौकरशाही के चंगुल में फंसते जा रहे हैं । मैं तो बिल्कुल इनसे सहमत हूं कि जहां कानूनों में परिवर्तन करने की बात है, मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि वह संशोधन करें । ऐसी व्यवस्था करें कि जन प्रतिनिधियों के हाथ में निश्चित रूप से यह संस्थायें रहें । अगर राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर कार्य करेंगे तो जन भावना का आदर नहीं हो सकेगा ।

दूसरी बात ब्याज के बारे में कही गयी है कि ब्याज ज्यादा है वह कम किया जाय । मैं स्मरण दिलाऊं कि जब आप मंत्री बने थे तो घोषणा की थी कि १ प्रतिशत ब्याज कम कर दिया जायगा । लेकिन इसको अभी तक कार्यरूप नहीं दिया गया है। मैं जहां तक मेरी जानकारी है उसके आधार पर कह रहा हूं । मान्यवर, चेक सिस्टम चालू हुआ, जो इससे पहले ऋण वितरण हुआ था तो किसी के नाम पर किसी ने ऋण ले लिया । तो इसमें पहले व्यवस्था थी कि गांव-गांव में एक टीम जाय वह इस बात की जांच करे कि किस पर कितना बकाया है । मैं चाहूंगा कि यह व्यवस्था पुनः चालू करें जिससे इस समस्या का समाधान हो सके । एक बात और कहूंगा ।

मान्यवर, पशुपालन के बारे में २-३ सुझाव दूंगा । अगर आप मवेशियों का बीमा कर दें तो गरीबों का बड़ा लाभ होगा, उनको बड़ी राहत मिलेगी । इसके अलावा ऋण लेने के लिये शिड्यूल्ड बैंक और सहकारी समितियां हैं, किसान जब ऋण लेने जाता है तो किसान को डाक्टर का एक प्रमाण-पत्र लाना पड़ता है । डाक्टर लोग १५-२० रुपये मनमाने ढंग से फीस लेते हैं । तो अगर कोई फीस लेनी है तो इसको निर्धारित कर दें । इससे गरीब लोगों को राहत मिलेगी । मान्यवर, पशुचिकित्सकों की मांग है कि हमें मानव चिकित्सकों के बराबर वेतन मान मिले । इसकी चर्चा हो रही है । मान्यवर, जय प्रकाश नारायण जी ने पत्र भी भेजा है कि वह सहमत हैं । मैं फिर चाहूंगा कि इसे मान लें और यह जो समस्या चल रही है, पंत नगर के छात्रों की जो मांगे हैं तो इस समस्या को हल करना चाहिये । मान्यवर, उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम १९७६ में बना । इसमें एक मिल्क कमिश्नर यहां हैं । जो दूध के विक्रेता हैं उनको लाइसेंस लेना आवश्यक है । लाइसेंस दुग्ध कमिश्नर के यहां से मिलने की व्यवस्था की है । तो मैं कहूंगा कि जिले-जिले पर लाइसेंस देने की व्यवस्था करें तो लोगों को आसानी होगी ।

मान्यवर, अधन मत्स्य पालन योजना, मत्स्य पालने के बारे में चल रही है । मान्यवर गांवों में जो तालाब हैं उनमें सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प,

आदि अच्छी-अच्छी मछलियां पाली जायं तो मछली का उत्पादन बढ़ेगा। जैसा माननीय बाबा राम अधार जी ने कहा। वह मछली के बड़े शौकीन लगते हैं।

मैं चाहूंगा कि हर गांव में मछली के छोटे-छोटे तालाब बनाये जायं। उसमें सरकार कुछ अनुदान दे जिससे यह व्यवस्था चल सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सदन से निवेदन करूंगा कि हमारे कटौती के प्रस्ताव को पास करें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं मैं उनका बहुत आभारी हूं। जहां तक कटौती के प्रस्ताव पर श्री देव बहादुर सिंह जी ने जो कहा है कि कोई ठोस चीज बजट में नहीं है तो उनसे कहना है कि उन्होंने इसमें कोई ठोस सुझाव नहीं दिये हैं और थोड़ा बहुत मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी उन्होंने कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा का सारा भ्रष्टाचार या कोआपरेटिव में जो कूड़ा-करकट है वह ६ जुलाई के बाद का नहीं है। यह विभाग हमें ६ जुलाई को मिला है। २३ जून को हमारी सरकार बनी है और उसके बाद का यह कूड़ा-करकट नहीं है। जो कटौती का प्रस्ताव रखने वाले हैं उन्हीं का यह पाप और कूड़ा-करकट है जिसे बटोरने में समय लगेगा। साथ ही मैं सफाई नहीं देना चाहता था अपने जीवन के बारे में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यह सारी पर्चेबाजी बिना प्रेम के नाम से यह तब हुआ करता था जब सरकार में लोक आयुक्त की कोई व्यवस्था नहीं की थी। मैं चाहता हूं कि जिनमें हिम्मत हो, या साहस हो वह मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले लोक आयुक्त के पास जायं और हलफनामा लगायें। मैं चाहता हूं कि लोक आयुक्त में जांच की शुरूआत हो। हलफनामे में जो आरोप हों यदि वह सही पाये जायं तो मुझे दंडित किया जाय और यदि दोष नहीं होंगे तो नहीं। इससे ज्यादा सफाई मैं नहीं देना चाहता हूं।

मान्यवर, उन्होंने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार के लिये क्या कदम उठाये हैं। तो मैं उसमें एक ही आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्रीमन्, २३ जून से लेकर सितम्बर तक आंकड़े मैं दे रहा हूं। वर्ष १९७६ में २३ जून, १९७६ से सितम्बर, १९७६ तक आपने जो काम किये हैं उनके आंकड़े और जिस दिन से जनता सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई २३ जून, १९७७ से अब तक के आंकड़े यह हैं वर्ष १९७६ में कुल विवेचना में मामले थे ३८ और वर्ष १९७७ में ९३ हैं। २३-६-७७ से अब तक जितने मामले निस्तारण किये गये हैं १४१ हैं और १९७६ में थे ६६१ जितने अभियोगों में आरोप-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं वह १९७६ में थे ५८ और इस वर्ष १२२ हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या १९७६ में थी २८ और इस वर्ष १९७७ में ७७ है। दंडित अभियुक्तों की संख्या १९७६ में थी ६ और १९७७ में २१ है। माननीय सदस्य ने जानकारी करने की कोशिश नहीं की और इसी तरह से हवा में उड़ते ही भाषण देने की कोशिश की है। इससे साबित होता है कि दुगुना नहीं तिगुना काम हुआ है।

[श्री मुलायम सिंह यादव--]

मान्यवर, माननीय सदस्य, श्री राधेश्याम शर्मा ने जो कहा है उसमें मैं आश्वासन देता हूं कि मथुरा का कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, मथुरा के बैंक में जितने आरोप आपने लगाये हैं, जितने भ्रष्टाचार के केस दिये हैं मैं पूरी-पूरी उनकी जांच कराऊंगा और उस समय मेरे ऊपर कोई प्रभाव असर नहीं करेगा। मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूं।

जैसा कि कहा गया है कि आपने जनतंत्र की हत्या कर दी। माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि पी० सी० एफ० के अध्यक्ष कौन थे? वहां कांग्रेस सरकार द्वारा नामीनेटड अध्यक्ष थे, लेकिन अब इससे ज्यादा जनतंत्र का सबूत और क्या हो सकता है कि वहां चुने हुए अध्यक्ष हैं। मुझसे भी मेरे साथी कह सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया। जो संचालक मंडल और प्रबन्धक समिति है उसके द्वारा चुना हुआ अध्यक्ष है। मैंने कुछ बोर्ड भंग किये हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत आयी है और उनकी जांच चल रही है। आपने रोशनलाल रिपोर्ट का जिक्र किया। आप किस मुंह से कहते हैं? आप अपने मंत्रियों से पूछें कि उस रोशन लाल रिपोर्ट को किस तरह से दबाया। लेकिन मैं उसको दिखला रहा हूं और आश्वासन देता हूं कि मैं उसका परीक्षण कर रहा हूं। आपने सुपर मार्केट की बात कही और छोटे लाल के सम्बन्ध में कहा। आपने जांच करवायी थी और आपने सारा घपला किया था। मैं दुबारा उसकी जांच कराऊंगा।

भूमि विकास बैंक के सम्बन्ध में आपने कहा। चाहे कोआपरेटिव विभाग में कितना भी भ्रष्टाचार क्यों न हो लेकिन यह मानना पड़ेगा कि लघु सिंचाई के साधनों में उसका योगदान महत्व का रहा है। पिछले साल ३२ करोड़ का लक्ष्य रखा गया था लेकिन हमने इस साल ६० करोड़ यानी दुगने का लक्ष्य रखा है। रामजीत यादव की बात आपने बतलायी। आपको यह सवाल नहीं उठाना चाहिए था। मैंने सदन में तीन बार सवाल उठाये थे लेकिन आप की तब सरकार थी और उसने कोई कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं की। सवाल है उसकी हैसियत कितनी थी, लेकिन आज न तो वह और न उसका छोटा भाई इस दुनिया में है। अब जांच किसके खिलाफ कराई जाय?

सहकारी समितियों का प्रश्न आपने उठाया। हमारी सरकार की पूरी मंशा है कि न्याय पंचायत स्तर पर जो गोदाम निर्मित किये जा रहे हैं वह उर्वरक के अलावा किसानों की जरूरतों का सामान जैसे तेल, कपड़ा आदि मिले। एक प्रकार से उनको मिनी बैंक का रूप दिया जायगा। पर्वतीय क्षेत्रों में इनमें कुछ ढिलाई की जायगी जिससे कि पांच किलोमीटर से ज्यादा किसी को न जाना पड़े। सुपरवाईजर की बात आपने कही। हमने जो कैडर एथारिटी की बात की है उसका सभी माननीय सदस्यों को स्वागत करना चाहिए क्योंकि इसके बाद वह संचालक मंडल की मेहरबानी पर नहीं रहेगा। अगर कोई ईमानदार अफसर है तो वह सही काम करेगा और ईमानदारी से काम करेगा यह समझ कर कि ज्यादा से ज्यादा मेरा ट्रान्सफर ही तो होगा। पहले तो उसको नौकरी से हटाने, मुअत्तल करने का भय रहता था इसलिए वह ईमानदारी से काम नहीं कर सकता था चाहे प्राइमरी सोसाइटी हो या जिला सहकारी बैंक हो इसलिए कैडर एथारिटी जो लागू करने जा रहे हैं, उसको सभी माननीय सदस्य मानेंगे और स्वीकार करेंगे।

मेरे कुछ साथियों ने डेरी के सम्बन्ध में बताया। मैं रियाज हुसैन साहब को बताना चाहता हूं कि जो लखनऊ डेरी में दूध हैंडलिंग होती है, वह जुलाई, १९७७ में ९,५४४ लिटर प्रति दिन, अगस्त, १९७७ में १३,७३३ लिटर

प्रति दिन, सितम्बर, १९७७ में २२,२६० लिटर प्रति दिन है। जो उसमें नुकसान था वह कितना था, वह बताता हूं—जून, १९७७ में २·६८ लाख, जुलाई, १९७७ में १·१९ लाख, अगस्त, १९७७ में १·२८ लाख। ये हानियां थीं। जबकि सितम्बर में हानियां समाप्त हो गयी हैं और लखनऊ की डेरी २०,००० के मुनाफे पर है। अभी रक्षाबन्धन के दिन कुछ शिकायतें मिलीं। दूसरे दिन वहां ३ अधिकारियों को दंडित किया गया। एक अधिकारी को निलम्बित किया और एक की सेवायें समाप्त कीं और वहां के जो सचिव थे, उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया और उनके खिलाफ जांच चल रही है। नतीजा यह हुआ कि यह एक लाख २८ हजार की घाटे वाली डेरी २० हजार मुनाफे पर है। जो आपने बताया कि मुरादाबाद में ७० लाख का जो घाटा बताया था और कहा कि दूध की हैंडलिंग १२०० लिटर गिर गयी, तो वह आपका कहना सही नहीं है। पिछले ६ महीनों में वहां ३५,००० किलोग्राम प्रति दिन दूध की हैंडलिंग की गयी। यह ६ महीने का है।

श्री रियासत हुसैन—

एवरेज बता दें ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

आपने एवरेज १२ महीनों का बताया। अगर आपको संतोष नहीं है, तो लिखकर भेज दें।

श्री रियासत हुसैन—

लिखकर आपको भी भेज चुका हूं और चीफ मिनिस्टर को भी भेज चुका हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

एक माननीय सदस्य ने जो गुजरात की तरह यहां की व्यवस्था करने के लिये कहा तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस पर विचार हो रहा है।

एक बात कही गयी कि ऐक्ट में संशोधन होते–होते पकड़ हो गयी। मैं तो चाहता हूं कि अगर सारे सदस्यों की भावना ऐसी है तो उस पर विचार करूंगा कि पूरे ऐक्ट पर पुनः विचार हो जाय। उस पर मैं विचार करूंगा।

अनेक सदस्य—

हो जाय।

श्री मुलायम सिंह यादव—

जहां तक यह बात कही गयी कि सहकारी अन्दोलन फंस गया है, तो उस सम्बन्ध में मैंने इसीलिये घोषणा की है सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाय। यह जो चुनाव संशोधन विधेयक ५–०० बजे आयेगा, वह भी इसीलिये है कि चुनाव कराना है। इसलिये उसमें संशोधन होना है। उसे जनतन्त्रीय स्वरूप देना है। उसके लिये चुनाव कराना जरूरी था। फिर

[श्री मुलायम सिंह यादव]—

उसके बारे में जब सभी सदस्य बोलेंगे, तब बताऊंगा। चुनाव अभी कराते तो चुनाव सम्पूर्ण होने में डबल खर्च होता और इतना जल्दी सम्भव भी नहीं होता।

इसलिये अभी २-३ महीना ही लेट हुआ है। चुनाव संशोधन के तुरन्त बाद ही हम चुनाव करा देंगे और जो यह कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों के हाथ में यह आन्दोलन है, तो चुनाव के बाद वह सीधे जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में यह आन्दोलन आ जायेगा ऐसा सरकार का पूरा-पूरा विचार है।

जहां तक पशु चिकित्सकों के आन्दोलन का सम्बन्ध है, मेरे एक साथी ने उसका जिक्र किया। मैं अपने साथियों से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो आन्दोलन कर रहे हैं वह छात्र कर रहे हैं, डाक्टर नहीं हैं। डाक्टर अगर छात्रों को आगे बढ़ाकर अगर यह चाहें कि अपनी मांगें मनवा लें तो उनकी यह जो कोशिश है, गलत है। यही नहीं वह गलत तरीके से दबाव डलवा रहे हैं, इस पर अभी सरकार कोई विचार करने को तैयार नहीं है। जो छात्र मेरे पास आये, जो उनके प्रतिनिधि मिले, मैंने उनको आश्वासन दिया है कि उन्हें पहले अपना आन्दोलन वापस लेना चाहिये क्योंकि पहली बात तो यह है कि डाक्टर नहीं हैं, छात्र हैं और अभी उनके लिये यह जरूरी नहीं कि वह नौकरी में जायें। इसलिये यदि छात्र अपना आन्दोलन वापिस लेते हैं तो इस पर सरकार जो सम्भव होगा, विचार करेगी, लेकिन पहले उनको अपना आन्दोलन वापिस लेना चाहिये। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहले वह अपना आन्दोलन वापिस लें फिर सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

मान्यवर, एक मेरे साथी ने यह भी बताया कि नस्ल सुधार तो हो रहा है लेकिन चारे की व्यवस्था नहीं की जा रही है। ऐसा नहीं है। सरकार इधर भी पूरी कोशिश कर रही है। सन् १९७६-७७ में विभाग द्वारा १४,२३५·४१ हेक्टेयर भूमि के लिये उन्नत चारे के बीज किसानों को बांटे गये थे और इस वर्ष सरकार का लक्ष्य २१,६४२ हेक्टेयर के लिये उन्नत बीज बंटवाने का है जिससे जानवर स्वस्थ रहें और दुधारू पशुओं से अधिक दूध प्राप्त हो सके।

अन्त में मैं अपने सभी साथियों का आभारी हूं जिन्होंने हमारे इस बजट पर सुझाव दिये हैं और अन्त में यही कहना चाहता हूं कि चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के, सहकारी आन्दोलन को जन-आन्दोलन बनाने के लिये, सहकारी आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिये जो भी सुझाव देंगे, उनको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं...।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई भाषण नहीं होगा, केवल स्पष्टीकरण आप पूछ सकते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने पशु चिकित्सकों की मांगों और उनके आन्दोलन के बारे में जिक्र किया था कि जो पशु डाक्टर हैं उन लोगों ने छात्रों को आगे करके अपनी मांगों को रखने का प्रयास कर रहे हैं इसीलिये उन पर विचार नहीं किया जा सकता। माननीय मन्त्री जी को यह भी मालूम होगा....।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायं। इस तरह से अनुमति नहीं दी जायेगी। आप भाषण दे चुके हैं। अब भाषण नहीं होगा।

क्या श्री देव बहादुर सिंह जी अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं ?

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं तो सदन से आग्रह करूंगा कि वह कटौती का प्रस्ताव पास करे।

श्री अध्यक्ष--

तो अब इस पर मतदान होगा।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४२--सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,९५,९९,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२--पशुपालन--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५२--पशुपालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,८३,२४,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३--दुग्धशाला (डेरी) विकास--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

[श्री अध्यक्ष—]

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५३—दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३२,५४,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४—मत्स्य उद्योग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५४—मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३७,०५,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७५—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७५—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,७१,५१,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८२—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८२—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,४०,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

४२-सहकारिता, अनुदान संख्या ५२-पशुपालन, अनुदान संख्या ५३-दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या ५४-मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ७५-सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ८२-पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९४-ऋण और अग्रिम सहकारिता

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९४-ऋण और अग्रिम-सहकारिता-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९४-ऋण और अग्रिम-सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,६१,०५,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनको मैं ले रहा हूं। सर्वश्री बेनी प्रसाद माधव, रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा जनार्दन प्रसाद ओझा की सूचना जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा नगर के एन० आर० ई० सी० डिग्री कालेज के शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों द्वारा १७ सितम्बर से की जा रही क्रमिक भूख हड़ताल से उत्पन्न विषम स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री शिक्षा मंत्री से कह देंगे कि वह इस पर बयान दें। नियम ५१ की अन्य किसी सूचना को स्वीकार नहीं किया है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

देवरिया जिले के बारे में सूखे के सम्बन्ध में तीन घंटे वाद विवाद कब होगा ?

श्री अध्यक्ष--

मैं सुबह निर्णय दे चुका हूं। आप उस समय उपस्थित नहीं थे। अब आप बैठें।

जनपद मुरादाबाद में लूट मार की घटनाओं, पुलिस द्वारा अनुसूचित जन-जाति कालोनी में एक नवजवान को गोली मारने आदि के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में जिन घटनाओं का उल्लेख किया है उनकी स्थिति निम्न प्रकार है :

१--प्राप्त सूचना के अनुसार मुरादाबाद में दिनांक १७ सितम्बर, १९७७ को ३ घटनायें मारपीट की हुई हैं, जिनमें पुलिस कर्मचारियों को चोटें आयीं। विवरण निम्नवत् है :--

(क) तहसील स्कूल के समीप स्थित चौकी हसनखां तिराहा पर एक रिक्शा एवं स्कूटर में टक्कर होने से उन सवार व्यक्तियों में लड़ाई हुई और चौराहे पर तैनात पुलिस कर्मचारी जब उक्त घटना के सम्बन्ध में

[श्री लक्ष्मण सिंह—]

पूछतांछ कर रहे थे तभी ४ व्यक्तियों ने आकर तीनों लड़कों को, जिनसे पूछतांछ की जा रही थी, गाली दी और एक व्यक्ति द्वारा देशी रिवाल्वर से ३ फायर किये गये, जिसमें से एक फायर एक कांस्टिबिल के सर में लगा। उक्त घटित घटना के सम्बन्ध में घायल कांनिस्टबिल की जुबानी तहरीर के आधार पर थाना मुगलपुरा पर चार नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ३०७ भा० द० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग की विवेचना के उपरान्त नामांकित चारो अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक २७ सितम्बर, १९७७ को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया।

(ख) एक कांस्टिबिल तथा दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होने तथा मौके पर इकट्ठा भीड़ द्वारा पथराव से पुलिस कर्मचारियों तथा दो होमगार्ड्स को आई चोटों के सम्बन्ध में कांस्टिबिल छोटे सिंह थाना कटघर द्वारा चार नामांकित व्यक्तियों के विरुद्ध लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाना कटघर पर धारा १४७/१४८/३२३/३०७/३३२/३३६/४२७ भा० द० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये अभियोग की विवेचना प्रचलित है। अब तक की विवेचना से नामांकित ४ अभियुक्तों के अलावा ३ अन्य अभियुक्त भी प्रकाश में आये हैं। ३ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दो अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया है। दो अभियुक्त अदालत से जमानत पर रिहा किये गये। विवेचना प्रचलित है।

(ग) ट्राफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ट्राफिक पुलिस के दो सिपाहियों द्वारा मना करने पर कार के मालिक व उसके ३ अज्ञात साथियों द्वारा सिपाहियों की कमीज फाड़ने व उनके साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में श्री राकेश पुत्र श्री सूरज प्रकाश निवासी मियां साहिब की गली थाना कोतवाली मुरादाबाद व तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कांस्टिबिल शिव कुमार त्यागी द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली पर धारा ३३२/३४२ भा० द० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त फरार हैं। अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

२—दिनांक २१ सितम्बर, १९७७ को जिला मुरादाबाद के मुख्यालय पर ८ लाशें पोस्टमार्टम के लिए नहीं आयीं, बल्कि भिन्न-भिन्न घटनाओं के पांच शव डाक्टरी परीक्षण के लिए आये थे। यह मामले कुढ़, फतेहगढ़, चन्दौसी, बिलारी, नौगवां, सादत तथा डिडौली थाना क्षेत्रों से सम्बन्धित थे। घटनाओं के विवरण निम्नवत् हैं :

(क) श्री हेत राम पुत्र शिवा मुराव, निवासी ग्राम गुमथल, थाना कुढ़ फतेहगढ़ की पक्की सड़क पर उसके सोने के स्थान पर मरा पड़ा पाये जाने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक १९ सितम्बर, १९७७ को मृत्यु का कारण न बताते हुये अंकित कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाना कुढ़ फतेहगढ़ पर धारा ३०४-अ० भा० द० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये अभियोग की विवेचना प्रचलित है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार सिर तथा छाती में आई चोटों के कारण मृत्यु होना पाई गई है।

(ख) श्री नवल किशोर पुत्र श्री हरिबाबू, निवासी मोहल्ला डेहरिया, कस्बा चन्दौसी को मेला देखकर घर वापस लौटते समय रंजिश के कारण चाकू आदि से चोटें पहुंचाकर हत्या करने के सम्बन्ध में मृतक के पिता द्वारा दिनांक २० सितम्बर, १९७७ को थाना चन्दौसी पर चार नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध अंकित कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर धारा ३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं तथा विवेचना प्रचलित है।

(ग) श्री शिव औतार (संग्रह अमीन) पुत्र श्री किशन लाल कायस्थ, निवासी ग्राम अलहादपुर तथा वादी को रंजिशवश घेरने, बन्दूक से फायर कर श्री शिव औतार को हत्या करने के सम्बन्ध में मृतक के भाई श्री शिवचरन द्वारा दिनांक २० सितम्बर, १९७७ को अंकित कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर उक्त ग्राम के दो नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बिलारी पर धारा ३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक २४ सितम्बर, १९७७ को दोनों नामजद अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और जेल भेजे गए। अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

(घ) श्री हरिया उर्फ हरी सिंह पुत्र श्री इमरत गड़रिया निवासी ग्राम पीलाकुन्ड थाना नौगवां सादात की शीरा के टैंक में गिरकर मरने के सम्बन्ध में राजेन्द्र प्रसाद मुनीम क्रेसर श्री हंसराज बतरा ने थाना अमरोहा पर सूचना अंकित कराई और उसके विपरीत उक्त वादी तथा दो अन्य नामांकित व्यक्तियों के विरुद्ध मृतक हरिया उर्फ हरी सिंह से झगड़ा करके जान से मार डालने के सम्बन्ध में थाना नौगांवा सादात पर श्री केवल सिंह निवासी उक्त ग्राम द्वारा दिनांक २० सितम्बर, १९७७ को प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई जिसके आधार पर धारा ३०४ भा० द० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

(ङ) श्री लाखन सिंह निवासी ग्राम बरखेड़ा राजपूत, थाना डिडोली को रंजिशवश दिनांक २०/२१ सितम्बर, १९७७ की रात्रि में उक्त ग्राम के दो व्यक्तियों द्वारा तमंचे से फायर करके हत्या करने के सम्बन्ध में मृतक के पुत्र द्वारा दिनांक २१ सितम्बर, १९७७ को थाना डिडोली पर लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर धारा ३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये अभियोग की विवेचना प्रचलित है। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८२/८३ दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

३—दिनांक २२ सितम्बर, १९७७ को हे० कां० यादराम द्वारा थाना सिविल लाइन पर अंकित कराई गई मौखिक सूचना के अनुसार दिनांक २१/२२ सितम्बर, १९७७ की रात्रि में धारा ४५७/३८० भा० द० वि० थाना रुद्रपुर नैनीताल व थाना सिविल लाइन मुरादाबाद के अपराध अन्तर्गत धारा ३२४ भा० द० वि० के अपराधियों की गिरफ्तारी करने हेतु हरथला कालोनी के कैलाश भातू के मकान पर जब पुलिस वालों ने दबिश दी तब अभियुक्त शिवराज आदि ने वादी को पकड़कर मारापीटा और कमरे में बन्द कर दिया। एक कांस्टेबिल की मफलर छीन ली तथा तमंचे से पुलिस पर फायर

[श्री लक्ष्मण सिंह---]

किया गया । बचाव में पुलिस वालों द्वारा भी फायर किया गया जिससे अशोक पुत्र श्री गंगा प्रसाद भातू निवासी आदर्श कालोनी हरथला घायल होकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई । उक्त सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद पर धारा १४७/१४८/३०७/३३२/३४२/२२४/२२५ भा० द० वि० तथा २५/२७ शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । इसके विपरीत मृतक अशोक के पिता द्वारा पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध धारा ३९४/३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत थाना सिविल लाइन्स मुरादाबाद पर दिनांक २२ सितम्बर, १९७७ को अभियोग अंकित कराया गया है । उक्त अभियोगों की विवेचना पुलिस उप अधीक्षक को सौंपी गई है । जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा मैजिस्टीरियल जांच के आदेश भी दिये गये हैं ।

४--प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २४/२५ सितम्बर, १९७७ की रात्रि में थाना कुढ़ फतेहगढ़ के तीन कांस्टिबिल जब गस्त पर गये हुये थे, एक कांस्टिबिल सीता राम जो नशे में था उसकी कहा सुनी दूसरे कांस्टिबिल महेन्द्र सिंह से हुई । कांस्टिबिल सीता राम ने कांस्टिबिल महेन्द्र सिंह को गोली मार दी जिससे उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । इस घटना के सम्बन्ध में ३०२/४०९ भा० द० वि० के अन्तर्गत दिनांक २५ सितम्बर, १९७७ को थाना कुढ़, फतेहगढ़ पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और कांस्टिबिल सीताराम को बन्दी बनाकर जेल भेजा गया । अभियोग की विवेचना प्रचलित है ।

५--दिनांक २२/२३ सितम्बर, १९७७ की रात्रि में आशक उर्फ मकोड़ा, निवासी ग्राम ढ़कियाजट, थाना डिलारी को उसी ग्राम के पांच नामजद अभियुक्तों द्वारा उसके घर की छत काटकर अन्दर प्रवेश करके रंजिश के कारण हत्या करने की घटना के सम्बन्ध में दिनांक २३ सितम्बर, १९७७ को थाना डिलारी पर धारा ३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगण की तलाश जारी है तथा अभियोग की विवेचना प्रचलित है ।

जिला प्रशासन अपना कर्तव्य पालन, अपराध नियंत्रण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में पूर्णतया सक्रिय है और शासन द्वारा भी कड़े निर्देश दिये गये हैं कि प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

अब सदन का समय १५ मिनट बढ़ाये देता हूं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं बहुत से सवाल न कर के एक ही सवाल कर लूं, एक हफ्ते के अन्दर ये सब कारगुजारियां--मर्डर, पोस्टमार्टम और लूटमार आदि हुए हैं, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको कुछ ऐसे भी सूचना मिली है कि आखिर यह एक हफ्ते में यह ला एण्ड आर्डर क्यों बिगड़ा ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बड़ा छोटा कर दिया, यों मैं सब आंकड़े लाया था। इसकी कोई सरकारी सूचना तो नहीं है और हो भी नहीं सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेसी लोग कुछ जोश में हैं और इधर-उधर झगड़े करा रहे हैं। यह सम्भव है, क्योंकि इसमें केसेज ऐसे आए हैं, जो पुलिस पर, पुलिस ट्राफिक पर और कार्यालयों पर हमले किए गए हैं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

देवरिया जिले के बारे में सूखे के सम्बन्ध में तीन घंटे विवाद कब होगा ?

श्री अध्यक्ष--

मैं सुबह निर्णय दे चुका हूं। आप उस समय उपस्थित नहीं थे। आप बैठें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

यह कोई जबाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

क्या जबाब की अपेक्षा रखते हैं ? आपने कहा कि एक हफ्ते में यह स्थिति क्यों बिगड़ गयी ? तो भिन्न-भिन्न थानों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। माननीय मंत्री इसका उत्तर दे भी क्या सकते हैं ?

श्री रियासत हुसैन--

यह देखते हुए कि जियोग्रैफिकली, जितने थानों की घटनाएं हैं, जिला मुरादाबाद के पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं किसी सीनियर आफिसर, डी० आई० जी० के रैंक के जरिये से इस सब की जांच कराएंगे कि इनका क्या कारण है कि मुरादाबाद के ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था बिगड़ रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

जैसा कि आपने मान्यवर, अभी बताया माननीय सदस्य को, यह अलग-अलग थानों की घटनाएं हैं रंजिश के कारण हुई हैं, कुछ पुलिस के कर्मचारी हैं, उनसे वारदात हो गयी है। सामान्य रूप से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन जिले की बाबत आप कहते हैं, किसी उच्चाधिकारी से जानकारी और जांच करायी जायगी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, प्रश्न यह है कि क्या मुरादाबाद में जो अपराध की वृद्धि है, आप इसे साधारण या असाधारण समझते हैं, अगर असाधारण है तो इसमें विशेष रूप से किसी जांच की आवश्यकता है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया यह अलग-अलग थानों पर वारदातें हुई हैं। यह इत्तफाक है कि एक ही दिन में कई जगह वारदातें हो गयीं।

[श्री लक्ष्मण सिंह]

लेकिन इसको असाधारण नहीं कहा जा सकता । एक वारदात एक थाने में चौराहे पर हो गयी, एक थाने में एक लाश पड़ी पायी गयी, अलग-अलग जगहों पर वारदातें हो गयीं हैं । ८ का सवाल गलत है । इकट्ठी हो गयीं पांच लाशें पोस्ट-मार्टम करने के लिए । कोई असाधारण स्थिति नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आठ वाली जो बात है अपनी जगह पर वह सही है । बहजोई थाने में घटना हुई उसमें दो हरिजनों की मौत हो गयी, २३ तारीख को एफ० आई० आर० अंकित की गयी है । मैंने निश्चित् उस घटना की तरफ इशारा नहीं किया । जो कब्रस्तान में भूतप्रेत जगाने की क्रिया कर रहें थे, पुलिस वालों ने यह समझ कर फायर कर दिया कि डाकू बैठे हैं या क्या है । दो हरिजनों की वहीं पर मृत्यु हो गयी, तीन हरिजन जख्मी हुए हैं । इसमें नहीं दिखाया गया है । इसलिए सात वाली बात मेरी अपनी जगह पर सही है ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप प्रश्न कीजिये ।

श्री रियासत हुसैन--

मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिले के एस० एस० पी० महोदय का कोई विशेष इसमें हाथ है जिससे जिले का शासन ढीला हो रहा है, इसकी जांच कराएंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह आक्षेप है । ऐसा नहीं । यह कहना कि एस० एस० पी० का हाथ है, या तो साफ-साफ अभियोग लगाइये, कि उनका हाथ है ऐसे तो नहीं है, यह तो केवल आप सम्भावना की बात कह रहे हैं । इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा । आप प्रश्न दूसरा कीजिये ।

श्री रियासत हुसैन--

कहीं ऐसा तो नहीं है कि एस० एस० पी० महोदय के ढीलेपन की वजह से या किसी कारण से मुरादाबाद में ला एंड आर्डर बिगड़ रहा है, क्या डी० आई० जी० से इसकी जांच कराएंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न काल्पनिक है ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या यह सही है कि एस० एस० पी०, मुरादाबाद के ढीलेपन और उसके कमजोर होने के कारण मुरादाबाद में ला एंड आर्डर की व्यवस्था बिगड़ रही है, इसकी जांच उच्चाधिकारी द्वारा कराएंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपने ठीक प्रश्न किया ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है, उसमें हरिजनों की हत्या का कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही ऐसा शासन को कोई शक भी नहीं है कि कोई ढीलापन ए० एस० पी० कर रहे हैं। इसलिए डी० आई० जी० से जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उसके पृष्ठ ३ पर (घ), (ङ) और ३ और ४ में जो ३०२ की घटनायें बतायी गयीं हैं, तो उन अभियुक्तों को अभी तक पकड़ा गया है अथवा नहीं और उनको पकड़ने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह तो मान्यवर, इकट्ठा कर दिया।

श्री अध्यक्ष--

आप एक-एक प्रश्न पूछिए।

श्री ऊदल--

यह पेज ३ पर है और सभी साथ-साथ दिए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है या नहीं और उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

तलाश जारी है। २४/२५ तारीख की घटनायें हैं इसमें तेजी की जायेगी।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया, इतने लोगों की मृत्यु हुई और उनका कहना है कि जिला प्रशासन अपना कर्त्तव्य पालन अपराध नियंत्रण एवं शान्ति बनाये रखने में पूर्णतया सक्रिय है। और शासन द्वारा भी कड़े निर्देश दिए गये हैं कि प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाये। क्या नये कड़े निर्देश अभी दिए गये हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह सही है कि कई घटनाएं एक साथ हुई लेकिन यह सब अलग-अलग जगहों पर हुई हैं। यह कोई सामूहिक चीज नहीं है जिसके कारण कोई असाधारण घटना हो गयी हो। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि स्थिति नियंत्रण में है।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, पृष्ठ २ पर यह लिखा है कि दिनांक २१ सितम्बर, १९७७ को जिला मुरादाबाद के मुख्यालय पर ८ लाशें पोस्टमार्टम के लिए नहीं आयी, बल्कि भिन्न-भिन्न घटनाओं के पांच शव डाक्टरी परीक्षण के लिए लाये गये। तो मैं जानना चाहता हूं कि डाक्टरी परीक्षण और पोस्टमार्टम में क्या अन्तर है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

कोई अन्तर नहीं है ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वक्तव्य के पैरा ३ में जिस अशोक की मृत्यु का जिक्र है उसके पिता ने जो रिपोर्ट लिखायी है उसमें घटना स्थल क्या दिखाया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

निवासी ग्राम ढकियाजट ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

मृतक अशोक के पिता ने जो रिपोर्ट लिखाई है तो किस स्थान पर मृत्यु हुई है कमरे के अन्दर या कमरे के बाहर आप एफ० आई० आर० देख लें ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इसमें तो पचीसों एफ० आई० आर० हैं । सब को पढ़ने से क्या फायदा होगा ? आप यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु घर के अन्दर हुई या बाहर तो मृत्यु तो बाहर ही हुई ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

श्रीमन्, अशोक के पिता नें क्या रिपोर्ट लिखाई है ?

श्री अध्यक्ष--

एफ० आई० आर० पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा कि रिपोर्ट में बतलाया गया है कि पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं और उनमें से एक को फाइरिंग से चोट लगी है तो क्या उसका कोई डाक्टरी मुआइना हुआ है ? उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि पुलिस कर्मचारी को कमरे में बन्द करके मारा पीटा गया उससे जो चोट लगी तो क्या उसका कोई डाक्टरी मुआइना हुआ है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

डाक्टरी मुआइने की तो कोई रिपोर्ट इसमें नहीं है । अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो इसकी सूचना बाद में दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

वक्तव्य के पृष्ठ ३ पर पैराग्राफ तीन में देखें । इसमें कहा गया कि हेड कांस्टेबिल याद राम ने अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु धारा ३२४ भा० द० वि० के अन्तर्गत हरतला कालोनी के कैलाश भातू के मकान पर दावत दी तब अभियुक्त शिवराज आदि ने वादी को पकड़ कर मारा पीटा और कमरे में बन्द कर दिया ।

एक कांस्टेबिल की मफलर छीन ली तथा तमंचे से फायर भी किया गया । तो इससे जो चोट लगी तो क्या उसका कोई डाक्टरी मुआइना हुआ ?

(कुछ सदस्यों के प्रश्न पूछने के लिए खड़े होने पर)

आप लोग फाईल को देखने दीजिये । जरा धैर्य रखिये, सुनने के लिए ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

इसमें लिखा है याद राम एजेड ४५ इयर्स । इनके चार चोटें आई हैं ...

श्री अध्यक्ष—

इसका इससे ताल्लुक नहीं है प्रश्न यह है कि जब यादराम, हेड कान्स्टेबिल अभियुक्तों को पकड़ने के लिए गए तो सिपाहियों को चोटें लगीं, अगर लगीं तो उनका डाक्टरी मुआयना हुआ या नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि यादराम हेड कान्स्टेबिल जब अभियुक्तों को पकड़ने गए तो नशे में ध्वस्त (धुत्) थे ?

श्री अध्यक्ष—

बहुत शोर हो रहा है । कृपया शांत रहें, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वे नशे में धुत थे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, पहले पेज के खंड (ख) में लिखा है कि एक कान्स्टेबिल तथा दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होने तथा मौके पर इकट्ठा भीड़ द्वारा पथराव से चार पुलिस कर्मचारियों तथा २ होमगार्ड्स को चोटें आईं । तो किन बातों पर झगड़ा हुआ जिससे एक की मौत हुई ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

एक सिपाही शराब पिये था । आपस में झगड़ा हुआ ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं जानना चाहता हूं कि किन बातों को लेकर झगड़ा हुआ ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

अगर आप चाहते हैं तो मैं एफ० आई० आर० को ही पढ़ देता हूं । जो इस प्रकार है :

[श्री लक्ष्मण सिंह,]

दिनांक १७-९-७७ को मैं कान्स्टेबिल नं० १२१८, छोटे सिंह एक सेक्शन पी० ए० सी० के साथ ईद के सिलसिले में गश्त मोहल्ला मक्बरा पीरजादा कटार शहीद, इंदिरा चौक में था कि करीब ७ बजे शाम जब हमलोग गश्त करते हुए इंदिरा चौक के पास पहुंचे, तो होम गार्ड उग्रसेन व सोहनलाल जो रिक्शे से आ रहे थे, ने बताया कि एक दीवान जी को पब्लिक वाले इंदिरा चौक पर मारपीट कर रहे हैं। इन दोनों को हम साथ लेकर इंदिरा चौक की तरफ चले। तब वहां पहुंच कर देखा कि काफी भीड़ जमा है और शमशाद उर्फ लाला व डाक्टर अधर जिसकी दवाई की दुकान है वह उसके यहां जो शकूर व अब्दुल हक विसाती व अधर का सहायक का० ८३ ए० पी० धनी राम जो हाइडिल विजीलेन्स, मुरादाबाद में तैनात हैं, को लात घूंसों व डंडों से मारपीट कर रहे हैं.....। कारण नहीं दिया है। तफतीश हो रही है। कारण नहीं मालूम है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, पृष्ठ ३ पर पैरा ३ में दिया हुआ है कि 'अभियुक्त शिवराज आदि ने वादी को पकड़ कर मारा पीटा और कमरे में बंद कर दिया। जिसके गोली लगी है उसका नाम अशोक था। अशोक के बाप ने यह रिपोर्ट लिखाई है याद राम द्वारा इसमें शिवराज आदि वादी को पकड़ कर मारा पीटा तो जहां पर मार पीट शिवराज से हुई और गोली से मरा अशोक और अशोक के बाप ने रिपोर्ट लिखाई है 394/302 में यह बतलाइये कि उस रिपोर्ट में, अशोक के बाप ने घटना-स्थल क्या लिखाया है।

श्री लक्ष्मण सिंह--

आदर्श कालोनी, हरतला।

श्री रियासत हुसैन--

यह तो बहुत बड़ा मुहल्ला है, घटना स्थल किसी का घर या सड़क कहां का मामला है यह बताइये ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह लिखी जाती है ?

श्री रियासत हुसैन--

मौके पर जब इन्क्वायरी करने के लिए वह गये हैं आई० ओ० साहब, उन्होंने घटना स्थल क्या बनाया है, नक्शा बनाया होगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह--

वादी का कहना यह है, "मेरा नाम शराफत पुत्र लियाकत हुसैन, कौम शेख, साकिन ग्राम ढकिया जट, थाना डिलारो जिला मुरादाबाद का हूं। रात २२/२३ नवम्बर, समय करीब २-३० बजे का वक्त होगा, अपनी चौपाल पर सो रहा था व मेरा छोटा भाई मेंहदी हसन....

श्री रियासत हुसैन--

यह मामला पांचवे नम्बर का है। उसके बारे में मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न घटना नं० ३ के सम्बन्ध में है। उसका घटना स्थल बतायें ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। यह क्रास एग्जामिनेशन नहीं है, किसी कोर्ट के अन्दर बयान नहीं हो रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, घटना नं० ५ के विषय में मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं।

श्री लक्ष्मण सिंह--

ठीक है वह यह है। "दिनांक २१/२२ की रात को करीब १२-५० बजे जब यादराम अपने कर्मचारीगण सहित थाना रुद्रपुर, नैनीताल....उसमें है अपराधी उनकी गिरफ्तारी हेतु हरथला कालोनी के कैलाश नाथ के मकान पर हस्ब सूचना मुखबिर दबिश दी गई कि अभियुक्त शिवराज आदि उपरोक्त ने हे० कां० याद राम को पकड़कर मारपीट करना शुरू कर दिया तथा अन्दर कमरे में बन्द कर लिया। हमरा ही कर्मचारी के द्वारा छुड़ाने की कोशिश करने पर एक कांस्टेबिल की मस्कट छीन ली तथा तमंचे से फायर भी कर्मचारीगण पर किया। बचाव में कर्मचारीगण ने भी अपनी मस्कटों एवं लाइसेन्सी बन्दूकों से फायर किए जिससे मुलजिमान घबराकर घर में से निकल कर भाग गये। अशोक घायल होकर गिर गया और कर्मचारीगण हे० कां० यादराम को घायल अवस्था में थाने लाये तथा घटनास्थल से बरामद तमंचा भी लाकर दाखिल किया।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

जो रियासत भाई ने वहां की घटनाओं पर खेद प्रकट किया और ला एंड आर्डर की स्थिति बतलाई तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह कत्ल, लूटमार और जुर्म हो रहे हैं ये रियासत भाई के क्षेत्र में ज्यादा हैं या दूसरे क्षेत्रों में ?

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल इससे नहीं उठता।

अब इस पर बहस बिलकुल समाप्त। आधा घंटा हो चुका।

श्री रियासत हुसेन--

श्रीमन्, नम्बर ५ पर तो मुझे एक सवाल कर लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष --

अब नहीं । आप जाकर बात कर लीजिएगा ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७७†

*सहकारिता मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव --

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७७ पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, हमारे सभी साथी अभी थोड़ी देर पहले यह आरोप लगा रहे थे कि सहकारी आन्दोलन जनतन्त्रीय स्वरूप नहीं ले पा रहा है । उसी उद्देश्य से यह विधेयक आज सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । पहले ऐसा था कि कोई भी बकाये दार सदस्य का कोई मत नहीं था । इस संशोधन से यह निश्चित हो गया है कि बकायेदार कौन है और वह कब तक बकायेदार माना जायगा । पहले ६ महीने का प्रतिबन्ध था कि ६ महीने जो बकायेदार रह चुका है वह किसी भी मतदान में हिस्सा नहीं ले सकता । इस विधेयक के अनुसार अब जो भी चुनाव लड़ना चाहेगा वह चाहे कितने दिनों का बकायेदार हो यदि अन्तिम रूप से सूची प्रकाशित होने से पहले वह देय धनराशि को जमा कर देगा तो वह चुनाव लड़ सकेगा और मतदान में भी भाग ले सकेगा । इसी तरह से जो डेलीगेट चुने जाते थे दल का समूह होता था । उसमें कभी वर्णमाला के अनुसार कर लेते थे । उसमें जो तिकड़मबाज थे या सुपरवाइजर जिनसे मिल जाता था उनसे मिल कर जैसी भी सुविधा समझते थे कि चुनाव में जीत कर आ जायेंगे वैसा ही कर लेते थे । यदि वर्णमाला से लाभ हुआ तो उसके अनुसार बनाया और यदि क्रम संख्या से लाभ हुआ तो उसके अनुसार बनाया । इसमें अगर सुपरवाइजर या साजिश करने वाला कोई संचालक मंडल में बैठ गया है तो वह कभी किसी को संचालक मंडल में आने का मौका नहीं देता था । इसलिये इसको गम्भीरता से विचार कर के और सभी महानुभावों की इच्छाओं को देखते हुये यह संशोधन किया है कि अब प्रत्येक सदस्य जो २० रुपये तक का हिस्सेदार है वह मतदान कर सकेगा । इससे यह लाभ होगा कि जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था उसमें तिकड़मबाज बेईमानी और भ्रष्टाचार करने वाले लोग आ जाते थे लेकिन जहां सीधा चुनाव होगा वहां यह सम्भावना नहीं है कि इस तरह के तिकड़मबाज बेईमान या भ्रष्ट लोग आ सकें ।

इस तरह से अब न्याय पंचायत स्तर पर एक गठन होगा उसमें प्रत्येक ग्राम सभा में एक संचालक मंडल अनिवार्य रूप से चुन कर आयेगा ।

जिस तरह से ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है एक ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव होता है, उसी तरह से एक ग्राम सभा से एक संचालक चुन कर आयेगा चाहे वहां संख्या कितनी ही हो । इस तरह से यह संशोधन लाकर एक जनतंत्रीय स्वरूप दिया गया है, इसकी यही मंशा है । इसी तरह से कुछ जो आगे संशोधन आये हैं, जैसे कैडर अथारिटी का आया है क्योंकि रिजर्व बैंक की कैडर आथारिटी का गठन किया जा रहा है, उसी के तहत में बैंक के जो प्रारम्भिक सचिव थे, उनके कैडर

†दिनांक ८ सितम्बर, १९७७ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अथारिटी में लिया जायगा, ताकि वह निर्भीकता से काम कर सकें। इसलिये माननीय सदस्यों के समक्ष यह विधेयक प्रस्तुत है। मुझे आशा है कि इसको सभी महानुभाव हमारे सभी माननीय सदस्य अपने महत्वपूर्ण सुझाव देकर इस विधेयक को पास करेंगे।

*श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७७ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, जैसा आग्रह है और सबका कहना है कि वापस ले लें, वापस तो लूंगा ही, लेकिन मेरी शंका थी, उसी के लिए मैंने यह मूव किया था कि इस ऐक्ट में १९६५ के बाद जब जैसे मौका लगा, संशोधन हुआ और इसका रूप धूमिल हो गया है कि एक धारा पढ़ने के बाद ९ धारायें पढ़नी पड़ती हैं। आज उसी के फल-स्वरूप आप देख रहे हैं जो संशोधन आये हैं, इसमें १०४,१२२ ये ऐसी धारायें हैं कि इनमें संशोधन तब आया जबकि आपने एक कैडर बेस बनाया कर्मचारियों का, सुपरवाइजर का और बैंक के कर्मचारियों का, आपके सामने हाईकोर्ट में जाने के बाद दिक्कत आई, तब महसूस हुआ कि ऐक्ट में कमी है, तब आप तरमीम करने के लिए विधेयक लाये। तो मान्यवर, ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से महसूस होता है कि उस पर विचार हो जाय, जैसे महसूस होता है निबन्धक के अलावा इसमें दूसरा और कुछ दिखाई नहीं देता है। जो कुछ चीज है हर धारा में सब निबंधक से अटैच है। जो और धारायें हैं उनको आप समय-समय पर तब्दील करते हैं। धारा १३३, १०४, १३० ऐसी हैं, इनका चुनाव से उतना सम्बन्ध नहीं था, जैसा कि महसूस किया गया। अगर चुनाव अकेले की बात होती, तो चुनाव के लिए छोटा एक बिल लाया जा सकता था। इसमें सब बातों को छोड़कर ६ महीने के टाइम में चुनाव के दृष्टिकोण से ऐसा बिल ले आये हैं कि यह चुनाव हो जाय। लेकिन इन संशोधनों से ऐसा महसूस होता है कि जब जरूरत होती है तब आप संशोधन करते और जब जरूरत निकल जाती है तो मामला खत्म हो जाता है। तो इसमें आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि जब ऐक्ट बनाते हैं तो कोई समिति ऐसी इस प्रदेश में नहीं है या कोई मीटिंग इस तरह से नहीं करते जिसमें पहले इस पर चर्चा हो। चाहे विधायक हों या अधिकारियों में से, पहले समिति के माध्यम से इस पर चर्चा हो तब संशोधन आना चाहिए। क्योंकि कोआपरेटिव का सम्बन्ध गांव के आदमी से है, जनतंत्रीय आधार पर गांव-गांव में हम इसे ले जाना चाहते हैं, गांव-गांव में समाजवाद का स्वप्न साकार करना चाहते हैं, गांवों का उत्थान हम चाहते हैं। लेकिन ऐसा महसूस होता है जब यह बनाते हैं तब एकदम से संशोधन आ जाता है और संशोधन आने के बाद पास तो हो ही जाता है। तो मेरा सुझाव था कि पहले इसे किसी समिति को दिया जाय जैसे कि गुजरात में है। गुजरात कोआपरेटिव ऐक्ट में १७६ धारा है और उसके अंतर्गत वहां पर एक बाडी होती है जो काउन्सिल कहलाती है। उस कमेटी का चेयरमैन मिनिस्टर होता है। डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी मिनिस्टर होता है। इसी तरह से ७ आदमी विधायकों में से होते हैं जिसमें महिला सदस्य और शेड्यूल कास्ट के सदस्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिलोक चन्द्र---]--

होते हैं । सरकारी अधिकारी जैसे रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार भी समिति में होते हैं । तो इस काउन्सिल के आधार पर, एक्ट में संशोधन पर कौन्सिल विचार करती है और चूंकि उसमें एपेक्स बाडी के चेयरमैन होते हैं, कोआपरेटिव के जानने वाले होते हैं, इसलिए यह समिति वहां बनाई गई है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जैसा आश्वासन दिया और सदन की जो भावना है उसको देखते हुए अगर चुनाव ही इस विधेयक का मसला है तो चुनाव ६ महीने में हो । मैं यकीन करूं कि ६ महीने में चुनाव हो जायेंगे, मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं कि इसको प्रवर समिति में न भेजा जाय । मंत्री जी से इस यकीन के साथ कि चुनाव ६ महीने में अवश्य हो जायेंगे और उसके बाद ऐक्ट में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए कोई कमेटी बनाई जायगी और इसका जनतंत्रीय स्वरूप जो अब नहीं दिखाई देता है उसको कायम करने के लिये कदम उठायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

इसमें देव कुमार का भी नाम है । यह मूव तो हो गया वापस लेने का प्रश्न तो बाद में आयेगा ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७७ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो पंद्रह दिन के अंदर प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

श्रीमन्, त्रिलोक चंद्र जी ने बहुत कुछ कह डाला । इसके ऊपर, चूंकि दिन भर सहकारिता के ऊपर बहस रही है, माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्यों की इच्छाओं को देखते हुए आश्वासन सा भी दिया है कि वह स्वयं यह चाहते हैं कि पूरे कोआपरेटिव ऐक्ट को अच्छा बनाकर सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय । मान्यवर, इसमें इतने ज्यादा संशोधन हो गए हैं कि इसका रूप तो बदल गया है, ढांचा ही बदल गया है । इसमें भलीभांति परिवर्तन करने के बाद नया ऐक्ट लाने की जरूरत है । माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और माननीय सदस्यों की इच्छा है इसलिए मैं इसको प्रस्तुत भी करता हूं और इसको प्रेस भी नहीं करता हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७७, जो सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में इसके पहले कि कुछ मैं कहूं यह मैं जरूरी समझता हूं कि मान्यवर, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ के आप ही निर्माता थे 'एज कोआपरेटिव मिनिस्टर' आपके समय में यह बिल पास हुआ था । अब १२ वर्ष हो गये । इसमें बहुत संशोधन हुए और १२ वर्षों के बाद अब यह शैशव काल से, १९६५ के बाद सहकारिता ऊपर उठ रही है और जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि पूरे देश में सचमुच सहकारिता आन्दोलन की प्रगति जितनी तेजी से होनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहिये वह नहीं हुई लेकिन उत्तर प्रदेश में संख्या के रूप में प्रगति हुई है किन्तु गुण के रूप में गुणात्मक प्रगति नहीं हुई है। इसलिये मैं मंत्री जी को बधाई तब दूंगा जब गुणात्मक रूप से यहां २-३ वर्षों में आयेंगे और गुणात्मक रूप में कुछ कह सकेंगे कि समिति जिस रूप में हैं, उनमें परिवर्तन आया है।

श्रीमन्, उद्देश्यों और कारण में देखा जाय तो २-३ बातों की चर्चा और है। माननीय मंत्री जी ने उनके विषय में कहा है। एक बात यह है कि उन्होंने प्रतिनिधियों के चुनाव के सम्बन्ध में कहा है कि उनको सुदृढ़ करने के लिये सहकारी समितियों की चुनाव प्रणाली में परिवर्तन किया जाय, जिससे चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र रूप से हो सकें तथा निहित स्वार्थों को प्रश्रय न मिले। मैं कहना चाहता हूं कि स्वार्थ इस सहकारिता में दो तरह के हैं एक तो सरकारी लोगों का और दूसरे सहकारी लोगों का। माननीय मंत्री जी दोनों को रोकें। सहकारी लोगों को सही चुनाव के जरिये रोक रहे हैं लेकिन सरकारी लोगों का ऐसे विभाग में जिनका सहकारिता से प्रेम नहीं है और इसमें डाल दिये गये हैं। इसलिये सहकारी विभाग में बिना सहकारिता के प्रेम के केवल विभागीय अधिकारी होने के नाते सहकारी विभाग में डालना सहकारिता के साथ बड़ा भारी अन्याय है।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटियों का चुनाव सम्बन्धित प्रबन्ध कमेटियों की वार्षिक सामान्य बैठकों में होता है। इसमें यह बात सही है। इसमें इस कठिनाई का अनुभव हुआ है कि प्रबन्ध कमेटियां समय पर आगामी प्रबन्ध कमेटियों के चुनाव नहीं कराती हैं। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि ऐसी सहकारी समिति, जिसके लिये राज्य सरकार आवश्यक समझे, की प्रबन्ध कमेटी का चुनाव निबन्धक की देखरेख में कराने का प्राविधान किया जाय। अब यहां खतरा लगता है कि राज्य सरकार आवश्यक क्यों समझें? आप फिर कर रहे हैं कि जहां चुनाव न होगा वहां निबन्धक करा देगा। वहां साफ लिख रहे हैं कि जहां चुनाव न होगा वहां निबन्धक करा देगा। वहां साफ लिख रहे हैं कि जहां राज्य सरकार आवश्यक समझे। फिर यह नयी राइडर कैसे? अब यहां भ्रष्टाचार होगा। सरकारी अधिकारी मंत्री महोदय के नोटिंग और ड्राफ्टिंग में जायेंगे इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिये इसको देख लें।

मान्यवर, फिर बकायेदार सदस्यों को मतदान के अधिकार से वंचित करने का प्राविधान अधिनियम में है। किन्तु यह आवश्यक समझा गया कि यदि बकायेदार मतदान के पूर्व एक निश्चित समय तक बकाया धनराशि का भुगतान कर दें तो उन्हें मतदान का अधिकार पुनः प्राप्त हो जाय। यह ठीक है कि मतदान गुप्त हो रहा है। मैं इसके लिये मंत्री जी को बधाई देता हूं। मान्यवर, हर गांव सभा में एक संचालक होगा यह भी आवश्यक था क्योंकि न्याय पंचायत में साधन समितियां हैं, जहां तक मुझे मालूम है यह है। तो वहां जरूरी है कि हर गांव सभा से एक संचालक हो, यह जरूरी था।

मान्यवर, १३३-क-निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में निबन्धक के आदेश पर न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी को देखा जाय तो फिर आपने शुरू किया सरकारीकरण। तो कहीं आप सहकारिता की बात करते हैं और कहीं सरकारीकरण को, अब चुनाव में कहीं गड़बड़ है तो उसका विरोध किया जाय। यह सहकारिता आन्दोलन दो के बीच में मर रहा है, गलत सहकारी लोगों के बीच में और गलत सरकारी लोगों के बीच में। आप इसको इन दोनों से बचायें। आप

[श्री श्यामधर मिश्र]

क्यों कहते हैं कि न्यायालय में आपत्ति नहीं होगी। अगर हमें आपत्ति होगी चुनाव के सम्बन्ध में तो हम न्यायालय में जायेंगे। आप कहते हैं कि निबन्धक की आज्ञा सर्वमान्य होगी। वह सरकारी आदमी है। आप इस तरह की बात क्यों करते हैं। आपको इन तमाम बातों पर गौर करना चाहिए और विधिवत् और वृहत्तर, जैसा कि आपने आश्वासन दिया है, एक बिल लाना चाहिए। आज के माननीय अध्यक्ष और पहले के मंत्री जो कि सहकारिता मंत्री थे, एक बहुत बड़ा बिल लाये थे। उन तमाम बातों को देख कर एक बिल आप ले आयें। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। जैसा आपने कहा कि सहकारिता को राजनीति से परे रखना चाहते हैं तो हम भी यही चाहते हैं। अगर उसमें राजनीति आयी है तो मैं कहने को तैयार हूं कि वह गलत हुआ है और इसी से देश और प्रदेश में इस आन्दोलन को क्षति पहुंची है। इसको हमें ऊपर उठाना है। आपका यह एक अपूर्ण बिल है, इसको वापस ले लें। लेकिन मैं जानता हूं कि हर सरकार छोटी-छोटी बातों को मर्यादा का प्रश्न बना लेती है लेकिन आप बनाने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आप इस पर विचार करें।

श्री गणेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं जब समर्थन करता हूं तो कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। अगर इसके उद्देश्य और कारणों को देखें तो इसमें चुनाव नियमों को बदलने की बात है जिसके लिए विधेयक लाया गया है। यह सारा अधिकार रजिस्ट्रार को दे रहे हैं। इसमें आफेन्सेज के अन्दर जो आफिसर्स आते हैं उनके मुकदमों को कम्पाउन्ड करने, आपस में सुलह करने की बात रखी गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी होशियारी से इधर जो सहकारी समितियों में गड़बड़ी सामने आयी है और जो अधिकारी उसमें फंसने लगे हैं उनको बचाने के लिए यह एमेन्डमेन्ट लाया गया है। रजिस्ट्रार को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी मामले को वापस ले सकते हैं और अगर गिरफ्तार भी हुआ, छोड़ सकते हैं। मुझे शक है कि इसमें प्रदेश के बड़े-बड़े सहकारी अधिकारी फंसे हुए हैं इसलिए यह संशोधन लाया गया है। एक संशोधन के द्वारा इसमें निर्बल वर्ग के लिए आरक्षण किया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि निर्बल वर्ग की परिभाषा क्या है? कौन-कौन सी जातियां इसमें है? मुझे शक है कि निर्बल वर्ग के नाम पर कहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को धोखा तो नहीं दिया जा रहा है। माननीय मंत्री जी अपने भाषण में इस बात को भी क्लीयर करेंगे।

(इस समय ५ बजकर ५३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए।)

एक बात और कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा इलेक्शन की सारी ताकत रजिस्ट्रार को दी जा रही है।

राष्ट्रपति के चुनाव के लिये तो न्यायालय खुला हुआ है। वह किसी न्यायालय में तो जा सकता है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में अनियमितता है, लेकिन इसमें किसी न्यायालय में नहीं जा सकता। मैं माननीय मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि इसके पहले जो सरकार कानून बनाती थी तो उसकी धारणा बन गयी थी कि ऐक्ट न्यायालय से परे है। तो वह परिपाटी न अपनायें। आपका रजिस्ट्रार गलती कर सकता है। वह जो गलती करेगा, तो आखिर उस गलती को कहीं सुधारने का हमें मौका नहीं मिलेगा, तो फिर तानाशाही की ओर कोआपरेटिव विभाग चला जायेगा।

इन शब्दों के साथ जो माननीय मंत्री जी का विधेयक है, उसको मैं अपना समर्थन देता हूं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, वह है तो बड़ा छोटा और उन्होंने जो कहा है उसके उद्देश्य और कारणों में भी देखा कि यह चुनाव के सम्बन्ध में है, लेकिन उसमें खोटापन मालूम देता है। जो खोटापन मालूम देता है, वह यह है कि जैसा कि गनेशी लाल चौधरी ने कहा कि निबन्धक को इतना बड़ा अधिकार देना मैं समझता हूं यह सचमुच जनतन्त्र की भावना को कुचल देना है, क्योंकि उसका निर्णय आखिरी होगा और उसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता । मान्यवर, माननीय मंत्री जी तो सदैव इस बात के हामी रहे हैं, जब वे इधर बैठते थे लेकिन पता नहीं उनके दिलो दिमाग में कोई परिवर्तन हो गया हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब इस तरफ बैठते थे तो इसी पक्ष के थे कि ऐसे अधिकार किसी भी अधिकारी को निबन्धक को तो छोड़िये, सरकार को भी ऐसे अधिकार देने में माननीय मंत्री जी विरोधी थे । एक आपत्ति तो इसी बात पर है कि निबन्धक भी एक अफसर है, एक इन्सान है । उससे गलती हो सकती है और फिर उस गलती का परिमार्जन कहां होगा ? न्याय के लिये लोग किस दरवाजे पर जायेंगे इसके ऊपर विधेयक में कोई बात नहीं कही गयी । तो उसके बारे में मेरी आपत्ति है । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जब बोलेंगे तो इसके बारे में भी बतायेंगे क्योंकि न्याय के लिये हर आदमी हक रखता है और उसके लिये न्यायालय ही ऐसा स्थान है जहां किसी अधिकारी, सरकार या किसी व्यक्ति के खिलाफ न्याय पाया जा सकता है ।

दूसरी बात, मान्यवर, मैं कोआपरेटिव आन्दोलन के बारे में कहना चाहता हूं कि इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है । मान्यवर, मैंने इसके बारे में सुना भी है और कई जगह देखने का मौका भी मुझे मिला है जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में कि वहां सहकारिता आन्दोलन कितना मजबूत है ।

एक सदस्य—

तामिलनाडू में भी यह मजबूत है ।

श्री ऊदल—

मैं समझता हूं, मान्यवर, तामिलनाडू, महाराष्ट्र और गुजरात में कोआपरेटिव आन्दोलन बहुत मजबूत है । उसका संचालन भी वहां बड़ी अच्छी तरह से हो रहा है। मैं तो वहां देख आया हूं गन्ना सोसाइटियों के बारे में । मान्यवर, वहां कोआपरेटिव में सारी की सारी चीनी मिलें चलती हैं और मुनाफा भी होता है । मेरी राय है कि जैसाकि माननीय मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा है और जवाब देते हुए भी कहा है कि एक अच्छा विधेयक कोआपरेटिव आन्दोलन के लिये, जनमानस के आन्दोलन के लिये लायेंगे । तो फिर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे यहां भी उसका पैटर्न महाराष्ट्र, गुजरात और तामिलनाडू के अनुसार हो और उसके लिये वहां के ऐक्ट को मंगाकर माननीय मंत्रीजी देखें और उससे भी आगे जायें क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जो वे कर रहे हैं, वही हम करें, उससे भी आगे हम करें इस आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिये । आपने कह दिया कि ३ साल के बाद माननीय मंत्री जी इस तरह का विधेयक लेकर आयें...

एक सदस्य--

आपने नहीं कहा, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है ।

श्री ऊदल—

माननीय नेता विरोधी दल ने कहा मान्यवर, बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है । मैं नेता विरोधी दल की राय से सहमत नहीं हूं कि तीन साल में इस विधेयक को लेकर आयें । क्योंकि समय परिवर्तनशील है और अगर परिवर्तन ही करना है एक्ट में तो यह मौका बार-बार नहीं आता है । इसमें जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है । इसीलिये मैं चाहता हूं कि ४-६ महीने के अन्दर ही सभी प्रदेशों के एक्ट्स मगावें, उनको देखें और एक कमेटी बनायें ताकि वह जल्दी से एक्ट को तैयार कर सके । आपका सहकारिता आन्दोलन से सम्बन्ध काफी रहा है और हम चाहते हैं कि यह क्रान्तिकारी परिवर्तन जल्दी से हो ताकि नया विधेयक जो आप प्रस्तुत करेंगे, उससे यह सहकारी आन्दोलन जन मानस का आन्दोलन हो सके । जैसे कि नेता विरोधी दल ने एक आशंका व्यक्त की सहकारी और सरकारी लोगों के दलदल से भी हमें इस आन्दोलन को निकालना है, तो समझता हूं कि यह बात भी माननीय मंत्री जी ध्यान में रखेंगे ताकि उस नये एक्ट के मातहत हम दलदल से निकल सकें । अगर ऐसा हो सके तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में सहकारी आन्दोलन जनमानस का आन्दोलन होगा और इस प्रदेश की हम ज्यादा सेवा कर सकेंगे । इन चन्द शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)--

मान्यवर, यह कोआपरेटिव ऐक्ट में माननीय मंत्री जी जो संशोधन ला रहे हैं, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ सफाई चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि कोआपरेटिव ऐक्ट के अन्तर्गत जो चुनाव होते थे वह सोसाइटी के होते थे और जो सोसाइटीज के डेलीगेट्स जाते थे, एक सालाना जलसा होता था जिसमें मैनेजिंग डाइरेक्टर का चुनाव होता था । अब जहां तक मुझे जानकारी है हर न्याय पंचायत स्तर पर सारी जो सोसाइटीज थी, वह मर्ज कर दी गई हैं । और हर न्याय पंचायत स्तर पर एक सोसाइटी रह गई है । तो मंत्री जी ने कहा कि हर गांव सभा से एक डेलीगेट जायेगा और उसका चुनाव सीधा होगा, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस चुनाव का क्या आधार है, कौन से लोग वोटर हैं । पहले यह था कि सोसाइटीज के जो मेम्बर होते थे जैसे एक सोसाइटी में २०-२५ मेम्बर होते थे तो उन्हीं में से एक डेलीगेट चुनकर जाता था, तो क्या इस संशोधन के माध्यम से एडल्ट फ्रेन्चाइज के आधार पर हर गांव सभा से चुनाव करायेंगे या चुनाव का आधार वही पुराना होगा कि जो सोसाइटीज के मेम्बर होंगे वही सीधा चुनाव करायेंगे । मैं इस सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूं कि उनका सीधा चुनाव कराने का क्या मतलब है ।

दूसरी चीज यह है कि जहां तक सहकारिता आन्दोलन का सवाल है इसका मतलब यह है कि आम जनता का सहयोग मिल सके । मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि कहा यह जाता है कि सहकारिता आन्दोलन समाजवाद की पहली सीढ़ी है, लेकिन तजुर्बा यह बताता है २०-२५ साल का, कि जितना ही इस आन्दोलन के सम्बन्ध में कहा गया उतना ही यह आन्दोलन ब्यूरोक्रेसी के हाथों में चला गया । आज ऐसे-ऐसे भी जिले हैं जहां १९६७ से ही सहकारिता आन्दोलन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

केवल एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के हाथों में है, वह मनमाने ढंग से अपाइन्टमेन्ट करता है और काम करता है और उसने आज तक जनप्रतिनिधियों से कोई सहयोग नहीं मांगा और न ही उनका नाता है। तो इस प्रकार से जो यह सहकारी आन्दोलन है, उसके प्रति आज लोगों की जो आस्थायें थीं, जो मान्यतायें थीं वह समाप्त हो गई हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वह सोचें ताकि आम जनता का सहयोग इस आन्दोलन को मिल सके। अगर इस प्रकार का कोई संशोधन आता है तो उसका मैं स्वागत करूंगा। मुझे बस इतना ही कहना है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, कोरम नहीं है।

(कोरम की घंटी बजाई गई तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं यह शंका दूर करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार को ही सब अधिकार न्यायालय के दे दिये गये हैं। यह चीज नहीं है। यह चुनाव तक के लिए है। उसके बाद रजिस्ट्रार का आरबिट्रेशन होता है। जो न्यायालय में रिट का अधिकार है वह छीन नहीं सकते वह तो जनता का, नागरिक का मूल अधिकार है। वह न्यायालय में जा सकता है इस में कोई शंका की आवश्यकता नहीं है...।

श्री देव बहादुर सिंह--

कब जा सकता है...साधारणतया होना चाहिए...

श्री मुलायम सिंह यादव--

१३३ को वापस लिया जा रहा है...दूसरी चीज यह है कि चुनाव से पहले आरबिट्रेशन होता है और उसको रोक देते हैं। जहां कहीं चुनाव हो चुके हैं और काउंटिंग नहीं हुई वहां रोक लगानी पड़ी कि चुनाव होंगे। इस तरह से कई जिले ऐसे हैं। मेरठ में शायद ११, १२ या १३ वर्ष हो गये अभी तक चुनाव नहीं हुए। अधिष्ठाता महोदय, चुनाव इसलिए भी नहीं हुए कि जैसे ही चुनाव आये तो बीच में कोई न कोई अड़चन डाल दी गयी। इसलिए इस सहकारी आन्दोलन को जहां तक जनता के हाथ में देने की, जन प्रतिनिधियों के हाथ में देने की बात हम सारे लोग करते हैं उसके लिए कम से कम चुनाव तो हो जायं। उसके बाद में अगर चुनाव गलत हों तो अदालत में जा कर वह अवैध हो जायेंगे। तो चुनाव तक उसको किया गया है जिससे कि चुनाव में अड़चन न आने पाये। इसलिए किसी भी माननीय सदस्य को शंका नहीं होना चाहिए। सरकार की इसमें कोई भी नीयत खराब नहीं है कि किसी के अधिकार को छीना जाय।

एक बात पांडे जी ने कही है कि यह रजिस्ट्रार सभी पदों को नियुक्ति कर लेते हैं। ऐसी चीज नहीं है। मैं माननीय पांडे जी को बताना चाहता हूं कि जो सुपरवाइजर, सचिव जो भी नौकर होते हैं उनके लिए एक सेवा मंडल है और सेवा मंडल के द्वारा सहकारिता में जो भी सचिव और सुपरवाइजर के स्तर के नौकर हैं, लिये जाते हैं, रजिस्ट्रार द्वारा नहीं लिये जाते।

[श्री मुलायम सिंह यादव--]

वर्तमान में जो धारा २०, २८, २९, ७०, १३३ का संशोधन है वह केवल चुनाव के लिए है। चुनाव के बाद स्थिति जैसी की तैसी रहेगी। धारा ३१, १२२ के संशोधन से कोई बाधा नहीं होगी। वह एक सा हो जायगा।

माननीय गनेशी लाल जी ने कहा था कि निर्बल वर्ग की क्या परिभाषा है। निर्बल वर्ग की परिभाषा तो छोटे काश्तकार ढाई एकड़ तक जमीन वालों से थी लेकिन मैं इस पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूं कि हरिजनों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रहें और जैसा माननीय त्रिलोक चन्द्र जी ने कहा मैं आश्वासन देता हूं कि हरिजनों को प्रतिनिधित्व इसमें दिया जायेगा।

श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा कि हरिजनों को आरक्षण देंगे यह स्वागत योग्य है लेकिन ऐक्ट के तहत अगर कोई चीज नहीं होती तो उसका जस्टीफिकेशन नहीं हो पाता। आप कहेंगे कि रूल्स में कोई प्रोविजन करेंगे लेकिन चूंकि ऐक्ट में नहीं है ऐसी हालत में उसकी कोई लीगल ऐक्टविटी नहीं रह जायगी। अगर आपके मन में यह उद्गार है कि आप हरिजनों को आरक्षण देना चाहते हैं, तो इसके लिए मौखिक अमेन्डमेन्ट आ सकता है और उसे आप स्वीकार कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

वह रूल्स में आयेगा, ऐक्ट में नहीं। दूसरी शंका यह की गई कि वर्तमान जो धारा १०४ है, उसमें निबन्धक को अधिकार दे दिए गए हैं कि उसके निर्णय पर कहीं अपील नहीं हो सकती। उसको ५०० रुपये तक जुर्माना करने का हक दिया गया है। कोई सदस्य उसको स्वीकार कर लेता है तो ठीक है। ५०० रुपये के लिए कोई अदालत में जाता है तो जहां खर्चा भी होता है, वहां बेमतलब अड़चन भी होती है। सारी चीजों पर सोचकर यह किया गया है कि ५०० रुपये के केस रजिस्ट्रार के यहां तय हो सकते हैं, उसकी अपील नहीं हो सकती। हां बड़े-बड़े केसेज के लिये यह व्यवस्था नहीं है।

१३३ (क) समाप्त हो रहा है। इस तरह से माननीय सदस्यों के जो सुझाव आये हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और मैं माननीय रियासत हुसैन साहब से अनुरोध करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

(इस समय ६ बज कर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री त्रिलोक चन्द्र को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रियासत हुसैन--

मैं भी अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री रियासत हुसैन को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष--

अब मैं खंडों को लेता हूं ।

खण्ड २ व ३

२--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा २० में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में,-- उ० प्र० अधिनियम संख्या ११, १९६६ की धारा २० का संशोधन

(क) खण्ड (कक) में, वर्तमान स्पष्टीकरण, जिसे पुनः संख्यांकित करके स्पष्टीकरण--एक किया जायेगा, के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात्--

"स्पष्टीकरण--दो-समिति और उसके सदस्य के बीच किसी संव्यवहार की स्थिति में, यदि ऐसे संव्यवहार के साक्ष्य में कोई ऐसा दस्तावेज न हो जिसमें देय दिनांक विनिर्दिष्ट हो, तो पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ पद "देय दिनांक" का तात्पर्य संव्यवहार के दिनांक से छः मास की समाप्ति का दिनांक होगा ।

स्पष्टीकरण--तीन--किसी सदस्य को बाकीदार नहीं समझा जायेगा, यदि वह उस धनराशि का, जिसका भुगतान न करने के कारण वह बाकीदार हुआ हो--

(एक) निर्वाचन की दशा में, अस्थायी मतदाता सूची के विरुद्ध आपत्तियों पर निर्णय देने के लिये नियमावली के अधीन निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व,

(दो) किसी अन्य दशा में, बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व भुगतान कर दे ।"

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "उप विधियों के अनुसार" के स्थान पर शब्द "नियत रीति से" रख दिए जायेंगे ।

३--मूल अधिनियम की धारा २८ में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "ऐसे सदस्यों के, समिति की उपविधियों में व्यवस्थित रीति से निर्वाचित और सामान्य बैठक में समवेत, प्रतिनिधियों में अन्तिम प्राधिकार निहित करने की व्यवस्था की जायेगी" के स्थान पर शब्द धारा २८ का संशोधन

"अन्तिम प्राधिकार ऐसे सदस्यों के, नियत रीति से निर्वाचित और सामान्य बैठक में समवेत प्रतिनिधियों में निहित होगा" रख दिए जायेंगे ।

*श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि "खंड २ के उपखंड (क) में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा २० में प्रतिबन्धात्मक खंड में खंड (कक) में प्रस्तावित स्पष्टीकरण दो तथा स्पष्टीकरण तीन के उपरान्त निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण चार के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण—चार—'कोई व्यक्ति अथवा संस्था बकाएदार तभी होगी जब देय की तिथि निश्चित हो अथवा किसी डिक्री द्वारा बकाए का निर्णय हो गया है ।"

इस संशोधन की मंशा यह है कि हर जिला में सहकारी संघ होते हैं और जो यूनियन होती हैं, वे उसकी सदस्य होती हैं । हर सहकारी संघ अपने सदस्य यूनियन को कपड़ा, खाद और दूसरी वस्तुए देता है और उनको बेच कर वह रुपया वापस करता है । अगर मेरा यह संशोधन नहीं माना जाता है तो किसी भी हालत में मेम्बर यूनियन व्यवस्था नहीं कर पायेगा, किसी भी हालत में डी० सी० एफ० के चुनाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके सदस्य यूनिट्स हमेशा बकायेदार बने रहेंगे । यह बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इसलिए इसको बकाया न माना जाय । यही मेरे संशोधन के पीछे उद्देश्य था ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि इस प्रकार की भावना नहीं है । बकायादार की परिभाषा की जाती है, उसमें चुनाव के लिए जो आपने भावना व्यक्त की है, वह इस तरह की नहीं है । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें ।

श्री अवधेश नरायन—

मैं मन्त्री जी के भाषण को सुनने के बाद वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री अवधेश नरायन को उनका संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४

4—मूल अधिनियम की धारा २९ में,— धारा २९ का संशोधन

(क) उपधारा (३) के अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि सहकारी समितियों के ऐसे वर्ग के सम्बन्ध में, जिसे विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों और सभापति और उपसभापति के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और संचालन निबन्धक में निहित होगा।";

(ख) उपधारा (६) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "अट्ठारह मास" रख दिए जाएंगे।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड ४ के उप खंड (क) द्वारा मूल अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (३) के अन्त में बढ़ाए जाने के लिए प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द 'निबन्धक में निहित होगा' के पश्चात् शब्द 'और धारा ३२ के खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी ऐसा निर्वाचन किसी बैठक से अन्यथा भी हो सकेगा' बढ़ा दिए जायं।"

मान्यवर, जैसा कि मन्त्री जी ने कहा, उनका इरादा ६ महीने में चुनाव कराने का है। इस संशोधन को मैं इसी नियत से लाया हूं। अगर यह संशोधन न लाया जाय तो फिर जहां हमारे जनरल एक्ट में जो सामान्य मीटिंग होती है, वह कोआपरेटिव में जून में होती है, अगर ३० जून तक इसका समय रहता है तो जनरल मीटिंग जून में होती है, इस हालत में ६ महीने में चुनाव नहीं हो सकते हैं। उस मीटिंग के अलावा भी अब मीटिंग बुला ली जाय तो उसमें चुनाव संपन्न हो सकेंगे। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को मान लें। अगर इसे नहीं माना जाता है तो फिर ६ महीने में कभी भी चुनाव नहीं करा पायेंगे। जैसा कि माननीय मन्त्री जी का इरादा है कि ६ महीने में चुनाव करा लेंगी तो उनके लिए इस संशोधन को वह स्वीकार कर लें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय त्रिलोक चन्द्र जी ने जो भावना व्यक्त की है, उसे देखते हुये इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (क) द्वारा मूल अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (३) के अन्त में बढ़ाये जाने के लिए प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द 'निबन्धक में निहित होगा' के पश्चात् शब्द 'और धारा ३२ के खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी ऐसा निर्वाचन किसी बैठक से अन्यथा भी हो सकेगा' बढ़ा दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

खंड ४ के उपखंड (ख) में श्री अवधेश नरायन जी आप अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री अवधेश नरायन--

माननीय मन्त्री जी के आश्वासन के बाद मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करता हूं।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "खंड ४ के उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय, अर्थात्:--

"(ख) उपधारा (६) में शब्द 'अथवा अपनी नियुक्ति के दिनांक से जो भी पश्चात्वर्ती हो एक वर्ष की समाप्ति' के स्थान पर शब्द 'अट्ठारह माह की समाप्ति अथवा अपनी नियुक्ति के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति जो भी पश्चात्वर्ती हो' रख दिए जायेंगे।"

मान्यवर, इसका उद्देश्य मेरा यह था कि जो माननीय मन्त्री जी ने प्रस्ताव किया, उसमें ६ महीने की जगह १८ महीने रखने की बात थी। अगर मूल एक्ट में १८ महीने रख दिया जाय तो यह हमेशा ही बढ़े हुए माने जायेंगे। चाहे बाद में संशोधन करना पड़े कि १८ महीने तक प्रशासक रह सकेगा, उस भावना को देखते हुए मैं यह प्रस्ताव लाया हूं कि एक साल से ज्यादा कभी न रहे। जो मूल एक्ट में था--पहले ६ महीने का था, फिर एक साल का हुआ और फिर यह १८ महीने का है। इसलिये मैं इसे लाया हूं कि अपनी नियुक्ति के १ साल के बाद कोई प्रशासक न रह सके।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "खंड ४ के उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय, अर्थात् :--

"(ख) उपधारा (६) में शब्द 'अथवा अपनी नियुक्ति के दिनांक से जो भी पश्चात्वर्ती हो एक वर्ष की समाप्ति' के स्थान पर शब्द 'अट्ठारह माह की समाप्ति अथवा अपनी नियुक्ति के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति जो भी पश्चात्वर्ती हो' रख दिए जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५, ६ तथा ७

५--मूल अधिनियम की धारा ३१ में, उपधारा (१) के स्थान धारा ३१ पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और ३ अक्तूबर, १९७५ से का संशोधन रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्--

"(१) विधान शीर्ष समिति के प्रत्येक सहकारी समिति का एक सचिव होगा जो नियमों और धारा १२१ और १२२ के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और हटाया जा सकेगा। सचिव की उपलब्धियां और सेवा की अन्य

शर्तें ऐसी होंगी जैसी इस निमित्त बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुरूप बनाई गई समिति की उपविधियों में नियत की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां सहकारी समितियों के किसी भी वर्ग के लिये सचिवों के पद के लिए सर्व सामान्य सेवा का सृजन धारा १२२—क के अधीन किया गया हो, वहां ऐसे पदों पर भर्ती, नियुक्ति और उन पर नियुक्त व्यक्तियों, जिनमें ऐसी सेवा के सृजन के पूर्व ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, को हटाने और उनकी सेवा की अन्य शर्तें उक्त धारा के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित होंगी ।"

धारा ७० का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ७० में, उपधारा (१) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्,—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद निबन्धक को तब तक निर्दिष्ट नहीं किया जायगा, जब तक कि ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित न कर दिया जाय ।"

नई धारा १०४-क का बढ़ाया जाना

७—मूल अधिनियम की धारा १०४ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

अपराधों का शमन

"१०४—क—(१) निबन्धक, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, अभियोग संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, प्रशमन शुल्क की ऐसी धनराशि वसूल करने के पश्चात् कर सकता है, जैसी वह उचित समझे, और यदि वह अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो तो प्रशमन शुल्क उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम जुर्माने की धनराशि से अधिक नहीं होगा ।

(२) जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(क) अभियोग संस्थित किए जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी को ऐसे अपराध के लिये अभियोजित नहीं किया जायगा और यदि अभिरक्षा में हो तो उसे मुक्त कर दिया जायगा;

(ख) अभियोग संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां ऐसे शमन का प्रभाव अभियुक्त को दोषमुक्ति होगा ।"

श्री अवधेश नरायन—

मैं खंड ५ में मेरा जो संशोधन है और मन्त्री जी ने जो पेश किया है, उसका विरोध करता हूं । माननीय, कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२, जो सेन्ट्रल का ऐक्ट है, उसकी धारा १८ तथा कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट (उत्तर

[श्री अवधेश नरायन]

प्रदेश), १९६५ की धारा ९ के अनुसार सहकारी समितियां एक कारपोरेट बाडी हैं, एक स्वायत्तशासी संस्थायें हैं और स्वायत्त शासी संस्थाओं का अधिकार अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी देखभाल, उनकी सजा आदि सब में पूरे का पूरा अधिकार है, इस संशोधन के द्वारा मान्यवर, जो सहकारी समितियों का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की कोशिश की गई है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

जिस तरह माननीय सदस्य ने कहा है, उस तरह की हमारी नीयत नहीं है, इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा . . .

श्री अध्यक्ष—

इसमें अनुरोध का प्रश्न नहीं है, कोई उनका संशोधन नहीं है ।
प्रश्न यह है कि खंड ५ ६ व ७ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ८

धारा १२२-क का प्रतिस्थापन

८—मूल अधिनियम की धारा १२२-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी और ३ अक्टूबर, १९७५ से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

कतिपय सेवाओं का केन्द्रीयकरण

"१२२-क (१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार ऐसी सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के ऐसे कर्मचारियों की, जिसे राज्य सरकार उचित समझे, ऐसी सहकारी समितियों के लिये सर्वमान्य एक या अधिक सेवाओं के सृजन के लिये नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है और किसी ऐसी सेवा में भर्ती, नियुक्ति, और उसमें नियुक्त व्यक्तियों को हटाने की प्रणाली और उनकी सेवा की अन्य शर्तों को नियत कर सकती है ;

(२) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय, तब ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों पर ऐसी सेवा के सृजन के दिनांक को ऐसी समितियों के सभी कर्मचारियों को ऐसी सेवा के सृजन के दिनांक से सेवा में अस्थायी रूप से आभेलित समझा जायगा;

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा कर्मचारी नियत अवधि के भीतर नियत प्राधिकारी को लिखित नोटिस द्वारा ऐसी सेवा का सदस्य न होने के अपने विकल्प की सूचना दे सकता है और उस दशा में समिति में उनकी सेवायें ऐसी नोटिस के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी और वह समिति से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जो—

(क) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, उनके तीन मास के या सेवा की शेष अवधि के, जो भी कम हो, वेतन (जिसमें सभी भत्ते भी सम्मिलित हैं) के बराबर होगा;

"(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में, उसके एक मास के या सेवा की शेष अवधि के, जो भी कम हो, वेतन (जिसमें सभी भत्ते भी सम्मिलित हैं) के बराबर होगा ।

(३) उपधारा (२) के अधीन अस्थायी रूप से आमेलित कर्मचारी सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किया जा सकता है, यदि वह निबन्धक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार अन्वीक्षण के पश्चात् उपयुक्त पाया जाय और किसी ऐसे कर्मचारी की सेवायें जिसे सेवा में आमेलन के लिए उपयुक्त न पाया जाय, धारा १२२ में निर्दिष्ट सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त आदेश जारी करने के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी, और वह उपधारा (२) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्धारित प्रतिकर का, स्थायी या अस्थायी कर्मचारी होने के अनुसार, हकदार होगा ।"

श्री अवधेश नरायन—

श्रीमन्, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि खण्ड ८ द्वारा प्रतिस्थापन के लिए प्रस्तावित धारा १२२-क की उपधारा (३) में शब्द "धारा १२२ में निर्दिष्ट सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिए जाएं, अर्थात्:—

"विहित प्राधिकारी द्वारा, और जब तक ऐसा प्राधिकारी विहित न किया जाय निबन्धक के ऐसे अनुदेशों में इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा"

मान्यवर, ऐसा था कि अभी जो कैडर कर्मचारियों के बनाए गये थे, उनके रूल्स नहीं बने थे । जो कैडर बना था, जो सुपरवाइजर और बैंक के कर्मचारी थे, उनके रूल्स नहीं बने थ । इसलिए यह जरूरी थी कि कोई अधिकारी इस काम को देखें । इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है । मैं निवेदन करूंगा कि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसे माननीय मंत्री जी स्वीकार करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ८ द्वारा प्रतिस्थापन के लिए प्रस्तावित धारा १२२-क की उपधारा (३) में शब्द "धारा १२२ में निर्दिष्ट सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिए जायें, अर्थात्—

"विहित प्राधिकारी द्वारा, और जब तक ऐसा प्राधिकारी विहित न किया जाय निबन्धक के ऐसे अनुदेशों में इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ९ तथा १०

९--मूल अधिनियम की धारा १३० में,--

(क) उपधारा (१) में, शब्द "पूर्व प्रकाशन के पश्चात्" निकाल दिये जायेंगे; धारा १३० का संशोधन

(ख) उपधारा (२) में, खण्ड (१२) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्---

"(१२) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों और सभापति और उप सभापति का निर्वाचन, जिनमें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, महिलाओं और निर्बल वर्ग के सदस्यों के लिये आरक्षण, निर्वाचन विवादों का निपटारा और ऐसे विषयों के सम्बन्ध में शुल्क का उद्ग्रहण भी सम्मिलित है;

(१२-क) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में महिलाओं और निर्बल वर्ग के सदस्यों का नाम-निर्देशन;";

(ग) उपधारा (३) निकाल दी जायगी।

१०--मूल अधिनियम की धारा १३१ में, उपधारा (१) में,-- धारा १३१ का संशोधन

(एक) शब्द "जहां तक वे इस अधिनियम" के पश्चात् शब्द "या इसके अधीन बनाये गये नियमों" रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "जब तक कि उन्हें" के पश्चात् शब्द "इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार" रख दिये जायेंगे।

श्री अवधेश नरायन--

मैं आपकी अनुमति से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खण्ड ९ का उपखण्ड (क) निकाल दिया जाये। इस संशोधन के द्वारा कोआपरेटिव ऐक्ट की धारा १३० (१) का जो प्राविधान है उसमें संशोधन किया गया है। मान्यवर, नियम बनाने का अधिकार तो ऐक्ट में दिया हुआ है, लेकिन शर्त है कि पूर्व प्रकाशन करेंगे। इसके द्वारा उस पूर्व प्रकाशन को निकालने की व्यवस्था की गयी है और यह जनतांत्रिक अधिकार का उल्लंघन है इसलिए मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा इससे जनतंत्र की हत्या नहीं है। यह केवल चुनाव कराने के लिए भी किया गया है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री अवधेश नरायन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन से सन्तुष्ट होकर अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ९ में श्री अवधेश नरायन को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री त्रिलोक चन्द्र--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को पेश नहीं कर रहा हूं ।

श्री अवधेश नरायन--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन पेश करता हूं कि खण्ड ९ का उपखण्ड (ग) निकाल दिया जाये । मान्यवर, इस संशोधन के जरिये धारा १३० के सेक्शन ३ में जो विधान मंडल के अधिकार हैं, उन अधिकारों को अपहृत किया गया है । धारा १३० की उपधारा ३ है उसके अधीन बनाये गये सभी नियम विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम १४ दिन तक रखे जायेंगे । पहले जो नियमावली बनी थी उसके अनुसार उसको विधान मंडल के समक्ष आना चाहिये जिससे विधान मंडल के सदस्य उस संशोधन पर अपना सुझाव रख सकें । इसको निकाल करके हमारे विधान मंडल के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को छीन लिया गया है । अतः मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे संशोधन को स्वीकार करें और विधान मंडल के अधिकारों को अक्षुण्ण रखें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि इस तरह से विधान मंडल के अधिकारों का हनन होगा तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे विधान मंडल के अधिकारों का कोई अतिक्रमण नहीं होता है । वह जिन क्लाजेज में नहीं है, वह सदन में आ गई हैं । अतः मैं माननीय अवधेश नरायन जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अवधेश नरायन--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट होकर मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ९ में श्री अवधेश नरायन को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ९ और १० इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ११

११—मूल अधिनियम की धारा १३३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा १३३ धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्— का प्रतिस्थापन

"१३३—राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक आदेश दे सकती है जिसे वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन से संबंधित किसी मामले में किसी कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या वांछनीय समझे।

कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

१३३-क—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी निर्वाचन पर और ऐसे निर्वाचन से सम्बन्धित मामलों में निबन्धक द्वारा दिये गये आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।"

निर्वाचन संबंधी मामलों में निबन्धक के आदेश पर न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, खण्ड ११ के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय—

"११—मूल अधिनियम की धारा १३३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(१) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक आदेश दे सकती है जिसे वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन निर्वाचन से सम्बन्धित किसी मामले में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे।"

मान्यवर, जो धारा १३३ थी, उसका जो भाग 'क' या दूसरे नम्बर की जो बात थी वह यह थी कि उसी के रोकने के लिए एक अधिकार मिला हुआ है न्यायालय जाने का, वह समाप्त हो रहा था। उसी धारा १३३ को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन में धारा १३३-क की जगह पर एक और धारा लाई जाये क्योंकि चुनाव के सम्बन्ध में कठिनाई पड़ती है। लोग चुनाव होते ही बीच में कोर्ट भाग जाते हैं और चुनाव का रिजल्ट रुक जाता है। अभी प्राविंशयल कोआपरेटिव बैंक में चुनाव हुए, वह रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया। लोग कोर्ट चले गये। फिर बैंक में कोई चुनाव ही नहीं हुआ तो उस हालत को रोकने के लिए यह संशोधन लाया गया है। बीच में चुनाव के दौरान कोई आदमी कोर्ट में न जाये। उनका निस्तारण वहां हो जाये उसके बाद पुनः चुनाव हो जाने पर ही कोर्ट में जाय। उनको कोर्ट में जाने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। लेकिन जो प्रस्तावित धारा १३३-क है, उससे ऐसा महसूस होता था कि न्यायालय में जाने से वंचित कर दिया गया है। इसलिये मैं इस धारा को यहां लाया हूं। अतः मैं निवेदन करूंगा कि मूल अधिनियम की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करें।

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, मुझे इस सम्बन्ध में एक बात कहनी है कि इस बात को देखते हुए "कि राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, ऐसे आनुषांगिक और पारिणामिक आदेश दे सकती है जिसे वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन से सम्बन्धित किसी मामले में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे।"

श्रीमन् मेरा एतराज केवल यह है कि मैंने अपनी बात दफा १३३ के सम्बन्ध में यह कही थी कि निर्वाचन का निबन्धक को अधिकार नहीं होना चाहिए। वसे ही मैं यह कहता हूं कि राज्य सरकार को इन्टरप्रिटेशन आनुषंगिक, मौलिक या पारिणामिक आदेश देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। अगर होना चाहिए तो जो ट्राइब्युनल्स बने हुए हैं, राज्यों में और उत्तर प्रदेश में भी बना है, जो कि सरकार के ऊपर और निबन्धक के ऊपर दोनों के ऊपर ट्राइब्युनल है, उसको चुनाव के सम्बन्ध में इन्टरप्रिटेशन करने का अधिकार होना चाहिये। राज्य सरकार जब इन्टरप्रिटेशन या पारिणामिक आदेश देगी फिर राजनीति का समावेश हो सकता है जिसको स्वयं माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, कि वह चाहते हैं कि वह न आवे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस पर वे पुनर्विचार कर लें और इस अधिकार को ट्राइब्युनल के क्षेत्राधिकार में दे दें। यह अधिकार सरकार और निबन्धक को न दिया जाय। इसलिए मेरा इसमें विरोध है।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह चाहता हूं कि खंड ११ में जो संशोधन है और जो मूल धारा में दिया हुआ उसमें क्या अन्तर है? इसमें दिया है कि राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक आदेश दे सकती है जिसे वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन से सम्बन्धित किसी मामले में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे।

तो इसलिए कैसे पेश करते हैं?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, १३३ (क) जो है....।

श्री अध्यक्ष--

वह पृथक है।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

यह इसलिए १३३ (क) रह जायगा। दोनों प्रस्तावित हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--

तो यह बिल्कुल अनावश्यक है। आप १३३ (क) के बारे में कह सकते हैं। यह भी प्रश्न विचारणीय है जो आपने रखा है। आप कहते हैं कि किसी अदालत में नहीं जायगा तो वह अदालत के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, जैसी शंका की गई है, वैसी बात नहीं है । यह संशोधन खंड ११ में रख दिया जाय । इसे मैं स्वीकार किए लेता हूं । तो १३३ (क) जो है वह स्वयं हट जायगी । इसलिए इसमें कोई शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार की सरकार की कोई नियत भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

तो इसका मतलब यह है कि १३३ (क) जो माननीय अवधेश नारायन जी ने रखा है फिर उसको स्वीकार कर लिया जाय तो ठीक है । आपने स्वयं ही इसको रखा है । जो माननीय त्रिलोक चन्द्र जी का १३३ (क) को निकालने का है माननीय अवधेश जी ने दिया है । तो उसको स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, यह कन्ट्राडिक्टरी हो रहा था । तो माननीय सदस्य जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि निबन्धक को यह अधिकार नहीं देना चाहिए। तो अब उनको अधिकार देने की बात मेरी समझ में नहीं आती है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

पहले १३३ धारा थी । अब १३३ की धारा (क) हो गयी है । इसलिए उसमें आवश्यकता पड़ी ।

श्री अध्यक्ष--

तो ऐसा उसको रखिये । माननीय त्रिलोक चन्द्र जी ने कहा है कि पहला संशोधन तो नं० १ हो गया जैसा कि आपका है और फिर दूसरा संशोधन जो माननीय त्रिलोक चन्द्र जी का है कि "१३३-क उपधारा (१) के अधीन दिया गया आदेश यथासंभव शीघ्र राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा ।" यह नं० २ हो जाय । इसे संशोधित रूप में कर दें ।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

बात यह है कि १३३ की धारा १ और १३३-क, तो इसमें धारा क की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ऊदल--

इसको कल के लिए रख लीजिए, इस पर फिर अच्छी तरह से विचार कर लें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

इसके लिखने से १३३-क हट जायगा और वर्तमान १३३-क-२ अपनी जगह पर रह जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह ड्राफ्टिंग की दृष्टि से गलत है । यह हमारा सचिवालय कर सकता है, लेकिन आपका जैसा है ११ नम्बर पर है श्री त्रिलोक चन्द्र जी का तो इसको कर दिया जाय १३३ (१) और दूसरा जो त्रिलोक चन्द्र जी का है उसको कर दीजिये पउधारा (२) ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

ऐसा है कि जो मेरे नाम से ऊपर का संशोधन है वह अलग चीज है और नीचे जो शम्भूनाथ चौधरी के साथ है वह अलग चीज है, उससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा कि राज्य सरकार समय-समय पर····, यह कैसे १३३ से भिन्न है ? लिहाजा इसको आप १ कहिये। आपका मुख्य संशोधन तो वह है जो आपने दिया है शम्भूनाथ चौधरी और त्रिलोक चन्द्र के नाम से खंड ११ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३३-क के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"१३३-क—उपधारा (१) के अधीन दिया गया आदेश यथासम्भव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।"

तो ड्राफ्टिंग की दृष्टि से पहला १ हो गया और आपका यह संशोधन नम्बर २ हो गया। एक दूसरा संशोधन जो आपने १३३-क में संशोधन किया वह १३३ (२) हो गया।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

इसमें उपधारा १ में (क) के अधीन दिया गया आदेश यथासम्भव शीघ्र राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

यही तो मैं कह रहा हूं कि यह ड्राफ्टिंग की दृष्टि से गलत है क्योंकि आपका कोई भी संशोधन नहीं है बल्कि वह तो मूल प्रस्ताव ही है। इसको आप १ कहिये और वह ठीक आपके जैसा है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

१३३ (१) जो माननीय त्रिलोक चन्द्र जी का प्रस्ताव है वह स्वीकार है। दूसरा इसलिये आवश्यक नहीं है क्योंकि मूल अधिनियम में १३३ (२) वही है जो सदन में रखा जायगा। इसलिए १३३ (१) जो माननीय त्रिलोक चन्द्र जी का संशोधन है वह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

आप त्रिलोक चन्द्र जी का (१) स्वीकार कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि आपकी भाषा में और इसमें अन्तर क्या है ? जब आपने इसको मान लिया तो त्रिलोक चन्द्र जी के दूसरे की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो पहला ठीक है आपका ज्यों का त्यों। त्रिलोक चन्द्र जी का यह प्रस्ताव ठीक नहीं है। आपने जो कहा इसमें जैसा मूल है वह ठीक है और १३३-क को आप निकाल देंगे तो ठीक हो जायगा।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी हां।

श्री अध्यक्ष--- [* * * *]

प्रश्न यह है कि खंड ११ के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय : "११--मूल अधिनियम की धारा १३३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :--

"(१) राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक आदेश दे सकती है जिसे वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन से संबंधित किसी मामले में किसी कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या वांछनीय समझे'।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७७

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम १--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, १९७७ कहा जायगा।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७७ जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

---

*नोट --खंड ११ के स्थान पर दूसरा खंड ११ प्रतिस्थापित हो जाने के बाद धारा १३३-क को निकालना निरर्थक हो जाता है क्योंकि प्रतिस्थापन के बाद उसमें १३३-क रह ही नहीं जायगा। अतः [***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७७ जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

आज सदन में प्रश्नोत्तर के पश्चात शासक पक्ष की दर्शक दीर्घा की ओर से एक व्यक्ति द्वारा कुछ पर्चे फेंकने तथा नारे लगाने की घटना हुई थी । इस संबंध में मार्शल से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह इस प्रकार है--

"आज दिनांक ५ अक्तूबर, १९७७ को १२ बजकर ५ मिनट पर प्रश्नोत्तर काल के पश्चात् सदन को दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति ने जोर जोर से 'छात्र एकता जिंदाबाद' के नारे लगाकर शासन पक्ष की ओर टाइप किये हुये कुछ पर्चे सदन में फेंके, जिससे सदन को कार्यवाही में कुछ व्यवधान हुआ । दीर्घा में नियुक्त विधान सभा रक्षकों ने उस व्यक्ति को तुरन्त अपने वश में करके वहां से हटा दिया । उक्त व्यक्ति इस समय मार्शल की हिरासत में है ।

प्रवेश-पत्र पर इस व्यक्ति का नाम श्री विजय बहादुर राय लिखा है, जो कि देवरिया के रहने वाले हैं और उन्हें दर्शक दीर्घा का प्रवेश-पत्र संख्या २३५००, श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी, सदस्य विधान सभा द्वारा जारी कराया गया प्रतीत होता है । फेंके हुये पर्चे की एक प्रति एवं व्यक्ति का दर्शक-दीर्घा का प्रवेश-पत्र संलग्न† है ।"

रिपोर्ट के अनुसार श्री विजय बहादुर राय, जो देवरिया के रहने वाले हैं और जिन्होंने दर्शक-दीर्घा से पर्चे फेंक कर और नारे लगाकर सदन की कार्यवाही में व्यवधान किया है, घटना के बाद से ही मार्शल की हिरासत में हैं । इस प्रकार सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना सदन का स्पष्टतः अपमान है और मैं समझता हूं कि अब तक कि मार्शल की हिरासत में रहने के समय को उक्त सदन के अवमान का पर्याप्त दंड मानते हुये, सदन की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात श्री राय को अवमुक्त कर दिया जाय ।

यदि सदन उपर्युक्त प्रस्ताव से सहमत हो तो तदनुसार कार्यवाही की जाय ।

(सदन ने सहमति व्यक्त की)

श्री अध्यक्ष--

मैं मार्शल को आदेश देता हूं कि श्री राय को मुक्त कर दिया जाय । अब हम उठते हैं । कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
५ सितम्बर, १९७७

सत्य प्रिय सिंह
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

† छापा नहीं गया ।

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१ पर ।)

अनुदान निलम्बन के कार्यों की तालिका

१—संख्या में दो समानान्तर प्रबन्ध समितियों का होना,

२—आर्थिक अनियमितता,

३—विभागीय आदेशों की अवहेलना, तथा

४—निरीक्षणार्थ विद्यालयीय अभिलेखों को उपलब्ध न करना ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२ पर ।)

हमीरपुर जनपद में वर्ष १९७६-७७ में नार्मल प्रोग्राम के अन्तर्गत छिद्रित नलकूपों की सूची :

क्रम-संख्या	नलकूप संख्या एवं समूह	ग्राम का नाम	तहसील	ब्लाक
१	२	३	४	५
१	३ मौदहा ग्रुप	लोधीपुर	मौदहा	मुस्करा
२	४३ हमीरपुर ग्रुप	बेरी प्रथम	हमीरपुर	कुरारा
३	४६ हमीरपुर ग्रुप	बेरी द्वितीय	हमीरपुर	कुरारा
४	४७ हमीरपुर ग्रुप	ककरऊ	हमीरपुर	कुरारा

हमीरपुर जनपद में वर्ष १९७६-७७ में डी० पी० ए० पी० योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों का विवरण :

क्रम-संख्या	कूप संख्या एवं समूह	ग्राम का नाम	तहसील	ब्लाक	माह जिसमें छिद्रित हुआ
१	२	३	४	५	६
१	३२ हमीरपुर ग्रुप	भौनियां	हमीरपुर	सुमेरपुर	६/७६
२	३३ हमीरपुर ग्रुप	मिहुना	,,	,,	६/७६
३	३४ हमीरपुर ग्रुप	सुरौली खुर्द	,,	,,	६/७६
४	३५ हमीरपुर ग्रुप	पडौली	,,	,,	७/७६
५	३६ हमीरपुर ग्रुप	नजरपुर	,,	,,	७/७६
६	३७ हमीरपुर ग्रुप	मरूआ सुमेरपुर-१	,,	,,	१/७७
७	३८ हमीरपुर ग्रुप	पनघरी	,,	,,	११/७६
८	३९ हमीरपुर ग्रुप	बरखोरा	,,	,,	१/७७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
९	४० हमीरपुर ग्रुप	सुमेरपुर–२	हमीरपुर	सुमेरपुर	२/७७
१०	४१ हमीरपुर ग्रुप	सुमेरपुर–३	,,	,,	२/७७
११	४२ हमीरपुर ग्रुप	सोखर–१	,,	,,	२/७७
१२	४४ हमीरपुर ग्रुप	सोखर–२	,,	,,	३/७७
१३	४५ हमीरपुर ग्रुप	तिमनौड़ी	,,	,,	३/७७
१४	३६ राठ ग्रुप	बड़ौत–४	राठ	सरीला	४/७६
१५	३४ राठ ग्रुप	चिटकरी	,,	,,	५/७६
१६	४२ राठ ग्रुप	सरीला चतुर्थ	,,	,,	६/७६
१७	४४ राठ ग्रुप	दादों–२	,,	,,	१/७७
१८	४५ राठ ग्रुप	दादों–३	,,	,,	१२/७६
१९	४६ राठ ग्रुप	ममना–१	,,	,,	२/७७
२०	४७ राठ ग्रुप	ममना–२	,,	,,	२/७७
२१	४८ राठ ग्रुप	ममना–३	,,	,,	३/७७

उत्तर प्रदेश सूचना

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२ पर।)

जिला हरदोई के अधूरे मार्गों की सूची, जिनका निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है :

(१) बावन–सवाइजपुर मार्ग ।

(२) शाहाबाद–पाली मार्ग ।

(३) सन्डीला–अतरौली मार्ग ।

(४) बिलग्राम –कन्नौज बाई पास ।

(५) सन्डीला–गौसगंज मार्ग ।

(६) बेहटा–गोकुल–मंसूर नगर मार्ग ।

(७) शाहाबाद–पिहानी मार्ग ।

(८) पाली–सैदपुर मार्ग ।

(९) शाहाबाद–बासत नगर मार्ग ।

(१०) बिलग्राम–नेकपुर–नेवादा–रामपुर मछियारा मार्ग ।

(११) गौसगंज–मल्लावां–मेंहदीघाट मार्ग ।

(१२) रूदामऊ–गौरा मार्ग ।

(१३) सन्डीला–अतरौली–भटपुर मार्ग ।

(१४) माधोगंज–नयागांव मार्ग ।

(१५) पिहानी–गोपामऊ मार्ग ।

(१६) सन्डीला–सान्डी मार्ग का आधुनिकीकरण ।

(१७) शाहाबाद–शिरोमणी नगर ।

(१८) गौरैया–हरैया मार्ग ।

(१९) कोठिला–सरैयां मार्ग ।

(२०) टोडर–चटिया मार्ग ।

(२१) गोपर–विक्टोरिया गंज मार्ग ।

(२२) गंज मुरादाबाद–कटिया भिखारीपुर मार्ग ।

(२३) लालपुर–अहिरौरी मार्ग ।

(२४) पहुटेरा–कुरसठ मार्ग ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(२५) हरपालपुर–खसौरा मार्ग ।

(२६) माल–कोटावा मार्ग ।

(२७) पिहानी–शाहाबाद मार्ग ।

(२८) पिहानी–दौलतपुर मार्ग ।

(२९) धोर–महोलिया रेलवे क्रासिंग मार्ग ।

(३०) माधोगंज से परचल रसूलपुर मार्ग ।

(३१) सन्डीला–मुसलमानाबाद मार्ग ।

(३२) सान्डी–बधौली मार्ग (सान्डी की ओर से) ।

(३३) लाल सिंह अहिरौरी मार्ग (मोठा महासिंह से कोट की ओर माग) ।

(३४) माधोगंज–व घौली मार्ग (ग्राममिलाया से मझरा भुलभुला खड़ा तक) ।

(३५) माधोगंज–सैतापुर–मगराहा मार्ग ।

(३६) सांडी–वधौली मार्ग (सई नदी की ओर से) ।

(३७) हरपालपुर–खसौरा मार्ग ।

(३८) सन्डीला–गौसगंज मार्ग (छूटा भाग) ।

(३९) हरपालपुर–अरवल मार्ग ।

(४०) बेहटा गोकुल–मंसूर नगर का छूटा भाग ।

(४१) शाहाबाद–पिहानी मार्ग (मझला थाना तक) ।

(४२) पाली–पचदौरा मार्ग ।

(४३) हरदोई–पिहानी–चपरथला मार्ग ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३ पर)

क्रम-संख्या	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई कि० मी०	भौतिक प्रगति ८/७७ तक कि० मी० में							
			मिट्टी के कार्य	पुल व पुलिया	निचली सतह		मध्य सतह		ऊपरी सतह	
					एकत्रीकरण	कुटाई	एकत्री-करण	कुटाई	एकत्री-करण	कुटाई
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	इत्तफातगंज-महबूबगंज मार्ग	३.००	२.००	..	१.००	..	१.००	..	१.००	..
२	मालोपुर-धोरुवा मार्ग	३.००	२.००	..	१.००	१.००	२.००	१.००	..	..
३	गीसाईगंज-सेरवाघाट मार्ग	३.००	१.००	..	..	..	१.००	..	..	..
४	हंसवर-टांडा मार्ग	३.००	१.००	..	..	..	०.५	..	..	..
५	रपरेंगंज-इलाहपुर नेवरी मार्ग	३.००	१.००	..	१.००	..	..	..	..	..
६	खाडवारियान रहनसुवंश मार्ग	३.००	२.००	..	२.००	२.००	२.००	२.००	..	..
७	चौरा हैदरगंज-भट मार्ग दूसरी ओर से	५.००	१.५०	..	२.००	..	२.००	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

८	दर्शन नगर– भरतकुण्ड मार्ग	२.००	१·००	..	१·००	..	२·००	..	१·००	..
९	सुबेतगंज–दौलतपुर मार्ग	४·००	४·००	..	४·००	४·००	२·००	२·००	..	..
१०	तारुत–हैदरगंज कूड़े भार मार्ग	४·००	४·००	..	४·००	४·००	१·००	..	..	..
११	बसघारी–हंसवर मार्ग	७·८	२·०	..	१·०	..	०·७	..	..	..
१२	सुबेतागंज–दौलतपुर मार्ग	१·६८	१·६८	..	१·६८	१·६८	..	..	..	..
१३	मुबारक घौराहा से पिलखवां मार्ग	२·२८	२·२८	..	१·००	१·००	२·००	१·००	२·००	..
१४	तारुन–हैदरगंज–कूड़े भार मार्ग	११·००	११·००	..	११·००	११·००	..	..	..	..
१५	बाला–एकौली सराय वीरसिंहपुर मार्ग	६·५	६·५	१५	६·५	६·५	२·००	..	२·००	..
१६	भया बाजार–महवगंज मार्ग	१२·८२५	१२·८२५	१३	१२·८२५	१२·८५	२·००	..	..	..
१७	वरखारी–टांडा मार्ग	७·१	७·१	१८	७·१	७·१	१·००	..	०·५	..
१८	महरुवा–मयथानी मार्ग	७·१	७·१	१८	७·१	७·१	१·००	..	०·५	..
१९	टांडा–बंसवारी मार्ग	७·१	७·१	११	७·१	७·१	२·००	..	..	..
२०	कयारगंज–खन्डासा मार्ग	१०·१	१०·१	..	५·००	५·००	४·००	४·००	१·००	..
२१	फैजाबाद–रायबरेली मार्ग के कि० मी० ३१ से ४२ तक पुनः निर्माण	१२·००	..	..	..	..	२·००	२·००	७·००	१·००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४ पर)

माह अगस्त, १९७३ से जुलाई, १९७७ तक खरीदे गये टी० एण्ड पी० का विवरण।

क्रम-संख्या	नाम सामान	मात्रा	कब और किससे खरीदा गया	लागत	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६
			(अगस्त, १९७३ से मार्च, १९७४ तक)	रु०	
१	गैंग टेला	३	श्री ओकार नाथ अग्रवाल, वाराणसी	२,४०८·००	
२	तारपीलोन	४	मदन गोपाल एण्ड कं०, कानपुर	३,३७८·२४	
				५,७८६·२४	
			१९७४-७५		
१	लेवलिंग स्टाप	४	मेसर्स राम प्रसाद धामन एण्ड सन्स, रुड़की	५६४·६०	रेट कन्टैक्ट नं० १३३ (आर) दिनांक २० नवम्बर, १९७० तथा इसका रिवीजन।
2	आई० ओ० पी० लेवल	४	तदेव	२,८७९·७३	तदेव
३	तारपीलोन	६	मेसर्स गोयल एण्ड कं०, वाराणसी	१,४३७·१०	रे० क० सं० १८३, (आर), दिनांक २४ मई, १९७४।
				४,८८१·४३	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१९७५–७६

१	मेटेलिक टेप	८०	मेसर्स इम्पायर एण्ड कं०, रुड़की	१,८४७·८०	रे० क० सं० ३४ (आर), दिनांक २६ मई, १९७५ ।
२	बेलचा	२००	श्री अमर नाथ अग्रवाल, आजमगढ़	३,९५३·००	
३	फावड़ा	६००	श्री अमर नाथ ट्रेडिंग कं०, आजमगढ़	१०,१८७·००	
(१)		५००	मेसर्स त्रिलोकी नाथ एण्ड सन्स, कानपुर	४,३५०·१०	रे० कं० सं० ४९, दिनांक २ नवम्बर, १९७४ ।
४	पोक ऐक्स	२००	श्री अमर ट्रेडिंग कं०, आजमगढ़	६,६४४·००	
५	आइरन रेक	२००	श्री अमर नाथ अग्रवाल, आजमगढ़	३,२०४·००	
६	जी० आई० बकेट	२००	तदेव	४,३६०·००	
७	प्लेन टेबुल	४	मेसर्स राम प्रसाद घोलन एन्ड सन्स, रुड़की	६६०·००	रे० क० सं० १३३, (आर) दिनांक २० अप्रैल, १९७० तथा उसका रीवीजन ।
८	प्रोमेटिक कम्पास	५	तदेव	१२०·००	
९	वेइंग बैलेन्स प्लेट फार्म टाइप मशीन	१	मेसर्स एवन स्टील क०, कानपुर	२,९००·००	रे० क० सं० २३९ (आर), दिनांक १९ अक्तूबर, १९७४ ।
				३८,२२५·९०	

१९७६–७७

१	आलमारी स्टील	४	मेसर्स एलाइड एण्ड, गोरखपुर	२,४८६·००	रे० कं० सं० १३५ (आर) दिनांक २४ दिसम्बर, १९७५ ।
२	छोलदारी	२०	मेसर्स सरोज एण्ड, आजमगढ़	२१,२३२·५०	
३	गगरा	२००	तदेव	५,३४१·००	

१	२	३	४	५	६
४	आइरन रेक	३००	मेसर्स अमर ट्रेडिंग कं०, आजमगढ़	५,१२८·००	
५	आइरन रेक	१०	श्री कोदई प्रसाद, देवरिया	१००·००	
६	फावड़ा	३००	श्री अमर नाथ अग्रवाल, आजमगढ़	५,०९४,००	डी० पी० सं० IX–ए०–७/१११/७६–७७, दिनाक १२ अप्रैल, १९७६ ।
७	पेट्रोमैक्स	२०	श्री ओम स्टोर, देवरिया	३,९९०·००	
८	तारपीलीन	२४	मेसर्स सत्य नारायन मनोहरलाल, कानपुर	१०,८२३·००	रे० कं० २१९ (आर) दिनांक २७ मार्च, १९७५ ।
			१९७७–७८	५४,१९४·५०	
१	आइरन रेक	५००	मेसर्स अमर ट्रेडिंग कं० आजमगढ़	८,७२०·००	
२	जी० आई० बकेट	२००	श्री अमरनाथ अग्रवाल, आजमगढ़	४,३६०·००	
३	बेलचा	२००	तदेव	४,०३३·००	
४	पिक ऐक्स	५३५	तदेव	१८,०५६·२५	
५	छोलदारी	१२	सरोज एण्ड, आजमगढ़	१६,८७५·००	
६	फावड़ा	१२००	श्री अमर नाथ अग्रवाल, आजमगढ़	२०,७९०·००	
७	टाब्यालर	२४	मेसर्स राजीव एण्ड, कानपुर	४७,४४२·००	य० पी० स्माल इण्ड क० के माध्यम से ।
				१,२०,२७६·२५	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च

(देखिये पीछे पृष्ठ ६५ पर ।)

सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र (१९७७) के ४थे मंगल के लिये निर्धारित श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
*३--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत लोक सभा चुनाव के दौरान सुल्तानपुर जिले में श्री संजय गांधी पर कथित गोलीकाण्ड की हो रही जांच की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायगी ?	*३--जी नहीं । जांच अभी जारी है । जांच शीघ्र पूरी किए जाने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं । जांच रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है ।

राम नरेश यादव,

मुख्य मंत्री ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६५ पर ।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७७ के २रे बुधवार के लिए निर्धारित श्रीमती रामपति देवी द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २७ का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
२७--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) ने २२ जून १९७६ को कमिश्नरी, फैजाबाद मंत्री मंडल की बैठक के समय जिला फैजाबाद के अतरुपुर (जहांगीरगंज) पिकिया नदी के पुल निर्माण के लिये ११ लाख की धनराशि स्वीकार करने की घोषणा की थी । यदि हां, तो अब तक पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का क्या हुआ ?	२७--उक्त समय पर प्रश्नगत पुल के निर्माण हेतु लिए गए निर्णय के अनुसार शासनादेश दिनांक २३ नवम्बर, १९७६ द्वारा उक्त पुल के निर्माण की स्वीकृति १९·६० लाख रुपये की लागत पर दी गई । पुल निर्माण के स्थल का चयन फरवरी, १९७७ में किया जा चुका है तथा कार्य का जनरल अरेंजमेन्ट ड्राइंग व आगणन बन जाने के बाद कार्य इस वर्ष प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

मोहम्मद मसूद खां,
सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०--४६ वि० सभा--१-३-७८--८४० (पी० डी०) ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश